नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन

(उत्तम प्रदेश में झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990–2002 तक)

राजनीति विज्ञान विषय के अन्तर्गत

पीएच. डी उपाधि हेतु

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

के लिए प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

2005

शोध निदेशक :

डॉ० एस० के० कपूर

अध्यक्ष – राजनीति विज्ञान विभाग एवं

प्राचार्य– श्री अग्रसेन पी० जी० कॉलेज

मऊरानीपुर (झाँसी) उ. प्र.

शोध छात्रा :

प्रीति सिंह

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन

(उत्तर प्रदेश में झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990–2002 तक)

राजनीति विज्ञान विषय के अन्तर्गत

पीएच.डी. उपाधि हेतु

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

के लिए प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

2005

शोध निदेशक :–

डॉ० एस० के० कपूर

अध्यक्ष – राजनीतिविज्ञान विभाग एवं

प्राचार्य– श्री अग्रसेन पी०जी० कॉलेज

मऊरानीपुर (झाँसी)

शोध छात्रा :–

प्रीति सिंह

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

घोषणा – पत्र

मैं प्रीति सिंह यह घोषित करती हूं कि पीएच.डी. (राजनीतिविज्ञान) उपाधि हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के विचारार्थ प्रस्तुत ''नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन'' (उत्तर प्रदेश में झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990–2002 तक) शीर्षक पर यह शोध प्रबन्ध मेरी मौलिक कृति है। शोध प्रबन्ध में दिए गए तथ्य एवं तत्सम्बन्धी सामग्री मेरा अपना स्वयं का मौलिक कार्य है। कृति में उपलब्ध मार्गदर्शन एवं तत्सम्बन्धी सुझावों का उपयोग किया गया है, जिसका यथास्थान उल्लेख किया गया है। मैं यह भी घोषणा करती हूं कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध, अन्य व्यक्ति द्वारा इस विश्वविद्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का अंश नहीं है।

दिनांक :– 04-06-05

शोध छात्रा

Preeti Singh

(प्रीति सिंह)

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। शोध प्रबन्ध का विषय ''नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन'' (उत्तर प्रदेश में झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990–2002 तक) है। वर्तमान जगत में स्थानीय शासन, शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। स्थानीय शासन का क्षेत्राधिकार एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है और उसके कार्यों का सम्बन्ध उस क्षेत्र के अन्तर्गत बसने वाली जनता को नागरिक सुविधायें प्रदान करने से होता है। जब लोग किसी स्थान पर मिलकर रहने लगते हैं तो सामुदायिक जीवन के फलस्वरूप कुछ समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। अतः स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व उन सब सुविधाओं को जुटाना है जो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अधिकाधिक अच्छा बनाने के लिये आवश्यक होती हैं। स्थानीय शासन से हमारा अभिप्राय नगरपालिका परिषदों एवं ग्राम पंचायतों से हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ निवास क्षेत्र का आकार बढ़ता है तथा परिणामतः अन्य समस्यायें उठ खड़ी होती है और वे अधिक उग्र रूप धारण कर लेती हैं। अतः स्थानीय शासन को जो कार्य करने चाहिये उसमें निरन्तर वृद्धि होती रहती है किन्तु स्थानीय शासन के कार्यों की संख्या कम नहीं होती।

शासन तो पहले भी तीन स्तर से हुआ करता था, केन्द्र स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर। परन्तु केन्द्रीय स्तर और राज्यस्तरीय शासन को संवैधानिक अधिकार प्राप्त थे स्थानीय स्तरीय शासन को नहीं। इसलिये ये संस्थायें अपनी प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम नहीं थीं। 15 अगस्त 1947 के देश स्वतन्त्र होने के पश्चात् भारत एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, उसी समय से ही भारत की सरकार ने स्थानीय शासन की व्यवस्था को अत्यधिक महत्व देना आरम्भ कर दिया गया था। स्वतन्त्र सरकार ने यह अनुभव कर लिया था कि स्थानीय स्वशासन की ये इकाईयां वास्तव में लोकतन्त्र की आधारशिला होती हैं। जैसा कि स्व0 राजीव गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ''लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी को सशक्त, प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाये जाने की जबर्दस्त आवश्यकता है ताकि जनता को तत्कालिक उत्तम नागरिक जन सुविधाएें प्रदान की जा सकें।'' फलस्वरूप स्थानीय शासन के क्षेत्र में प्रगति का नया युग प्रारम्भ हुआ और स्थानीय शासन के अन्तर्गत अनेक बातों की ओर ध्यान दिया गया।

26 जनवरी 1950 को भारत में नया संविधान लागू हुआ। इस संविधान के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। यद्यपि राज्य सूची में ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करने की बात की गई किन्तु नगरीय संस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। स्व0 राजीव गांधी जी ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली एवं कुशल बनाने के लिए इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान कर

इनके वित्तीय साधनों में वृद्धि करने तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को व स्त्रियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिये मई, 1989 में लोकसभा में (64वां और 65वां) संवैधानिक संशोधन बिल प्रस्तुत किया। 64 वें संवैधानिक संशोधन का विषय नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन को अधिक प्रभावशाली एवं कुशल बनाना था। लोकसभा द्वारा इन बिलों को पारित किया गया परन्तु राज्य सभा में कांग्रेस (आई) दल को बहुमत प्राप्त न होने से राज्य सभा ने इन्हें पारित नहीं किया तथा 1989 में इसे अस्वीकार कर दिया गया।

जून 1991 में पी0वी0 नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) की सरकार बनी और उनकी सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल में सुधार करके ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन में प्रगतिशील परिवर्तन लाने के लिए संविधान संशोधन के लिए दो (73वां एवं 74वां) बिल तैयार कराये। इन दोनों बिलों का मुख्य उद्देश्य भी स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना तथा स्थानीय शासन को वास्तविक लोकतंत्रात्मक बनाना था। इन दोनों बिलों को 1992 में संसद ने पारित कर दिया। तत्पश्चात् इन्हें भारतीय संविधान में 73वां एवं 74वां अधिनियम 1992 के रूप में लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 (क) ''द म्यूनिसिपलिटीज'' शीर्षक नया जोड़ा गया। इस संशोधन के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देकर और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। इस संशोधन के मुख्य प्रावधानों में सभी नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में प्रति 5 वर्ष बाद इन संस्थाओं में निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने, अनुसूचित जातियों/जनजातियों पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं के लिये इन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने तथा तीन प्रकर की नगरपालिकाओं के गठन करने जैसे पहलू रखे गये हैं। निःसन्देह नगरीय क्षेत्र की स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक स्थान प्रदान किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस शोध प्रबन्ध के माध्यम से इन सभी परिवर्तनों का नगरपालिकाओं की संरचना एवं कार्यप्रणाली पर तथा जनमानस में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

इस शोध प्रबन्ध के निदेशक मेरे पूज्य गुरू डा0 श्रीकृष्ण कपूर (प्राचार्य एवं अध्यक्ष – राजनीतिविज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कॉलेज पी0जी0 कालेज, मऊरानीपुर) है। जिन्होंने मेरे शोध काल एवं अध्ययन काल के दौरान सदैव सहयोग प्रदान किया, जिससे मैं इनकी हृदय से ऋणी हूं। मैं डा0 ए0क0 वर्मा (रीडर – राजनीति विज्ञान विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानुपर) एवं डा0 रानी वर्मा (हिन्दी विभाग, एस0एन0सेन पी0जी0 कालेज, कानपुर) की भी हृदय से आभारी हूं जिनके अमूल्य सुझावों एवं बौद्धिक मार्गदर्शन के द्वारा ही मैं इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में सफल हुई। पं0 जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, बांदा की प्रवक्ता रचना गुप्ता की भी मैं आभारी हूं जिन्होंने समय–समय पर उचित परामर्श एवं सहयोग प्रदान किया।

मेरे पूजनीय पिता प्रो0 घनश्याम सिंह (रीडर – समाज शास्त्र विभाग, श्री अग्रसेन पी0जी0 कालेज, मऊरानीपुर) एवं माता श्रीमती उर्मिला सिंह के द्वारा निराशा की घड़ी में बहुमूल्य प्रेरणा देकर आशा की ज्योति का जो प्रज्जवलन किया गया वह भी अकथनीय है। मैं अपने परिवार जनों में बड़े भाई श्री सिद्धार्थ सिंह, भाभी श्रीमती कंचना सिंह एवं बहन श्वेता तोमर के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस शोध कार्य के दौरान मुझे उचित वातावरण एवं स्नेह प्रदान किया।

मैं अपने पूजनीय पिता तुल्य श्री उमाकान्त सिंह चौहान एवं मातातुल्य श्रीमती मालतीसिंह के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं जिन्होंने समय–समय पर अपनी स्नेहमयी कृपा सहयोग व आर्शीवाद प्रदान कर एवं ग्रहकार्य से मुक्त रखकर मुझे सदैव प्रेरणा दी जिससे यह कठिन कार्य पूर्ण हो सका। इसी के साथ ही आदरणीय मौसा जी श्री के0पी0 सिंह एवं मौसी जी श्रीमती मीरा सिंह की भी ह्रदय से आभारी हूं जिन्होंने इस कार्य के लिये सदैव आर्शीवाद व स्नेह प्रदान किया। मैं सम्माननीय जीजा जी डा0 आर0के0सिंह एवं दीदी जी श्रीमती पूनमसिंह के प्रति भी ह्रदय से आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने समय समय पर इस शोध कार्य को पूरा करने के लिये प्रेरित करते हुये सदैव सहयोग प्रदान किया। मैं अपने पति श्री भानुप्रताप सिंह की ह्रदय से ऋणी हूं जिन्होंने मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखकर, इस कार्य को पूर्ण करने के लिये प्रेरित एवं उत्साहित किया जिससे यह कठिन कार्य पूर्ण हो सका। इसके साथ ही मैं अपने देवर श्री यू0पी0सिंह एवं देवरानी श्रीमती पल्लवी सिंह की भी आभारी हूं जिन्होंने स्नेह एवं सहयोग से मेरा उत्साहवर्धन किया।

झाँसी नगरनिगम के उपनगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव, मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अधिशासी अधिकारी श्री आर0एन0गुप्ता एवं प्रधान लिपिक श्री मानिकलाल गुप्ता के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मेरे अध्ययनकाल में अपनी सुविधाओं का ध्यान न रखते हुये आवश्यकतानुसार परिषद् के अभिलेखों एवं अन्य सूचनायें उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया।

प्रीति सिंह

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

अध्याय

प्रथम

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसका स्वभाव है। उसकी अनेक आवश्यकतायें होने के कारण वह उनकी पूर्ति दूसरों के साथ मिलकर करता है। मनुष्य परिवार के परिवेश में ही रहकर सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः वह अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के संघो, समुदायों एवं संगठनों आदि का निर्माण करता है। राज्य इन्हीं मानवीय संगठनों में सर्वोच्च श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। आज राज्य का आकार विशाल एवं जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई है। लोकतंत्रात्मक, लोककल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य के कार्यो का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है। फलस्वरूप किसी देश के लिए केन्द्र या राजधानी से शासन को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से चलाना एक जटिल समस्या है। इसके दो मुख्य कारण है – प्रथम, सभी कार्यो के लिये केन्द्र के पास समय का अभाव है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं कि सभी कार्यो का सम्बन्ध केन्द्र या राष्ट्र से हो। कुछ कार्यो का सम्बन्ध राष्ट्र से, कुछ का प्रान्त से, कुछ का स्थान विशेष से होता है, अतः ये सभी तत्व मिलकर सत्ता, अधिकार, शक्ति और उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं, जो स्थानीय शासन को जन्म देता है।

स्थानीय शासन का अर्थ स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा उसका क्षेत्राधिकार विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है और इस विशिष्ट क्षेत्र में बसने वाली जनता को नागरिक सुविधाऐं प्रदान करना इसका प्राथमिक दायित्व समझा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि स्थानीय शासन की इकाइयां सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों को उपयोग करती हैं लेकिन यह सम्प्रभु नहीं होती। एन साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार, स्थानीय शासन का अर्थ है, "पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अन्दरूनी प्रतिबन्धित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता।"[1] इसीलिए एस0आर0 माहेश्वरी का इस सम्बन्ध में कहना है कि, "स्थानीय शासन को कायम रखना ही नहीं अपितु उसे सुदृढ़ बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है। राज्य शासन के लिये इन सब कामों का भार अपने ऊपर लेना और उनका सम्पादन करना असम्भव है। सामुंदायिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले अनेक ऐसे विषय है जिन्हें केवल स्थानीय शासन ही सम्पादित कर सकता है।"[2] स्थानीय शासन सत्ता विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रगति के लिए प्रबन्ध करना है। ये संस्थाऐं वहां के लोगों की समस्याओं और सार्वजनिक विकास के लिए कार्य करती हैं। इन संस्थाओं को स्थानीय क्षेत्र में कानूनी स्वतन्त्रता होती है, परन्तु ये स्वतन्त्रता असीम नहीं है। ये राज्य, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय सरकारों

के अधीन रहकर कार्य करती हैं। बी. वेंकटराव के अनुसार, "स्थानीय सरकार, राज्य सरकार का वह भाग है जो मुख्यतः स्थानीय विषयों से सम्बन्ध रखती है तथा उसकी शासन करने वाली सत्ता के अधीन रहती है लेकिन उसके चुनाव, राज्य की सत्ता के नियन्त्रण की अपेक्षा, स्वतन्त्र रूप से योग्य निवासियों द्वारा किए जाते हैं।"[3]

समस्त विश्व में लोकतान्त्रिक विचारों के विस्तार के साथ ही यह विचारधारा बलवती होती चली गई कि स्थानीय शासन को स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए। यद्यपि न केवल प्राचीन काल में अपितु आज विश्व के सभी सभ्य एवं प्रजातांत्रिक देशों में स्थानीय संस्थाओं का एक जाल सा बिछा हुआ मिलता है और संघीय या प्रान्तीय सरकारें नागरिकों के स्थानीय महत्व के अधिकतर कार्य इन संस्थाओं के द्वारा ही करवाने लगी है। किसी भी देश का स्थानीय शासन प्रायः दो स्वरूपों – नगरीय एवं ग्रामीण में विभक्त होता है। नगरीय क्षेत्र के स्थानीय शासन को संचालित करने वाली इकाइयों पर नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनता की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व रहता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की स्थानी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय रचना, जिला परिषद, क्षेत्र समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा बहन किया जाता है। स्थानीय जनता की नगरीय एवं ग्रामीण इन दोनों संस्थाओं में स्थानीय जनता सक्रिय भागीदारी निभाती है। इसलिये लास्की ने इसके महत्व के विषय में कहा है कि "स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है।"[4] तभी लॉर्ड ब्राइस ने ठीक ही लिखा है कि, "स्थानीय संस्थाऐं सामान्य कार्यो में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये लोगों को दूसरों के हितार्थ कार्य करने का प्रशिक्षण ही नहीं देती वरन उन्हें प्रभावशाली ढंग से दूसरों के साथ कार्य करना भी सिखाती हैं। ये सहज ज्ञान तर्कसंगता न्यायप्रियता एवं सामाजिकता का विकास करती हैं।

1. लोकतन्त्र में स्थानीय शासन का महत्व –

आधुनिक युग को नागरिकों की उभरती हुयी आकाक्षाओं का युग माना जाता है। सभी प्रजातन्त्रीय और लोककल्याणकारी राज्यों में शासन सम्बन्धी कार्यो का इतना अधिक महत्व और विस्तार हो गया है कि केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इन कार्यो का निष्पादन नहीं कर सकती। इसी कारण समस्त लोकतान्त्रिक देशों में राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें इनके कार्यभार को हल्का करने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को व्यापक उत्तरदायित्व देती हैं। लोकतन्त्र में स्थानीय स्वशासन के महत्व को इन आधारों पर व्यक्त किया जा सकता है।

हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने 1948 में देश के स्थानीय

स्वशासन मंत्रियों के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये कहा था कि "स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र की सच्ची पद्धति का आधार है और होनी भी चाहिये।" हमें प्रायः उच्च स्तर पर लोकतन्त्र के विषय में सोचने की आदत पड़ गई है और हम नीचे के स्तर पर लोकतन्त्र के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। उच्च स्तर पर लोकतन्त्र तब तक सफल नही हो सकता जब तक कि उसे नीचे से मजबूत न बनाएं। प्रजातन्त्र की नींव और उसका आधार स्थानीय निकायों द्वारा मजबूत बनाया जाता है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को उत्तरदायी तथा शासन की नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में भागीदार अनुभव नहीं करता है तब तक उस राष्ट्र में प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक रूप में ही रहता है, उसमें व्यावहारिकता तथा वास्तविकता नहीं आती, और व्यवहारिकता के लिए गांव, कस्बा तथा नगर स्तर पर प्रत्येक की अपनी स्थानीय स्वायत्त सरकार का होना अति आवश्यक है।

लोकतन्त्र में स्थानीय शासन राजनीति में नागरिकों की प्रथम पाठशाला होती है। इसी प्रकार लार्ड ब्राइस ने कहा है कि स्थानीय शासन लोकतन्त्र के लिये प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला का काम करतीं है। इसके अभाव में लोकतन्त्र की सफलता की आशा नहीं का जा सकती। अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में रूचि रखने वाले लोगों के लिए स्थानीय शासन की संस्थाऐं प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसी प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य का प्रजातान्त्रिक नेतृत्व उभरता है। स्थानीय शासन की संस्थाऐं नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करती है।

भविष्य का राजनैतिक नेतृत्व स्थानीय शासन की इन संस्थाओं में जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे आगे चलकर, सम्पूर्ण राष्ट्र और समाज को लाभान्वित करता है। इसी प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य का प्रजातान्त्रिक नेतृत्व उभरता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व "श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने राजनैतिक जीवन का आरम्भ कोलकाता नगर निगम से किया था। इसी प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनैतिक जीवन का आरम्भ इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किया था।" [5] वस्तुतः स्थानीय संस्थाएं लोकतन्त्र की नींव मजबूत करने का कार्य करतीं हैं। इस तरह से स्थानीय शासन राजनीतिक शिक्षा का सुनिश्चित साधन है।

स्थानीय शासन व्यापक क्षेत्र में जनता की सेवा करता है तथा विविध प्रकार के विशाल पैमाने के कार्य सम्पादित करता है। इसलिए स्थानीय शासन अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिये आवश्यक है। एस0आर0 माहेश्वरी का भी इस सम्बन्ध में कहना है कि "स्थानीय शासन को कायम रखना ही नहीं अपितु उसे सुदृढ़ बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है। राज्य शासन के लिये इन सब कामों का भार अपने ऊपर लेना और उनका सम्पादन करना असम्भव है। सामुदायिक जीवन से

सम्बन्ध रखने वाले अनेक ऐसे विषय हैं जिन्हें केवल स्थानीय शासन ही सम्पादित कर सकता है।"[6] इसके अतिरिक्त स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिये स्थानीय परिस्थितियों तथा वातावरण का ज्ञान आवश्यक होता है। कौन से काम हाथ में लिये जाये, उन कामों को और किस प्रकार पूरा किया जाये, इस सबके लिये स्थानीय परिस्थितियों की गहरी और निकटस्थ जानकारी आवश्यक होती है। वस्तुतः इन्हीं आवश्यकताओं ने स्थानीय शासन के विचार को जन्म दिया है।

अन्त में शासन उन नेताओं के लिये अच्छी प्रशिक्षण शाला का काम करती है जिन्हें राज्यीय अथवा केन्द्रीय स्तर पर कार्य करना पड़ता है। वह क्षेत्र विशेष के सुयोग्य तथा नागरिक भवाना से युक्त व्यक्तियों को अपने समुदाय की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार के अनुभवी तथा परखे हुये व्यक्तियों में से ही उन नेताओं का उदय होता है जो राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकते हैं। अतः स्थानीय शासन उच्चतर शासकीय स्तरों के लिये निम्नतर प्रतिभाशाली व्यक्ति तैयार करता रहता है। लार्ड ब्राइस का यह कथन सर्वथा उचित है, "यह कहना पर्याप्त है कि जिन देशों में लोकतान्त्रिक शासन ने जनता को सर्वाधिक आकृष्ट किया है और उसमें से नेता उत्पन्न किये हैं, वे स्विट्जरलैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, विशेषकर वे उत्तरी तथा पश्चिमी राज्य जहां ग्रामीण स्थानीय शासन सबसे अधिक विकसित हुआ है। ये उदाहरण इस सिद्धान्त की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं कि स्थानीय शासन की पद्धति लोकतन्त्र की सर्वोत्तम पाठशाला और उसकी सफलता की सबसे अच्छी गारण्टी है।" [7]

जनतंत्र की आधारभूत मान्यता है कि शासन शक्ति का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग शासन के कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सके। विकेन्द्रित जनतंत्र से अमिप्राय यह है कि विमिन्न स्तरों पर स्थानीय संस्थाओं का निर्माण तथा उनको क्रियान्वित करने का काम स्थानीय संस्थाओं पर ही रहता है। केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारें उनके कार्यो में आवश्यक सलाह तथा सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह स्थानीय संस्थायें लोकतन्त्र प्रणाली की प्रथम कड़ी हैं, प्राण हैं, साथ ही लोकतंत्र की सफलता की मुख्य शर्त है। स्थानीय स्वशासित संस्थाऐं जनतंत्र का आधार हैं इन्हें जनतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। इन संस्थाओं के कार्यो पर ही लोकतन्त्र की सफलता निर्मर करती है। देश की विशालता को देखते हुये जब शासन सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाता है तो अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं का निर्माण, उन्हें क्रियान्वित करने का भार स्थानीय संस्थाओं पर ही रहता है। स्थानीय स्वशासन संस्थायें जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जनता में जागृति लाती हैं, जनता में आत्मविश्वास एवं सहयोग की

भावना पैदा करती हैं जो कि जनतंत्र की सफलता के लिये नितान्त आवश्यक है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को लोकतन्त्र की नर्सरी, प्राथमिक पाठशाला एवं 'प्रयोगशाला' भी कहा जाता है। इसीलिये डी0 टॉक्यूविले ने कहा है, "नागरिकों की स्थानीय सभायें राष्ट्र की शक्ति हैं। विज्ञान के लिये जो महत्व प्रारम्भिक पाठशालाओं का है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतन्त्रता के लिये है।.........किसी राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र शासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती।"[8]

स्थानीय शासन की संस्थायें ही लोगों के दृष्टिकोण को उदार बनाती हैं। ये संस्थायें किसी जाति लिंग, वर्ग-विशेष के लिये कार्य नहीं करतीं, ये संस्थायें उस क्षेत्र के सम्पूर्ण समाज के हित के लिये कार्य करती हैं, अतः इन संस्थाओं के सदस्य 'मैं' और 'मेरा' की भावना से निकल कर सम्पूर्ण क्षेत्रीय समाज के लिये कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संस्थाऐं नागरिकों में अनेक प्रकार के गुणों का विकास करती हैं। सहयोग एवं सार्वजनिक सेवा की भावना, पारस्परिक समझ, सार्वजनिक उत्साह, संवेगात्मक प्रतिक्रिया, ईमानदारी, सचरित्रता, आत्मविश्वास की भावनाऐं आदि इन संस्थाओं की क्रियान्विति से उत्पन्न होती हैं। इसीलिये लॉस्की ने कहा है, "स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है।" स्थानीय संस्थायें स्थानीय समस्याओं का सही निवारण करने की क्षमता रखती हैं।

स्थानीय शासन के पदाधिकारी, स्थानीय समस्याओं से भली-भाँति परिचित होते हैं, उनमें विशेष रूचि भी रखते हैं, वे जो भी कार्य करते हैं, वह उस क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिये करते हैं। उस सेवा कार्य में उनका व्यक्तिगत हित भी निहित होता है, अतः वे समस्या को सुलझाने में लगन, तत्परता एवं जोश से काम करते हैं। परिणामस्वरूप प्रशासन में कार्य कुशलता आती है।

आर्थिक दृष्टि से स्थानीय संस्थायें उपयोगी होती हैं। ये कम खर्च पर अधिक सेवायें देती हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय संस्थाओं द्वारा होने से प्रशासनिक व्यय कम होता है। अगर नागरकि सेवायें भी केन्द्र या प्रान्तीय सरकार द्वारा ही दी जायें तो सरकार को अधिक, व्यय उठाना पड़ेगा। केन्द्र सरकार के पास सम्पूर्ण देश एवं बड़ी बड़ी समस्याओं का इतना अधिक भार होता है कि केन्द्र स्थान विशेष की समस्याओं के बारे में सोच भी नहीं सकता। केन्द्र के पास न तो इतना समय है और न ही इतने साधन कि वह स्थान विशेष की समस्याओं का कुशलतापूर्ण हल निकाल सके, अतः यह जरूरी हो जाता है कि उसका भार प्रशासन की अन्य संस्थाओं में बांट दिया जाये। लोकतन्त्र में ये कार्य स्थानीय संस्थाऐं अधिक कुशलतापूर्वक करती हैं। वे केन्द्र सरकार की स्थानीय समस्याओं का भार हल्का करती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि स्थानीय संस्थायें केन्द्र को मिर्गी और

प्रान्तीय सरकार को लकवे से बचाती हैं। स्थानीय संस्थायें शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं तथा अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाती हैं। स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग इन संस्थाओं को मिलता है। फलतः जनता शासन के निकट पहुंचती है। भारत जैसे विशाल विकासशील देश के लिये यह और भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि भारत में एक ओर तो समस्याओं की संख्या काफी है तो दूसरी ओर अपर्याप्त साधन है। ऐसी परिस्थिति में जनसहयोग द्वारा ही कम खर्च पर स्थानीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जनसहयोग द्वारा ही लोकतंत्र को यथार्थ बनाने में सहायता मिलती है।

स्पष्ट है कि स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व उन सब सुविधाओं को जुटाना है, जो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को अधिकाधिक अच्छा बनाने के लिये आवश्यक होती है। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के फलस्वरूप स्थानीय शासन के कार्यो में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक वृद्धि हुई है। भविष्य में इससे भी अधिक स्थानीय शासन के कार्यो में वृद्धि होने की संभावना बढ़ रही है। अन्त में यह कहना उचित होगा कि स्थानीय शासन राजनीतिक अनुभव को बढ़ावा देता है। वह लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित सृजनात्मक क्रियाकलाप करता है। लोकतंत्र में नमनीयता, शक्ति तथा सम्पन्नता के विकास में योग देता है। इस सन्दर्भ में जेंक्स एडवर्ड लिखते हैं, ''जिन देशों में स्थानीय शासन के अंग केन्द्रीय सत्ता की मुट्ठी में रहकर काम करते हैं, वहां प्रशासन की सुयोग्यता भले ही अधिक हो, किन्तु वहां की जनता का राजनीतिक चरित्र असन्तोषजनक होता है। दीर्घकाल तक जनता उदासीन बनी रहती है और फिर खतरनाक ढंग से उत्तेजित हो उठती है। परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार अस्थिरता और भ्रष्टाचार का शिकार बन जाती है। इसके विपरीत जिस देश में स्थानीय शासन सुदृढ़ होता है, उसकी गति धीमी हो सकती है, किन्तु उस देश की प्रगति अवचिल तथा सुस्थिर होगी और वहां राजनीतिक स्थिरता और ईमानदारी देखने को मिलेगी।''[९]

भारत में स्थानीय शासन

भारत जैसे संघात्मक देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था उसकी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का अविभाज्य अंग है। भारतवर्ष में संघीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन अथवा स्थानीय शासन नागरिकों की सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत में स्थानयी शासन की स्थापना एवं विकास में ऐतिहासिक, विचारात्मक और और प्रशासनिक आदि अनेक तत्वों ने विशेष योगदान दिया है। इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं, कि स्थानीय शासन राष्ट्रीय शासन की स्थापना से पूर्व स्थापित हो चुका था। स्थानीय शासन के कार्यो का आधार प्रादेशिक होता है। प्रशासनिक दृष्टि से इनका महत्व इसलिये है कि यह नागरिक सेवाओं को समुदाय के निवास क्षेत्र अथवा प्रदेश की दृष्टि से आयोजित, क्रमबद्ध और संगठित करने का कार्य करती हैं।

भारत के लिये स्थानीय संस्थाओं का काफी महत्व है। प्रारम्भ से ही स्थानीय संस्थाऐं महत्वपूर्ण रही है। यहां तक कि भारत में स्वशासन का प्रारम्भ स्थानीय संस्थाओं से ही हुआ है। ग्राम स्वराज़्य उल्लेखनीय भारतीय अवधारणा है। भारतवर्ष में स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन में अन्तर ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय शासन का अर्थ प्रान्तीय या जिला प्रशासन से माना जाता हैं। नगरपालिकाओं एवं जिला बोर्डो के लिये स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्र भारत में भी यह अन्तर ज्यो का त्यों बना हुआ है। इस प्रकार का अन्तर अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता।

भारतीय संविधान में विषयों को तीन सूचियों, केन्द्रीय, राज्य ओर समवर्ती सूची में रखा है। स्थानीय स्वायत्त शासन राज्य का विषय है। फलतः प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक सीमा में नगर निगम, नगरपालिका, टाउन एरिया, छावनी परिषदें, सुधार न्याक्ष आदि संस्थाओं के लिये नियम बनाता है। केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में स्थित स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिये केन्द्र सरकार कानून बनाती है। छावनी परिषदें रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का राष्ट्रीय प्रतिरूप नहीं है।

स्थानीय शासन वस्तुतः जनता की सेवा करता है। स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय शासन को बढ़े हुए उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए विशेष तकनीक, अधिक धन एवं जन सहयोग की आवश्यकता है। स्थानीय शासन अपने उत्तरदायित्व का भलिभांति निर्वाह कर सके, इसके लिये स्थानीय शासन को वैधानिक आधार प्रदान किया गया है। स्थानीय स्वायत्त शासन की

सभी ग्रामीण एवं नगरीय संस्थाओं का गठन राज्य सरकार की व्यवस्थापिका सभा द्वारा पारित कानून द्वारा किया जाता है। कानून द्वारा ही उनके आकार एवं स्वरूप में अन्तर किया जाता है, जैसे, नगरपालिका को नगर निगम घोषित करना, नगरपालिका बोर्ड को नगरपरिषद् बनाना आदि। स्थानीय प्रशासन की सभी प्रशासनिक क्रियाओं पर राज्य सरकार के कार्यपालिका विभाग एवं निदेशालयों का नियत्रंण रहता है।

भारत में स्थानीय शासन के इतिहास को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिये स्थानीय शासन स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् हुये परिवर्तनों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है–

स्वतन्त्रतापूर्व –

भारत में नगरपालिका प्रशासन का आरम्भ 1687 में हुआ। ब्रिटिश सम्राट जेम्स द्वितीय ने एक चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास में निगम बनाने की अनुमति दी। इस निगम के कार्य शहर के जेल, स्कूल एवं सड़कों की सफाई करवाने तथा रोशनी का प्रबन्ध से सम्बन्धित थे। इसे सम्पत्ति कर तथा चुंगी कर लगाने का अधिकार दिया गया । लोगो ने इसका विरोध किया जिसके फलस्वरूप निगम औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। भारत में नगरपालिका शासन के बारे में लार्ड रिपन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसके द्वारा जो प्रस्ताव मई 18,1882 को लाया गया उसी के कारण इसे भारत में स्थानीय शासन का निर्माण कहा जाता है। यह ऐतिहासिक प्रलेख स्थानीय सरकार में एक सीमा चिन्ह समझा जाता है। मैग्नाकर्टा कह कर इसकी प्रशंसा भी की जाती है। यह स्थानीय सरकार का आधार बना तथा इसके जन्मदाता को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता' कहा गया।

लार्डरिपन के इस प्रस्ताव के दो उद्देश्य थे। पहला–प्रान्तीय सरकारों के पास अब बहुत से राजस्व के साधन हो जाने के कारण वे अपने हाथों में रखे हुए बहुत से राजस्व के साधनों को स्थानीय स्वशासन के हाथों में सौंप दे, दूसरा वैधानिक अथवा दूसरे प्रकार के उपाय किए जायें जिनके द्वारा स्थानीय शासन को अधिक से अधिक स्थापित किया जाए। लार्ड रिपन की सभी सिफारिशों को विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा स्वीकृत किया गया तथा इनको कार्य रूप देने हेतु नगरपालिका द्वारा कानून पारित किए गए। जिनके द्वारा निर्वाचन के सिद्धान्त को अपनाया गया एवं सरकारी सदस्यों की संख्या को कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग तक सीमित किया गया। लाडरिपन के प्रस्ताव के उपरान्त महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन का विकास 1907 में शाही विकेन्द्रीकरण आयोग की स्थापना के आधार पर हुआ जिसे भारतीय जनता में बढ़ते हुए असंतोष को रोकने, तथा भारत सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों एवं उनके अधीनस्थ प्राधिकरणों के मध्य वित्तीय एवं प्रशासकीय सम्बन्धों की जांच करने हेतु नियुक्त किया गया।

भारत सरकार ने 28 अप्रैल 1915 के प्रस्ताव द्वारा इन सिफारिशों को जो 1882 के लार्डरिपन के प्रस्ताव को धीरे धीरे क्रियान्वित करने का सुझाव दिया परन्तु जो कार्यक्रम 1882 में प्रमुख था, 1915 में पूर्णतः पुराना पड़ गया। 1901 में जिला नगरपालिका अधिनियम पास किया गया। 1911 में पंजाब के नगरपालिका कानून द्वारा शाही आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने वाला प्रथम प्रान्त था। अन्य प्रान्तों जैसे मद्रास जिला नगरपालिका अधिनियम 1920, बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922, मुम्बई नगरपालिका अधिनियम 1925 बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1935 आदि प्रान्तों के समान अधिनियम पारित किए गए। इन कानूनों में नगरपालिका निकायों पर सरकारी नियन्त्रण को कम करने की व्यवस्था की गई। जिससे प्रान्तीय सरकारें किसी भी नगरपालिका में निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ कर सकती थी। एवं गैर सरकारी चैयरमैन के निर्वाचन की अनुमति दे सकती थी।

भारत सरकार ने 16 मई 1918, 7918 में अपने प्रस्ताव में यह सिफारिश की, कि "स्थानीय शासन की संस्थाओं पर रखा गया नियन्त्रण धीरे धीरे समाप्त किया जाए। स्थानीय संस्थाओं पर जनता का नियन्त्रण अधिक करने के लिए इनके सदस्यों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए इस संस्था में चुने गए सदस्यों का बहुमत हो और इनका अध्यक्ष चुना हुआ तथा गैर सरकारी व्यक्ति हो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने और सरकारी अधिकारियों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए प्रान्तीय सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को इन संस्थाओं में मनोनीत किया जाना चाहिए, कुछ हालातों में इन संस्थाअें के सदस्य अपना अध्यक्ष सरकारी अधिकारी को भी चुन सकते हैं। म्युनिसिपल बोर्डो में अपना अध्यक्ष बनाने की पहले अधिक स्वतन्त्रता दी जाए और उन पर बाहरी नियन्त्रण कम कर दिया जाए।

भारत सरकार ने 1919 में एक अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में द्वितीय शासन प्रणाली को लागू किया गया और इसमें स्थानीय स्वशासन सहकारिता तथा कृषि, जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के नियन्त्रण में सौंप दिए गए। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नवीन अभिरूचि और क्रियाकलाप का एक नया युग आरम्भ किया गया। इस युग में हर प्रान्त में अनेक संशोधनात्मक अधिनियम पारित किए गए। लोक सेवा के अधिकारी को अध्यक्ष बनाने की परिपाटी सभी नगरपालिकाओं में समाप्त हो गई। स्थानीय निकायों में बजट के निर्माण के सम्बन्ध में मुक्त कर दिया गया और निर्देश सम्बन्धी कार्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों कें मध्य चला गया। जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तियों ने नगरपालिकाओं में प्रवेश किया और

1924–25 में जवाहर लाल नेहरू इलाहाबाद की नगरपालिका के अध्यक्ष हुये थे। भारत में स्थानीय शासन के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नेहरू ने अपने अनुभवों का उल्लेख इस प्रकार किया है "प्रति वर्ष सरकारी प्रस्ताव अधिकारी और समाचार पत्र नगरपालिकाओं और स्थानीय परिषदों की आलोचना करते हैं तथा उनकी ओर संकेत करतें हैं। और इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि लोकतान्त्रिक संस्थायें भारत के अनुकूल नहीं है। उनकी विफलतायें तो स्पष्ट हैं किन्तु उस व्यवस्था की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता जिसके अन्तर्गत उन्हें काम करना पड़ता है। यह व्यवस्था न तो लोकतान्त्रिक है और न निरुंकशतन्त्रीय वह दोनो का मिश्रण है और इसलिये उसमें दोनों के दोष देखने को मिलते हैं। "वे आगे लिखते हैं "कारण कुछ भी हो, तथ्य यह है कि हमारी स्थानीय संस्थाऐं साधारणतः सफलता और कार्यकुशलता का ज्वलन्त उदाहरण नहीं है, चाहे ऐसा होने पर भी वे विकसित लोकतान्त्रिक देशों की कुछ नगरपालिकाओं के समकक्ष भले ही खड़ी हो सकें। सामान्यतः वे भ्रष्ट नहीं हैं : वे केवल अकुशल हैं और उनकी दुर्बलता कुनबापरस्ती है और उनका दृष्टिकोण गलत है। यह सब कुछ स्वाभाविक है : क्योंकि लोकतन्त्र की सफलता के लिए जानकार लोकमत तथा उत्तरदायित्व की भावना की पृष्ठभूमि आवश्यक है। इसके विपरीत, हमारे यहां सत्तावाद का वातावरण सर्वत्र व्याप्त है और लोकतन्त्र के उपकरणों का अभाव है। सार्वजनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और न जानकारी पर आधारित लोकमत का निर्माण करने का कोई प्रयत्न है। अपितु लोकमत व्यक्तिगत, साम्प्रदायिक और तुच्छ समस्याओं की ओर आकृष्ट होता रहता है। "स्वशासन के इस प्रयोग के कार्यान्वयन का सबसे सूक्ष्म विश्लेषण 1930 में भारतीय संविधान आयोग (साइमन आयोग) ने किया था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् –

15 अगस्त 1947 में देश स्वतन्त्र होने के पश्चात् ज्यों ही भारत एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य के रूप में उभरा त्यों ही भारत की सरकार ने स्थानीय शासन की व्यवस्था को अत्यधिक महत्व देना आरम्भ कर दिया। स्वतन्त्र सरकार ने यह अनुभव कर लिया था कि स्थानीय स्वशासन की ये इकाइयां वास्तव में लोकतन्त्र की आधारशिला होती है। जैसा कि स्व. राजीवगांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि "लोकतन्त्र की प्रथम सीढ़ी को सशक्त, प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाये जाने की जर्बदस्त आवश्यकता है ताकि जनता को तात्कालिक उत्तम नागरिक जन सुविधाऐं प्रदान की जा सकें।"

स्वतन्त्रता प्राप्त के साथ ही भारतवर्ष में स्थानीय स्वशासन का नवीन युग आरम्भ हुआ। ब्रिटिश शासन का अन्त होते ही भारतवर्ष में केंन्द्र,प्रान्त और स्थानीय स्तर पर स्वशासन की स्थापना

की गयी थी। ग्राम को शासन की इकाई माना गया। सन् 1948 में केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री की अध्यक्षता में प्रान्तों के स्थानीय स्वशासन मंत्रियों को एक सम्मेलन हुआ। इस प्रकार का सम्मेलन पहली बार हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्ष एवं स्वास्थ मंत्री श्रीमती अमृत कौर ने कहा था, ''मेरा विश्वास है यह पहला अवसर है जब भारतसरकार ने यह सम्मेलन बुलाया है। यह तो प्रत्यक्ष है कि अब तक स्थानीय स्वशासन का उत्तरदायित्व वहन करने वालों का कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया, क्योंकि यह विषय पूर्णतः प्रान्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत है, फिर भी स्थानीय स्वशासन का विषय सामान्य कल्याण के लिये इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि किसी ऐसे वाद विवाद स्थल का निर्माण किया जा सके, जहां समस्त भारत के वे लोग, जो प्रशासन की इस महत्वपूर्ण शाखा के लिये उत्तरदायी है : समय समय पर मिल सकें, विचार विनिमय कर सकें और सामान्य हित की समस्याओं पर चर्चा कर सकें, तो इससे निश्चिय ही लाभ होगा।'' इस सम्मेलन का उद्घाटन जवाहर लाल नेहरू ने किया था और अपने उद्घाटन भाषण में कहा था, ''स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र की किसी भी व्याख्या का सच्चा आधार है और होना भी चाहिए। हमारा कुछ ऐसा स्वभाव पड़ गया है कि हम उच्च स्तर पर ही लोकतन्त्र की बात सोचते हैं, निम्न स्तर पर नहीं। यदि नीचे से नींव का निर्माण न किया गया तो संभव है लोकतन्त्र सफल न हो सके।

इस काल के स्थानीय शासन के विवरण में मध्य प्रान्त की स्थानीय शासन सम्बन्धी उस योजना का भी वर्णन किया जाना चाहिए, जिसका निरूपण 1937 में किया गया था, और जिसे संशोधित रूप में 1948 में लागू किया गया था। इस योजना के निर्माता द्वारिकाप्रसाद मिश्र थे जो उस समय स्थानीय स्वशासन के मंत्री थी। योजना साहसपूर्ण थी, अपितु यह कहना चाहिए कि उस प्रान्त में स्थानीय शासन का पुर्ननिर्माण करने की दिशा में वह एक क्रान्तिकारी कदम था। उस समय प्रशासन में द्वैधता व्याप्त थी। एक ओर जिले का का शासन था दूसरी ओर स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की दो स्वतन्त्र शाखाऐं थी – ग्रामीण स्थानीय शासन और नगरीय स्थानीय शासन। पूवोक्त योजना के द्वारा जिला परिषद् के कार्य क्षेत्र का इतना विस्तार किया गया कि सम्पूर्ण जिला प्रशासन उसके अन्तगत आ गया। और जिलाधीश को जिलापरिषद् का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। इस प्रकार के एक कदम से प्रशासन की द्वैधता समाप्त कर दी गयी।

इस योजना तथा इसके उग्र तत्वों की लोगों ने विशेषकर मध्य प्रान्त के राज्यपाल ने कटु आलाचना की फलस्वरूप उस समय उसे उठाकर ताक पर रख दिया गया। 1947 में जब देश स्वतन्त्र हुआ तो उसे पुनः हाथ में लिया गया। 1948 में मध्य प्रान्त की विधान सभा ने संशोधित रूप में उसे मध्य प्रान्त तथा बरार स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1948 के द्वारा अंगीकार कर लिया। इस रूप में वह जनपद स्थानीय शासन के नाम से विख्यात हुआ।

इस समय स्थानीय शासन के क्षेत्र में प्रगति का नया युग प्रारम्भ हुआ और स्थानीय शासन के अन्तर्गत अनेक बातों की ओर ध्यान दिया गया :–

1) स्थानीय संस्थाओं को लोकतन्त्र का आधार बनाना।

2) स्थानीय संस्थाओं के साधनों तथा योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनके तथा राज्य सरकार के कार्यों का विभाजन करना एवं प्रशासकीय यंत्र का पुनर्निर्माण करना। स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का सुधार करना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1948 में स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि, ''स्थानीय शासन किसी भी सही प्रजातंत्रीय प्रणाली का आधार होना चाहिए हमें प्रजातन्त्र के निम्न स्तर को न सोचकर, इसके शीर्ष स्तर के बारे में सोचने की आदत हो गई है शीर्ष स्तर पर प्रजातन्त्र कभी भी सफल नहीं हो सकता यदि इसके आधार को सशक्त नहीं बनाया जाता।'' इन सिद्धान्तों के आध ार पर केन्द्रीय सरकार ने 1948 में केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री की अध्यक्षता में प्रान्तीय स्थानीय शासन के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया इसमें सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार वित्तीय स्वतन्त्रता, सरकार का सीमित नियन्त्रण आदि सुझाव दिए गए तथा स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए एक स्थानीय जांच समीति की नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1950 में पेश की।

27 जनवरी 1950 को भारत में नया संविधान लागू हुआ। इस संवधिान के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया यद्यपि राज्यनीति निर्देशक सिद्धान्तों में ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करने की बात की गई किन्तु नगरीय स्थानीय स्वशासन का कोई उललेख नहीं किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में औद्योगीकरण का जो वातावरण बना उसने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। जिसके कारण नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और नगरों में आवास सफाई और अन्य प्रकार की समस्याऐं उत्पन्न हो गई। नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण 1961 नगरीय स्थानीय संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में राज्य सरकार से यह उपेक्षा की गई कि वे नगरों में स्वायत्त शासन संस्थाओं को विकसित करने के लिये न केवल आवश्यक सहायता करेगी अपितु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण भी करेगी। केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय शासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं उनके सुध ार हेतु सुझाव देने के लिए विभिन्न समीतियों एवं आयोगों की नियुक्ति करती रही है जो निम्नलिखित रूप से है।

1. स्थानीय वित्त जांच समीति (1949 – 51)
2. करारोपण जांच आयोग (1935 – 54)

3. नगरपालिका कर्मचारी प्रशिक्षण समीति (1963)
4. ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समीति (1963 – 66)
5. नगरीय स्थानीय निकाय वित्तीय संसाधनों की वृद्धि मंत्रिगण समीति (1963)
6. नगरपालिका कर्मचारी सेवा शर्ते समीति (1965–68)

''स्व0 राजीव गांधी जी ने अपने अल्पकालीन राजनीतिक जीवन के दौरान आम आदमी से सम्बद्ध समस्याओं को बारीकी से परखने और उनका सर्वोत्तम एवं सर्वोपयुक्त समाधान निकाल देने की अनूठी सूझबूझ प्राप्त कर ली थी। जिन मुद्दो पर स्व0 राजीवगांधी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहते थे उसमें से स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था का भी एक विषय था।[10]

स्व0 राजीव गांधी जी ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली एवं कुशल बनाने के लिए इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, इनके वित्तीय साधनों में वृद्धि करने तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को, स्त्रियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिऐ मई 1989 में लोकसभा में दो (64वां और 65वा) संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया। 64 वें संवैधानिक संशोधन का विषय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 65वें संशोधन का विषय नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन को अधिक प्रभावशाली एवं कुशल बनाना था। लोकसभा द्वारा इन बिलों को पारित किया गया परन्तु राज्य सभा में कांग्रेस (आई) दल को बहुमत प्राप्त न होने पर राज्यसभा ने इन्हें पारित नहीं किया तथा 1989 में इन्हें अस्वीकार कर दिया। 1989 में केन्द्र में कांग्रेस के स्थान पर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। जोकि इस सरकार ने स्थानीय शासन में सुधार करने की नीति अपनाई। जून, 1990 में प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया जिसमें पंचायती राज के संगठन तथा नगरीय स्थानीय संस्थाओं में सुधार करने पर विचार किया गया मुख्यमंत्रियों के विचारों को मुख्य रखते हुए संघीय मंत्रिमण्डल ने एक नया संशोधन बिल तैयार किया जिसे सितम्बर 1990 में 74 वें संवैधानिक संशोधन के रूप में लोकसभा में पेश किया गया परन्तु राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका।

जून 1991 में पी0वी0 नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) की सरकार बनी और उनकी सरकार ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल में सुधार करके ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन में प्रगतिशील परिवर्तन लाने के लिए भारतीय संविधान में दो (73वां एवं 74वां बिल) तैयार किए गए तथा इन दोनो बिलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन को संवैधानिक संशोधन मान्यता प्रदान करने तथा स्थानीय शासन को वास्तविक लोकतन्त्रात्मक बनाना था। इन दोनों बिलों को

1992में संसद ने पारित किया। संसद तथा राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित किए जाने के पश्चात इन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 1993 में स्वीकृत किए जाने के पश्चात् इन्हें भारतीय संविधान में (74वां संशोधन अधिनियम 1992) के रूप में लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी एवं नगरीय क्षेत्र की स्वशासन की संस्थाओं को और अधिक शक्तियां दी गई।

विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन

भारत को गांवो का देश ठीक ही समझा जाता है। जिस देश में 80 प्रतिशत जनसंख्या 5 लाख 75 हजार गांवो में रहती हो, वहां पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय शासन का महत्व स्वतःसिद्ध और सर्वथा असंदिग्ध है। वस्तुतः ग्रामीण स्थानीय शासन सम्बन्धी विचार जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नति की महती चिन्ता का एक अंग मात्र है। हमारा देश जनकल्याण के लक्ष्य के प्रति अटूट रूप से समर्पित है।

पंचायतें भारत की प्राचीनतम राजनीतिक संस्थाओं में गिनी जाती है। इस शब्द के साथ हमारी कुछ पुरानी गम्भीर भावनाऐं जुड़ी हुई हैं। पंचायत धुंधले अतीत में चला जाता है। किन्तु पंचायते जिस रूप में आजकल बनायी गयी हैं और जिस ढंग से वे कार्य करती हैं, वह वर्तमान युग की नवीन रचना है। अतीत में बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर हम देश में 2 अक्टूबर, 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारम्भ के साथ इस विषय को आरम्भ कर सकते हैं। यह तिथि ज़ानबूझकर चुनी गयी थी कि यह राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की जन्मतिथि और उनके लिए ग्रामों की उन्नति से अधिक महत्व की कोई अन्य बात नहीं थी।

बलवन्तराय समिति प्रतिवेदन –

आज भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्था विद्यमान है उसका श्रेय उस समिति को है जिसका नाम सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल था। उसके अध्यक्ष बलवन्तराय मेहता थे, इसीलिए सामान्य तौर पर वह वलवन्तराय मेहता समिति के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस समिति का नाम इतना अनाकर्षक हो उसका कार्य इतना आकर्षक और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ हो। स्थानीय शासन के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी समिति रही हो जिसने इससे अधिक व्यापक और आधारभूत सुधार करने में योगदान दिया हो। इस समिति की स्थापना आयोजन परियोजना समिति ने की थी। उसको सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का अध्ययन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था।

बलवन्त राय समिति द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत में पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की गयी थी। बलवन्तराय मेहता समिति की रिपोर्ट ने इस बात पर अधिक बल दिया था कि लोकतन्त्रीय संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाये ताकि निर्णय लेने के केन्द्र जनता के अधिक निकट हों और जनता इन निर्णयों में भाग ले सके, साथ ही नौकरशाही अथवा सरकारी कर्मचारी स्थानीय जनता के नियन्त्रण में कार्य करें।

यद्यपि वैधानिक रूप से स्थानीय शासन राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है फिर भी राज्यों को इन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया गया। इसके अनुसार जनता द्वारा निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार दिये गये। उन्हें अपने क्षेत्र के विकास विषयक कर्याकलापों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। राजस्थान और आन्ध्रप्रदेश ने सर्वप्रथम 1959 में ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज पद्धति को अपनाया। सर्वत्र पंचायती राज का श्रीगणेश बड़ी धूमध ाम से किया गया। स्वाधीन भारत में शासन पद्धति में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुधार है। बलवन्तराय समिति रिपोर्ट पंचायती राज के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व की आंकी गयी हैं अल्पकाल की चमक के बाद पंचायती राज का पतन होने लगा। इन्दिरा गांधी के शासनकाल में पंचायती राज की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।

अशोक मेहता समिति –

1997 में जनतापार्टी की सरकार ने पहल की 1 मोरार जी देसाई की जनता पार्टी ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनानें वाले उपायों का सुझाव देना था। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 100 विभिन्न सिफारिशें की गयी है।

अशोक मेहता समिति का प्रधान मन्तव्य प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के लिए कार्यमूलक आवश्यकता है। जहां करोड़ो व्यक्तियों का सम्बन्ध है और जहां निर्धन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सूक्ष्म परियोजनाऐं बनायी जा रही हैं वहां प्रशासन का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। इसके साथ ही जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिय लोकतन्त्रीय पर्यवेक्षण की भी आवश्यकता है।

समिति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि पंचायती राज की द्विस्तरीय पद्धति का निर्माण किया जाये। अशोक मेहता समिति ने ही पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रश्न पर व्यापक विचार किया है और सरकार से इस सुझाव पर "ध्यानपूर्वक विचार करने" की भी मांग की है। इस समिति की एक यह सिफारिश है कि पंचायती राज के मामलों में राजनैतिक दल खुले रूप में भाग लें। इस नीति से बंगाल और जम्मू–कश्मीर में पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर हुए हैं। जिन राज्यों में राजनैतिक दल इनमें पूरी तरह धंसे हुये थे पर उन पर राजनीतिक दल की मुहर नहीं थी। इस समिति ने गांवों में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष मंचो के गठन की भी महत्वपूर्ण सिफारिश की है।

समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि राज्य सरकारों को दलगत राजनीतिक कारणों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को पदच्युत नहीं करना चाहिए। यदि किसी संस्था की पदच्युति आवश्यक हो जाय तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति शहरी क्षेत्रों को अटूट क्रम का एक अंग समझती है और इस बात पर बल देती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जैसे सड़के, पेयजल चिकित्सा, रोजगार तथा शिक्षा इन सुविधाओं की व्यवस्था करने से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरीक्षेत्रों की ओर जाने वाले प्रवाह में कम हो जायेगी। इस रिपोर्ट का एक स्मरणीय तथ्य है कि यह शासकीय निर्णायक केन्द्रों को लोगों के पास उचित रूप से पहुंचाने की वकालत करता है। इसने देश में पंचायती राज के आकार एवं स्थायित्व के निमित्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकृति की बहुत सी सिफारिशें दीं। रिपोर्ट के क्रियान्वयन से पूर्व ही जनता सरकार का पतन हो गया। 1980 में कांग्रेस (आई) पुनः सत्ता में आयी। उसको जनता सरकार के द्वारा गठित अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं थी, यद्यपि प्रभावी विकेन्द्रीकरण के महत्व को इसने भी स्वीकारा और इसे समर्थन देते हुए ग्रामीण स्थानीय सरकार के पुनर्गठन के तरीकों को सुझाने के लिए एक अन्य समिति जी.वी. के राव की अध्यक्षता में गठित की गयी।

जी०वी०के०राव समिति –

योजना आयोग के परामर्श पर जी०वी०के० राव की रिपोर्ट तैयार की गयी। इस योजना में जिला का निकाय केन्द्रीय महत्व का बनाया गया। यह समिति 1935 में ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने के उपयुक्त प्रशासनिक प्रबन्धों का सुझाव देने के लिए नियुक्त की गयी थी। यह समिति पंचायती राज संस्था को स्थानीय जनता की समस्याऐं निपटाने के लिए प्रभावी बनाना चाहती थी। इस समिति ने संस्तुति की कि विकास कार्यो के प्रशासन के लिए जिला परिषद मुख्य निकाय बननी चाहिए।

एल०एम०सिंघवी समिति –

जून 1986 में सरकारे ने एल०एम०सिंघवी के अधीन एक आठ सदस्यीय समिति की नियुक्ति एक राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार विमर्श हेतु प्रारूप तैयार करने के लिए की। इस कार्यशाला को पंचायती राज संस्थाओं के विकास, वर्तमान स्थिति एवं कार्यो की समीक्षा करनी थी और इन संस्थाओं को ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय निर्माण के रचनात्मक कार्य में प्रभावी बनाने के उपाय सुझाने थे। सिंघवी समिति की प्रमुख संस्तुति यह थी कि संविधान में एक नये अध्याय का समावेश करके स्थानीय शासन को संवैधानिक रूप में पहचान, सरंक्षण और परिक्षण हो। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज को संवै

ाानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया। भारतीय संविधान में एक अलग अध्याय जोड़ा जाना चाहिए जिससे पंचायती राज संस्थाओं की पहचान और सत्यनिष्ठा को तार्किक एवं मूलरूपेण अखण्ड बनाया सके।

पी0के0 युंगन समिति –

संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति का भी उल्लेख कर दिया जाय जिसका गठन 1988 में पी.के. युंगन की अध्यक्षता में हुआ था और जो कर्मचारियों, जनता की शिकायतों और पेंशनों के केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से सम्बद्ध थी, यह समिति जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के प्रकार पर विचार के लिए नियुक्त की गयी थी। इसे पी0के0 युंगन समिति कहा गया। इसने पंचायती राज को सवैधानिक रूप से मान्य किये जाने की हिमायत की थी। समिति की अन्य महत्वपूर्ण संस्तुतियां संविधान में पंचायती राज के लिए विषयों की विस्तृत सूची के समावेश के बारे में और राज्य के वित्त आयोगों के गठन के बारे में थी जो पंचायती राज संस्थाओं पर वित्तीय संसाधनों को हस्तान्तरित किये जाने के लिय मापदण्ड एवं दिशा निर्देश निर्धारित करें।

संविधान के प्रावधान –

26 जनवरी, 1950 को भारत में नया संविधान प्रवर्तित हुआ। इस संविधान के अन्तर्गत स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। संविधान ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में अब तक महत्वपूर्ण रही नगरीय संस्थाओं के स्थान पर ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को अधिक महत्व प्रदान किया। स्वतन्त्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई थी कि राष्ट्रीय प्रशासकीय व्यवस्था का एक नियमित अंग बनकर वे प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम बनेंगी और कुशल कार्यक्रम के द्वारा वे जनता की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी। किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्पन्न यह आशा पूर्णतः फलीभूत न हो सकी।

स्वतंत्र भारत में स्थानीय संस्थाओं के विकास के 1992 तक के काल में इन संस्थाओं के कार्यक्रम में अनेक कमियों और न्यूनताओं का अनुभव किया गया। इनमें प्रमुखतः इन संस्थाओं को सवैधानिक मान्यता का अभाव, इनके अनियमित चुनाव, दीर्घ काल तक इन संस्थाओं के अधिक्रमित अर्थात् राज्य सरकारों द्वारा अकारण इन्हें भंग रखे जाने, इनकी दयनीय आर्थिक दशा, इन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों का अभाव, इन संस्थाओं के चुनावों के आयोजन के लिए प्रभावी संरचना के अभाव तथा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आदि ऐसी प्रमुख स्थितियां थी जिनके निराकरण की मांग विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न मंचों से निरन्तर उठती रही थी।

सम्पूर्ण देश में चिन्तन के स्तर पर निरन्तर यह अनुभव किया जा रहा था कि स्थानीय संस्थाऐं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सच्ची वाहक नही बन सकी हैं। यह भी अनुभव किया गया कि इस स्थिति का प्रमुख कारण इन संस्थाओं के साथ राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा मनमाना व्यवहार ही उत्तरदायी है। इन संस्थाओं के कार्यक्रम में उपर्युक्त इंगित इन्हीं न्यूनताओं के परिष्कार के लिए भारत सरकार ने संविधान में दो व्यापक संशोधन किए जिन्हें क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और नगरीय संस्थाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन अधि ानियम के नाम से जाना जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के स्तर पर इस प्रकार का प्रयास पूर्व में 64 वां संविधान संशोधन पारित कराए जाने के रूप में 1989 में भी हुआ था किन्तु यह संशोधन राज्य सभा में अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका था। इसके पश्चात् 1991 में सम्पन्न आम चुनावों के पश्चात् पदासीन राष्ट्रीय सरकार ने दिसम्बर 1992 में संविधान में उपुर्यक्त दोनो महत्वपूर्ण संशोधन पारित कराए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्थानीय संस्थाओं के विकास की दृष्टि से उठाए गए उपर्युक्त दोनों कदम मील के पत्थर माने जाते हैं।

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम –

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्तर :– 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के शीर्षक में यह व्यक्त किया गया है कि यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है उल्लेखनीय है कि अधिनियम का प्रस्ताव संसद के समक्ष 1991 में 72 वे संविधान अधिनियम के रूप में किया गया था किन्तु पारित होते होते यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत सरकार के राजपात्र में 24 अप्रैल 1993 को प्रकाशित और प्रवर्तित हुआ।

इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के पूर्ववर्ती भाग 8 के पश्चात् एक नया हिस्सा भाग हिस्सा भाग "9" पंचायत शीर्षक से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 243 जोड़ते हुये देश में पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित आवश्यक तत्वों का न केवल समावेश किया गया है अपितु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और चुनावों से सम्बन्धित प्रत्याभूति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में केवल अनुच्छेद 40 के माध्यम से नीति निदेशक तत्वों में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया था किन्तु अब उपर्युक्त व्यवस्था हो जाने के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है।

74 वां संविधान संशोधन अधिनियम –

भारत में स्थानीय संस्थाऐं दो प्रकार की होती है –ग्रामीण और नगरीय/ग्रामीण स्थानीय

संस्थाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए जैसा प्रयास 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है उसी प्रकार का प्रयास नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संबन्ध में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है।

भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अ ''द म्यूनिसिपलिटीज'' शीर्षक से नया जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक संस्तर प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इन दोनों संविधान संशोधनों के अनुसार सभी राज्यों ने अपने यहां प्रवर्तित पंचायती राज अधिनियमों व नगर निकायों से सम्बन्धित अधिनियमों को अवश्यक्तानुसार संशोधित कर लिया है। अब इस पृष्ठभूमि में यह आशा की जा सकती है कि स्थानीय शासन का यह तीसरा सोपान, संवैधानिक मान्यता के पश्चात् अधिक सक्रिय होगा और इसके परिणाम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की ये स्थानीय संस्थाऐं जनमानस में अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेंगी।

उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन का स्वरूप

भारत में स्थानीय शासन का इतिहास बहुत पुराना है, मनुष्य ने जब पहली बार सामुदायिक जीवन को स्वीकारा, तभी से ग्राम व्यवस्था के तहत स्थानीय शासन का अभ्युदय माना जा सकता है। स्थानीय शासन का क्षेत्राधिकार विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होने के कारण इनका उत्तरदायित्व उस क्षेत्र के अन्तर्गत बसने वाली जनता को सुविधाऐं प्रदान करना होता है। भारत में स्थानीय शासन दो स्तर से चलता है ग्रामीण एवं नगरीय। स्थानीय शासन की ये संस्थाऐं पृथक–पृथक राज्यों में पृथक–पृथक स्वरूपों में विद्यमान हैं और स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही हैं। स्थानीय शासन की इन संस्थाओं को संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त न होने के कारण इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय रही है। ये संस्थाऐं जन अपेक्षित सुविधाओं का उत्तरदायित्व निभाने में असफल सिद्ध हो रही है। संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन लागू हुआ, और इसके द्वारा इन संस्थाओं की कमियों को दूर किया गया। अतः प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई।

वस्तुतः उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन का इतिहास अत्यन्त सोचनीय रहा है। स्थानीय शासन प्रत्येक राज्यों में दो स्तर से चलता रहा है और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय शासन दो स्तरों से ग्रामीण एवं नगरीय से चलता आया है। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में तो इन संस्थाओं की स्थिति अत्यन्त जर्जर रही है। इनकी बदहाली का लम्बा इतिहास रहा है। जनसंख्या का सर्वाधिक दबाव झेलने के बावजूद स्थानीय शासन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहा है। अगर यहां यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही शहरी स्थानीय निकायें भी उपेक्षित रहीं तो अतिशयोक्ति न होगी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर संस्थाओं पर दृष्टिपात करने पर दृष्टिगोचर होता है कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना पर आधारित पंचायती राज की संस्थाओं को राज्य सरकार ने विकास के अधिक दायित्व ही नहीं दिए हैं और यदि यत्किंचित दायित्व दिए भी हैं तो पंचायती राज की संस्थाऐं उन्हें संतोषजनक सीमा तक पूर्ण नहीं कर सकी हैं। यह तो था उत्तर प्रदेश के स्थानीय शासन का स्वरूप। परन्तु इतनी कमियों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन का स्वरूप दोनों ही स्तरों में विद्यमान है। ग्रामीण और नगरीय, स्थानीय शासन की इन संस्थाओं को ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका परिषद् में विभक्त करके और अधिक विस्तृत रूप में समझा जा सकता है।

ग्राम पंचायतें एवं नगरपालिका परिषदें –

भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया देश का स्थानीय स्वशासन प्रायः दो स्वरूपों

– नगरीय एवं ग्रामीण में विभक्त होता है। नगरीय क्षेत्र के स्थानीय शासन प्रशासन को संचालित करने वाली इकाइयों पर नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनता की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व रहता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व पंचायती राज की त्रिस्तरीय रचना जिला परिषद् पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा वहन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की नगरीय एवं ग्रामीण, इन दोनों संस्थाओं में स्थानीय जनता अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती है।

ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को अपने स्वयं के स्थानीय मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए स्वशासन का जो अधिकार दिया गया है, वह ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभा के माध्यम से साकार हुआ है। ग्राम पंचायत एक ऐसी निर्वाचित इकाई है जो ग्राम सभा की कार्यकारी या निर्वाचित समिति होती है। भारत में उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू में इसे पंचायत, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत तथा असम, गुजरात और उत्तरप्रदेश में इन्हें गांव पंचायत के नाम से जाना जाता रहा है। 73वें संविधान संशोधन में भी पंचायत शब्द का ही प्रयोग किया गया है। औसतन लगभग 2 हजार की जनसंख्या पर एक पंचायत गठित की जाती है। विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पृथक पृथक पाई जाती है। पंचायत में पंचो की न्यूनतम संख्या तीन हजार की जनसंख्या पर 9 व अधिकतम जनसंख्या के अनुसार होगी। 73 वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायतों का कार्यकाल सभी राज्यों में समान रूप से पांच वर्ष कर दिया गया है।

नगरपरिषद अथवा नगरपालिका स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई रही है। यह नगरीय प्रशासन की सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय इकाई है। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां नगरीय प्रशासन का यह निकाय नहीं पाया जाता हो। किसी राज्य में उनकी संख्या अनेक बातों पर निर्भर होती है, जैसे राज्य का आकार, नगरीकरण की अवस्था, जनसंख्या का घनत्व आदि। वर्तमान में लगभग 1775 नगरपालिकाऐं हैं।

नगरीय शासन का नगरपालिका रूप उन नगरों के लिए उपयुक्त होता है जहां नगरवासियों को नागरिक सुविधाऐं प्राप्त करने की समस्या प्रबल हो जाती है, किन्तु साथ ही साथ, नागरिक समस्याऐं इतनी जटिल भी नहीं होती कि उनके लिए नगर निगम की स्थापना करना आवश्यक हो जाय। नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता तब पड़ती है जब कुछ संख्या में लोग एक विशिष्ट स्थान पर बसने लगते हैं और विभिन्न व्यवसाय करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी नगर में कुछ न्यूनतम

जनसंख्या होनी चाहिए तभी वह नगरीय शासन की नगरपालिका व्यवस्था के योग्य माना जा सकता है।

74वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप भारत के सभी राज्यों के लिए नगरीय स्वशासन की इकाइयों की त्रिस्तरीय संरचना – नगरनिगम, नगरपालिका परिषदें और नगरपंचायत आदि की गई है। नगरपालिका जनत की सभा है, वह नगरपालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नगर के शासन के लिये विधि का, जो उपविधि कहलाती है, निर्माण करती है। उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित पार्षद सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः उसमें परिगणित जातियों तथा स्त्रियों के लिये स्थान आरक्षित करने का प्रावधान नगरपालिकाओं का आकार विभिन्न राज्यों में पृथक पृथक होता है, और चुंकि मूलतः उनका सम्बन्ध नगर की, जनसंख्या से होता है इसलिए एक ही राज्य के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में उसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। नगरपालिका अधि ानियम में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या निर्धारित रहती है।

शहरी स्थानीय शासन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारतवर्ष में प्रजातंत्र की स्थापना में स्थानीय शासन को विशेष महत्व दिया गया। भारत में स्थानीय शासन प्रायः स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इस पद की उत्पत्ति उस समय हुई थीं जब देश ब्रिटिश शासन के अधनी था और जनता को केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय किसी भी स्तर पर स्वशासन उपलब्ध नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्थानीय शासन से सम्बद्ध करने का निर्णय किया तो उसका अभिप्राय जनता को कुछ अंशो में स्वशासन प्रदान करना था। किन्तु आज जबकि देश में केन्द्र तथा राज्यीय दोनो स्तरों पर स्वशासन की स्थापना हो चुकी है, स्थानीय स्वशासन शब्द का महत्व लुप्त हो चुका है। वस्तुतः भारतीय संविध ाान में स्थानीय शासन पद का प्रयोग किया गया है। स्थानीय शासन दो स्तर से चलता है पहला शहरी स्थानीय शासन जिसके अन्तर्गत नगरनिगम नगरपालिका परिषदें एवं नगरपंचायतें आदि निकाय आतीं हैं, दूसरा ग्रामीण स्थानीय शासन के अन्तर्गत – पंचायत , पंचायत समिति तथा जिला परिषद् आते हैं।

शहरों अथवा नगरों के आकार में जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के साथ साथ स्थानीय निकायों की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं क्योंकि नगरीय समस्याओं को दूर करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का होता है। इन समस्याओं का सम्बन्ध नागरिक जीवन की सुविधाओं से होता है, जैसे पानी की वयवस्था, कूड़े करकट को हटाना, गन्दे पानी के निष्कासन के लिये नालियों का प्रबन्ध, प्रकाश की व्यवस्था, महामारियों की रोकथाम, स्वास्थ सम्बन्धी सुविधाऐं एवं सड़कें आदि। शहरी जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ आवासीय क्षेत्र का आकार बढ़ता है, तथा परिमणामतः अन्य समस्याऐं उठ खड़ी होती है और वे अधिक उग्र रूप धारण कर लेतीं हैं।

अतः स्थानीय शासन को जो कार्य करने चाहिये उनमें निरन्तर बृद्धि होती रहती है। विद्यमान सुविधाओं का परिवर्द्धन करना पड़ता है, नई सुविधाऐं जुटाने का कार्य हाथ में लेना पड़ता है। और विभिन्न कार्यो के सम्पादन की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार करना पड़ता है। आज शहरी स्थानीय शासन को चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता जा रहा है क्योंकि शहरीकरण की प्रवृति बढ़ती जा रही है। शहरीकरण का अर्थ है जनता का ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों में बस जाना।

भारत में शहरीकरण का सबसे अधिक भार नगरपालिकाओं एवं निगमों पर पड़ा है। शहरीकरण के कारण कई समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं, जैसे जलापूर्ति, जल निकास, मलव्यवस्था, नगरीय आवास, यातायात, सड़क निर्माण, बिजली का प्रबन्ध आदि। ज्यों ज्यों शहरीकरण की

प्रवृत्ति बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों समस्यायें उत्पन्न होती जाती है जिनके समाधान की आवश्यकता होती है। शहरी करण से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान ढूढ़ना नगरीय प्रशासन के लिए आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन के पास न तो पर्याप्त धनराशि होती है और न ही शक्तियां एवं तकनीकी ज्ञान योजनाबद्ध कार्यक्रम राज्य सरकारें ही बना सकती हैं। यह राज्य सरकारें ही निश्चित करती हैं कि कौन कौन से विषय स्थानीय सरकार को सौंपे जायें।

अन्त में, स्थानीय शासन व्यापक क्षेत्र में जनता की सेवा करता है तथा विविध प्रकार के और विशाल पैमाने के कार्य सम्पादित करता है। केवल व्यावहारिक बुद्धि से विचार करने पर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि स्थानीय शासन का कायम रखना ही नहीं अपितु उसे सुदृढ़ बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है। राज्य शासन के लिए इन सब कामों का भार अपने ऊपर लेना और उनका सम्पादन करना असम्भव है। सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले अनेक ऐसे विषय हैं जिन्हें केवल स्थानीय शासन ही सम्पादित कर सकता है। ऐसा न होने पर भी राज्य शासन को ऐसे दैनिक कार्यो में उलझकर अपनी शक्ति और क्षमता नष्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अधिक व्यापक महत्व के कार्यों में ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति जुटानी चाहिये। अतः स्थानीय शासन राज्य शासन को ऐसे बहत से कार्यों से मुक्त कर देता है जिनको करना उनका उत्तरदायित्व है।

नगरपालिका परिषदें एवं राज्य सरकार

नगरीय स्वायत्त शासन की संस्थाऐं सार्वभौम शक्ति प्राप्त संस्थाऐं नहीं होतीं, वे देश की सरकार द्वारा सृजित संस्थाएं होती है। इन संस्थाओं का निर्माण एकात्म शासन व्यवस्था वाले देशों में केन्द्रीय सरकार द्वारा और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रायः प्रान्तों या राज्यों की सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसलिए उन पर नियंत्रण भी उन्हीं सरकारों के द्वारा किया जाता है, जिनके आदेश से उनकी संरचना की गई है। स्थानीय संस्थाओं और सरकार के सम्बन्ध के इस प्रश्न में एक और प्रश्न भी अन्तर्निहित है और वह है स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता का आयाम। स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्त शासन की संस्थाऐं भी कहा जाता हैं जिन्हें राज्य द्वारा निर्देशित सीमा क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। किन्तु राज्य के इस नियंत्रण से उनकी स्वायत्तता सदैव प्रभावित होती है इसलिए नियंत्रण का यह प्रश्न एक प्रकार से इन संस्थाओं की स्वायत्तता के सवाल भी से जुड़ा हुआ है।

भारत के संविधान के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकारों पर रखा गया है। संविधान के अन्तर्गत राज्यों को प्रदत्त विधायी शक्तियों में यह अधिकार महत्वपूर्ण तरीके से राज्य सूची में प्रारम्भ में गिना दिया गया है। स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था सम्पूर्ण विश्व में पाई जाती है, किन्तु कहीं भी ये संस्थाऐं नियंत्रण से मुक्त पूर्णतः स्वायत्तशासी स्तर का उपयोग करती प्रतीत नहीं होती है। आर.एम.जैक्सन ने भी यही माना है कि ''स्थानीय इकाइयां वास्तव में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा होने से वे स्वयं राज्य बनकर स्थानीय शासन की परिधि से मुक्त हो जाएंगी।[1]

आजकल नगरीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित की जाने वाली सेवाओं का स्तर निम्न होने के कारण सेवाओं की उचित कार्यक्षमता बनाये रखने के लिए भी राज्य सरकार का नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। राज्य द्वारा नियंत्रण के फलस्वरूप कई नगरीय निकाय राज्य सरकार की सृष्टि होती है। राज्य के विधानांग द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। राज्य विधान मंडल द्वारा नगरीय कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें दी गई शक्तियां वापिस ले सकता है और समय समय पर नए कर्तव्यों के निर्वाह के दायित्व सौंप सकता है।

नगरपालिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी नियम, बैठकों की कार्यविधि सम्बन्धी नियम, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नगरपालिकाओं को परामर्श आदि देने, नगरपालिकाओं के आय व्यय के हिसाब, विकास की योजनाऐं तथा अनुमान, पालिकाओं द्वारा संपत्ति की खरीद बिक्री, करारोपण, वित्त तथा अनुदान, भविष्य निधि, इन संस्थाओं द्वारा उपनियम बनाने सम्बन्धी

शक्ति पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी तथा नगरपालिकाओं के वर्गीकरण आदि से सम्बन्धित नियमों के सृजन में राज्य सरकारें ही प्रायः इन विधायी शक्तियों का उपयोग करती हैं।

राज्य और केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा तो इन संस्थाओं से यह रही है कि उनके द्वारा निष्पादित सेवाओं में न केवल एकरूपता बनी रहे अपितु राज्य सरकार निरन्तर उनकी सेवाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती रही है। राज्य सरकार द्वारा नगरीय संस्थाओं को उनकी सेवाओं के कुशल संचालन के लिए जो आर्थिक अनुदान दिए जाते हैं उसके व्यय के औचित्य पर राज्य सरकार का नियन्त्रण बना रहे, उस हेतु राज्य सरकार विभिन्न प्रशासनिक उपायों के माध्यम से इन संस्थाओं की गतिविधियों को नियंत्रिक करती है।

भारतवर्ष में प्रायः सभी नगरपालिका कानूनों में यह व्यवस्था होती है कि राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका का स्तर प्रदान कर सकती है, नई पालिका और नियमों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन परिसीमन, परिवर्द्धन कर सकती हैं और किसी भी ऐसे निकाय को भंग कर सकती है। राज्य सरकार ही ऐसे निकायों की अधिकार सीमाओं का निर्धारण करती है।

राज्य सरकार विभिन्न स्थानीय निकायों के आपसी विवादों का निपटारा भी करती है जो सभी पक्षों के लिये निर्णायक और बाध्यकारी होता है। राज्य सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा स्थानीय संस्थाओं की नगरीय गतिविधियों, सम्पत्ति और निर्माण कार्यो का निरीक्षण करने में सक्षम है। नगरपालिका के कार्मिक वर्ग के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार नियंत्रण के अधिकार रखती है। पालिका अथवा निगम में उच्च पदाधिकारियों सचिव, कमिश्नर या अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्ते राज्य सरकार ही तय करती है। कर्मचारियों की संख्या, उनके वेतनमान, सेवा की शर्ते, भविष्य निधि आदि पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है।

उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त भी नगरपालिकाओं पर नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को निम्नांकित आधिकार प्राप्त हैं :-

1. किसी नगरपालिका द्वारा अधिकृत अचल सम्पत्ति में प्रवेश करना तथा उसका निरीक्षण करना।
2. किसी नगरपालिका के क्षेत्र में उसके नियंत्रण में चल रहे कार्य का निरीक्षण करना।
3. पालिका अथवा उसकी समिति की कार्यवाही के किसी दस्तावेज को मांगना तथा उसका निरीक्षण करना।
4. किसी नक्शे, विवरण, हिसाब अथवा रिपोर्ट का अवलोकन करना।

5. किसी निकाय के किसी काम के विरूद्ध आपत्ति हो तो उस निकाय का उस आपत्ति पर विचार करने का आदेश देना।
6. जनहित के प्रतिकूल कार्य को स्थगित करना।
7. आम जनता के स्वास्थ और सुरक्षा के हित में किसी कार्य को करने का आदेश देना।
8. नगर प्रशासन के किसी मामले की जांच करवाना।
9. संस्था द्वारा कर्तव्य पालन में अवहेलना की जांच कर उसे पूरा करने की अवधि निश्चित करना।
10. पालिका के किसी निर्णय को निरस्त करना।
11. पालिका के निर्वाचित सदस्यों को हटाना।
12. किसी नगर निकाय को भंग कर नए चुनाव करवाना अथवा किसी पालिका को अधिकार देना।
13. किसी भी आपातस्थिति के सन्दर्भ में यदि जिलाधीश यह अनुभव करते हैं कि यह कार्य तुरन्त निष्पादित किया जाना, आम जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अनिवार्य है तो ऐसे कार्य को स्थानीय निकाय के व्यय पर निष्पादित करने का आदेश जिलाधीश दे सकेंगे।

नगरपालिका परिषदें एवं नगरीय विकास –

नगरीकरण, विकास की उस प्रक्रिया का, जिसकी परिकल्पना आज हम कर रहे है, अभिन्न अंग हैं। औघोगीकरण तथा नगरीकरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरों की जनसंख्या द्रुतगति से बढ़ती जा रही है। यह उस औद्योगीकरण का, जिसके प्रति हम दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, अनिवार्य परिणाम है। फलस्वरूप नगरीय शासन की भूमिका तथा महत्व में वृद्धि होना अनिवार्य है, जिसके कारण समाज के नगरीय क्षेत्रों को नवीन ढंग से श्रेणीवद्ध तथा संगठित करने की आवश्यकता पड़ेगी "पहली बात ध्यान में रखने की है कि आज अविकसित देशों का नगरीय विकास तेजी से हो रहा है जो औद्योगिक राष्ट्रो की उनके नगरीय विकास के स्वर्णयुग में थी।"[1]

जब एक खेतिहर समाज का औद्योगिक समाज में रूपान्तर होने लगता है तो ग्रामीण क्षेत्र का ह्रास तथा नगरीय क्षेत्र का विकास होने लगता है। परिणामतः नगरीकरण जिस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता और जिसको बल प्रदान करता है वह गांवो में प्रचलित अर्थव्यवस्था में भिन्न होती है। जब कोई समाज ग्रामींण से नगरीय अवस्था की ओर अग्रसर होने लगता है तो उसके आर्थिक ढांचे में ही परिवर्तन नहीं होता बल्कि उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। परिणामतः नगर में बड़ी संख्या नये शहरियों की होती है, उन लोगों की जो हाल ही में नगर में आकर बसे हैं और अपने साथ ग्रामीण दृष्टिकोण तथा संस्कृति लेकर आये हैं। यह वर्ग नगर के

समाज पर भारी दबाव डालता है। संक्षेप में, नगरीकरण जनसंख्या की सघनता का ही घोतक नहीं है, उससे राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में गम्भीर परिवर्तन होते हैं और व्यापक मानसिक समस्याऐं उत्पन्न होती हैं। इन सब समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझने और हल करने की आवश्यकता है, यदि उनकी ओर ध्यान न दिया गया और उन्हें अनियन्त्रित छोड़ दिया गया तो वे सामाजिक विघटन और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं।

नगरीकरण तथा नगरीय विकास –

नगरीकरण का अर्थ है : जनता का ग्रामीण वातावरण को छोड़कर नगरों में जाकर बस जाना। नगरीय विकास का अर्थ है कि नगर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाऐं और सेवाऐं उपलब्ध हो तथा विकास की गति नियमित हो। इन सुविधाओं और सेवाओं में मुख्य है – जलपूर्ति, जल निकास, मलव्यवस्था, नगरीय आवास, नगरीय पुनर्विकास, परिवहन सड़क–निर्माण, बिजली का प्रबन्ध इत्यादि। यह सूची केवल संकेतात्मक है, निश्‍चिंत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे देश नगरीकरण के मार्ग में अग्रसर होता है वैसे वैसे नयी समस्याऐं उत्पन्न होती जाती हैं और उनके समाधान की आवश्यकता पड़ती है।

देश के संविधान के अनुसार ये सब विषय राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं। लोक स्वास्थ तथा सफाई का संविधान की सातंवी अनुसूची के अन्तर्गत राज्यसूची में 67वां स्थान है, सड़कों पुलों तथा नगर ट्रामपथों का तेरहवां, जलपूर्ति और जल निकास का सत्रहवां, और भूमि में तथा भूमि पर अधिकार भूमि सुधार तथा उपनिवेश का अठारहवां । स्थानीय प्रशासन स्वयं राजकीय विषय है, और राज्य सूची में उसका स्थान पांचवा है।

भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् नगरीकरण बेहद तेजी से हो रहा है। नगरीय जनसंख्या कई गुनी बढ़ गयी है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि आधारभूत ढांचे की वृद्धि का अपेक्षा बहुत अधि ाक हो गई है। परिणामस्वरूप भारत का कोई भी नगर वर्तमान जनसंख्या को सम्हालने की स्थिति में नहीं है। उसकी जनसंख्या उसकी वहन क्षमता से अधिक है। अतएव अनिवार्यतः नगरीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता का अत्यधिक ह्रास हो गया है। इस प्रकार नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण नगरीय विकास का मार्ग अवरूद्ध हो रहा है। नगरीय निकाय जैसी संस्थायें अपने कार्यो जैसे मलिन बस्तियों, सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण, वाहनों की भंयकर वृद्धि, जिससे सड़को पर रूकषट होता है, जमीनों के आकाश को छूते हुये किराये और दरें नगरों तथा कस्बों की विशेषता हो गयी है। प्रदूषण की समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है और पेयजल, सफाई तथा मकान जैसी मौलिक नगरीय सुविधाऐं भी अधिकांश जनसंख्या को उपलब्ध नहीं है। नगरीय निर्धनता गम्भीर

समस्याऐं प्रस्तुत कर रही है।

भारत में नगरपालिका सम्बन्धी अनेक अधिनियमों का निर्माण शताब्दी के तृतीय और चतुर्थ दशकों में हुआ था, उस समय नगरीकरण स्पष्ट दिखायी देने वाला आन्दोलन नहीं था जिसकी ओर किसी का ध्यान, ऐसा तो था ही नहीं कि उससे निपटने की आवश्यकता पड़ती। राज्य सरकारें नगरीय विकास की चेतना में पिछड़ी हुई हैं, इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने नगर विकास का सारा कार्य नगरपालिकाओं के सुपुर्द नहीं कया है। उनकी जगह नगरों के आयोजन तथा प्रसार के लिए पृथक सुधार न्यासों का निर्माण किया गया है। नगर का सुधार तथा प्रसार भी उतना ही नगरपालिका काम है जितना कि अन्य कोई कार्य, बल्कि वह उन अन्य महत्वपूर्ण कार्यो में से एक है जिसे पूरा करना नगर शासन का उत्तरदायित्व है।

74वां संविधान–संशोधन

''भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9(क) ''द म्युनिसिपलिटीज शीर्षक'' नया जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक स्तर प्रदान कियागया है।''[12] नगरीय स्थानीय स्वशासन के इतिहास में उस समय एक महत्वपूर्ण पृष्ठ जुड़ गया, जब भारतीय संसद ने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का नाम दिया गया। यह संशोधन नगरपालिकाओं की स्थापना और उनके लिए निर्वाचन से सम्बन्धित है। इस भाग में 18 अनुच्छेद हैं। इसके द्वारा अनुसूची 12 अन्तः स्थापित की गई है जिसमें वे कार्य गिनाए गए जो नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं।[13]

इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शहरी या नगरीय क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के मुख्य प्रावधानों में सभी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में प्रति 5 वर्ष बाद इन संस्थाओं में संस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने, महिलाओं अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के लिए इन संस्थाओं में स्थानों को आरक्षित किय जाने तथा जनसंख्या के अनुपात में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन करने जैसे पहलू गिनाये जा सकते हैं। निसन्देह नगरीय क्षेत्र की स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है।[1] 74वें संविधान संशोधन में दिये गये 18 अनुच्छेदों का वर्णन इस प्रकार है :–

अनुच्छेद 243 त : परिभाषाएं
अनुच्छेद 243 थ : नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद 243 द : नगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद 243 ध : वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद 243 न : स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 प : नगरपालिकाओं की अवधि आदि
अनुच्छेद 243 फ : सदस्यता के लिये निरर्हताएं
अनुच्छेद 243 ब : नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243 भ : नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243 म : वित्त आयोग

अनुच्छेद 243 य : नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद 243 य (क): नगरपालिकाओं के लिये निर्वाचन

अनुच्छेद 243 य (ख): संघ राज्य क्षेत्रों को लागू न होना

अनुच्छेद 243य(ग): इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना

अनुच्छेद 243य(घ): जिला योजना के लिए समिति

अनुच्छेद 243 य(ड़): महानगर योजना के लिए समिति

अनुच्छेद 243य(च): विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं को बना रहना

अनुच्छेद 243य(छ): निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप बर्जन

74वें संविधान संशोधन से पूर्व की सरंचना –

देश में 1950 में संविधान के प्रवर्तन के पश्चात् नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में सामान्यतः निम्न छः प्रकार की संस्थाऐं कार्यशील थी।

1. नगर निगम
2. नगर परिषद/नगरपालिका
3. कस्बा क्षेत्र समिति
4. अधिसूचित समिति
5. छावनी मंडल
6. एकल उद्देश्यीय अभिकरण

सम्पूर्ण देश में विभिन्न राज्यों ने न्यूनाधिक उपर्युक्त संरचना को ही यात्किंचित संशोधनों या परिवर्तनों के साथ अपनाया हुआ था। देश के सभी बड़े नगरों में नगरीय स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई के रूप में नगर निगम, उससे छोटे नगरों में नगरपरिषद या नगरपालिका का गठन किया जाता था। ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरीकरण की प्रक्रिया में होते थे किन्तु न तो पूरी तरह ग्राम रह पाते और न ही वे पूरी तरह शहर बन पाते ऐसे संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए इस कालखंड में कस्बा क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता था। नगरीय प्रशासन की एक और विशेष संरचना को अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता था। कुछ राज्यों में उन क्षेत्रों जहाँ राज्य सरकार यह अनुभव करती थी कि उनमें नगर पालिकाएं स्थापित नहीं की जा सकती, वहां अधिसूचित समिति स्थापित कर देती थीं। देश में ऐसे क्षेत्रों में जहां छावनी में सेना रहती रही है उस स्थान के आस पास के क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मण्डल आयोग अधिनियम 1924 के अन्तर्गत छावनी मण्डल का गठन किया जाता रहा है। इसी प्रकार स्थानीय प्रशासन की एक और इकाई इस काल खंड में कार्यरत थी जिसे एकल उद्देश्यीय अभिकरण के नाम से जाना जाता था।

झाँसी जनपद का क्षेत्र, इतिहास व संस्कृति

भारतवर्ष का ह्रदय बुन्देलखण्ड –

भारत सदैव ही आदिकाल से उत्थान और पतन की धाराहों में प्रवाहित होता रहा है। भारत के उत्कर्ष और उत्थान में बुन्देलखण्ड सदैव ही अपना योदान प्रदान करता रहा है। भारतवर्ष विश्व की प्रगति को सर्वदा अपनी चिंतंनशील साधना द्वरा प्रकाशित करता रहा है और प्रगति का आधारस्तम्भ बनता रहा है। बुन्देलखण्ड भारतवर्ष का ह्रदय सदा से रहा है। भारत प्राण बुन्देलखण्ड अपनी वीरता, पराक्रम, शौर्य, कला, तपस्या एवं साधना के कारण विश्व विख्यात है। अपने अतीत में यह अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, परम्पराओं, सांस्कृतिक चेतनाओं एवं रीति रिवाजों को छिपाये आज भी अपने मस्तक को उच्च शिखर पर आसीन किये हुए है। बुन्देलखण्ड की रत्नप्रसविनी भूमि को जहां साहित्य, संगीत, कला के क्षेत्र में प्रतिभावान कलाकारों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, वहां उसे ऐसे पौरूष सम्पन्न असिधर्मियों को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है जिन्होंने अपने शौर्य से शत्रुओं का मान मर्दित किया है।

पौराणिक काल में इस भूमिका का नाम "जैजाक–मुक्ति" और चेदि था। जब चन्देलों का शौर्य अस्त हो रहा था, उसी समय काशी से सूर्य कुलावंतसीय, गहरवार वंशीय क्षत्रियों की एक शाखा ने इस भूमि पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस प्रकार गहरवार हेमकर्ण पंचम ने अपना नाम 'बुन्देला' रखा। बाद में इन्हीं की पीढ़ियों ने एक छोटा सा बुन्देला राज्य स्थापित किया। इतिहासकारों के कथन के अनुसार बुन्देलखण्ड की स्थापना सम्वत् 1288 विक्रमी के लगभग हुई। जब से बुन्देला क्षत्रियों ने इसे अपनाया, उस समय से यह बुन्देलखण्ड कहलाने लगा। इसके उत्तर और दक्षिण में क्रमशः यमुना और नर्मदा तथा पूर्व और पश्चिम में टोंस और चम्बल की धारायें इस बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक सीमा बनती हैं। इसका मध्य भाग झाँसी है। इस भूखण्ड के बीच में विन्ध्याचल पर्वत अटल और अंचल रूप से विराजमान है। बेतवा, केन और धसान जैसी उज्जवल सरिताओं से यह प्रदेश सुसज्जित एवं सिंचित हैं।

बुन्देलखण्ड बसुन्धरा ने ऐसे वीर रत्नों और योद्धाओं को जन्म दिया है जिनकी वीरगाथायें इतिहास में स्वणक्षरों में अंकित हैं। महोबा के वीर योद्धा आल्हा ऊदल की वरीगाथायें आल्हखंड के रूप में लाखों नरनारियों को प्रेरणा एवं रस प्रदान करती हैं। आल्हा ऊदल की लड़ाई "आल्हा" में इस प्रकार वर्णित की गई है कि बुन्देलखण्ड के सुप्रसिद्ध आल्हा को समझने व उसका रसास्वादन प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों ने हिन्दी सीखी है। अमानसिंह प्राणसिंह की घटना लेकर किसी लोक कवि ने अपनी प्रखर कल्पना के सहारे अमानसिंह के राछरे की रचना की है जो बुन्देलखण्ड

की स्त्रियों के हृदय का हार बना हुआ है।

राजा चंपतराय की वीर पत्नी सती सारंधा और स्वतन्त्रता संगाम की सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई बुन्देलखण्ड की वीराडंगनाये थी जिन्होंने इस वीर भूमि को अपने उज्जवल बलिदान से गौरवान्वित किया है। मेवाड़ के इतिहास को भी आश्चर्य में डालने वाली महाराज चंपतराय की रानी लालकुंअर (रानी सारंघा) ने अपने बीमार पति के आदेशानुसार यवनों से उनके शरीर को स्पर्श न करने के लिए अपनी कटार से अपने पति की इहलीला समाप्त कर स्वयं को भी उसी कटार से मार डाला था। भारतवर्ष की प्रथम स्वाधीनता-क्रान्ति की जन्मदात्री और संचालिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की वीरता, रण कुशलता और देश प्रेम की देश और विदेश के विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। बुन्देलखण्ड के भारती चन्द बुन्देला, राजा मधुकर शाह और वीर छत्रसाल इसी वीर भूमि की ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम का आलोकिक परिचय दिया था। भारतीचन्द बुन्देला ने शेरशाह के छक्के छुड़ा दिये थे और मधुकरशाह ने तो अपने तिलक के लिए सम्राट अकबर की आज्ञा को तोड़ दिया था। पन्ना राज्य के संस्थापक महाराज छत्रशाल बुन्देला को बुन्देलखंड में वही मान प्राप्त है जो राजपूताने में महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र में शिवाजी को दिया जाता है। कविवर भूषण वीर छत्रशाल से इतने प्रभावित हुए कि वे शिवाजी को भूलने लगे थे। आत्मत्यागी धर्मवीर हरदौल का नाम इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है जिन्होंने अपने भाई जुझारसिंह की आज्ञा से प्रसन्तापूर्वक विषयुक्त भोजन कर लिया और अमरकीर्ति प्राप्त की थी। स्वर्गीय हरदौल ने अपनी मान्जी के विवाह में स्वयं को प्रकट कर अपना कर्तव्य निबाहा था। बुन्देलखण्ड की प्रमुख विभूति राजा वीरसिंह देव महान धार्मिक व प्रजापालक शासक थे। यह इसी भूमि की देन है जिन्होंने राजा वीरसिंह देव जैसे दानी उत्पन्न किए हैं जिन्होंने इक्यासी मन स्वर्ण का दान एक बार में ही दे डाला था। इन्होंने इष्ट पूर्ति यज्ञ करके 52 इमारतों का शिलान्यास किया था। शुभ मुहुर्त में बने हुए विशाल भवन आज भी अपने पुरातन वैभव का निनाद कर रहे हैं। आधुनिक युग में भी पं0 जवाहरलाल नेहरू को सोने और चांदी से तौलने का सौभाग्य भी बुन्देलखण्ड के झांसी को प्राप्त है।

बुन्देलखण्ड की गौरवपूर्ण महिमा का बखान इतिहासकारों ने अपने इतिहासों में स्वर्णक्षरों में अंकित किया है। इतिहासकार का कथन है ''बुन्देखण्ड भारतवर्ष का हृदय है'' इस कथन की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि बुन्देलखण्ड ने अनेकों कलाकारों और महारथियों को जन्म देकर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में योगदान दिया है और भारत के निर्माण में बुन्देलखण्ड का सराहनीय सहयोग है। बुन्देलखण्ड भारतवर्ष का हृदय है और बुन्देलखण्ड का हृदय झांसी हैं। इसका पुरातन नाम बलवन्त

नगर है। परन्तु "झाँई" शब्द से ही इसका नाम झांसी पड़ा। ओरछा से देखने पर यह नगर झांई तरह दिखाई पड़ता था। इसी प्रकार धीरे धीरे "झांई" शब्द झांसी के रूप में प्रचलित हुआ। झांसी के चतुरेश ने उपर्युक्त छन्द में झांसी के महान गौरव की झांकी प्रस्तुत की है। झांसी की समता काशी से की गई है।

इस प्रकार झांसी का तख्त संसार में काशी के समान है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में काशी पुण्य पवित्र एवं उज्जवल तीर्थ स्थल माना जाता है उसी प्रकार बुन्देलखण्ड में झांसी पुण्य पवित्र उज्जवल, रमणीय एवं प्रातः स्मरणीय लक्ष्मीबाई का प्रसिद्ध वीर स्थल माना जाता है।

झांसी तथा झांसी के क्षेत्र का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इतिहास में झांसी का महत्व झांसी से 16 मील की दूरी के ग्राम बाघाट के कारण अधिक है। क्योंकि महाभारत में यहीं बाघाट वाकाट के नाम से प्रसिद्ध था और इतिहासकार इस तथ्य को मानते हैं कि महाभारत के गुरू द्रोण का जन्म झांसी के इसी ग्राम बाघाट में हुआ था। तत्पश्चात् इतिहास में झांसी को अधिक सम्मान, मर्यादा एवं प्रतिष्ठा प्रदान की झांसी की रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने जो भारतवर्ष की प्रथम स्वाधीनता–क्रांति की जन्मदात्री और संचालिका थी और जिन्होंने अपनी वीरता, रण कुशलता और पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये थे।

विक्रमी सम्वत् 1660 में वीरसिंहजू देव को प्रथम सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड का राजा घोषित कर दिया गया। महाराज महान धार्मिक व प्रजापालक शासक थे। उन्होंने ऐसे अनेक लोकोपयोगी सामाजिक एवं धार्मिक कार्य किये हैं जिनसे वे बुन्देलखण्ड के जनप्रिय शासक कहे जाते हैं। महाराज ने माघ सुदी 5 सम्वत् 1675 के शुभ मुहुर्त में इष्ट पूर्ति यज्ञ करके 52 इमारतों का शिलान्यास किया। झांसी का किला ओरछा के महाराज वीरसिंहजू देव की इतिहास प्रसिद्धकृति है। आज भी झांसी का यह किला अपनी पूर्व स्थिति में विद्यमान है और अपने पुरातन वैभव का निनाद कर रहा है। सन् 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले से अंग्रेजों पर गोले बरसाये थे। किले के अन्दर प्राचीन इमारतों और मूर्तियों के अवशेष पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ का सम्बन्ध चन्देलकाल से माना जाता है। (नवीं से 13वीं शताब्दी के मध्य) यह किला और इससे सम्बन्धित झांसी का राज्य 18वीं शताब्दी में मराठों के हाथ में चला गया। मराठों के अन्तिम पुरूष शासक राजा गंगाधर राव थे जिनकी मृत्यु 1853 में हुई थी और जो इस संसार में रानी लक्ष्मीबाई को छोड़कर बिदा हो गये। झांसी का किला झांसी के विशाल गौरव का प्रतीक है जो गुम्बजों से आज भी वीरता की गाथा को ध्वनित करता है।

सन् 1857 की विप्लवी क्रान्ति के पश्चात् सन् 1858 में झांसी पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन की अंतिम स्वांस तक आततायी अंग्रेजो के

छक्के छुड़ाती रही और अपनी वीरता का परिचय देती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। इस प्रकार उन्होंने अपनी अन्तिम आहुति स्वदेश तथा जन कल्याण के लिए दे दी। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम परमोज्जवल प्रथम दीप शिखा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में ऐसे कौशल दिखलाये कि अंग्रेज भी लज्जित होने लगे और उन्होंने भी उनके पराक्रम एवं शौर्य की प्रशंसा की है। सर ह्यूरोज ने रानी के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए थे :- "She was the best and the bravest of them all" हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवियत्री स्व0 सुभद्रा कुमारी चौहान का सुप्रसिद्ध गीत महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है।

स्वतन्त्रता संग्राम की सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई इसी वीर भूमि की वीरांगना थी जिसे आज भी विश्व का कोना कोना स्मरण करता है। उन्होंने अपने बलिदान से झांसी को ही नहीं वरन् भारत को गौरवान्वित किया है। महारानी लक्ष्मीबाई की विश्वासपात्र सहेली झलकारी का नाम भी गौरव से लिया जाता है। झलकारी ने झांसी के स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये थे और युद्ध में बलिदान हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई सच्चे अर्थ में स्वतन्त्रता की नींव का पत्थर बन गई थीं। उनके तथा उनके बलिदान से देश में स्वतन्त्रता की एक ऐसी लहर प्रवाहित हुई जिसने शनैः शनै स्वतन्त्रता प्रासाद को ही खड़ा ही कर दिया। झांसी ने इस दृष्टि से भारत को महत्वूपर्ण योगदान प्रदान किया।

बुन्देलखण्ड के अंचल में विकसित होने वाला झांसी एक सुरम्य एवं रमणीक स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपना सारा सौन्दर्य यहीं पर उड़ेल दिया है। झांसी चारों ओर से पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां प्राकृतिक छटाओं ने झांसी को अधिक सौन्दर्य प्रदान किया है। लहर और सैंयर के पहाड़, कैमाशन की टोरिया तथा अन्य पहाड़ियों की चोटियों पन नवग्रहों की नौ नौ ऊँची मड़ियों, नाले, झरने, बागबगीचे तथा मनोहर वृक्ष आदि झांसी नगर की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। लक्ष्मीताल, आंतिया ताल, झरना, झरने का ताल, भूतनाथ, अठखम्भा, खाकीसा बंघ अन्जनी, ठन्डी बावड़ी, महाडंगकालेश्वर, श्याम चौपड़ा आदि ऐसे रमणीक स्थान हैं जहां झांसी के नरनारी नित्य प्रति विहार एवं विचरण करके मनोरंजन एवं आनन्द प्राप्त करते हैं। श्याम चौपड़ा, कैमाशन टोरिया के निकट ही स्थित है। यह रमणीक स्थान ऋषि मुनियों की तपोभूमि की तरह है जहां झांसी के मनुष्य जाकर आराधना करते हैं। उन्हें यहां अलौकिक शान्ति मिलती है। झांसी में अनेकों मनोरम एवं मनोहर बाग बगीचे हैं जो मनुष्य को सुख और शान्ति प्रदान करते हैं। उद्यानों और उपवनों की छटायें मानव के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं।

अनेकों दृष्टियों से वीर भूमि झांसी के महत्व का मूल्याकंन किया जा सकता है। बुन्देलखण्ड की झांसी में ऐसी महान विभूतियां उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने अपने त्याग तपस्या, मन्त्रों एवं चमत्कारों

द्वारा संसार को आश्चर्यान्वित कर दिया है। यह महान सिद्ध विभूतियां झांसी में ही नहीं वरन् समस्त अन्य क्षेत्रों में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं।

बुन्देलखण्ड के प्राकृतिक वातावरण में सौन्दर्य की नगरी झांसी को अभूतपूर्व वरदान प्राप्त है। जिसके फलस्वरूप मनुष्य निर्माता, जनमानस के कल्याणकारी भगवान स्वयं इस भूमि के कण-कण में समाये हुए हैं। झांसी के किसी स्थल से या किसी कोण से आप यदि झांसी का अवलोकन करें तो आपको वास्तव में मन्दिरों की नगरी ही मालूम पड़ेगी। ऐसा प्रतीत होता है मानो काशी तीर्थ वास्तविक रूप में अपना चमत्कार दिखाने यहां आ गया है। इसलिए बुन्देलखण्ड की वीर प्रसूता भूमि झांसी को देवों की भूमि कह जाता है। पुण्य पावन एव उज्जवल झांसी में अनेकों देवालय एवं मस्जिद हैं जिन्होंने झांसी में पुण्य पावन एवं तपोमय धार्मिक वातावरण का निर्माण किया है तथा झांसी की जनता को धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना प्रदान की है। सावन के महीने में इन धार्मिक मन्दिरों की घटायें अवलोकन के योग्य होती हैं, जिनका सौन्दर्य विशाल अम्बर को रजतमय चांदनी से होड़ लगाता हुआ अपनी अलौकिकता का परिचय देता है।

जब हम झांसी के सम्बन्ध में विभिन्न मनोरम कल्पनायें करते हैं तब हमारे सम्मुख झांसी नगर के साथ-साथ झांसी की जलवायु और झांसी का विस्तार आदि का सुरम्य चित्र उपस्थित हो जाता है। जलवायु की दृष्टि से जब हम झांसी का मूल्याकन करते हैं तो हमें प्रतीत हो जाता है कि झांसी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न है। यहां की जलवायु साधारणतः अच्छी है। यहां आम, जामुन, महुआ, बेर और अचार जैसे फल वृत्तों की अधिकता है जिसके फलस्वरूप शीतल, सुखद तथा अनुपम समीर सदैव ही प्रवाहित होकर सुन्दर एवं सरस वातावरण प्रसारित करता रहता है। यहां गर्मी अप्रैल मास से सितम्बर मास तक तथा जाड़ा अक्टूबर से मार्च तक पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु के दो मास (मई-जून) गर्मी अधिक पड़ने के फलस्वरूप अधिक कष्टदायी प्रतीत होते हैं। लू भी इन्हीं दिनों अधिक पड़ती है। परन्तु यहां ग्रीष्म ऋतु की रातें शीतल सुखद और मनोहारी प्रतीत होती है। वैसे भी बुन्देलखण्ड की ग्रीष्मकालीन सुखद रातें अधिक प्रसिद्ध हैं। वर्ष के शेष दस मास अधिक सुखद और आनन्दप्रद व्यतीत होते हैं। यहां वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा प्रायः जून के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ होती है लेकिन वर्षा का मौसम अत्यन्त सुहावना प्रतीत होता है। पहाड़ियों का दृश्य, बाग बगीचों का दृश्य अत्यन्त सुन्दर लगता है। झांसी को प्राकृतिक वरदान प्राप्त हैं। अतएव इसी के फलस्वरूप वृक्षों, डालियों, पत्तों की हरी हरी कतारें, हरे भरे घास फूस और फल आदि के मनोहर दृश्य मानव को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहां की औसत वर्षा 43.3 है। वर्षाकाल में हवाओं का

रूख पश्चिम और दक्षिण–पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर रहता है। वर्षा के सुहावने वातावरण में झांसी का आकाश सबसे अधिक बादलों द्वारा आच्छादित रहता है जबकि ग्रीष्म ऋतु में आसमान स्वच्छ एवं स्पष्ट रहता है। विशेषतया यहां की जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियां एवं फल आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं और जनता को इनके उपयोग की पूर्ण सुविधा रहती है।

झाँसी नगर तक ही झांसी सीमित नहीं है वरन् झांसी का विस्तार भी दिनोदिन होता जा रहा है। इस प्रकार झांसी का विस्तार बबीना तक हो गया है। बबीना, जो झांसी के अन्तर्गत ही है, भारतीय सेना का मुख्य केन्द्र है। बबीना को New Jhansi या नई झांसी के नाम से पुकारते हैं यह झांसी से 13 मील पर लखनऊ से सागर जाने वाली सड़क पर है।

झाँसी में कमिश्नरी, कलक्टरी, जजी के अतिरिक्त अनेकों सरकारी कार्यालय हैं। झांसी में रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना (Workshop) है जिसमें कई हजार आदमी कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। रेलवे के डिवीजन कार्यालय भी है जिनमें सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते हैं। इस प्रकार रेलवे की दृष्टि से भी झांसी का अधिक महत्व है। झांसी के जिला परिषद तथा नगरपालिका कार्यालय आदि भी यहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में व्यस्त रहते हैं।

अतीव प्रसन्नता का विषय है कि बुन्देलखण्ड की वीरभूमि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्य स्मृति में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज के विशाल भवन का जो सखी के हनुमान के पास स्थित है, उद्घाटन हो चुका है और मेडिकल कालेज की स्थापना के साथ ही साथ कालेज में गत वर्ष जुलाई में अध्ययन कार्य प्रारम्भ हो चुका है। मेडिकल कालेज की स्थापना झांसी के लिए गौरव एवं महत्व का विषय जिससे झांसी के छात्रों के लिए भी उसका समुचित लाभ उठाने के लिए अवसर प्राप्त होगा। डा0 सुशीला नय्यर ने जो झांसी क्षेत्र से ही एम0पी0 रह चुकी हैं, अपने सद्भावनापूर्ण प्रयत्नों से झांसी के लिए दो सराहनीय कार्य किए हैं जिसे झांसी कभी नहीं भुला सकती– पहला नौटघाट वेतवा नदी पर का पुल और दूसरा झांसी में मेडिकल कालेज की स्थापना।

जिस प्रकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा औद्योगिक दृष्टियों से बुन्देलों की वीर वसुन्धरा झांसी अधिक गौरवान्वित सिद्ध हुई हैं उसी प्रकार कला तथा साहित्यिकारों एवं सरस्वती के पुनीत साधको ने अपने त्याग तपस्या एवं साधना से हिन्दी साहित्य एवं कला के कलेवर को पूर्ण रूप से विकसित किया हैं। वैसे भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुन्देलखण्ड की रत्न प्रसविनी भूमि को साहित्य संगीत एवं कला के क्षेत्र में शाश्वत प्रतिमान करने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है।

भारत प्राण बुन्देलखण्ड और बुन्देलखण्ड ह्रदय झांसी की छाप हिन्दी साहित्य में पहले ही पड़ चुकी है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में बुन्देलखण्ड के साहित्यकारों को अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ है। झांसी की भूमि न केवल वीर प्रसविनी ही रही वरन् धर्म और संस्कृति, साहित्य के अमूल्य रत्नों की खान है। बुन्देलख बसुन्धरा के रस और भाव भरे अनुपम वातावरण में कवियों, साहित्यकारों तथा कलाकारों को प्रेरणा प्राप्त हुई और इसी बसुन्धरा के अंचल में आदि कवि बाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारीलाल, मुंशी अजमेरी, डा० मैथिलीशरण गुप्त, बा० वृन्दावनलाल वर्मा आदि ॠषियों एवं साहित्यकारों को उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। झांसी का साहित्यिक वातावरण प्रायः हरा भरा रहता है और नये नये साहित्यकारों को प्रेरणा प्राप्त होतीं रहती है। झांसी और ओरछा प्रायः एक ही रहे हैं। इनका निकट का सम्बन्ध भुलाया नहीं जा सकता है और यही कारण है कि ओरछा के साहित्यिक एवं धार्मिक वातावरण का प्रभाव झांसी पर सदैव ही पड़ता रहता है। ओरछा में अनेकों महाकवि उत्पन्न हुए। सं० 1850 वि० मे लाला नवलसिंह का जन्म हुआ जिन्होंने 33 काव्य ग्रंथ लिखे। संवत् 1877 वि० में ह्रददेश जी का जन्म हुआ जिन्होंने "विश्व वश करन" नामक ग्रन्थ की रचना की। झांसी के प्राचीन कवियों में ह्रदयेश जी सत्तावनी क्रान्ति के पूर्व रीतिकालीन श्रंगारी काव्य के प्रचार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। भग्गू दाऊजूश्याम रानी के समय के प्रसिद्ध जन कवि हुए हैं। सं० 1901 में हिरदेश बन्दीजन हुए। सं० 1910 में मन्नू भाट अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। संवत् 1918 में चतुरेश और सं० 1923 में मदनेश जी बड़े सुन्दर कवि हुए हैं।

राष्ट्र भाषा हिन्दी को अधिक समुन्नत बनाने के लिए विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, रामेश्वर प्रसाद शर्मा बेनीप्रसाद श्रीवास्तव, कालिकाप्रसाद अग्रवाल, डा० भगवानदास गुप्त, डा० भगवानदास माहौर, गौरीशंकर द्विवेदी, रामसेवक रावत, सेठ भगवानदास बाटिया, मित्रजी, द्वारिकेश मिश्र, कृष्णपद भट्टाचार्य, मोतीला अशान्त आदि अनेकों साहित्य साध ाक अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं।

राष्ट्र निर्माण कार्य में झांसी सदैव ही अग्रसर रहा है। आज भी झांसी की लम्बी व्यायामशाला राष्ट्रोत्थान के कार्य में संलगन है जहां के होनहार नवयुवक राष्ट्र की प्रगति में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। झांसी के ही प्रमुख राजनैतिक नेता श्री कृष्णचन्द्र शर्मा उत्तर प्रदेश के उपमंत्री हैं और श्री गोविन्ददास रिछारिया, विधान परिषद के सदस्य बुन्देलखण्ड को अधिक विकसित करने में पूर्ण रूप सेप्रयत्न कर रहे हैं।

यद्यपि झांसी में पग पग पर एक विचित्र एवं अनुपम इतिहास छिपा है और आज भी इसमें प्रसिद्ध संगीतिज्ञ, श्रेष्ठ चित्रकार, कुशल मूर्तिकार, प्रतिभाशाली साहित्यकार और ज्योतिषी विद्यमान

है, किन्तु यहां की ग्रामीण जनता में निर्धनता, अशिक्षा और अन्धविश्वास के पैर जमे हुए हैं। यहां उद्योग और शिक्षा के लिए जनजागृति की आवश्यकता है। झांसी ही क्या समस्त बुन्देलखण्ड पिछड़ा और गरीब है। भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। यहां नये नये उद्योगों की स्थापना करके झांसी की गरीबी मिटाई जा सकती है। झांसी की रानी वीरागंना लक्ष्मीबाई अपना अमूल्य बलिदान देकर भारत के इतिहास में अमर हो गई लेकिन उनकी झांसी अभी भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रगतिशील कदम बढ़ाकर अपना योगदान दे रही है। किसी कवि का कथन है :–

झांस की की रानी भले न हो, रानी की झांसी अमि शेष ।

''सागर'' को गागर समझ न अब, मेरे प्यारे उद्भ्रान्त देश।

झाँसी निवासियों का भी कर्तव्य है कि वे भी झांसी के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर आगे बढ़ें और जिस प्रकार झांसी ने साहित्य राजनीति, कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है, उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी झांसी अत्यधिक प्रगति करे जिससे झांसी की गरीबी और पिछड़ापन दूर हो सके।

झांसी जनपद की महत्वपूर्ण नगरपालिका परिषदें –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय ''नगरपालिका परिषदों के संगठन व कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन'' है जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है वो उत्तरप्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमाओं से लगा हुआ झांसी जनपद है जिसके अन्तर्गत आने वाली नगरपालिका परिषदें झांसी नगरपालिका परिषद, मऊरानीपुर, नगर पालिका परिषद, बरूआसागर, नगर पालिका परिषद एवं गुरसरांय नगरपालिका परिषद आदि हैं।

झांसी जनपद की महत्वपूर्ण तहसीलों में से एक मऊरानीपुर तहसील है। जो जनपद के मुख्यालय से 65 कि.मी. दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस नगर के पांच कि.मी. दूरी पर मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जनपद की सीमा प्रारम्भ हो जाती हे। यह नगर 25:15 उत्तरी अक्षांश एवं 79:11 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं इसका क्षेत्रफल लगभग छः वर्ग किमी0 है। झांसी से मिर्जापुर का राजमार्ग मऊरानीपुर नगर होकर ही निकला हैं इस नगर में मऊरानीपुर तहसील का मुख्यालय भी है। जो झांसी जनपद की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। यह नगर प्राचीन समय से ही झांसी जनपद का व्यापारिक केन्द्र रहा है। सन् 1869 में मऊरानीपुर नगर में ब्रिटिश शासकों द्वारा नगरपालिका स्थापित की गई थी।

बरूआसागर नगर झांसी मुख्यालय से मऊरानीपुर राजमार्ग पर 21 किमी0 की दूरी पर स्थित है। यह नगर 25'22 उत्तरी अक्षांश व 70:44 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस नगर में ब्रिटिश काल

से ही नगर के स्थानीय शासन के लिये टाउन एरिया स्थापित की गई थीं, जो बाद में सन् 1973 में नगरपालिका परिषद के रूप में परिवर्तित हुयी थी। बरूआसागर नगर बबीना विधान सभा क्षेत्र का एक अंग है। इस नगर की अपनी प्राकृतिक सौन्दर्यता के कारण इसे बुन्देलखण्ड का कश्मीर कहा जाता है।

गुरसरांय नगर झांसी मुख्यालय से वाया मऊरानीपुर होकर 107 किमी0 की दूरी पर है। यह नगर 25:37 उत्तरी अक्षांश एवं 72:12 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। और गरौठा तहसील से 12 किमी0 की दूरी पर है। 1947 में देश आजाद होने के पश्चात सर्वप्रथम इस नगर को स्थानीय शासन के लिये टाउन एरिया की श्रेणी दी गई थी। उसके पश्चात् 1986 में नगर को नगरपालिका परिषद का दर्जा दिया गया। वर्तमान में गुरसरांय नगरपालिका परिषद का काफी विस्तार हो गया है। अतः इस शोध प्रबन्ध में इन नगरपालिका परिषदों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है।

अध्ययन एवं शोध-विधि

समस्या का चुनाव

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय ''नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन'' (उत्तरप्रदेश में झांसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990 – 2002 तक) है। इस विषय में झांसी जनपद के अन्तर्गत आनेवाली महत्वपूर्ण नगरपालिका परिषदों का सूक्ष्म अध्ययन करना है। इन सभी नगरपालिका परिषदों का संगठनात्मक एवं कार्यात्मक चित्र तो प्रस्तुत करना ही है, इसके साथ ही यह शोध प्रबन्ध 74वें संविधान संशोधन का इन नगरपालिका परिषदों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने लिये लिखा गया है।

नगरीय संस्थाओं का क्षेत्राधिकार एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है और उसके कार्यो का सम्बन्ध उस क्षेत्र के अन्तर्गत बसने वाली जनता को नागरिक सुविधाऐं प्रदान करने से होता है। जब लोग किसी स्थान पर मिलजुलकर रहने लगते हैं तो सामुदायिक जीवन के फलस्वरूप कुछ समस्यायें उत्पन्न हो जाती है। नगरीय संस्थाओं का उत्तरदायित्व उन सभी समस्याओं का समाधान करना हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ निवास क्षेत्र का आकार बढ़ता है तथा परिणामतः समस्यायें उठ खड़ी होती हैं और वे अधिक उग्र रूप धारण करने लगती है। किन्तु इन संस्थाओं के कार्यो की संख्या कम नहीं होती बल्कि बृद्धि होती जाती है। नगरीय संस्थायें इन सभी समस्याओं से निपटने में असफल सिद्ध होने लगती है। अन्य कारणों की वजह से भी यह संस्थायें अपने कार्यो को सुचरू रूप से करने में सक्षम नहीं हो पाती थी। इस प्रकार संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इन निकायों के संगठन एवं कार्यप्रणाली में भी कुछ मूलभूत कमियां थी जो इस प्रकार हैं –

1. वित्तीय साधनों का अभाव – प्रायः इस संशोधन से पूर्व नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर होती थी कि ये संस्थाऐं पर्याप्त धन के अभाव में नागरिकों द्वारा और कानूनों द्वारा प्रवर्तित अपने दायित्वों का निष्पादन भी नहीं कर पाती थी। नगरी निकायों को मुख्यतः अपने करों से जो राशि प्राप्त होती थी, उसके अतिरिक्त अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता था। आय के इन दोनों ही स्रोतों की अपनी अपनी सीमायें थी।

2. प्रशासनिक अधिकारियों का अत्यधिक हस्तक्षेप प्रशासनिक नियन्त्रण की यह विधि विशेष रूप से इन संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि ही विकसित की गई होगी। राज्य सरकार ही अपने अधिकारियों द्वारा नगरी संस्थाओं की नगरीय गतिविधियों सम्पत्ति और निर्माण कार्यो का निरीक्षण करवाती थी। लेकिन यह प्रशासनिक अधिकारी सरकार द्वारा प्रदत्त इन

अधिकारों का दुरूपयोग करके नगरीय निकायों के कार्यो में गड़बड़ी पैदाकर अत्यधिक हस्तक्षेप करते थे।

3. राजनैतिक नेतृत्व समाज के उच्च वर्गो के हाथों में – इस संशोधन से पूर्व नगर का जो भी संभ्रात परिवार हुआ करता था उसी का इन नगरीय निकायों में प्रभुत्व स्थापित रहता था। और राजनैतिक नेतृत्व भी वही किया करते थे।

4. निरन्तर चुनाव व्यवस्था का अभाव – नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रणाली में दोष भी थे। इन निकायों में निरन्तर चुनाव व्यवस्था न होने के कारण चुनाव देर से हुआ करते थे। राज्य सरकार चाहे जब इसे भंग करके निर्वाचन करवा सकती थीं। अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्षमतदान द्वारा न होने के कारण, सदस्यों द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता था।

5. अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ेवर्गो को सही प्रतिनिधित्व न मिलना – इस संशोधन से पूर्व नगरीय निकायों में उच्च वर्गो का ही प्रभुत्व हुआ करता था जिस कारण निम्न वर्गो का सही अनुपात में इन निकायों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था।

6. महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलना – पूर्व में महिलाओं की स्थिति निम्न होने के कारण इनमें राजनीतिक सक्रियता का अभाव था जिस वजह से यह इन निकायों में प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं।

7. नगरीय स्वायत्त संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त न होना – शासन तो पहले भी तीन स्तर से हुआ करता था, केन्द्र स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर। परन्तु केन्द्रीय स्तर और राज्यस्तरीय शासन को संवैधानिक अधिकार प्राप्त थे परन्तु स्थानीय स्तरीय शासन को नहीं इसलिये ये अपनी प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम नही थी।

अतः 74वें संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा एवं स्वायत्ता प्रदान करके इन कमियों को दूर किया गया है। पिछले दस वर्षो में नगरीय संस्थाओं का अत्यधिक विकास हुआ है अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा न होकर अब वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होने लगा है। अब नगरीय निकायों का नियमित रूप से चुनाव होता है और ये प्रभावपूर्ण ढंग से भूमिका निभाने में सक्षम हैं। इसके अलावा और भी परिवर्तन हुये हैं, जैसे पहले नगरीय निकायों में सभी स्थान समान हुआ करते थे, पर अब दलितों (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) व पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिये नगरीय निकायों में स्थान आरक्षित कर दिये गये हैं।

नगरीय निकायों 74 वें संशोधन से पूर्व एवं संशोधन के पश्चात् स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् शोधार्थी के मन में नगरीय निकायों के विषय के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न

हुई और तब शोधार्थी ने नगरीय संस्थाओं के संगठन एवं कार्य प्रणाली पर 74वें संविधान संशोधन द्वारा हुये प्रभावों का अध्ययन करने का निश्चय किया। सम्भवतः नगरपालिकापरिषदों पर पहले भी अध्ययन हुआ हो लेकिन 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान सन्दर्भ में अभी तक इस प्रकार अध्ययन नहीं हुआ है। शोधार्थी ने इस प्रकार का अध्ययन उत्तर प्रदेश में न होने के कारण इस कार्य को शोध प्रबन्ध के माध्यम से करने का प्रयत्न किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उत्तर प्रदेश की नगरीय संस्थाओं में हुये 74वें संविधान संशोधन के पश्चात इन निकायों के संगठन एवं कार्यप्रणाली में हुये सकारात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करने प्रयास किया गया है। लेकिन सम्पूर्ण राज्य का गहन अध्ययन एक व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं था, और न ही शोधार्थी के पास इतना समय एवं साधन थे कि इस प्रकार का अध्ययन कर सके। इसलिये शोधार्थी उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जनपद के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, झांसी (वर्तमान समय में झांसी नगरपालिका परिषद का स्वरूप नगर निगम में परिवर्तित हो गया है) मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद, बरूआसागर नगरपालिकापरिषद एवं गुरसरांय नगरपालिका परिषद आदि को समस्या से सम्बन्धित क्षेत्र निर्धारित किया है।

इस विषय के माध्यम में झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिका परिषद का संगठनात्मक एवं कार्यात्मक चित्र तो प्रस्तुत करना ही है। इसके साथ यह भी देखना है कि संविधान में नगरीय संस्थाओं के सम्बन्ध में हुये 74वें संशोधन के परिवर्तनों का इन सभी नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली और पार्षदों पर क्या प्रभाव हुआ है।

अतः आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहली बार स्थानीय शासन स्तर पर नगरीय संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार से झांसी जनपद की क्या महिलायें अवगत हैं, यदि अवगत? हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा तथा नगरपालिका परिषदों में निर्वाचित महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति क्या है? वर्तमान समय में झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों का राजनीतिक स्वरूप किस प्रकार का है? झांसी जनपद की नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से राजनीतिक सम्बन्ध, प्रशासकीय समबन्ध, वित्तीय सम्बन्ध कैसे हैं?

अध्ययन के उद्देश्य –

1. नगरपालिका परिषदों का संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है।

हुई और तब शोधार्थी ने नगरीय संस्थाओं के संगठन एवं कार्य प्रणाली पर 74वें संविधान संशोधन द्वारा हुये प्रभावों का अध्ययन करने का निश्चय किया। सम्भवतः नगरपालिकापरिषदों पर पहले भी अध्ययन हुआ हो लेकिन 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान सन्दर्भ में अभी तक इस प्रकार अध्ययन नहीं हुआ है। शोधार्थी ने इस प्रकार का अध्ययन उत्तर प्रदेश में न होने के कारण इस कार्य को शोध प्रबन्ध के माध्यम से करने का प्रयत्न किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उत्तर प्रदेश की नगरीय संस्थाओं में हुये 74वें संविधान संशोधन के पश्चात इन निकायों के संगठन एवं कार्यप्रणाली में हुये सकारात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करने प्रयास किया गया है। लेकिन सम्पूर्ण राज्य का गहन अध्ययन एक व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं था, और न ही शोधार्थी के पास इतना समय एवं साधन थे कि इस प्रकार का अध्ययन कर सके। इसलिये शोधार्थी उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जनपद के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, झांसी (वर्तमान समय में झांसी नगरपालिका परिषद का स्वरूप नगर निगम में परिवर्तित हो गया है) मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद, बरूआसागर नगरपालिकापरिषद एवं गुरसरांय नगरपालिका परिषद आदि को समस्या से सम्बन्धित क्षेत्र निर्धारित किया है।

इस विषय के माध्यम में झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिका परिषद का संगठनात्मक एवं कार्यात्मक चित्र तो प्रस्तुत करना ही है। इसके साथ यह भी देखना है कि संविधान में नगरीय संस्थाओं के सम्बन्ध में हुये 74वें संशोधन के परिवर्तनों का इन सभी नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली और पार्षदों पर क्या प्रभाव हुआ है।

अतः आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहली बार स्थानीय शासन स्तर पर नगरीय संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार से झांसी जनपद की क्या महिलायें अवगत हैं, यदि अवगत? हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा तथा नगरपालिका परिषदों में निर्वाचित महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति क्या है? वर्तमान समय में झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों का राजनीतिक स्वरूप किस प्रकार का है? झांसी जनपद की नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से राजनीतिक सम्बन्ध, प्रशासकीय समबन्ध, वित्तीय सम्बन्ध कैसे हैं?

अध्ययन के उद्देश्य –

1. नगरपालिका परिषदों का संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है।

2. नगरपालिका परिषदों पर 74वें संशोधन के बाद हुये परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है।
3. झांसी नगरपालिका परिषद् तथा मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद के प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है।
4. इन संवैधानिक परिवर्तनों के बाद नगरों में जनआकाक्षाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में अध्ययन करना है।
5. नगरपालिका परिषदों में जनता की पूर्ण भागीदारिता का अध्ययन करना है।
6. 74वें संशोधन के पश्चात् नगरपालिका परिषदों की परिवर्तित वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना है।
7. नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली में शासकीय, प्रशासकीय एवं राजनीतिक हस्तक्षेप का अध्ययन करना है।
8. नगरपालिका परिषदों में आरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् महिलाओं की भूमिका, तथा स्थिति का अध्ययन करना है।
9. नगरपालिका परिषदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमिका तथा स्थिति का अध्ययन करना है।
10. नगरपालिका परिषदों के प्रशासन क्षेत्र को 74 वे संशोधन के अनुसार कार्यशील बनाने हेतु सुझाव देना है।

परिकल्पना –

1. नगरपालिका परिषदों में आरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी के कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
2. 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नगरपालिका परिषदों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।
3. नगरपालिका परिषदों में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जनजातियों की भागीदारिता बढ़ गई है।

शोध प्रविधि, पद्धति एवं उपकरण –

इस शोध विषय के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक वैज्ञानिक, तुलनात्मक, अनुभवात्मक एवं परीक्षणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। इस विषय के अध्ययन के लिए मैंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुये सभी नगरपालिका परिषदों के अभिलेखों एवं स्थानीय शासन की पुस्तकों आदि से तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। व्यवहारिक पद्धति के अन्तर्गत नगरपालिका परिषदों के अधिशासों अधिकारों निर्वाचित

पार्षदों तथा तुलनात्मक पद्धति में 74वें संविधान संशोधन से पूर्व तथा इस संशोधन से पश्चात् नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन किया गया है। इस शोध प्रबन्ध का आधार पूर्णतः वैज्ञानिक एवं परीक्षणात्मक पद्धति पर आधारित है। यह अनुसंधान कार्य प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों पर आधारित है।

किसी भी विषय के अनुसंधान के लिए कुछ उपकरणों एवं प्रविधियों की आवश्यकता होती है इसीलिए इस शोध प्रबन्ध विषय के अध्ययन में सूचनाओं के संग्रह एवं विश्लेषण के लिए डायरी, कम्प्यूटर तथा नगरपालिका परिषदों के पार्षदों के साक्षात्कार के लिए अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है। 74वें संशोधन के पश्चात् झांसी नगरपालिकापरिषद व मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के संगठन तथा कार्यप्रणाली और परिषद् के सम्बन्ध में पार्षदों के विचारों का अध्ययन करने के लिए सभी बरूआसागर नगरपालिका परिषद् एवं गुरसरांय नगरपालिका परिषद् नगरपालिका परिषदों के प्रत्येक पार्षद को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। तथा सभी निर्वाचित सदस्यों का साक्षात्कार लेने के लिए 23 प्रश्नों की साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई है।

साक्षात्कार के दौरान शोधार्थी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे नगरपालिका पार्षदों को यह विश्वास दिलाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा है कि वह सरकार के द्वारा भेजी गई कोई गुप्तचर नहीं है, बल्कि इस कार्य का उद्देश्य पूर्ण शैक्षणिक ही है। एक अन्य कठिनाई महिलाओं के साथ साक्षात्कार के लिए उन्हें राजी करने में आई क्योंकि इस क्षेत्र की महिलायें आज भी रूढ़िवादी, अशिक्षित, पुराने रीतिरिवाजों पर विश्वास करने के कारण बातचीत करने में संकोच करती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति सामने आयी कि साक्षात्कार के दौरान महिला सदस्यों के परिवार जन न केवल वहीं उपस्थित रहे बल्कि उनके उत्तरों में परिवर्तन करने का प्रयत्न करते रहे फिर भी शोधार्थी ने विभिन्न तरीकों से सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जिसमें वे काफी हद तक सफल रही है।

अध्याय

द्वितीय

उत्तर प्रदेश में नगरपालिका परिषदों का संगठन

भारत के संविधान में किए गए 74 वें संशोधन के माध्यम से अब देश में त्रिस्तरीय नगरीय निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे नगर निकायों से सम्बन्धित अधिनियम में इस आशय का प्रावधान व आवश्यक संशोधन कर लें जिससे सम्पूर्ण देश में नगर निकायों के गठन में एकरूपता स्थापित की जा सके। इस संशोधन के बावजूद स्थानीय प्रशासन के विषय को संविधान में राज्य सूची में पांचवी प्रविष्टि के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसीलिए भारत संघ के प्रत्येक राज्य की सरकार कानून के माध्यम से स्थानीय शासन की इकाइयों का गठन करती है। नगरीय निकायों की रचना राज्य सरकार की इच्छा से होती है और यह इच्छा राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित विधि के रूप में व्यक्त होती है।

भारत में ब्रिटिश काल से ही नगरपालिका परिषद स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई रही हैं। यह नगरीय प्रशासन की सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय इकाई है देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां नगरीय प्रशासन का यह निकाय नहीं पाया जाता हो। इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही देश में नगरपालिकाओं की रचना से सम्बन्धित अधिनियम पारित किए जाने लगे थे जिनमें सर्वप्रथम बंगाल में 1860 में नगरपालिकाओं के गठन के विषय में प्रावधान किया गया था। इसके पश्चात् बम्बई जिला नगरपालिका अधिनियम 1901 और इसके पश्चात पंजाब में 1911, उत्तरप्रदेश 1916, मद्रास 1920, बिहार एवं उड़ीसा 1922, बंगाल 1932 प्रमुख है। इसके पश्चात् भारत के प्रायः सभी राज्यों में नगरपालिका अधिनियमों के माध्यम से नगरीय निकायों की इस इकाई का गठन किया गया।

74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में भी तीन नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है उनमें नगर निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगरपंचायत हैं। इस संशोधन के अनुसरण में 1994 में संशोधित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में जिन तीन नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है उनमें नगर परिषद् और नगरपालिका बोर्ड दो पृथक कोटि की संस्थाऐं अभिकल्पित की गई हैं। किन्तु यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है। कि नगरपरिषद एवं नगरपालिका बोर्ड की संगठनात्मक संरचना या उनके कार्यो में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है। राजस्थान में नगर परिषद नगरपालिका का ही प्रथम श्रेणी का प्रारूप है जिसका गठन 1 लाख से अधिक 5 लाख से कम की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसके विपरीत नगरपालिका बोर्ड जिन नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं वे जनसंख्या की दृष्टि से उससे लघुतर या छोटे क्षेत्र होते हैं।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में नगरपालिका परिषद और नगरपंचायत के संगठन एवं कार्यो में कोई खास अन्तर नहीं है। जैसा कि राजस्थान में नगरपरिषद नगरपालिका का ही प्रथम श्रेणी का प्रारूप है वैसे ही नगरपालिका परिषद। नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत में सिर्फ नगरीय आकार का अन्तर है। इस अन्तर के बिन्दु के अतिरिक्त नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत में संरचना या कार्यो से सम्बन्धित कोई आधारभूत अन्तर नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में नगरपालिका परिषदों के संगठन के स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिये स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् के संगठन को समझना आवश्यक है।

नगरपालिका परिषदों के संगठन का स्वरूप –

भारत में नगरीय स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना से सम्बन्धित इस अध्याय को समझने के लिये इसे सतर्कतापूर्वक दो भागों में बांट कर देखने की आवश्यकता है। प्रथम भाग में स्वतन्त्रता से पूर्व नगरीय निकायों का गठन तथा द्वितीय भाग में स्वतन्त्रता के पश्चात् अपनाई गई संरचना का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वतंत्रता से पूर्व –

नगरीय निकायों का आरम्भ व्यवस्थित ढंग से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने किया था। स्थानीय कार्य करने और सेवाऐं प्रदान करने का कार्य नगरपालिकाओं को सौंपा गया, किन्तु पर्याप्त शक्तियों और साधनों के अभाव के कारण तथा सरकार के बड़े नियन्त्रण की वजह से ये संस्थाऐं विकसित नहीं हो सकीं। भारत में नगरपालिका प्रशासन का आरम्भ 1687 में हुआ। भारत में नगरपालिका शासन के बारे में लार्डरिपन का महत्वपूर्ण योदान रहा है। लार्ड रिपन की सभी सिफारिसों को विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा स्वीकृत किया गया तथा इनकों कार्य रूप देने हेतु नगरपालिका द्वारा कानून पारित किए गए। लार्ड रिपन का एक और विचार था कि जहां तक संभव हो नगरपालिका का अध यक्ष गैर सरकारी लोगों में से ही चुना जाए, जिलाधीश को इसका अध्यक्ष न बनाय जाये। नगरपालिकाओं के चुनाव में निर्वाचन का सिद्धान्त लागू तो किया गया पर मताधिकार कुछ ही लोगों को दिया गया। इन संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय स्वतंत्रता भी प्रदान नहीं की गई।

इस काल में नगरपालिकाओं के विकास में दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1909 में रॉयल कमीशन की नियुक्त थी। आयोग का यह निष्कर्ष था कि नगरपालिकाओं का शासन सफल नहीं हो पा रहा था। इस असफलता का कारण निर्वाचन का अभाव, वित्तीय स्वायत्त्रता की कमी तथा इन संस्थाओं के कर्मचारियों पर नियंत्रण का शैथिल्य था। इस आयोग ने नगरीय संस्थाओं को सशक्त बनाने के

लिए अपने कुछ सुझाव दिय। नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की स्थापना की जानी चाहिए। नगरपालिकाओं के अधिकतर सदस्यें का निर्वाचन होना चाहिए और निर्वाचित सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए बजट का निर्माण और करारोपण की शक्तियां दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का पृथक निर्वाचन न होकर, उनके मनोनयन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

1935 के भारत सरकार के अधिनियम के पारित होने के पश्चात् प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना हुई और देश में स्वतंत्रता की दिशा में एक शक्तिशाली पहल हुई जिसका स्थानीय निकायों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नगरीय संस्थाएं अब केवल प्रायोगिक संस्थाएं नहीं रहीं अपितु उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयां बनाने की दिशा में प्रयत्न आरम्भ हुआ। इस दिशा में अनुसंधान किया गया कि स्थानीय शासन की ये नगरीय संस्थाएं अकुशल क्यों है? सभी प्रान्तों में इन नगरीय संस्थाओं के अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए मताधिकार की आयु सीमा को घटाया गया और इन संस्थांओं में सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या को भी कम किया गया। नगरपालिकाओं के विचार विमर्शकारी और कार्यकारी निकायों को पृथक पृथक किया गया। मध्य प्रदेश, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं की समस्याओं पर विचार करने तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समितियों नियुक्त की गई। बम्बई, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में जो समितियां इन संस्थाओं की समीक्षा के लिए नियुक्त की गई थीं उनके प्रतिवेदन यद्यपि स्वतंत्रता के पूर्व ही प्राप्त हो गए थे। किन्तु उनकी अनुसंशाओं पर स्वतंत्रता के पश्चात ही ध्यान दिया जा सका।

स्वतंत्रता के पश्चात् –

1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 को भारत का नया संविधान प्रवर्तित हुआ। इस संविधान के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। संविधान ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में अब तक महत्वपूर्ण रही नगरीय संस्थाओं की उपेक्षा कर ग्रामीण संस्थाओं को अधिक महत्व प्रदान किया। संविधान निर्माता इस तथ्य से भलीभांति अवगत थे कि चूंकि देश की 80 प्रतिशत जनता गांवो में निवास करती है इसलिए ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के बारे में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में विशेष चर्चा की गई है। संविधान में नगरीय निकायों के सम्बन्ध में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। नगरीय शासन के क्षेत्र में महानगरों में जहां नगरीय और छोटे नगरों में प्रायः नगरपालिकाऐं जैसी संस्थाऐं पूर्व की भांति निरन्तर क्रियाशील रहीं।

स्वतंत्रता के प्रथम दशक में नगरीय स्थानीय शासन की संस्थाओं को एकप्रकार से

पृष्ठभूमि में डाल दिया किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि नवीन भारत के निर्माण में नगरीय संस्थाओं का योगदान कम है। स्वतंत्रता के प्रथम दशक में ही भारत में औद्योगीकरण का जो वातावरण बना उसने नगरीकरण को बढ़ावा दिया जिससे न केवल नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी अपितु नगरों में आवास, सफाई और अन्य प्रकार की समस्याऐं उत्पन्न हो गई। नगरीकरण की इस प्रवृत्ति ने 1961 के दशक में नगरीय संस्थाओं को एक नया महत्व प्रदान किया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरीय संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे नगरों में स्वायत्त शासन की संस्थाओं को विकसित करने के लिए अपेक्षित साधन एकत्रित करने में न केवल आवश्यक सहायता करेंगी अपितु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगी।

स्वतंत्रता के पश्चात् स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई थी कि राष्ट्रीय प्रशासकीय व्यवस्था का एक नियमित अंग बनकर वे प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम बनेंगी और कुशल कार्यकरण के द्वारा वे जनता की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी। किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् उत्पन्न यह आशा पूर्णतः फलीभूत न हो सकी। स्वायत्त शासन की ये संस्थाऐं चूंकि संविधान की रचना नहीं थी इसलिए राज्य सरकार न तो इनके सामयिक चुनाव के प्रति सचेष्ट रही और न ही इनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इन्हें पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध करा सकी। दोनों ही प्रकार की सस्थाऐं प्रजातांत्रिक पद्धति से काम करने की आशा पूरी नहीं कर सकी और राजनीतिक दलबन्दी में फंसकर रह गई। राजनीतिक दलबन्दी का परिणाम यह हुआ कि निर्वाचित संस्थाओं को समय-असमय निलम्बित कर उन पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता था।

स्वतंत्र भारत में स्थानीय संस्थाओं के विकास के 1992 तक के काल में इन संस्थाओं के कार्यकरण में अनेक कमियों और न्यूनताओं का अनुभव किया गया। इनमें प्रमुखतः इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का अभाव, इनके अनियमित चुनाव, दीर्घकाल तक इन संस्थाओं के अधिक्रमित अर्थात् राज्य सरकारों द्वारा अकारण इन्हें भंग रखे जाने, इनकी दयनीय आर्थिक दशा, इन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों का अभाव, इन संस्थाओं के चुनावों के आयोजन के लिए प्रभावी संरचना के अभाव तथा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आदि ऐसी प्रमुख स्थितियां थीं जिनके निराकरण की मांग विभिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न मंचो से निरन्तर उठती रही थी।

सम्पूर्ण देश में चिन्तन के स्तर पर निरन्तर यह अनुभव किया जा रहा था कि स्थानीय संस्थाऐं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सच्ची वाहक नहीं बन सकी हैं। यह भी अनुभव किया गया कि इस स्थिति का प्रमुख कारण इन संस्थाओं के साथ राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा मनमाना व्यवहार ही उत्तरदायी हैं। इन संस्थाओं के कार्यकरण में उपर्युक्त इंगित इन्हीं न्यूनताओं के परिष्कार के लिए भारत सरकार ने संविधान में दो व्यापक संशोधन किए जिन्हें क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, और नगरीय संस्थाओं के लिए 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्थानीय संस्थाओं के विकास की दृष्टि से उठाए गए उपर्युक्त दोनों कदम मील के पत्थर माने जाते हैं।

संविधान का 74 वां संशोधन एवं संगठनात्मक परिवर्तन –

भारत के प्रत्येक राज्यों में स्थानीय संस्थाऐं दो प्रकार की होती है – ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए जैसा प्रयास 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है उसी प्रकार का प्रयास नगरीय संस्थाओं के सम्बन्ध में 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून , 1993 से प्रवर्तित 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अ ''द म्यूनिसिपलिटीज'' शीर्षक से नया जोड़ा गया है।[1]

भारत में नगरीय स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं की संगठनात्मक परिवर्तन से संबंधित इस अध्याय को सतर्कतापूर्वक दो भागों में बांट कर देखने की आवश्यकता है। प्रथम भाग में भारतकी स्वतंत्रता से लेकर 1992-93 तक प्रवर्तित संस्थाओं का परिचय प्रस्तुत किया जा सकता है वहीं इसके दूसरे भाग में 1992-93 में संविधान में दिए हुए 74 वें संशोधन के पश्चात् अपनाई गई संरचना का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अध्याय को निम्नांकित प्रकार से दो भागों में बांटकर सामग्री का संयोजन किया गया है :-

1. 74वें संविधान संशोधन से पूर्व की संरचना, और
2. 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् की संरचना।

1. 74 वें संविधान संशोधन से पूर्व की संरचना –

देश में 1950 में संविधान के प्रवर्तन के पश्चात् नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में सामान्यतः निम्न छः प्रकार की संस्थाऐं कार्यशील थी।

1. नगरनिगम

2. नगर परिषद / नगरपालिका

3. कस्बा क्षेत्र समिति

4. अधिसूचित क्षेत्र समिति

5. छावनी मंडल

6. एकल उद्देश्यीय अभिकरण

इस काल खंड में सम्पूर्ण देश में विभिन्न राज्यों ने न्यूनाधिक उपर्युक्त संरचना को ही यत्किंचित संशोधनों या परिवर्तनों के साथ अपनाया हुआ था। देश के सभी बड़े नगरों में नगरीय स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई के रूप में नगर निगम है। इसका सर्वोच्च होने का अभिप्राय यह है कि इसकी रचना महानगरों में की जाती थी और नगरीय स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में इससे अधिक शक्तिशाली और अधिकार प्राप्त कोई अन्य नहीं था। इससे छोटे नगरों में नगरपरिषद या नगरपालिका का गठन किया जाता था।

कस्बा क्षेत्र समिति ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरीकरण की प्रक्रिया में होते थे किन्तु न तो पूरी तरह ग्राम रह पाते और न ही वे पूरी तरह शहर बन पाते, ऐसे संक्रमण कालीन क्षेत्रों के लिए इस काल खंड में कस्बा क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता था। नगरीय प्रशासन की एक और विशेष संरचना को अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता था। कुछ राज्यों में उन क्षेत्रों में जहां राज्य सरकार यह अनुभव करती थी कि उनमें नगरपालिकाऐं स्थापित नहीं की जा सकती, वहां अधिसूचित क्षेत्र समिति स्थापित कर देती थीं।

देश में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ छावनी में सेना रहती रही है उस स्थान के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के लिए भारतीय छावनी मण्डल अधिनियम 1924 के अन्तर्गत छावनी मण्डल का गठन किया जाता रहा है। इसी प्रकार स्थानीय प्रशासन की एक और इकाई इस कालखंड में कार्यरत थी जिसे एकल उद्देश्यीय अभिकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 74वें संविधान संशोधन के प्रर्वतन के पूर्व के कालखंड में देश में नगरीय स्थानीय प्रशासन की जो इकाइयां कार्यशील थीं उनका संक्षिप्त परिचय उपर्युक्त में संयोजित गया है।

2. 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् की संरचना –

इस संविधान संशोधन के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन देश भर में त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है।

1. नगरनिगम –

यह निगम वृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाऐंगे जिनकी संख्या कम से कम 5 लाख से अधिक हों। नगर निगम की विधि सम्मत स्थापना के लिये प्रायः यह देखा जाता है कि वह घना बसा हुआ है, उसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है, वर्तमान नगरीय निकाय की वार्षिक वित्तीय आय लगभग एक करोड़ रूपये है, बढ़े हुये करों को वहन करने की जनता में क्षमता है तथा निगम के पक्ष में उस क्षेत्र में प्रबल लोकमत है।

2. नगरपालिका परिषद –

नगरीय प्रशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई को नगरपालिका परिषद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि के अन्तर्गत की जाती है। नगरपालिका परिषदों की स्थापना वृहत्तर नगरों एवं कस्बों में की जाती है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक किन्तु 5 लाख से कम हो। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें नगरपालिका परिषद न पाई जाती हो। नगरपालिका परिषद के निर्माण का निर्णय करते समय भी राज्य सरकार नगर के आकार, नगरीकरण की स्थिति और जनसंख्या के घनत्व आदि ध्यान में रखती है। प्रायः प्रत्येक राज्य सरकार नगरपालिका परिषदों की स्थापना के लिए आदर्श और आधारभूत कानून बनाती है जिसके अन्तर्गत राज्य में नगर परिषदों की स्थापना, जब भी आवश्यक हो राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

3. नगरपंचायत–

यह नगर पंचायतें ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाऐंगी जिनकी संख्या 1 लाख से कम हो। नगरपालिका परिषद की भांति नगरपंचायत भी विधिक दृष्टि से वैधानिक निकाय होती है। इन दोनो निकायों में सिर्फ नगर के आकार एवं जनसंख्या घनत्व का अन्तर होता है।

इस प्रावधान के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को उपर्युक्त प्रकार के निकाय के गठन से मुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया, छोटे नगर और बड़े नगर की परिभाषा व उसमें जनसंख्या, घनत्व व आय इत्यादि के विषय में स्पष्टीकरण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

इस संविधान संशोधन में ही सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि इसके प्रवर्तन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर वे अपने राज्यों में नगर निकायों से सम्बन्धित अधिनियम में, इस संविधान संशोधन के प्रावधानों को समायोजित करते हुए, आवश्यक संशोधन करेंगे। भारतीय संघ के प्रायः सभी राज्यों ने इस निर्देश का अनुसरण करते हुए या तो अपने पूर्ववर्ती अधिनियमों

का निरसन करते हुए नए विधान निर्माण कर लिया या अपने पूर्ववर्ती विधान में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना और विशेषताओं को उसमें सम्मिलित कर लिया।

नगरपालिका परिषदों के संगठन का विधिक आधार –

उत्तर प्रदेश में नगरपालिका परिषदों का संगठन सामान्यतः एक जैसा है। नगरपालिका परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नगर की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धार 9 के अनुसार नगरपालिका परिषद में एक अध्यक्ष एंव निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से कम और 55 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि राज्य सरकार के सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट किया गया है। नगरपालिका परिषद क्षेत्र से चुने गये लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य नगरपालिका परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नगरपालिका परिषद प्रशासन में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सदस्य मनोनीत किय जाते हैं। जिनकी संख्या तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए। मनोनीत सदस्यों और पदेन सदस्यों पर प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। अतः निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ती से नगरपालिका परिषद के गठन या पुनर्गठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।[1]

स्थानों का आरक्षण –

प्रत्येक नगरपालिका परिषद में स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस नगरपालिका परिषद में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी जैसी कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा क्रम में जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, आबंटित किये जा सकेंगे।

प्रत्येक नगरपालिका में, सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का सत्ताईस प्रतिशत पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किया जायेगा और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम में ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों या पिछड़े वर्गो की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा, ऐसे क्रम में जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे। राज्य में नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और स्त्रियों के लिये ऐसी रीति में आरक्षित किये जायेंगे।[1]

कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधान –

संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगरपालिका परिषदों का कार्यकाल उनकी पहली मीटिंग की तिथि से, यदि वे निर्धारित समय से पूर्व भंग नहीं कर दी जाती हैं, तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और इससे अधिक नहीं। नगरपालिका परिषद के चुनाव उनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्पन्न कराए जायेंगे और यदि किसी नगर निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराए जाने होंगे। नगरपालिका परिषद के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर गठित नगरपालिका केवल उस शेष अवधि के लिये बनी रहेगी, जिसके लिए इस प्रकार विघटित नगरपालिका उपधारा (1) के अधीन उस दशा में बनी रहती है यदि उसे विघटित न किया गया होता[1]।

कक्षों/वार्डो का परिसीमन –

नगरपालिका परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जिन्हें कक्ष कहा जायेगा, ऐसी रीति में विभाजित किया जायेगा, कि जहां तक सम्भव हो सके, प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक समान हो। नगरपालिका परिषद में प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गो और स्त्रियों के लिए कक्षों में स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

सदस्यों का निर्वाचन –

नगरपालिका परिषद के सदस्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा। कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्ष की निर्वाचक नामावली में, या एक ही कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा। कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उनका नाम किसी नगर,

अन्य नगरपालिका क्षेत्र से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।[1]

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन –

नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता हैं वह नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जायें, या नगरपालिका सदस्य होते हुये किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जायें तो वह धारा 49 में उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जाएगा। वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित नगरपालिका परिषद् के सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष का परिषद् के लिए निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन करती हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति में उसके सभी अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।[1]

अध्यक्ष पद के लिये अर्हतायें –

कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष चुने जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि वह –

1. सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में किसी कक्ष का निर्वाचक न हो,
2. अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किये जाने के लिये उम्मीदवार के रूप में अपने नाम निर्देशन के दिनांक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।
3. वह व्यक्ति राज्य या स्थानीय संस्था की नौकरी में न हो अथवा कदाचार के आरोप में नौकरी से निकाला न गया हो।
4. वह फौजदारी अदालदत से एक वर्ष से अधिक सजा पाया न हो।

गोपनीयता की शपथ एवं अवधि एवं पदच्युति –

नगरपालिका परिषद के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र जिला मजिस्ट्रेट धारा 43 के अधीन विहित रीति से शपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने के लिए नगरपालिका परिषद की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जायेगी। नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहंण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में संविधान के प्रति अपनी राज्य निष्ठा की शपथ लेगा एवं प्रतिज्ञान करेगा और पर हस्ताक्षर करेगा।[1]

संविधान संशोधन के पश्चात् नगरपालिका परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 47 के अनुसार यदि नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष, पदत्याग करना चाहे तो वह अपना लिखित त्याग पत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को भेज सकता हैं । नगरपापलिका परिषद द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, ऐसे अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया।[1] अधिनियम की धारा 48 के अधीन जहां राज्य सरकार को किसी भी समय, यह विश्वास करने का कारण हो कि अध्यक्ष ने अपना कर्तव्य पालन करने में चूक की है तो अध्यक्ष को पद से हटा सकती है।[1] अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति में उसके सभी अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

अधिशासी अधिकारी –

नगरपालिका परिषदों में परिषद् द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी को अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। अधिशाषी अधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नगरपालिका परिषद का मुख्य अधिशाषी अधिकारी पालिका के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, किन्तु उसके निर्णय के विरूद्ध स्थायी समिति में अपील की जा सकती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति उसके द्वारा अध्यक्ष के साथ परामर्श के पश्चात् की जा सकती हैं अपने इन समस्त प्रशासनिक अधिकारों के उपयोग की प्रक्रिया में नगरपालिका अध्यक्ष उसे निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है।

वार्ड समितियाँ –

नगरपालिका परिषद में भी कार्य सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है। सांविधिक समितियों के गठन, शक्तियों तथा कार्यो सम्बन्धी विस्तृत विवरण सम्बन्धित नगरपालिका अधिनियम में ही दिया जाता है, जबकि गैर सांविधिक समितियों की नियुक्ति नगरपालिकाऐं अपनी आवश्यकतानुसार स्वविवेक से कर सकती हैं। सभी समितियों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं और अपने कार्य निष्पादन के लिए परिषद के नियंत्रण में रहते हुये उसके प्रति उत्तरदायी रहती हैं। समितियां अपने कार्य निष्पादन के प्रतिवेदन परिषद को प्रस्तुत करती हैं। नगरपालिका को यह पूर्ण अधिकार होता है कि समितियों के प्रतिवेदन को वह चाहे तो यथारूप स्वीकार कर ले और यदि उचित समझे तो उसकी अभिशंसाओं में परिवर्तन कर दें। प्रत्येक नगरपालिका परिषद में निम्नलिखित समितियां होती हैं।

1. वित्त समिति
2. स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति
3. भवन और संकर्म समिति
4. नियम–उपनियम उपसमिति तथा
5. लोकवाहन समिति
6. पुस्तकालय समिति

नगरपालिका परिषदों के संगठन का आलोचनात्मक परीक्षण एवं संगठनात्मक सुधार के सुझाव–

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस संशोधन से पूर्व नगरपालिकाओं में स्त्री–पुरूष के प्रतिनिधित्व के अनुपात में काफी अन्तर था। तथा नगरीय संस्थाओं महिलाओं की भागीदारी न के समान थी परन्तु संशोधन द्वारा महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन 74वें संशोधन के पश्चात् नगरपालिका परिषदों में महिलाओं की सक्रियता एवं भागीदारी जिस तरह होनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। इसका प्रमुख कारण है कि अधिकांश महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों की जानकारी ही नही है। जो महिलायें नगरपालिका परिषद के प्रतिनिधित्व कर रही है उनमें से अधिकांश महिलाओं ने परिवार वालों या पति द्वारा विवश करने पर चुनाव में भाग लिया है।

निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की प्रशासनिक अनुभव शून्यता उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकांश नगरपालिका परिषदों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि यथा अध्यक्ष तथा महिला/पुरूष पार्षद गणें से नगरपालिका परिषद की मौलिक सेवाओं तथा उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में चर्चा करने पर यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधिकांश जन प्रतिनिधि अल्पशिक्षित हैं तथा उन्हें नगरपालिका परिषद की उपविधियों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी ही नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में चालाक व भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी उन्हें भ्रमित करते रहते हैं तथा जनसामान्य के कार्यो के निस्तारण में बाधायें खड़ी करते हैं। यह पाया गया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अनुभव व नियमों के अभाव में अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में सफलता पूर्वक प्रशासन नहीं चला पाये तथा जनता की अपेक्षाओं का समाधान नहीं कर सके। परिणामस्वरूप अगल निर्वाचन में मतदाताओं द्वारा उन्हें नाकारा व भ्रष्ट समझकर पराजित कर दिया गया।

आज यह देश वैज्ञानिकता एवं आधुनिकता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका हैं लेकिन अधिकांश नगरपालिका क्षेत्र आज भी पिछड़े हुये हैं। इसका मुख्य कारण महिलाओं का आर्थिक आधार पर पुरूषों पर आश्रित रहना अभी भी इनके लिये अभिशाप बना हुआ है। उनको आज भी द्वितीय स्तर का लिंग समझा जाता है। तभी ये महिलायें न तो अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग कर पाती हैं तथा न राजनीति में सक्रियता से भाग ले पाती हैं इस आरक्षण से महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में लाभ अवश्य मिल रहा है लेकिन गति अभी भी धीमी है।

उपर्युक्त स्थिति में राज्य शासन द्वारा सुधार होना आवश्यक है।

1. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन के पश्चात् गहन प्रशासनिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाये जाने की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए।
2. महिला प्रतिनिधि में राजनीतिक चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक प्रशिक्षण के साथ ही साथ राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, तब उनमें राजनीतिक जागरूकता लायीं जा सकती है।
3. जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में अपराधी तत्वों का प्रवेश रोकने के उपाय होना चाहिए।
4. जब आज के युग में महिला और पुरूष को समान कहा जा रहा है तो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की जगह 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। समाज में प्रगति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में शासन एवं प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए।

सन्दर्भ - सूची

1. भारत सरकार का 74 वों संविधान संशोधन अधिनियम (इस अधिनियम का प्रवर्तन 1 जून, 1993 से भारत के असाधारण राजपत्र खंड 3, उपखंड 11 प्रकाशन के साथ हुआ)
2. भारत का संविधान, 74वां संशोधन अधिनियम, 1992 अनुच्छेद 243, क्यू (1) ।
3. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, 1994, धारा 9 पृष्ठ 12।
4. उपर्युक्त धारा 9 (क) पृष्ठ 13 ।
5. उपर्युक्त धारा 10 (क) पृष्ठ 14 ।
6. उपर्युक्त धारा 11 (क) पृष्ठ 14 ।
7. उपर्युक्त धारा 12 (क) पृष्ठ 15 ।
8. उपर्युक्त धारा 43 पृष्ठ 35 ।
9. यू0बी0 सिंह, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, लखनऊ 1995, धारा 43।
10. उपर्युक्त धारा 47 ।
11. उपर्युक्त धारा 48 ।

अध्याय
तृतीय

उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली

नगरपलिका परिषदों द्वारा निष्पादित कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति व सत्ता के सन्दर्भ में इसं संशोधन में यह कहा गया है कि राज्य विधान मंडल कानून बना कर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून के माध्यम से इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण व संविधान की 12वीं अनुसूची में निर्धारित मामलों व कार्यों को निष्पादित करने के लिए दायित्व का आरोपण कर सकेंगे।

संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए विनियमन करने का दायित्व मंडलों को सौंपा गया है। राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर नगरपालिका परिषद द्वारा आरोपित किये जाने वाले करों तथा राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान कर सकेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधान मंडलों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वे अधिनियम बनाकर नगरपालिकाओं द्वारा अपने आय व्यय के रखे जाने वाले लेखा और उनके अंकेक्षण के लिए प्रावधान कर सकेंगे। साथ ही यह व्यवस्था करता है कि राज्य में समस्त नगरपालिकाओं के लिये मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के आयोजन से सम्बन्धित कार्यो का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत गठित निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

नगरपालिका परिषदों का कार्यक्षेत्र –

नगरपालिका परिषदों की शक्तियां प्रदान करने की दो प्रणालियों प्रचलित हैं–

1. सामान्य शक्ति प्रदायिनी प्रणाली –

इस प्रणाली के अन्तर्गत नगरपालिका परिषदों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे ऐसा कोई भी कार्य कर सकती हैं जिसे वे अपने निवासियों के लिए आवश्यक और हितकारी समझें। यद्यपि ऐसा करते समय उन पर मर्यादा लगाई जाती है कि वे ऐसा काम न करें जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता हो। इस प्रणाली में नगरपालिकाओं को पहल करने का एक व्यापक क्षेत्राधिकार मिलता है।

2. विशिष्ट अधिकार दान प्रणाली –

इस प्रणाली के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को कुछ विशेष कार्य सम्पन्न करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। नगरपालिकाएं केवल निर्दिष्ट कार्यो को करने के लिए ही सक्षम होती है। ब्रिटेन में यही प्रणाली प्रचलित है और भारतवर्ष में भी ब्रिटिश काल में स्थापित नगर पालिकाओं को इसी प्रणाली द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्र भारत में भी इसी प्रणाली को जारी रखा गया है।

इस प्रणाली में नगरपालिकाऐं केवल उन्हीं कार्यो को करती हैं जो अधिनियम द्वारा उन्हें दिये

जाते हैं। अधिनियम में उन कार्यो को करने के लिए यदि किसी प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है तो नगरपालिकाऐं उस प्रक्रिया को अपनाती है। नगरपालिकाऐं यदि अधिनियम के प्रावधानों, निर्देशों या प्रक्रिया की अवहेलना करती हैं तो उसके कार्यो को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नगरपालिकाओं के अधिकारों की इन दोनों प्रणालियों में नगरपालिकाओं का कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और कार्य प्रक्रिया निश्चित होती है और नगरपालिकाओं को राज्य सरकार के निर्देशों के लिए परमुखापेक्षी नहीं रहना पड़ता । इस तरह अधिनियम के प्रावधानों की निर्दिष्ट परिसीमा में इस प्रणाली के अधीन नगरपालिकाऐं, स्वायत्तता का सही उपयोग करती है। नगरपालिकाओं की शक्तियों अथवा कार्यक्षेत्र को निम्नांकित शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है।

1. विधायी शक्तियां/कार्य –

नगरपालिका परिषदों को सम्बन्धित अधिनियम की सीमाओं में रहते हुये नियम और उपनियनियम बनाने का अधिकार होता है। प्रत्येक नगरपालिका को अपने कार्य संचालन के विषय में तथा अपनी शक्तियों और दायित्वों को समितियों को प्रत्यायोजित करने के विषय में आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां होती हैं। नगरपालिकाऐं अपने कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए भी आवश्यक नियम बना सकती है। नगरपालिका परिषद में नियुक्त किए जाने वाले किसी कर्मचारी से यदि प्रतिभूति अथवा जमानत की राशि लेना आवश्यक हो तो इस हेतु समस्त निश्चय नियमबद्ध करने का अधिकार नगरपालिका परिषद को होता है।

प्रत्येक नगरपालिका परिषद अपने कर्मचारियों की नियुक्ति दंड, पदच्युति की रीति और शर्तो का निर्धारिण कर सकती है किन्तु ऐसा कोई भी आदेश राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। नगरपालिका परिषदों को यह शक्ति भी होती है कि राज्य सरकार की स्वीकृति से वे किसी कर को निलम्बित कर सकती हैं या उसे घटा सकती हैं। राजस्थान के अनिधियम में तो यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका परिषदें धारा 88 के अन्तर्गत जो भी नियम बनाएंगी वे तब तक प्रभावी नहीं होगे, जब तक कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।[1] नगरपालिकाऐं बाजारों, लोक स्थानों, वेध शालाओं एवं फल सब्जी के स्थानों के उपयोग के लिए किराया या अन्य प्रभार निश्चित करने के लिए उपविधियों का निर्माण कर सकती हैं। यह प्रावधान भी किया गया है कि पालिका द्वारा बनाए गए नियम और उपविधियों को लोक निरीक्षण के लिए कार्यकाल के दौरान नगरपालिका कार्यालय में उपस्थित रखा जाएगा और इनकी मुद्रित प्रतियां लागत मूल्य पर बिक्री के लिए उपलब्ध की जाएंगी।

2. कार्यकारी शक्तियां/कार्य –

नगरपालिका परिषद की कुछ प्रमुख कार्य कार्यकारी शक्तियां इस प्रकार हैं –

1. नगरपालिका परिषद में नियुक्ति, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार,

2. कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति
3. अनुबन्ध को स्वीकृति देने की शक्ति,
4. नगरपालिका के दैनन्दिन प्रशासन से सम्बन्धित निर्णय लेने की शक्ति,
5. नागरिकों के कुछ करने या न करने से सम्बन्धित आदेश देने की शक्ति,
6. नगरीय करों के एकत्रण की शक्ति,
7. नगर के विकास हेतु व्यय की शक्ति,
8. नगरीय अधिनियम और नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध अभियोग।

3. वित्तीय शक्तियां–

नगरपालिका परिषद् की प्रमुख वित्तीय शक्तियां इस प्रकार हैं –

1. कर लगाने की शक्ति,
2. फीस, दंड एवं कर एकत्रण की शक्ति,
3. नगरपालिका का बजट तैयार करने की शक्ति,
4. नगरपालिका परिषद के कार्यो पर व्यय करने की शक्ति।

उत्तर प्रदेश.अधिनियम धारा 128 के अनुसार राज्य सरकार के किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे जिन्हें नगरपालिका सम्पूर्ण नगरपालिका परिषद या उसके किसी भाग में अधिरोपित कर सकती है।

1. भवन या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर
2. व्यापार और आजीविका पर कर, जो नगरपालिका परिषद के भीतर की जाती हो और जिस नगरपालिका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो, या जिससे उस पर विशेष भार पड़ रहा हो
3. नगरपालिका परिषद के भीतर किराये पर चलाई या रक्खी जाने वाली गाड़ी या अन्य सवारी या उसमें बांधी जाने वाली नावों पर कर।[1]

4. निर्वाचकीय शक्तियां–

नगरपालिका परिषद कुछ चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती हैं।

1. नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष या सभापति का चुनाव,
2. नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष और उपसभापति का चुनाव
3. नगरपालिका परिषद् की सांविधिक समितियों के सदस्यों का चुनाव
4. नगरपालिका परिषद् की अन्य समितियों के सदस्यों का चुनाव

5. धारा 107 के अनुसार समिति का सभापति, नगरपालिका संकल्प द्वारा किसी समिति का सभापति नियुक्त कर सकता है।
6. नगरपालिका परिषद् द्वारा सभापति नियुक्त न करने की दशा में समिति अपने सदस्यों में से सभापति नियुक्त करेगी।[1]

नगरपालिका परिषदों के कार्यक्षेत्र में विस्तार व परिवर्तन –

प्रायः सभी राज्यों में नगरपालिका परिषद् की शासन प्रणाली की एक विशेषता यह है कि नगरपालिका कुछ अनिवार्य प्रकृति के और कुछ ऐच्छिक प्रकृति के कार्यों का निष्पादन करती है। नगरपालिकाओं से जिन कार्यों को सम्पन्न करने की आशा की जाती है, उनकी सूची बहुत लम्बी होती है और नगरपालिकाओं का एक अनिवार्य लक्षण यह भी दिखाई देता है, कि अपने विशाल अनिवार्य दायित्वों में से अनेक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह करने में असफल रहती है। भारत भर के नगरपालिका अधिनियमों में नगरपालिका के कार्यों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है:–

1. अनिवार्य कार्य
2. ऐच्छिक कार्य

1. प्राथमिक या अनिवार्य कार्य –

नगरपालिका परिषदों के प्रथम प्रकार के ये अनिवार्य दायित्व ऐसे हैं जिन्हें निष्पादित करना नगरपालिकाओं के लिए अनिवार्य दायित्वों की श्रेणी में रखा गया है। यदि नगरपालिकाएें अपने प्राथमिक दायित्व का निर्वाह न करें तो किसी भी प्रभावित नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह इन अनिवार्य कार्यों को करवाने के लिए नगरपालिका के विरूद्ध परमादेश याचिका किसी उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। कुछ राज्यों के अधिनियमों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार किसी अनिवार्य कार्य को करने से नगरपालिका परिषद को मुक्ति दे सकती है या किसी अनिवार्य कार्य को ऐच्छिक भी घोषित कर सकती है। यद्यपि ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को समुचित सूचना निर्धारित प्रक्रिया में जारी करना आवश्यक होता है। जब तक ऐसी अधिसूचना जारी न की जाए, सभी नगरीय कार्यों का निष्पादन नगरपालिकाओं के लिए आवश्यक समझा जाता है। नगरपालिका परिषदों द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य कार्यों को निम्नांकित सूची में व्यक्त किया गया है:–

1. भवन निर्माण के नियमों को लागू करना
2. नगरीय भूमि की अनाधिकृत अतिक्रमण से रक्षा करना,
3. मानव जीवन के लिए खतरनाक भवनों को गिराना
4. सड़क, बाजार, सार्वजनिक मार्गो का निर्माण और रखरखाव
5. नालियों एवं सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण और उनकी सफाई,

6. सार्वजनिक मार्गो एवं स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था तथा जल छिड़काव का प्रबन्ध
7. घृणाजनक, खतरनाक तथा हानिकारक व्यापारों उद्यम अथवा प्रथाओं का नियमन,
8. सड़कों की सफाई तथा उन पर प्रकाश और जल की व्यवस्था
9. अग्निशमन सेवाओं का प्रबन्ध, [1]
10. मृतक क्रियास्थलों का प्रबन्ध,
11. शुद्ध तथा स्वास्थ्यवर्धक जल की पूर्ति
12. मार्गो का नामांकन और मकानों का संख्यांकन
13. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण
14. सार्वजनिक चिकित्सालयों की स्थापना और प्रबन्ध
15. पशुगृह की स्थापना और व्यवस्था,
16. महामारी से बचाव के प्रबन्ध
17. जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण तथा छोटा परिवार रखने की नीति को आगे बढ़ाना।

2. ऐच्छिक या गौण कार्य

ऐच्छिक या गौण कार्य ऐसे हैं जिन्हें निष्पादित करना या न करना नगरपालिका परिषद की क्षमता और इच्छा पर निर्भर करता है। प्रायः सभी अधिनियमों में इस प्रकृति के कार्यो की व्यवस्था है। अनिवार्य कार्यो और ऐच्छिक कार्यो में अन्तर यह है कि जहां अनिवार्य कार्य नगरपालिका द्वारा सम्पन्न न किए जाने की स्थिति में नागरिक न्यायालय में परमादेश याचिका प्रस्तुत कर सकता है वहीं ऐच्छिक कार्यो के सन्दर्भ में वह ऐसा नहीं कर सकता। इन कार्यो को नगरपालिका परिषद द्वारा न किए ज़ाने की स्थिति में नागरिक राजनीतिक दबाव या अन्य दबाव की स्थिति तो बना सकते हैं किन्तु इन्हें करने के लिये न्यायालय से कोई आदेश जारी नहीं करवा सकते। ऐच्छिक कार्यो की सूची इस प्रकार है।

1. नई सड़कों अथवा सार्वजनिक भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव।
2. पार्क, उद्यान तथा सार्वजनिक स्थानों का निर्माण और रखरखाव।
3. पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा वाचनालायों की स्थापना।
4. शिक्षा का विस्तार
5. धर्मशाला, विश्रामगृह, हाट तथा अन्य इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों का निर्माण और रखरखाव।
6. सार्वजनिक स्थानों पर संगीत की व्यवस्था।
7. बृद्ध लोगों के लिए विश्राम स्थलों की व्यवस्था।
8. बाल कल्याण केन्द्रों की स्थापना और रखरखाव।
9. जन स्वास्थ्य की अभिबृद्धि के लिए कार्यक्रमों का आयोजन।

10. निम्न आय समूह के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था।
11. आवास हेतु लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
12. मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन [1]
13. अनाथालयों तथा स्त्रियों के लिए उद्धारगृहों का निर्माण और उनकी व्यवस्था।
14. मार्गो के किनारे तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा अनुरक्षण
15. नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था।
16. नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की कल्याणवृद्धि हेतु कार्यक्रमों का आयोजन।

संविधान का 74वों संशोधन एवं नूतन कार्यशैली –

भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून, 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अ "द म्यूनिसिपलिटीज" शीर्षक से नया जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्तया प्राप्त होने के पश्चात् इन निकायों में नियमित चुनाव एवं इनकी आर्थिक दशा भी सुदृढ़ हो गयी है, इन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकार प्राप्त हुये हैं।

भारत के संविधान में किए गए 74वें संशोधन के माध्यम से बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम द्वारा नगरपालिका परिषदों को 18 विषय सौंपे गयें हैं। 74वें संविधान संशोधन में दिए गये कार्यो का वर्णन इस प्रकार है।[1]

1. नगर नियोजन, कस्बा नियोजन सहित।
2. भू उपयोग का विनियमन एवं भवन निर्माण।
3. आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए नियोजन।
4. सड़के व पुल।
5. घरेलू, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जल वितरण।
6. जनस्वास्थ्य एवं सफाई।
7. अग्नि शमन सेवाऐं।
8. नगरीय वन पर्यावरण का संरक्षण, व परिस्थितिकी के आयामों का उन्नयन।
9. विकलांगों व मन्द बुद्धि लोगों के हितों की रक्षा।
10. गन्दी बस्तियों का उत्थान व उन्नयन।
11. नगरीय गरीबी निवारण।
12. पार्क, उद्यान व खेल के मैदानों इत्यादि नगरीय सुविधाओं का प्रावधान व संरक्षण।
13. सांस्कृतिक व शैक्षणिक आयामों का उन्नयन।

14. शमशान-स्थलों व विद्युत शमशान स्थलों का रखरखाव।
15. पशुगृह व पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
16. जन्म व मृत्यु का पंजीकरण।
17. गलियों में प्रकाश, बस स्टॉप जनसुविधाओं इत्यादि की व्यवस्था व संधारण।

उल्लेखीनय है कि संविधान संशोधन के अनुसार सभी राज्यों ने अपने यहां प्रवर्तित नगर निकायों से सम्बन्धित अधिनियम को आवश्यकतानुसार संशोधित कर लिया है। अब इस पृष्ठभूमि में यह आशा की जा सकती है, कि स्थानीय शासन का यह तीसरा सोपान संवैधानिक मान्यता के पश्चात् अधिक सक्रिय होगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की ये स्थानीय संस्थाऐं जनमानस में अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेंगी।

नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप –

नगरीय स्वायत्त शासन की संस्थाऐं सार्वभौम शक्ति प्राप्त संस्थाऐं नही होती, वे देश की सरकार द्वारा सृजित संस्थाएं होती हैं। इसीलिये इन संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार का हस्तक्षेप या नियन्त्रण किसी न किसी प्रकार बना रहता है। इन संस्थाओं का निर्माण एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केन्द्रीय सरकार और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रायः प्रान्तीय या राज्यों की सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसलिये इन संस्थाओं में हस्तक्षेप या नित्रंण भी उन्हीं सरकारों के द्वारा किया जाता है, जिनके आदेश से उनकी संरचना की गई हैं। नगरीय संस्थाओं और सरकार के सम्बन्ध के इस प्रश्न में एक और भी अन्तर्निहित प्रश्न है और वह है इन संस्थाओं की स्वायत्ता का आयाम। नगरीय निकायों को स्वायत्त शासन की संस्थाऐं भी कहा जाता है, जिन्हें राज्य द्वारा निर्देशित सीमा क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है।

दूसरे शब्दों में यह व्यक्त किया जा सकता है कि इन संस्थाओं से अपने सृजनकारी विधान द्वारा इंगित वैधानिक सीमाओं में स्वायत्त कार्यकरण की अपेक्षा की जाती है और उसी विधान में इंगित निर्देशों के अनुसार ये संस्थायें राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। किन्तु राज्य के इस हस्तक्षेप से उनकी स्वायत्तता सदैव प्रभावित होती है। राज्य के जिस अधिनियम द्वारा इन नगरीय निकायों की सृस्टि की जाती है, वही अधिनियम इन संस्थाओं की स्वायत्ता की सीमा रेखा निर्धारित कर देता है। जिस सत्ता द्वारा नगरपालिका परिषदो का गठन किया जाता है उसी निर्माणकारी सत्ता उस संस्था पर हस्तक्षेप और निरीक्षण व नियंत्रण का दायित्व रहता है। नगरीय संस्थायें अनिवार्यता सरकार की प्रशासनिक इकायां होती हैं जो कतिपय सेवाओं का निष्पादन करने के लिए गठित की जाती है। इन संस्थाओं की पूर्णतः जांच इस दृष्टि से की जानी चाहिए किं कितनी मितव्ययता और प्रभावी तरीके से उन सेवाओं का निष्पादन कर रही है, जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है।

नगरपालिका परिषदों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप या नियंत्रण के कारण–

चूंकि नगरीय संस्थाऐं राज्य की वैधानिक कृति होती है, अतः राज्य इन पर नियंत्रण का स्वाभाविक अधिकार रखता है। नगरपालिका परिषद या अन्य नगरीय संस्थाओं के पास उतनी तकनीकी क्षमता, ज्ञान और अनुभव नहीं होता जितना राज्य सरकार के पास होता है। इन संस्थाओं का अनुभव निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है, जबकि राज्य सरकार के पास अपनी सभी स्थानीय इकाइयों का अनुभव तथा स्थायी विशेषज्ञों का ज्ञान होता है, जो इन संस्थाओं की दक्षता स्तर और सफलता को बढ़ाने के लिये नियंत्रण के माध्यम से उपलब्ध होता रहता है।

नगरीय संस्थाऐं चूंकि एक निश्चित, सीमित क्षेत्र का प्रशासन सम्भालती हैं, अतः पूरे देश के विकास कार्यक्रमों की एकरूपता तथा राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में सामंजस्य तथा समन्वय बिठाने के लिए राज्य सरकार की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं, इस हेतु भी राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। आजकल नगरीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित की जाने वाली सेवाओं का स्तर निम्न होने के कारण सेवाओं की उचित कार्यक्षमता बनाए रखपाने के लिए भी सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है।

नगरीय संस्थाओं के कार्यकरण में कई बार स्थानीय निहित स्वार्थ भी शक्तिशाली बाधक तत्व बन जाते हैं। अतः ऐसे स्वार्थो पर नियंत्रण रखने के लिए कोई वाह्य शक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता हैं। प्रायः ये संस्थाऐं चूंकि नगर के लोगों के सीधे जान पहचान और सम्पर्क में होती हैं, अतः उन पर कर लगाने में वे हिचकिचाती हैं। करों के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर संस्था क्या कर पाएंगी? अतः राज्य सरकारें कभी कभी तो यह शर्त भी रख देती हैं कि जितनी वित्तीय सहायता उन्हें सरकार से मिली है उतनी ही व्यवस्था वह अपने साधनों से भी करे, जिससे नगरपालिका परिषद की आर्थिक स्थिति का उचित स्तर रह सकें। इसलिए नगरीय संस्थाओं पर राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है और यह हस्तक्षेप कई प्रकार से हो सकता है। नगरीय संस्थाओं पर, राजकीय हस्तक्षेप या नियंत्रण को निम्नांकित शीर्षको के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

1. शासकीय हस्तक्षेप
2. प्रशासकीय हस्तक्षेप
3. राजनीतिक हस्तक्षेप

1. शासकीय हस्तक्षेप –

उपर्युक्त सभी प्रकार के हस्तक्षेपों में व्यवस्थापिका द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण या हस्तक्षेप महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नगरीय संस्थाऐं विधायिका के अधिनियम द्वारा ही अस्तित्व

में आती हैं। शासकीय अधिनियम द्वारा इन संस्थाओं के कार्य का न केवल आधार तैयार किया जाता है, अपितु उनके स्वरूप और कार्यकरण का एक परिवेश भी प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जो नगरीय निकायों से सम्बन्धित कानून बना सकती है, उसे संशोधित कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है।

नगरीय संस्थाऐं राज्य सरकार की सृष्टि होती है। राज्य के विधानांग द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। राज्य विधानमंडल नगरीय निकायों के सम्बन्ध में आवश्यक विधान पारित करके, संविधानों का संशोधन करके तथा उनके कार्यो पर विवाद और विचार विमर्श करके उनको नियंत्रित करता है। राज्य शासन ही इन संस्थाओं को वैधानिक स्तर प्रदान करता है और इनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण करता है। विधानमंडल द्वारा नगरीय कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें दी गई शक्ति वापिस ले सकता है और समय समय पर नए कर्त्तव्यों के निर्वाह के दायित्व सौंप सकता हैं। अतः राज्य सरकार तथा विधान सभा का यह दायित्व होता है कि वह देखें कि इन संस्थाओं द्वारा प्रशासन के निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।

2. प्रशासकीय हस्तक्षेप –

नगरीय संस्थाओं में हस्तक्षेप य नियंत्रण के सन्दर्भ में उक्त विवरण में विधायी हस्ताक्षेप से सम्बन्धित जिन विधियों का विश्लेषण किया गया है वे इन संस्थाओं पर नियंत्रण की प्राथमिक विधियां हैं। शासकीय हस्तक्षेप नगरीय निकायों की गतिविधियों और कार्यकलापों की समस्याओं पर नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रभावी उपकरण के रूप में अभिकल्पित नहीं की गई हैं। इसी कारण प्रशासनिक हस्तक्षेप की यह विधि विशेष रूप से इन संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से ही विकसित की गई प्रतीत होती है। प्रशासनिक हस्तक्षेप की इस विधि की प्रभावशीलता के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से इन संस्थाओं पर सरकार के नियंत्रण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। प्रशासकीय हस्तक्षेप को दूसरे शब्दों में कार्यपालिका द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण भी कहा जाता है। यह हस्तक्षेप नगरीय संस्थाओं पर नियंत्रण की व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि इन संस्थाओं का प्रजातान्त्रिक ढंग से निर्वाचन होता है और ये संस्थाऐं वेतनभोगी विशेषज्ञों की सेवाऐं और विशिष्ट तकनीकी सलाह प्राप्त करती है।

प्रशासकीय हस्तक्षेप के आधार पर सरकार को यह भी अधिकार होता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, कानूनों, उपकानूनों और निर्दिष्ट आज्ञाओं का पालन न कर पाने या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने के कारण किसी भी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या पदाधिकारी को हटा या निलम्बित कर सकती है। यदि कोई निकाय अपनी व्यवस्था ठीक ढंग से नागरिक सेवाओं को सुचारू रख पाने में सफल नहीं रह पाता है तो राज्य सरकार उसे भंग कर नये निर्वाचन की घोषणा कर सकती है या प्रशासक नियुक्त कर सकती है।[1]

राज्य सरकार विभिन्न नगरीय निकायों के आपसी विवादों का निपटारा भी करती है जो सभी पक्षों के लिये निर्णायक और बाध्यकारी होता है। राज्य सरकारें इन संस्थाओं से विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन, करों का वितरण, कार्मिक वर्ग का वार्षिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के विवरण आदि प्राप्त करने के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण रखती है। राज्य सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा इन संस्थाओं की नगरीय गतिविधियों, सम्पत्ति और निर्माण कार्यो का निरीक्षण करने में सक्षम है। साधारणतः जिलाधीश को निरीक्षण के व्यापक अधिकार मिले होते हैं।

नगरपालिका परिषद् के कार्मिक वर्ग के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार हस्तक्षेप के अधिकार रखती है। नगरपालिका में उच्च पदाधिकारियों सचिव, कमिश्नर या अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्ते राज्य सरकार ही तय करती है। कर्मचारियों की संख्या, उनके वेतनमान, सेवा की शर्ते, भविष्य निधि आदि पर पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप –

आधुनिक लोकतंत्रीय युग में विशेष तौर पर, ससंदीय प्रणाली वाले देशों में सरकार का निर्माण और संचालन व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में, एक ही राजनीतिक दल के बहुमत पर अवलम्बित हो गया है। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ है, कि व्यवस्थापिका के उस राजनीतिक दल, जिसका कि व्यवस्थापिका में बहुमत है के प्रभावी किस्म के विधायक कार्यपालिका में स्थान पा जाते हैं और व्यवस्थापिका एक प्रकार से एक प्रभावशून्य सदन बनकर रह जाती है। इसलिये व्यवस्थापिका में चुनकर जाने वाले सदस्य अपने दायित्वों का वैसा निर्वाह नहीं करते जैसा उनसे अपेक्षित हैं। सदस्यों की विधायी कार्यो एवं अध्ययन तथा स्वाध्याय के प्रति घटती रूचि ने उन्हें कार्यपालिका, निकाय और उसके द्वारा नियंत्रित प्रशासनिक विभागों या स्थानीय निकायों के कार्यकलापों पर नियंत्रण में शिथिलता ला दी है। अतः कभी कभी ऐसा होता है कि विधायिका में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से सिर्फ इन नगरीय निकायों में हस्तक्षेप करते हैं। होना तो यह चाहिए कि समस्त विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित नगरीय निकायों की सामान्य भावनाओं और समाचार पत्रों में व्यक्त पीड़ा को विधायिका में अपने मुखर व्यवहार द्वारा व्यक्त करना चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों का परिणाम यह हुआ है कि नगरीय संस्थाओं पर विधायी नियंत्रण प्रभावी नहीं रह गया है।

नगरीय संस्थाओं अथवा नगरपालिका परिषदों की वित्तीय स्थिति –

सभी प्रकार के संगठन चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के हों, राज्य स्तर के हो या फिर स्थानीय स्तर के ही क्यों नह हों, सभी को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है। वित्तीय अभाव में अच्छी से अच्छी योजना

भी क्रियान्वित नहीं हो सकती। लॉयड जॉर्ज ने एक बार यहां तक कहा था कि वित्त ही प्रशासन है। प्रो0 पी0डी0 शर्मा ने वित्त की तुलना पेट्रोल से करते हुए कहा है जिस प्रकार एक मोटरगाड़ी को चलाने के लिये पेट्रोल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार लोक प्रशासन के इंजन को चलाने के लिये वित्त की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य विचारकों ने वित्त को प्रशासन की रीढ़ की संज्ञा दी है। स्थानीय शासन का प्रभुत्व राज्य सरकार पर निर्भर होने के कारण उसे संविधान से कर लगाने का अधिकार मूलरूप में प्राप्त नहीं है। स्थानीय शासन तो वही कर लगा सकता है जिनकी अनुमति उन्हें राज्य सरकार देती है। स्थानीय शासन के बढ़ते कार्यो की संख्या को देखते हुये जो धन संग्रहित किया जाता है, वह उसकी उद्देश्य पूर्ति हेतु अपर्याप्त होता है।

प्रातः नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर होती है कि ये संस्थाऐं पर्याप्त ध ान के अभाव में नागरिकों द्वारा अपेक्षित और कानून द्वारा प्रवर्तित अपने दायित्वों का निष्पादन भी नहीं कर पाती है। विश्व के विकसित राष्ट्रों में यदि स्थानीय शासन की संस्थाऐं नागरिकों की संतोषजनक सेवा करने में सफल रही हैं तो इसका एक मात्र कारण उनका वित्तीय दृष्टि से सक्षम होना है। इसके विपरीत विकासशील या अर्द्धविकसित देशों में स्थानीय शासन की नगरीय संस्थाओं के प्रभावशील न होने की, जो स्थिति दिखाई देती है उसका एक मात्र कारण आर्थिक दृष्टि से उनका अक्षम होना है। अब तक जितने भी शासकीय आयोग या समितियां सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं की समीक्षा के लिये नियुक्त की गई है, उनके प्रतिवेदनों में स्थानीय शासन के सुधार के विषय पर उनकी वित्तीय व्यवस्था का आयाम एक प्रमुख विचारणीय विषय रहा है।

नगरीय संस्थाओं अथवा नगरपालिका परिषद् के आय के स्रोत –

नगरीय संस्थायें अपनी वित्त व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार की सहायता से और उसके विनिश्चित की गई परिसीमा में करेगी। इस प्रकार स्थानीय शासन को प्रभुत्वहीन करके उसे सम्बन्धित राज्य सरकार का एक निकाय या ईकाई बना दिया गया है। राज्य सरकारें स्वयं राज्य सूची में वर्णित विषयों तक कर लगाने के लिये स्वतंत्र होती हैं। इस तरह राज्य सरकार का वित्तीय क्षेत्र सीमित होने के कारण उसकी ये नगरीय सरकारें भी वित्तीय कमी से प्रभावित होती हैं। नगरीय संस्थाओं के प्रमुख आय के श्रोत :–

1. करों से आय,
2. करों के अतिरिक्त आय।

करों से आय –

नगरीय संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत उनके द्वारा आरोपित कर होते हैं। आय का यह स्रोत नगरीय संस्था की राज्य सरकार पर निर्भरता को कम करता है, अन्यथा वे अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व खोकर राज्य सरकार के एक विभाग मात्र बन सकते हैं। जिस संस्था के पास करारोपण

की शक्तियां अधिक होती है वह संस्था राजनीतिक दृष्टि से उतनी ही स्वायत्तता का उपयोग करती है और इससे उसके आत्म सम्मान में भी वृद्धि होती है। भारतवर्ष में नगरीय संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले करों में भी कोई एकरूपता या समानता दिखाई नहीं देती है। यह इसलिए कि प्रथम तो नगरीय संस्थायें राज्य सरकार के नियंत्रण में होती हैं अतः सभी राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में पृथक निर्णय करती हैं और दूसरे इसलिए कि नगरों में पाई जाने वाली ये संस्थायें भी एक जैसी नहीं होती। कहीं नगर निगम होता है तो कहीं नगरपालिका परिषद और कहीं कहीं पर अन्य प्रकार की संस्थाऐं। इस प्रकार भिन्न–भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की इन नगरीय इकाइयों द्वारा आरोपति करों में स्वाभाविक रूप से असमानता पाई जाती हैं। नगरीय संस्थाओं के द्वारा जो कर लगायें जाते हैं उन्हें भी दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

1. अनिवार्य कर
2. विवेकाधीन कर

अनिवार्य कर के अन्तर्गत तीन प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है।

1. भवन या भूमि के वार्षिक किराया मूल्य पर कर
2. माल या पशुओं पर चुंगी, एवं
3. वृत्तियों तथा व्यवसायों पर कर।

यद्यपि इन करों को नगरीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य निर्धारित किया गया है, किन्तु असल में नगरीय संस्थाऐं अनिवार्य रूप से इन करों का आरोपण नहीं कर सकती, क्योंकि इन करों को लगाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इन करों का आरोपण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इनकी उगाही या एकमात्र नगरीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन करों की दर तथा करारोपण की तिथि का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। संपत्ति कर या भूमि एवं भवन कर यह कर संपत्ति के किराये के आधार पर था। उसके पूंजीगत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस कारण बहुधा यह शिकायत रहती है कि सम्पत्ति के मालिक नगरीय निकाय के दस्तावेजों में अपनी सम्पत्ति का किराया कम अंकित करवा देते हैं या स्वयं कर निर्धारक भी रिश्वत की आशा में मकान मालिक से सांठ गांठ कर इस कर का कम निर्धारण कर देते हैं। इस कर के विषय में आम धारणा और नगरीय निकायों की वास्तविक स्थिति यह है कि वे इसे पूरी मात्रा में वसूल भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह इस कर का आरोपण या एकत्रण दोनों ही दोषपूर्ण है। इस विवरण से यह सिद्ध होता है कि ये अनिवार्य कर ''अनिवार्य'' कदापित नहीं हैं। उक्त तीन अनिवार्य करों में से वृत्तियों तथा व्यवसायों पर कर तो राज्य के नगरीय निकायों द्वारा कभी आरोपित कि ही नहीं गया है और चुंगी जो इन संस्थाओं की आय का एक मुख्य स्रोत या उसे राज्य सरकार ने कतिपय समूहों के दबाव के अधीन अगस्त 1998 से समाप्त कर दिया है। शेष भवन या भूमि कर जिसे सामान्यतः 'सम्पत्ति कर' के रूप में जाना

जाता है, उसे भी नगरीय निकायों द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना आरोपित किया जाना संभव नहीं है।

2. विवेकाधीन करों का आरोपण निम्न प्रकर से किया जाता है–

1. पशु एवं वाहन कर
2. सफाई कर
3. रोशनी के लिए कर
4. जल कर
5. मनोरंजन कर
6. शौचालय तथा जल निकास कर
7. कचरे को हटाने या समापन के लिए स्वच्छता कर
8. राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान

चूंकि उक्त कर विवेकाधीन है अतः निर्वाचित स्थानीय निकाय मतदाताओं की तात्कालिक नाराजगी के भय और व्यक्तिगत निकटता के कारण इन करों के आरोपण के प्रति अनिच्छुक रहते हैं। उस कारण इनका नगरीय निकायों की आय में योगदान नगण्य होता है। विवेकाधीन करों का नगरीय संस्थाओं की आय में केवल 0.5 प्रतिशत योगदान है। इसे बढ़ाने के लिए नगरीय निकायों को चाहिये कि वे इन करों के दायरे में अधिकाधिक स्थानीय निवासियों को लायें।

3. करों के अतिरिक्त आय को भी दो भागों में बांटा जा सकता है

नगरीय निकायो की आन्तरिक आय के मुख्य स्रोत हैं – सम्पत्ति से आय, भूमि के विक्रय से आय, फीस, शुल्क यथा-होटल, रेस्टोरेट, डेयरी, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि पर नगरीय निकायों द्वारा लाइसेंस शुल्क आरोपित कर दिया जाता है। इसके अलावा शहर में एकत्र खाद्य सामग्री के बेचने से प्राप्त आय, नगरीय निकाय की भूमि के बेचने से प्राप्त आय और कहीं कहीं नगरीय निकाय द्वारा बनाए गए वाणिज्यिक स्थलों के उपयोग से होने वाली आय, आवास गृहों या विश्राम गृहों के किराये की आय, बाजार की मुख्य दुकानों से बाहर या खुले में सड़क पर अस्थायी वस्तुऐं बेचने के लिये लगने वाली दुकानों से आय एवं अनेक प्रकार की फीस जिसमें केरोसिन, ईंधन, सब्जियां लोहा और इसी प्रकार के अन्य वाणिज्यिक कार्यो के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस से नगरीय निकायों को आमदनी होती है।

बाह्य स्रोतों से आय को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :-

1. राज्य सरकार द्वारा आरोपित व संग्रहीत करों में से हिस्सा।
2. सरकारी अनुदान
3. ऋण या उधार

नगरीय संस्थाओं अथवा नगरपालिका परिषदों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण :–

भारतवर्ष में केवल नगरीय संस्थाओं की ही नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति भी कमजोर हैं। भारतवर्ष के प्रायः समस्त राज्यों में इस बात के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए कि स्थानीय संस्थाओं को जो कार्यभार सौंपा हुआ है उसका व्यवस्थित अध्ययन करते हुए उसकी तुलना में उसे आय के साधन भी प्रदान किए जायें। नगरीय संस्थाओं को मुख्यतः अपने करों से जो राशि प्राप्त होती है उसके अतिरिक्त अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। आय के इन दोनों ही स्रोतों की अपनी अपनी सीमायें हैं। प्रथम तो समस्त नगरीय संस्थाऐं करारोपण के अपने अधिकार का अत्यन्त संकोचपूर्वक प्रयोग करती हैं अर्थात् नगरीय संस्थाऐं अपने नागरिकों पर कर लगाने में हिचकिचाती हैं, वे कर लगाने का निर्णय खुले मन से नहीं कर पाती हैं।

करों के आरोपण के संबंध में दूसरी विचित्र स्थिति नगरीय संस्थाओं के संदर्भ में यह आती है कि जो कुछ कर उपर्युक्त स्थिति में आरोपित कर दिए जाते हैं तो उन करों की राशि का पूरा एकत्रण नहीं हो पाता है। इस स्थिति के लिए पूरी तरह नगरीय निकायों के प्रशासन तंत्र को उत्तरदायी माना जा सकता है।

नगरीय संस्थाओं की इस कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए स्वयं नागरिकों का दृष्टिकोण भी कम उत्तरदायी नहीं है। नागरिक यह तो चाहते रहते हैं कि नगरीय संस्था द्वारा उन्हें अधिकाधिक संवाऐं दी जाएं, किन्तु यदि नगरीय संस्थाऐं उसके बदले में कोई कर आरोपित करना चाहती हैं तो नागरिकों की प्रथम प्रतिक्रिया, उनका विरोध करने की रहती हैं। समस्त विकासशील देशों में प्रजातंत्र के शैशव में होने के कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है किन्तु नागरिकों को इस बात के लिए तो चिन्तन करना ही होगा कि यदि वे नगरीय संस्थाओं से अधिक सेवाओं की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें बढ़े हुए करों को देने के लिये भी अपने आपको मानसिक दृष्टि से तैयार करना होगा।

नगरीय संस्थाओं को भी कर निर्धारिण और वसूली में होने वाली प्रशासनिक गड़बड़ियों और अपने वित्तीय प्रशासन में किसी भी प्रकार की अपर्याप्तता, अकार्यकुशलता, भ्रष्टाचार और पक्षपात को कठोरता से रोकना होगा। जब तक नगरीय संस्थाऐं अपनी सेवाओं की तुलना में आय के स्रोतों का विकास स्वयं नहीं करेगी, राज्य सरकार भी उन्हें इस हेतु सहायता नहीं करेगी। ये संस्थाऐं जब तक अपने प्रशासन तंत्र में आवश्यक सुधार नहीं करेंगी तब तक न तो वे नागरिकों की अपेक्षाओं की सटीक पूर्ति कर पाऐंगी और न ही प्रजातंत्र की पाठशालाऐं सिद्ध हो सकेंगी।

नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण एवं कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव –

74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकायों में विकेन्द्रीकरण तथा आर्थिक सुदृढ़ीकरण की बात कही गयी है। नियमित समयान्तराल में नगरपालिका परिषदों के चुनाव हेतु पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तथा निकायों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग

का गठन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग द्वारा अनेक संस्तुतियां की गई हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सहायक अनुदान प्रणाली समाप्त करके राज्य के कुल राजस्व की शुद्ध आय का 7 प्रतिशत नगरीय निकायों को संक्रमित किया जाना। राज्य सरकार द्वारा इस संस्तुति को स्वीकार कर लिये जाने से नगरीय निकायों की चरमराती हुई आर्थिक व्यवस्था को कुछ राहत अवश्य मिली है। परन्तु अधिकांश निकायों में यह धनराशि कर्मचारियों के वतेन भुगतान में ही व्यय हो जाती है और निजी स्रोतों से नगरीय निकायों की आय इतनी कम है कि इससे मूलभूत नागरिक सुविधाओं की पूर्ति कदापि सम्भव नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में शासन द्वारा नगरीय निकायों को निजी स्रोतों से संसाधनों में वृद्धि हेतु अनेक परिपत्र जारी किए गये हैं परन्तु अभी तक इसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सकें दरअसल जब तक नगरीय निकायों में उचित वातावरण सृजन नहीं होगा, अधिशासी अधिकारी की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक किसी उल्लेखनीय सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

किसी भी संस्था या निकाय की सफलता एवं विश्वसनीयता उसमें कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता, योग्यता एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुशलता एवं क्षमता की समीक्षा करे तो बहुत ही निराशाजनक तथ्य सामने आयेंगे। नगरीय निकायों की वर्तमान दुर्दशा के पीछे यह तथ्य भी मुख्य कारकों में से एक है। सर्वाधिक उपेक्षित होने के कारण नगरीय निकायों के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संवर्ग समुचित रूप से विकसित नहीं हो पाया है। पूर्व वर्षो में उ0प्र0 नगरीय निकायों में मनमाने तरीके से अंधाधुंध नियुक्तियां की गई हैं। बड़ी संख्या में अकुशल तथा सिफारिशी कर्मचारियों के सेवा में आ जाने से बिना किसी प्रतिफल के निकायों पर वेतन का व्ययभार बहुत अधिक बढ़ चुका है।

आज नगरीय निकायों में कार्य संस्कृति का सर्वथा अभाव है। नगरपालिका परिषदें पूरी तरह से राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। नगरपालिका परिषद कार्यालयों का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि अधिकारी कार्यालयों में बैठने से कतराते हैं। नगरीय निकायों के कार्यपालक अधिकारी/अधिशासी अधिकारी की स्थिति वर्तमान परिवेश में इतनी कमजोर व असहाय जैसी है कि वह आमतौर पर कार्यालय में बैठकर अपमान सहने के अतिरिक्त कुछ अधिक नहीं कर पाता। ऐसे वातावरण में नगरीय निकायों के संसाधनों में अभिवृद्धि करना अधिशासी अधिकारी के लिए एक कठिन चुनौती है। सम्भवतः सम्पत्ति कर के निर्धारण में ऐसी पद्धति का विकास करना होगा जो पूरी तरह परादर्शी हो और जिसमें मनमानेपन व स्वेच्छाचारिता की कोई गुंजाइश ही न हो। कर निर्धारण समितियों के अधिकार को सीमित करना होगा।

जब तक नगरपालिका परिषदों का प्रबन्धन कुशल एवं योग्य हाथों में नहीं होगा तब तक

निकायों के संसाधनों में वृद्धि सम्भव नहीं है और बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की कोई सार्थकता नहीं होगी। अतः यदि नगरीय निकायों को वास्तव में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो राज्य सरकार को नगरीय निकायों की संरचना में व्यापक संशोधन करना होगा। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में शहरी निकायों में अयोग्य, अकुशल एवं अक्षम लोग राजनीतिक पहुंच व सिफारिश के आधार पर नियुक्त न हो सकें।

नगरों के विस्तार तथा बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के चलते आज नगरीय निकायों के समक्ष जो चुनौतियां विद्यमान है, उनका निराकरण जनप्रतिनिधयों को अधिकार सौंप दिये जान मात्र से नहीं हो सकता। जब तक इन जर्जर नगरीय निकायों में क्षमता का विकास नहीं होगा, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरूस्त नहीं होगी, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं है।

सन्दर्भ सूची

1. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा अन्तः स्थापित धारा 38 का परंतुक (1)
2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन, 1994, धारा 128।
3. उपर्युक्त धारा 126 ।
4. उपुर्यक्त धारा 126 ।
5. उपर्युक्त धारा 187 ।
6. भारत का संविधान, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) के माध्यम से जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में इन कार्यो का उल्लेख किया गया है।
7. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, धारा 31।

अध्याय

चतुर्थ

झाँसी जनपद की नगरपालिका परिषदें

झाँसी नगर का परिचय –

शौर्य एवं शान्ति, आस्था और बलिदान की भूमि झांसी नगर जो 1857 में अंग्रेजों के विरूद्ध स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम दीपशिखा प्रज्जवलित करने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि रही है, न केवल भारत अपितु विश्व के इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान रखती है। बुन्देलखण्ड की इस ह्रदय स्थली की अपनी पहचान प्रारम्भ से ही रही है। यहां की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर अत्यन्त समृद्धिशाली है। झांसी नगर में बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होने की पर्याप्त सम्भावनाऐं हैं। झांसी में अनेक ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं जिन्हें दखेकर आज भी झांसी का गौरवशाली इतिहास सजीव हो उठता है। झांसी नगर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिचय प्रथम अध्याय में विस्तारपूर्वक दिया जा चुका है।

भौगोलिक स्थिति –

झांसी जनपद उत्तरप्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी पठारी भाग में स्थित हैं। यह नगर 24°11 से 25°57 उत्तरी अक्षांश तथा 78°10 से 79°25 पूर्वी देशान्तर के समानान्तर के मध्य स्थित हैं। झांसी जनपद के पूर्व में उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर, महोबा, पश्चिम में मध्यप्रदेश के जिला शिवपुरी, दतिया, उत्तर में उत्तर प्रदेश के जालौन तथा दक्षिण में जिला ललितपुर की सीमायें मिली हैं। झांसी जिला का क्षेत्रफल 10,2642 वर्ग किलोमीटर है। इस जनपद के अन्तर्गत चार पांच तहसीलें हैं। झांसी नगर का क्षेत्रफल 45.22 वर्ग किलोमीटर है।

अधिकांश पठारी एवं वन स्थल संयुक्त होने के कारण आर्थिक दशा में यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है तथा बड़े उद्योगों का अभाव है। किन्तु रेल एवं सेना का विशेष केन्द्र होने के कारण यह क्षेत्र प्रगति की ओर उन्मुख है। इस क्षेत्र को चौदह विकास खण्ड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला झांसी की प्रमुख नदियां बेतवा, धसान, जामिनी तथा पहूज हैं। बेतवा, झांसी के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश करती है और माताटीला, बड़ागांव, पारीक्षा से होती हुई जालौन जिला से उत्तर में गुजरती हुई हमीरपुर की तरफ चली जाती हैं। पहूज जिल के पश्चिमी भागों से बहती हुई मध्यप्रदेश से गुजरती है। धसान नदी जिला झाँसी और जिला हमीरपुर की सीमा का निर्माण करती है। जामिनी मध्यप्रदेश से जिल के दक्षिण में प्रवेश करती है और जिल के मध्य से होती हुई उत्तर में बेतवा में मिल जाती है। राज्य सरकार की ओर से माताटीला बांध, कमलासागर, सुकवां ढुकवां गोविन्दसागर तथा पारीछा आदि बांध निर्माण किये जाने से सिंचाई व विद्युत प्रसारण की दिशा में प्रगति हो रही है।

जलवायु परिदृश्य –

जिला झांसी की जलवायु का मूल्यांकन वर्ष भर की अत्यधिक वर्षा से किया जाता है। गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है जो प्राकृतिक चट्टानों के कारण होती है। गर्मी की ऋतु जल्दी ही प्रारम्भ होती है। वर्षा न्यूनतम 2.8 सेंटीग्रेड से 5.1 सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 46.00 से 48.00 सेंटीग्रेड तक होती है। यहां वर्षा का औसत 850 मिलीमीटर है। वर्षा के अनियमित स्वभाव के कारण यहां पानी पानी की पुकार ज्यादा हैं जिले की सामान्य भूमि में मैदान हैं जिनमें चट्टानों से परिपूर्ण पहाड़ियों हैं ऊबड़ खाबड़ जमीन है। इस दृष्टि से जिले के तीन भाग हो सकते हैं। प्रथम उत्तरी भाग है जो अधिक उपजाऊ है। द्वितीय दक्षिणी भाग है जो अधिकांश चट्टानी भाग है और विन्ध्याचल पर्वत तक प्रसारित है और इसके ऊपर लाल मिट्टी फैली हुई है। अन्तिम भाग उत्तरी पूर्वी भाग है जिनमें छोटी छोटी लाल चट्टाने हैं।

जिला झांसी खनिज पदार्थ की दृष्टि से अधिक धनी है। (Pyrophyllite) बिजरी और ढांकुआ में पाया जाता है। बेबार की चट्टानों में (Ironore) छोटी तादाद में पाया जाता है। तांबा भी सोनारी के दक्षिण में उपलब्ध है (Soap stone, felspar, quardh) भी सीमित तादाद में पाया जाता है। अच्छा ग्रेनाइट पत्थर जो भवन निर्माण के लिये उपयोगी है काफी तादाद में उपलब्ध है।

जनसंख्यात्मक स्वरूप –

जिला झांसी के ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1033171 है इसमें 552379 पुरूष तथा 480792 महिलायें हैं। झांसी नगर की कुल जनसंख्या 383248 हैं। झांसी जनपद के क्षेत्र में 289863 परिवार निवास करते हैं। जिला झांसी के क्षेत्र में पुरूषों की संख्या की अपेक्षा स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत कम था। 1991 की जनगणना की अपेक्षा 2001 की जनगणना के अनुसार झांसी जिले की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण झांसी की नगरपालिका परिषद नगरनिगम की श्रेणी में आ गयी हैं।

शैक्षणिक स्वरूप –

झांसी जनपद की कुल जनसंख्या 1744931 में 51.1 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं, जिसमें 66.7 प्रतिशत पुरूष साक्षर तथा 33.7 प्रतिशत महिला साक्षर हैं। झांसी नगर की कुल जनसंख्या 383248 में 78.6 प्रतिशत पुरूष साक्षर तथा 54.6 प्रतिशत महिला साक्षर है।

झांसी जिले की शैक्षणिक प्रगति के मार्ग में अनेकों बाधायें उपस्थित होती रही हैं। अंग्रेजी

साम्राज्यवादी सत्ता के विरूद्ध स्वतत्रंता संग्राम के आन्दोलनों में झांसी जिला सदैव ही अग्रणी रहा है और इसी के फलस्वरूप झांसी की प्रगतिशील भावनाओं पर कुठाराघात किया गया और अंग्रेजी शासनकाल में यह क्षेत्र कुचला गया तथा शिक्षा आदि व्यापक सुविधाओं की वृद्धि की ओर पर्याप्त ध्यान का अभाव रहा। इधर दो दशकों में झांसी की प्रगति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं का योगदान भी अधिक महत्वपूर्ण है। जिसके द्वारा झांसी का शैक्षणिक विकास उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होता जा रहा हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, इण्टर कालेज हाईस्कूल तथा प्राथमिक विद्यालयों का विकास द्रुतगति से होता जा रहा है। झांसी नगर में निम्नलिखित प्रमुख शिक्षण संस्थायें हैं जिनमें हजारों की संख्या में छात्र/छात्रायें विद्याध्ययन करते हैं।

1. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
2. बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज
3. विपिन बिहारी डिग्री कालेज
4. रानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय।
5. आर्यकन्या डिग्री कालेज
6. गरू हरकिशन डिग्री कालेज
7. सरस्वती पाठशाला इन्डस्ट्रियल इन्टर कालेज
8. सरस्वती इन्टर कालेज
9. लक्ष्मी व्यायाम मन्दिर इण्टर कालेज
10. क्रिश्चिन इण्टर कालेज
11. सैण्ट जूड्स हाईस्कूल
12. सैण्ट मार्क्स हाईस्कूल
13. क्रस्ट दी किंग हाईस्कूल
14. टन्डन हाईस्कूल
15. शिक्षक हायर सेकेन्डरी स्कूल
16. लोकमान्य तिलक इन्टर कालेज
17. राष्ट्रीय कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल
18. राजेन्द्र प्रसाद गर्ल्स हाईस्कूल
19. सेन्ट फ्रांसिस गर्ल्स स्कूल

20. सूरज प्रसाद गर्ल्स इन्टर कालेज

21. राजकीय इन्टर कालेज

22. ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल

23. रानी लक्ष्मी बाई पब्लिक स्कूल

24. केन्द्रीय विद्यालय

25. खालसा इण्टर कालेज

बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज के अन्तर्गत बी0एड0 कालेज भी हैं जिसमें पुरूष महिलायें अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं झांसी में प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थायें भी हैं जो विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न शिल्पों में प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

1. गवर्नमेन्ट पोलीटेक्निक एवं टेकनिकल स्कूल (महिला एवं पुरूष दोनों)

2. इण्टस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (आई.टी.आई.) (महिला एवं पुरूष दोनों)

पालीटेकनिक द्वारा सिविल इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्य स्मृति में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज हैं। जो झांसी से कानपुर राजमार्ग पर स्थित है।

सामाजिक स्तर –

झांसी नगर में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख तथा ईसाई आदि सभी धर्मो के लोग रहते हैं। लेकिन बहुसंख्यक दृष्टि से हिन्दू धर्म के लोग अधिक हैं। झांसी नगर में लगभग सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस नगर में हिन्दू धर्म में ब्राम्हण, क्षत्रिय, कायस्थ तथा वैश्य आदि जातियों लोग निवास करते हैं। वैश्य समाज में विशेष रूप से गहोई एवं अग्रवाल समाज की बहुलता हैं। चारों धर्म के अलावा इस नगर में जैन धर्म के लोग भी अच्छी संख्या में रहते हैं।

पिछड़ी जातियों में विशेषकर कुशवाहा, नाई, यादव, स्वर्णकार, तमेरे तथा अनुसूचित जातियों में कोरी चमार, धोबी एवं बसोर जाति के लोग क्रमशः बहुलता में रहते हैं। पिछड़ी जाति में कुशवाहा जाति के लोग सब्जी आदि का व्यवसाय करते हैं। स्वर्णकार सोने चांदी के आभूषण का व्यवसाय तथा तमेरे जाति के लोग बर्तन आदि बनाने का व्यवसाय करते हैं यादव जाति के लोग इस नगर की राजनीति में अच्छा वर्चस्व बनाये हुये हैं। अनुसूचित जाति में चमार जाति जूताचप्पल बनाने का कार्य, धोवी कपड़ा की धुलाई आदि का कार्य करते हैं। झांसी नगर मे व्यापार में वैश्य जाति के लोग अन्य जातियों की अपेक्षा प्रथम स्थान पर हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि –

जिला झांसी का यह दुर्भाग्य है कि वह उत्तर प्रदेश के 36 पिछड़े हुये जिलों में से एक है इस जिले की प्रगति में बहुत सी बाधायें उपस्थिति होती रही हैं। अंग्रेजी शासनकाल में इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। स्वाधीनत के पश्चात जिले के विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। कांग्रेस शासन इसकी प्रगति के लिए जागरूक है। माताटीला का निर्माण, जामिनी बांध योजना, मेडिकल कालेज की स्थापना आदि ऐसे कार्य हैं जो जिले की प्रगति और अर्थव्यवस्था के द्योतक हैं।

सरकार उद्योगों के विकास के लिए भी जिले में यथा सम्भव प्रयत्न कर रही हैं झांसी जिले का मुख्य उद्योग सूत कातना, रस्सी बंटना, हाथ से कपड़े बनाना हैं, यह उद्योग इस जिले का महत्वपूर्ण उद्योग है। लोग यहां की कारीगरी एवं कला को अधिक पसन्द करते हैं। झोसी के प्राकृतिक वनों पाई जाने वाली में जड़ी बूटियों से दवाइयां तैयार की जाती हैं यहां आयुर्वेदिक दवाओं की मरमर है। झांसी में अन्य लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यहां बहुत सी अन्य चीजें पैदा होती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। यहां का मेल बिजली का कारखाना झांसी नगर को औद्योगिक पहचान प्रदान करता है जिसमें विजली के ट्रांसफारमर और अन्य उपकरण बनाये जाते हैं। यदि इनके उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो औद्योगिक स्थिति अच्छी हो सकती है। झांसी एक ऐतिहासिक नगरी है। यहां झांसी का किला तथा झांसी से लगा हुआ ओरक्षा राज्य जो अपने मन्दिरों और किला के लिये प्रसिद्ध है। झांसी नगर पर्यटन स्थल होने के कारण यहां का पर्यटन व्यवसाय अच्छा चलता है।

राजनीतिक स्थिति –

ब्रिटिश शासन काल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जिसने आजादी प्राप्त होने तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सत्याग्रह के द्वारा 15 अगस्त 1947 में इस आन्दोलन को पूर्णता प्रदान की उस समय पूरा राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के योगदान से प्रभावित था। स्वतंत्रता के पश्चात् झांसी जनपद में सभी लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के ही प्रतिनिधि चुने जाते थे। प्रारम्भ में श्री विनायक राव धुलेकर झांसी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुये। श्री आत्माराम गोविन्दराम खेर गरौठा समथर विधान विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से ही चुने जाते थे। और वह भी काफी समय तक विधान सभा के अध्यक्ष रहे। आजादी के बाद लगभग 30 वर्षो तक झांसी नगर विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का ही विधायक चुना जाता रहा। और लगभग यही स्थिति लोकसभा चुनावों की भी रही। साठ के दशक में डा0 सुशीला नायर झांसी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुई जिनकों उसी

समय स्वास्थ मंत्री बनाया गया था। उन्हीं के अथक प्रयास से झांसी में महारानी लक्ष्मी वाई के नाम पर मेडिकल कालेज की स्थापना हुई और उन्हीं के प्रयासों से बेतवा नदी पर नोट घाट के पुल का निर्माण हुआ। डा0 गोविन्ददास रिक्षारिया भी 1971 में यहां से लोकसभा सदस्य चुने गये। और कुछ समय पश्चात् वह राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। 1984 में प्रथम बार भारतीय जानता पार्टी के श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री झांसी विधान सभा संविधायक चुने गये। और 1989 में भाजपा से ही लोक सभा के लिये निर्वाचित होकर इस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 1989 के बाद पुन दो बार इस क्षेत्र से सांसद रहे। श्री ओमप्रकाश रिक्षारिया ने भी 80 के दशक में एक बार झांसी विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व किया था। श्री सुजान सिंह बुन्देला कांग्रेस पार्टी से ही दो बार इस लोक सभा क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके है। श्री रवीन्द्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से 90 के दशक में झांसी विधान सभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके है। पिछले विधान सभा चुनावों में श्री रमेश चन्द्र शर्मा बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गये थे। लेकिन उन्होंने पिछले लोकसभा के चुनावों के समय अपने विधायक पद से त्यागपत्र देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली थीं। उनको आशा थी कि मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगाऔर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूगा। लेकिन चुनावों के समय यह टिकट समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता श्री चन्द्रपाल सिंह को टिकट दिया गया और वहीं बाद में निर्वाचित भी हुये। इसी बीच में झांसी विधान सभा का उपचुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी के श्री प्रदीप जैन आदित्य विधायक निर्वाचित हुये। काफी समय बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने इस विधान सभा सीट पर अपना कब्जा जमाया।

वर्तमान में झांसी विधान सभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित है। झांसी जनपद के विधान सभा क्षेत्रों में मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र से श्री प्रागीलाल बबीना से सपा के मास्टर रतन लाल अहिरवार और गरौठा समथर विधान सभा क्षेत्र से श्री बृजेन्द्र व्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। और झांसी विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के श्री प्रदीप जैन आदित्य विधायक चुनकर अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में संलग्न है। आज वर्तमान राजनीतिक स्थिति के सार रूप में कहा जा सकता है कि झांसी लोक सभा और विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों पर इन्हीं चारो दलों का बराबर का प्रभाव है।

झाँसी नगरपालिका परिषद् का इतिहास

''स्थानीय संस्थायें ही स्वतन्त्र राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करती हैं। नगर की सभाओं का

सम्बन्ध स्वतन्त्रता से उसी प्रकार है जिस प्रकार विज्ञान का सम्बन्ध प्रारम्भिक स्कूलों से है। वह उसको मनुष्यों की शक्ति के अन्तर्गत लाती हैं, मनुष्यों को सिखाती हैं कि किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाय और किस प्रकार उसका आनन्द उठाया जाय। एक राष्ट्र स्वतन्त्र सरकार स्थापित कर सकता है किन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतन्त्रता की लहर उत्पन्न नहीं कर सकता है।''

''फ्रांस के विद्वान D. Tocquiville

आधुनिक युग लोकतन्त्र का युग है। जनता ही शक्ति का श्रोत है। किसी भी देश का शासन वहां की सरकार ही पर निर्भर होता है। सरकार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये यह आवश्यक है कि वह लोकमत के अनुसार चले। इसके सक्रिय तथा शक्तिशाली स्थानीय स्वराज्य की स्थापना करना अत्यावश्यक है। प्रजातन्त्र राज्य जनता का होता है। "Government by the people, of the people, for the people"

प्रजातन्त्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के राज्य को कहते हैं। प्रजातन्त्र राज्य पर लोकमत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुगल काल के बाद भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। अंग्रेजों ने अपने काल में भारत पर शोषणकारी नीति अपनाई। Lord Ripon के काल में सन् 1882 में अनेक स्थानीय स्वराज्य स्थापित किये गये थे। इसमें अपनी आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्थानीय संस्था अपना प्रबन्ध आप ही करती थी। इसमें ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर पालिका, कारपोरेशन, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा पोर्टट्रस्ट आदि हैं। Bryce ने कहा है कि स्थानीय कार्या में प्रजातन्त्र के अभ्यास से नागरिकों में सार्वजनिक कामों में सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है तथा उनमें आत्मनिर्भरता, दूसरों के दृष्टिकोण का ध्यान रखना, सहिष्णुता तथा समझौता करने का अभ्यास आदि अनेक उच्चगुण नागरिकों में आ जाते हैं। स्थानीय स्वराज्य से अभिप्राय है कि जिसमें किसी देश के नगर, जिलों, कस्बों तथा गांवो में वहां की जनता द्वारा चुने हुये सदस्यों द्वारा शासन प्रबन्ध किया जाता है। पदाधिकारी तथा जनता की समितियां जो किसी भाग का शासन प्रबन्ध करती हैं Local Self Government कहलाती है। जनता की राजनैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिये केन्द्र राज्यों का कार्य कम करने के लिये जनता को शान्ति तथा सन्तोष पहुंचाने के लिये इन स्थानीय स्वराज्यों की आवश्यकता हुई। स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत म्यूनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि आते हैं।

नगर प्रशासन (नगर पालिका) में प्रायः जनता के चुने हुये सदस्य होते हैं तथा अब नगर पालिका का सभापति भी जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है। झांसी के इतिहास में नगर पालिका का

कार्य काल मार्च 1919 ई0 से आरम्भ होता रहा है। नगर पालिका में अलग अलग विभागों की कमेंटियां बनी हैं। प्रत्येक कमेटी का एक अलग सभापति है। प्रत्येक कमेटी अपने विभाग के कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। आज कल नगरपालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सह उपाध्यक्ष Chairman, Vice-Chairman, Junior Vice-Chairman नगर पालिका के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। इसमें कुछ स्थायी (बेतन वाले) कर्मचारी भी होते हैं। इसके कर्तव्य दो भागों में विभक्त हैं।

ऐच्छिक कार्य :-

1. नगर के खाने पीने की वस्तुओं की देखभाल
2. परोपकारी कार्य करना ।
3. सड़कों की मरम्मत करवाना, वृक्षों को लगवाना, ऊँचा करना इत्यादि।
4. स्वास्थ्य तथा सफाई के लिए पार्क तथा व्यायामशालायें बनवाना।
5. हाट बाजार इत्यादि लगवाना।
6. मेलों तथा उत्सवों पर विशेष प्रबन्ध करना।

आवश्यक कार्य :-

1. नगर तथा जनता के स्वास्थ्य तथा सफाई का ख्याल रखना।
2. टीका लगवाना तथा रोगों से बचने का उपाय ढूंढना।
3. जल आदि का प्रबन्ध (नल तथा कुओं द्वारा) करना।
4. प्रारम्भिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध।
5. चिकित्सालय खोलना।
6. जन्म मरण का हिसाब रखना।
7. गलियों की सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध।

झाँसी की नगरपालिका उपर्युक्त दिये हुये ऐच्छिक कार्यो एवं आवश्यक कार्यो की व्यवस्था करती है। झांसी की नगर पालिका के कार्य काल के आरम्भ होते ही मार्च 1919 ई0 में स्व0 लाला गंगा सहाय सर्व प्रथम चेयरमेन (अध्यक्ष) के पद पर आसीन हुये। उस समय आज जैसे जनता द्वारा चुने हुये अध्यक्ष नहीं होते थे, किन्तु अंग्रेज शासकों के कृपापात्र व्यक्ति ही इस पद पर सुशोभित होते थे। चुनाव प्रणाली ऐसी थी जिसमें जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा अंग्रेज भक्तों को अधिक सुविधा रहती थी। आपने अपने कार्यकाल में अपनी कुशलता एवं योग्यता का परिचय दिया और कुछ ऐसे जनप्रिय कार्य किये कि आप झांसी में अधिक लोकप्रिय हो गये। उदार होने के कारण जनता आपका

अधिक सम्मान करती थीं।

इसके पश्चात् मई 1920 से 12 अप्रैल 1921 तक श्री ए0ई0 जोन्स नगर पालिका के अध्यक्ष बने। इनका कार्य काल साधारण रहा।

सैयद मुहम्मद याकूब 14 अप्रैल सन् 1921 से मार्च सन् 1923 तक झांसी म्यूनिस्पल बोर्ड के चेयरमेन रहे। आपने कार्य काल में कोई प्रगतिशील कार्य नहीं किए, फिर भी प्रत्येक दशा में कुछप्रयत्न आवश्यक किए गये।

समय परिवर्तनशील हैं। झांसी की नगर पालिका के इतिहास में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी मनमानानी नीति सफल न हो सकी। राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत जन–सेवी श्री आत्माराम गोविन्द खेर 1 अप्रैल सन् 1923 में नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर विभूषित हुये। जनता में तो पहले से ही चेतना एवं राष्ट्रीय विचारधारा प्रवाहित हो रही थी। अब लोक प्रिय चेयरमैन के आसीन होते ही उसमें निखार आ गया। झांसी नगर में हर्ष एवं उल्लास की लहर सर्वत्र फैल गई और जनता अपने लोकप्रिय नेता से अधिक आशा करने लगी। आपका कार्यकाल अधिक प्रगतिशील एवं सराहनीय है। इस काल में अनेक सुधार सम्पन्न हुए, जिससे आपकी ख्याति अधिक फैल गई। आपने नगरपालिका के विभिन्न विभागों की उन्नति की। आपके समय में बी.एन. वर्मा एक्जीक्यूटिव आफीसर थे। वर्मा जी ने अधिक परिश्रम एवं संलग्नता से नगरपालिका की प्रगति में अपना अमूल्य सहयोग दिया। नगर के पिछड़ेपन, गन्दगी तथा समस्याओं का निराकरण करके खेर साहब ने विकास की ओर प्रशंसनीय कदम बढ़ाया। अनेकों विभागों के सुधार कार्य में आपको आशातीत सफलता मिली। बोर्ड की मीटिंग हाल का निर्माण आपने स्वयं कराया था। नगरपालिका के शिक्षा विभाग की भी अत्यधिक प्रगति हुई। अनेकों नए स्कूलों की स्थापना की गई। श्री खेर साहब प्रसिद्ध कांग्रेसी थे। स्वतन्त्रता के आन्दोलनों में भाग लेने के कारण आप जेल चले गए।

श्री अमानत अली, श्री रायसाहब जगदीश सहांय व श्री बी.एन. विश्वास ने सन् 1919 से 1923 तक एक्जीक्यूटिव आफीसर के पद पर कार्य किया। राय साहब जगदीश सहाय श्रीवास्तव भैयासाहब ने 15 दिसम्बर 1931 से 20 नवम्बर सन् 1935 तक झांसी नगरपालिका के पद को सुशोभित किया। आपका कार्यकाल अधिक सराहनीय है। आपने अपने कार्यकाल में अनेकों प्रशंसनीय कार्य किये हैं। अनेकों विभागों की दशा में सुधार किए हैं। आपने अपने कार्यकाल में सूजेखां खिड़की व नट वली के पक्के नाले आदि का निर्माण कराया जिनसे शहर का बरसाती पानी बाहर जाने से बहुत कुछ नगर की गन्दगी दूर रहने लगी। श्री सुन्दरलाल गुरूदेव इसी समय

इक्जीक्यूटिव आफीसर के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने भी नगरपालिका के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग दिया।

5 दिसम्बर सन् 1935 से 10 जनवरी सन् 1636 तक स्व0 भोलानाथ जी मेहरा ने अध्यक्ष पद को विभूषित किया। आप झांसी के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक थे और इसी कारण वही प्रवृति सजग रूप में कार्य करती थी। आपका कार्यकाल सन्तोषजनक रहा।

इसके पश्चात् सैय्यद मुहम्मद याकूब पुनः नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए और 11 जनवरी सन् 1936 से 23 सितम्बर 1937 तक अपने कार्य भार संभाला। आपका कार्यकाल साधारण रहा। बोर्ड की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

30 अक्टूबर सन् 1937 से 22 दिसम्बर सन् 1944 तक श्री अम्बिकाप्रसाद सक्सेना (रज्जनबाबू) बोर्ड के चेयरमेन रहे। दतिया दरवाजे के बाहर वाटर बर्क्स की स्कीम आपके कार्यकाल में ही पास हुई। आपके कार्यकाल में बोर्ड की अधिक प्रगति हुई, नई नई योजनायें पास की गई।

स्वर्गीय डा0 मोहनलाल मेहरा 22 दिसम्बर सन् 1945 से 15 नवम्बर सन् 1953 तक नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। आपके कार्यकाल में कई योजनायें कार्यान्वित हुई जिनमें से दतिया दरवाजे बाहर की वाटर वर्क्स योजना प्रमुख हैं।

समय बदला। चुनाव की प्रणाली बदली, कांग्रेस विधान सभा द्वारा मान्य नवीन प्रणाली से चेयरमैन का चुनाव जनता द्वारा होने लगा। इस प्रणाली के अनुसार झांसी के प्रतिष्ठित लोक प्रियजन श्री बिहारीलाल विशिष्ठ अध्यक्ष पद पर विभूषित हुए। आपका कार्यकाल 15 नवम्बर सन् 1653 से 23 नवम्बर सन् 1957 तक रहा।

कांग्रेस सरकार ने इस प्रणाली को फिर बदल दिया और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होने लगा।

30 नवम्बर सन् 1957 को बाबूलाल उदैनिया ने नगरपालिका का अध्यक्ष पद संभाला। वास्तव में बाबूलाल उदैनिया में कार्य करने की क्षमता थी। आप कट्टर कांग्रेसी थे। आप झांसी के प्रमुख राजनैतिक नेता थे।

झाँसी नगरपालिका परिषद् का वर्तमान संगठन –

झाँसी नगरपालिका परिषद् भी एक निर्वाचित निकाय है तथा नगरपालिका की ''विचार विमर्शकारी निकाय परिषद्'' इस प्रणाली की प्रमुख संस्था होती हैं इसमें नगर के निवासियों द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा कुछ सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सम्पूर्ण नगर को चुनाव के

लिये वार्डो में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है जिन्हें पार्षद कहते हैं। वार्ड और सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार इनकी संख्या में वृद्धि या कमी कर सकती है। 1993 तक यह प्रावधान था कि यदि निर्वाचन द्वारा परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता दो तो महिला सदस्यों का सहवरण किया जा सकता था। किन्तु संविधान में हुए 74वें संशोधन के पश्चात् अब निकायों के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किए गए हैं। संविधान संशोधन के पश्चात् अब नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान समय में झांसी नगरपालिका परिषद् में 35 निर्वाचित सदस्य 5 मनोनीत सदस्य तथा 4 पदेन सदस्य है, कुल मिलाकर 44 सदस्य हैं। झांसी नगरपालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों में 12 महिला पार्षद एवं 23 पुरूष पार्षद हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों में एक महिला एवं चार पुरूष पार्षद हैं।

सदस्यों का चुनाव –

नगर की वयस्क जनता द्वारा परिषद् के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव होता है। झांसी नगरपालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। झांसी नगर को 35 वार्डो में विभक्त कर दिया गया है और प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। वार्ड और सदस्यों की संख्या भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार चाहे तो इनकी संख्या में वृद्धि और कमी कर सकती है।

नगरपालिका ''परिषद्'' की ''परिषद्'' निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है जिसे नगर की जनप्रतिनिधि सभा भी कहा जा सकता है। यह नगर की नगरपालिका परिषद् का ''विचार विमर्शकारी निकाय'' है जिस पर नगरीय प्रशासन के लिए नीति निर्धारण और नियमों के निर्माण का दायित्व होता है। परिषद ही नगरपालिका का वार्षिक बजट पारित करती है। एवं बजट पर चर्चा करते समय परिषद स्थानीय सेवाओं का स्तर निर्धारित करती है। यह नगर के नियोजित विकास, सफाई और रखरखाव के सन्दर्भ में सामान्य नीति निर्धारित करती है। इस हेतु महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर परिषद् में व्यापक विचार विमर्श होता है। किसी भी नए कर का प्रस्ताव सर्वप्रथम सदस्यों की स्वीकृति के लिए रखा जाता है और उसके पश्चात् ही उसे राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। परिषद् अपने कार्य संचालन के लिए समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत है। इस तरह स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा के रूप में परिषद् स्थानीय लोगों की आंकाक्षाओं का प्रतीक होती है।

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् सभी राज्यों की नगरीय निकायों का कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि किसी सदस्य की पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये दूसरे सदस्य का निर्वाचन उसके बचे हुये शेष कार्य काल के लिये किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम के अनुसार नगरपालिका परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्यों को सभालने से पूर्व जिलाधीश अथवा सरकार द्वारा मनोनीत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेनी होती है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का चुनाव –

झाँसी नगरपालिका परिषद में 74वें संविधान संशोधन से पूर्व अध्यक्ष का चुनाव कभी कभी वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा भी हुआ करता था और कभी नगरपालिका परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। किन्तु इस संशोधन के पश्चात् से अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होना अनिवार्य कर दिया गया है। परन्तु उपाध्यक्ष का चुनाव आज भी परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता हैं। 74वें संविधान संशोधन के पूर्व नगरपालिका परिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं था तथा राज्य सरकार जब चाहे इसे भंग कर नवनिर्वाचन करा सकती थी। लेकिन इस संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष/नगरपालिका परिषद् का कार्यकाल निश्चित कर पांच वर्ष कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में या जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर के समक्ष शपथ लेकर अपना स्थान गृहण करता है।

नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष, जो पदत्याग करना चाहे, अपना लिखित त्याग पत्र जिलामजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को भेज सकता है। नगरपालिका परिषद् द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है ऐसे अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति में उसके सभी अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष नगरपालिका परिषद की बैठकों का सभापतित्व करता तथा उन बैठकों में कार्यवाई का नियमन करता है। वह नगरपालिका परिषद् के वित्तीय तथा कार्यकारी प्रशासन पर निगाह रखता है। वह अधिनियम द्वारा निर्धारित अपने समस्त कर्तव्यों का पालन तथा उसके द्वारा प्रदत्त सब

शक्तियों का प्रयोग करता है। उसे नगरपालिका के सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है, और वह नगर प्रशासन से सम्बन्धित किसी भी विषय की जानकारी मांग सकता है। नगरपालिका परिषद का सरकार या जनता से होने वाला पत्र व्यवहार अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। वह नगरपालिका परिषद के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखरेख करता है और उसके आदेशों को परिषद की जानकारी में लाता है। सरकार द्वारा सभी नगरपालिका परिषदों में एक अधिशासी अधिकारी नियुक्त होता है जो परिषद् द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करता है। प्रायः सभी नगरपालिका परिषदों में इस प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है।

समितियां –

नगरपालिका अधिनियमों में नगरपालिका को अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने में सहायता देने के लिये स्थायी समिति तथा अन्य समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है। नगरपालिकाओं के पास कार्य की अधिकता होने के साथ कार्यकाल अल्प होता हैं उसे नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनो कार्य ही करने पड़ते हैं। नगरपालिका परिषदे इतने अल्प समय में सभी कार्य नहीं कर सकती। परिषदों की बैठक माह में केवल एक बार बुलाई जाती है। नगरपालिका परिषदों के सम्पूर्ण कार्य हेतु एक माह तक इन्तजार भी नहीं किया जा सकता, अतः प्रतिदिन के कार्यो से सम्बन्धित कुछ समितियां नगरपालिका परिषद में गठित कर दी जाती है। इन समितियों में परिषद के निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है।

झांसी नगरपालिका परिषद् की समितियां –

नगरपालिका परिषद कार्य की सुविधा की दृष्टि से निम्न समितियां नियुक्त करती है जो इस प्रकार हैं।

1. शिक्षा समिति
2. पुस्तकालय समिति
3. सार्वजनिक कार्य व निर्माण समिति
4. वित्तीय सहसमिति या कर समिति
5. स्वास्थ्य समिति

अध्यक्ष एवं पार्षद सूची नगरपालिका परिषद झाँसी

1. श्री धन्नूलाल गौतम – अध्यक्ष
1. श्री रामसेवक मौर्य – सदस्य

2. श्री सुरेशचन्द्र गोपी
3. श्री निर्दोष कुमार
4. श्री अनिल मुस्तारिया
5. श्री पुरूषोत्तम डोंगरे
6. श्रीमती पानकुंवर
7. श्रीमती सीमा
8. श्रीमती लीलादेवी
9. श्रीमती ज्योति
10. श्री अनवर अली
11. श्रीमती नईमुन निशा
12. श्रीमती पुष्पादेवी
13. श्री गणेश प्रसाद
14. श्री प्रेमनारायण
15. श्री अविनाश
16. श्री सतीश कोटिया
17. श्रीमती कविता
18. श्रीमती खैरूनिशा
19. श्री रामनरेश
20. श्री मुहम्मद आजम
21. श्री किशोर वापी
22. श्री रवि शर्मा
23. श्री नूरअहमद मंसूरी
24. श्री जगदीश सिंह
25. श्री आनन्द मोहनमिश्रा
26. श्रीमती सुशीला दुबे
27. श्री सईद खान
28. श्री सुधीर सिंह

29. श्रीमती उर्मिला लाक्ष्यकार
30. श्रीमती गुलावदेवी
31. श्री देवीदास कुशवाहा
32. श्री अनिल कदम
33. श्रीमती शकुन नीखरा
34. श्री अनिल वट्टा
35. श्रीमती रामदेवी

74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् झांसी नगरपालिका परिषद् का संगठनात्मक स्वरूप –

इस अध्याय में झांसी नगरपालिका परिषद पर 74 वें संविधान संशोधन को प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। अध्याय का प्रारम्भ नगरपालिका पार्षदों की सामाजि, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पार्षदों की कार्यशैली पर और पार्षदों की कार्यशैली का प्रभाव किस प्रकार परिषद् के संगठन एवं कार्यप्रणाली पर पड़ता है। इसके पश्चात् झांसी नगरपालिका परिषद के सम्बन्ध में पार्षदों के विचारों को भी दर्शाया गया है। अन्त में 74वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को दिये गये आरक्षण का इन पार्षदों के ऊपर हुये प्रभाव और परिषद में उनकी स्थिति एवं भूमिका का अध्ययन किया गया है।

सामाजिक पृष्ठभूमि –

सामाजिक पृष्ठभूमि में झाँसी नगरपालिका परिषद् के पार्षदों की आयु, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा का स्तर तथा परिवार का आकार आदि सम्मिलित किया गया है।

तालिका नं0 1

लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व

लिंग	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
स्त्री	22	37
पुरूष	13	63
कुलयोग	35	100

74वें संविधान संशोधन से पूर्व अधिकांश नगरपालिका परिषदों में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। परन्तु इस संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर इनकी राजनीति में भागीदारी की अनिवार्य कर दिया गया हैं।फलस्वरूप आज सभी नगरपालिका परिषदों में स्त्री पुरूष दोनों का प्रतिनिधित्व देखने का मिलता है। इसी आधार पर झाँसी नगरपालिका परिषद् में 37 प्रतिशत महिला पार्षदों का तथा 63 प्रतिशत पुरूष पार्षदों का प्रतिनिधित्व है। झाँसी नगर की जनता शिक्षित होने के कारण स्त्री–पुरूष आज समानरूप से स्वावलम्बी है। इस संशोधन के बाद आरक्षण नीति के कारण वर्तमान समय में सभी वर्ग एवं जातियों के महिलाओं व पुरूषों का प्रतिनिधित्व होने लगा है। दूसरी ओर निम्न एवं उच्च जाति दोनों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व उभरकर सामने आया है।

तालिका नं0 2

आयु के आधार पर प्रतिनिधित्व

आयु	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
25 से 35	8	23
36 से 45	4	11
46 से 55	23	66
56 से 65	0	00
66 से ऊपर	0	00
कुल योग	35	100

वर्तमान समय में राजनीतिक क्षेत्र में युवा वर्ग एवं मध्यम वर्ग की आयु के नागरिकों की जागरूकता काफी बढ़ गई है। पूर्व के वर्षो में नगरीय निकायों के चुनावों में ज्यादातर अधिक उम्र के लोग ही भाग लिया करते थे, परन्तु इस संशोधन के बाद से हर उम्र का व्यक्ति पहुंचने लगा है। झांसी नगरपालिका परिषद में 25 से 35 वर्ष की आयु के आधार 23 प्रतिशत पार्षद, 36 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के 66 प्रतिशत पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। युवा वर्ग के लोग बढ़ती हुयी राजनीतिक जागरूकता के फलस्वरूप राजनीति की कही जाने वाली प्रथम पाठशाला में सक्रियता से भाग ले रहे हैं।

तालिका नं0 3

धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व

आयु	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हिन्दू	29	83
मुस्लिम	6	17
सिक्ख	0	0
ईसाई	0	0
कुलयोग	35	100

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में राजनीति साम्प्रदायिकता पर आधारित हो गई है। देश की त्रिस्तरीय व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक राजनीतिज्ञ साम्प्रदायिकता की आड़ लेकर शक्ति या सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। झांसी नगर में हिन्दु धर्म के लोग अन्य धर्मो की अपेक्षा अधिक जनसंख्या में है। इसी कारण झांसी नगरपालिका परिषद् में 83 प्रतिशत हिन्दू पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अन्य धर्म मुस्लिम,

सिक्ख तथा इसाई आदि धर्मो में केवल 17 प्रतिशत मुस्लिम पार्षद ही परिषद् में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नगरीय सस्थाओं में नेताओं के प्रतिनिधित्व को धार्मिक समूह बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।

तालिका नं0 4

जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व

जातियां	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	8	23
पिछड़ी जाति	11	32
सामान्य जाति	10	29
अल्पसंख्यक	6	16
कुलयोग	35	100

उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों के अनुसार झांसी नगरपालिका परिषद में 23 प्रतिशत पार्षद अनुसूचित जाति, 32 प्रतिशत पार्षद पिछड़ी जाति के, 29 प्रतिशत पार्षद सामान्य जाति के एवं 16 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग से पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहें हें। 74वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरीय निकायों की राजनीतिक शक्ति सामान्य जाति के कुछ सम्भ्रांत लोगों के पास ही हुआ करती थीं। तब निम्न जाति के व्यक्ति अपने को हर स्तर से निम्न मानते थे, इसीलिये वे राजनीति में भी प्रवेश नहीं कर पाते थे। बदलते परिवेश में निम्न जातियों में अनुसूचित जातियों का मात्र एक वर्ग अहिरवार इन समस्त विकासों का लाभ लेने में अत्यन्त सफल रहा है। इस संशोधन के बाद से नगरीय निकायों के चुनावों में सभी जातियों का समान रूप से प्रतिनिधत्व होने लगा है। वर्तमान समय में राजनीतिज्ञ जातीय समीकरण को आधार बना कर चुनावों में विजय प्राप्त कर रहे हैं। जातीय आधार पर ही राजनीतिक दलों एवं संगठनों का निर्माण हा रहा है। बाद में नगरीय निकायों के चुनावों में यही राजनीतिक दल व संगठन प्रभावी भूमिका निभाते है।

तालिका नं0 5

परिवार के आकार के आधार पर प्रतिनिधित्व

पारिवारिक आकार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एकल परिवार	14	39
संयुक्त परिवार	21	61
कुल योग	35	100

नगरीय संस्थाओं में पार्षदों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से परिवार का आकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। झांसी नगरपालिका में 39 प्रतिशत पार्षद एकल परिवार से तथा 61 प्रतिशत पार्षद संयुक्त परिवारों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 74वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं में संयुक्त परिवारों के लोग अधिक निर्वाचित होते थे। क्योंकि ये परिवार समय एवं साधन सभी प्रकार से सम्पन्न होते थे। एकल परिवार संयुक्त परिवारों की अपेक्षा इन चुनावों में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाते थें लेकिन अब इस संशोधन के पश्चात् से स्थिति में परिवर्तन हो चुका है एकल परिवार संयुक्त परिवार की अपेक्षा निर्णय निर्माण करने में अधिक सक्रिय हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार के पार्षद परिवार से प्रभावित होकर चुनाव में भाग लेते हैं। पर एकल परिवार के पार्षद स्वयं निर्णय करके चुनाव व राजनीति में भाग ले रहे हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि –

आर्थिक पृष्ठभूमि में नगरपालिका परिषद में पार्षदों का व्यवसाय, वार्षिक आय तथा भूमि स्वामित्व आदि का अध्ययन करके पार्षदों पर व उनकी कार्यशैली पर प्रभाव जानने का प्रयास किया गया है।

तालिका नं0 7

पार्षदों का व्यवसायिक आधार

व्यवसाय	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
व्यापार	23	67
कृषि	2	5
नौकरी	8	23
मजदूरी	2	5
कुलयोग	35	100

उपरोक्त तालिका के द्वारा यह अध्ययन करना है कि किस व्यवसायिक वर्ग का नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व अधिक है। राजनीति को व्यवसाय भी एक प्रकार से प्रभावित करता हैं। जो व्यक्ति आर्थिक साधनों से जितना सम्पन्न होगा वही व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रियता से भाग लेता है। झांसी नगर में व्यापारी वर्ग के लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाते प्रतीत होते हैं। इसलिये झाँसी नगरपालिका परिषद् में 67 प्रतिशत पार्षद व्यापारी वर्ग से है, 5 प्रतिशत पार्षद कृषि कार्य में संलग्न हैं, 23 प्रतिशत पार्षद नौकरी में तथा 5 प्रतिशत पार्षद मजदूर वर्ग से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आरक्षण नीति के कारण आज निम्न वर्ग यानि मजदूर या

कृषक भी नगरीय निकायों के चुनावों में भाग लेने लगा है।

तालिका नं0 8

पार्षदों की पारिवारिक वार्षिक आय

पारिवारिक आय	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
10000/- रू0	0	0
10000 से 20000 तक	0	0
30000 से 40000 तक	0	10
50000 से 60000 तक	6	16
70000 से 100000 तक	12	35
100000 से ऊपर	17	49
कुल योग	35	100

वर्तमान समय में राजनीति पैसे की दासी होती जा रही है क्योंकि आज का नेता पैसे से आध ार पर राजनीति करने लगा है, और वह इसी के बल पर मंत्री बनने के लिये मतों को या विधायकों को खरीद सकता है। इसीलिए जिसकी जितनी अधिक आय होती है वह उतनी ही सक्रियता से राजनीति में चुनावों के प्रचार प्रसार कराने में सक्षम होता है। झांसी नगरपालिका परिषद के पार्षदों की वार्षिक आय का अध्ययन के पश्चात् यह तथ्य सामने आता है कि जिन पार्षदों की वार्षिक आय अधिक है उन्हीं पार्षदों का परिषद् में प्रतिनिधित्व भी अधिक है। परिषद् में 50000/- से 60000/- तक क़ी आय के 16 प्रतिशत पार्षद, 70000/- से 100000/- तक की आय के 35 प्रतिशत पार्षद तथा 100000/- रू0 से ऊपर की आय के 49 प्रतिशत पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 100000/- रूपये से ऊपर की आय में अधिकांश व्यापारी वर्ग आता है और नगरीय संस्थाओं में इन्हीं लोगों का ही वर्चस्व अधिक रहता है।

तालिका नं0 9

भूस्वामी तथा भूमिहीन वर्गो का प्रतिनिधित्व

भू स्वामित्व	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भूमिधारक	10	28
भूमिहीन	25	72
कुलयोग	35	100

उपुर्यक्त तालिका के आंकड़ो के अनुसार झांसी नगरपालिका परिषद में 28 प्रतिशत पार्षद भूमिधारक है तथा 72 प्रतिशत पार्षद भूमिहीन हैं। जो पार्षद भूमिधारक हैं वे लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर झांसी नगर में बसे होने के कारण भूमिधारक है। परन्तु जो भूमिहीन पार्षद है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी झांसी नगर में ही निवास कर रही है इसलिये ये लोग भूमिहीन हैं। भूस्वामी और भूमिहीन पार्षदों का अध्ययन करने का अर्थ है कि जो भूस्वामी होते हैं उन लोगों का अधिकतर राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित रहता है। क्योंकि उनका दायरा भी उतना ही बड़ा होता।

राजनीतिक पृष्ठभूमि –

राजनीतिक पृष्ठभूमि में झांसी नगर पालिका परिषद् के सदस्यों का राजनीतिक अनुभव, राजनीति में पारिवारिक सदस्य की भागीदारी, राजनीतिक दलों से सम्बन्ध, चुनाव में भाग लेने का निर्णय, दलीय विचारधारा, मत का आधार एवं दलीय प्रणाली आदि को शामिल किया गया है। इन प्रश्नों के माध्यम से पार्षदों की राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

तालिका नं0 10

पार्षदों का राजनीतिक अनुभव

राजनीतिक अनुभव	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	57
नहीं	15	43
कुलयोग	35	100

74 वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं में अधिक उम्र के लोग चुनाव में भाग लते थे जो उम्र और अनुभव की दृष्टि अधिक परिपक्व हुआ करते थे। युवा वर्ग उम्र और अनुभव से परिपक्व न होने के कारण राजनीतिक अनुभव नहीं रखते थे। जो राजनीतिक अनुभव रखते भी थे वे नगरीय निकायों के चुनाव में भाग कम लेते थें मगर समय परिवर्तन और इस संशोधन के पश्चात् सभी उम्र के लोगों में राजनीतिक अनुभव बढ़ा है। पहले की अपेक्षा अब युवा वर्ग कालेज स्तर से ही राजनीतिक क्षेत्र में भागदारी प्रारम्भ कर देते हैं। इसीलिये झांसी नगरपालिका परिषद में 57 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक अनुभव इस चुनाव से पहले से रखते हैं। 43 प्रतिशत पार्षद बिना राजनीतिक अनुभव के चुनावों में भाग लिया हैं। इस श्रेणी में अधिकांश महिला पार्षद आती हैं,जिन्हें न राजनीतिक ज्ञान होता है वे सिर्फ परिवार वालों के कहने पर चुनाव में आरक्षण नीति के कारण भाग लेती हैं।

तालिका नं0 11

.पारिवारिक सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी

राजनीतिक सदस्यता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	18	51
नहीं	17	49
कुलयोग	35	100

पार्षदों के परिवार के सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी का उन पर अत्यधिक प्रभाव देखने में आया है। जिस परिवार के लोग राजनीति से जुड़े होते हैं उस परिवार की आने वाली आगे की पीढ़ी भी राजनीति में अधिक रूचि रखती है। ज्यादातर यही देखा भी जाता है कि जिस परिवार में राजनीतिक भागीदारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उन परिवारों के सदस्य नगरीय निकायों में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। इसका कारण है कि उनका राजनीतिक अनुभव अच्छा है। शायद इसी कारण झांसी नगर पालिका परिषद में उन सदस्यों का प्रतिशत अधिक है जिनके परिवारों से राजनीतिक भागीदारी रही है। 51 प्रतिशत पार्षदों के परिवारों से राजनीतिक सदस्यता रही है। तथा 49 प्रतिशत पार्षदों के परिवारों से राजनीति सदस्यता नहीं रही है।

तालिका नं0 12

चुनाव में भाग लेने का निर्णय

चुनाव के निर्णय का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
स्वविवेक से	11	32
परिवार वालों के कहने पर	12	34
दलवालों के कहने पर	12	34
कुल योग	35	100

इस तालिका द्वारा झांसीनगरपालिका परिषद के पार्षदों की राजनीतिक जागरूकता के विषय में जानने के लिये पार्षदों के चुनाव में भाग लेने के निर्णय का आधार दर्शाया गया है। इन आंकड़ो के आधार पर परिषद् में 32 प्रतिशत पार्षदों का स्वविवेक से चुनाव में भाग लेने का निर्णय, 34 प्रतिशत पार्षदों का परिवार वालों के कहने पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय तथा 34 प्रतिशत पार्षदों का दलवालों के कहने पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय रहा है। जिन पार्षदों ने परिवार वालों के कहने

पर भाग लिया है उनमें अधिकांश महिलायें आती हैं जो आरक्षण नीति के कारण नगरीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कुछ पार्षद दलों से सम्बन्ध रखने के कारण दलवालों के कहने पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया है।

तालिका नं0 13

पार्षदों के राजनीतिक दलों से सम्बन्ध

राजनीतिक दल	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी	14	39
बहुजन समाज पार्टी	3	7
समाजवादी पार्टी	3	7
कांग्रेस	1	5
शिवसेना	1	5
निर्दलीय	13	37
कुलयोग	35	100

पूर्व के वर्षों में राजनीतिक दलों की लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में ही उनकी भागीदारी दिखाई देती थी। नगरीय निकायों के चुनावों में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं होती थी। परन्तु वर्तमान समय में ऊपर से नीचे तक बिना राजनीतिक दलों की भागीदारी के चुनाव ही सम्पन्न नहीं होते हैं। यहां तक कि स्थानीय स्तर के नगरीय निकायों के चुनाव एवं महाविद्यालयों के छात्रसंघ, चुनाव भी बिना राजनीतिक दल की भागीदारी से नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक दल भी दो प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल। आज हर स्तर के चुनावों में दोनों प्रकार के दल भाग ले रहे हैं। यह अवश्य है कि किस क्षेत्र में किसी दल का वर्चस्व अधिक है और किसी दल का कम है। झांसी नगरपालिका परिषद में 39 प्रतिशत पार्षद भारतीय जनता पार्टी से, 7 प्रतिशत पार्षद बहुजन समाज पार्टी से, 7 प्रतिशत पार्षद समाजवादी पार्टी से 5 प्रतिशत पार्षद कांग्रेस से, 5 प्रतिशत पार्षद शिवसेना से तथा 14 प्रतिशत पार्षद निर्दलीय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

तालिका नं0 14

पार्षदों की समाजिक विचारधारा

दलीय विचारधारा	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
गांधीवादी	1	5
समाजवादी	6	16
हिन्दूवादी	16	45
कोई उत्तर नहीं	12	34
कुल योग	35	100

राजनीतिक दलों से सम्बन्ध होने के कारण व्यक्ति की सोच भी उसी दलीय विचारधारा के अनुरूप हो जाती है। जैसे जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होगा उस की सोच भी गांधीवादी होगी। इसी प्रकार झांसी नगर पालिका परिषद में 5 प्रतिशत पार्षद गांधीवादी विचार के, 16 प्रतिशत पार्षद समाजवादी विचारधारा के 45 प्रतिशत पार्षद हिन्दूवादी विचारधारा के हैं तथा 34 प्रतिशत पार्षदों का सामाजिक विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं है। गांधीवादी विचारधारा के पार्षदों का कम प्रतिशत इसलिये है क्योंकि वर्तमान समय में गांधीवादी विचारों की प्रांसगिकता घटती जा रही है।

तालिका नं0 15

दलीय प्रणाली के विषय में विचार

दलीय प्रणाली	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एक दली प्रणाली	7	20
द्वि दलीय प्रणाली	5	13
बहुदलीय प्रणाली	13	38
कोई उत्तर नहीं	10	29
कुलयोग	35	100

प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था किसी न किसी दलीय प्रणाली पर आधारित होती है तथा ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली के आधार पर तथा चीन में एक दलीय प्रणाली के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था चलती है। इसी तरह से भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है। इस तालिका के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि आज का नागरिक देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित चाहता है। जिसमें 20 प्रतिशत पार्षद एक दलीय प्रणाली को, 13 प्रतिशत पार्षद द्विदलीय प्रणाली को तथा 38 प्रतिशत पार्षद बहुदलीय प्रणाली को देश की राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप सही समझते हैं। 29 प्रतिशत पार्षदों का दलीय प्रणाली के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं था।

झाँसी नगरपालिका परिषद के सम्बन्ध में पार्षदों के विचार –

नगरपालिका परिषद के विषय में पार्षदों को अधिकार क्षेत्र की जानकारी, 74वें संविधान संशोधन का ज्ञान, नगरपालिका परिषद के कार्यो की जानकारी, वार्ड के निरीक्षण के सम्बन्ध में, नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति तथा 74वें संशोधन से जनता द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने के बाद उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि के सम्बन्ध में पार्षदों के विचारों को शामिल किया गया है।

तालिका नं0 16

अधिकार क्षेत्र की जानकारी

जानकारी	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
जानकारी है	20	57
कुछ जानकारी है	14	38
बिल्कुल जानकारी नहीं है	1	5
कुल योग	35	100

74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज इस संशोधन के बाद से नगरीय निकायों में सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है चाहे उन्हें नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार की जानकारी हो या न हो। उपर्युक्त तालिका में यही जानने का प्रयास किया गया है कि कितने प्रतिशत निर्वाचित पार्षदों को नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र की जानकारी है और कितने पार्षदों को नहीं हैं। जिसमें 57 प्रतिशत पार्षदों को जानकारी है, 38 प्रतिशत पार्षदों को कुछ जानकारी है तथा 5 प्रतिशत पार्षदों को बिल्कुल जानकारी नहीं है।

तालिका नं0 17

पार्षदों को 74वें संविधान संशोधन का ज्ञान

संशोधन का ज्ञान	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	57
नहीं	15	43
कुल योग	35	100

स्थानीय शासन स्तर पर नगरीय संस्थाओं में केन्द्र सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन एक क्रान्तिकारी कदम था। इस संशोधन के माध्यम से इन संस्थाओं में अनेक परिवर्तन किये गये। सबसे बड़ा परिवर्तन नगरीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़े जाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब देखना यह है कि परिषद के कितने पार्षदों को 74वें संशोधन का ज्ञान है और कितने पार्षदों को नहीं हैं। झांसी नगरपालिका परिषद में 57 प्रतिशत पार्षदों को इस संशोधन के विषय में जानकारी है और 43 प्रतिशत पार्षदों को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

तालिका नं0 18

नगरपालिका परिषद के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी

परिषद के कार्य	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
मार्गो का निर्माण व सुधार	0	0
प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था	0	0
उद्यानोंका निर्माण एवं रखरखाव	0	0
उपर्युक्त सभी	30	87
नहीं जानते	5	13
कुल योग	35	100

इस तालिका के आंकड़ों के अनुसार झांसी नगरपालिका परिषद में 87 प्रतिशत पार्षदों को परिषद् के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी है और 13 प्रतिशत पार्षदों को परिषद के कार्यों के विषय में कोई जानकारी नहीं हैं। नगरीय संस्थाओं के कार्य स्थानीय जनता से ही सम्बन्धित होते हैं, इसलिये अधिकतर सभी व्यक्ति परिषद् के कार्यो के विषय में जानते हैं। अतः जो पार्षद परिषद के कार्यो के विषय में नहीं जानते हैं उनमें अधिकांश महिलायें होती हैं यह महिलायें अशिक्षित होने के कारण अथवा परिवारवालों के विवश करने पर प्रतिनिधित्व करती हैं।

तालिका नं0 19

वार्ड की जनता की सहायता का आधार

सहायता का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अपनी जाति के लोगोंकी	5	13
अपनी पार्टी के लोगोंकी	4	11
सभी लोगों की	26	76
कुल योग	35	100

नगरपालिका परिषद में निर्वाचित होने के बाद पार्षदों का कर्त्तव्य होता है कि वे अपने अपने वार्ड की साफ सफाई का ध्यान रखे और वार्ड की जनता की शिकायतों का निवारण करें। मगर कुछ लोगों की काम करने की मानसिकता जाति पर या दल पर आधारित होता है। झांसी नगरपालिका परिषद में 13 प्रतिशत पार्षद जाति के आधार पर वार्ड की जनता की सहायता करते हैं, 11 प्रतिशत पार्षद अपनी पार्टी के लोगों की सहायता तथा 76 प्रतिशत पार्षद सभी लोगों की सहायता करते हैं।

तालिका नं0 20

वार्ड में किये गये कार्यो निरीक्षण

निरीक्षण	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
करते हैं	15	43
कभी कभी करते हैं	15	43
कभी नहीं करते हैं	5	14
कुल योग	35	100

नगरपालिका परिषद के पार्षदों के कार्यों में प्रमुख कार्य अपने अपने वार्डो निरीक्षण करना। चुनाव के प्रचार प्रसार के समय तो प्रत्याशी वार्ड में प्रतिदिन दिखाई देते हैं, मगर चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात ये पार्षद वार्ड में कभी कभी ही दिखते हैं। और जब कार्यकाल पूरा होने का समय आता है तब ये पार्षद अपने अपने वार्ड के कार्यो में फिर सेसक्रिय हो जाते हैं। यही हाल झांसी नगरपालिका परिषद में है जिसमें 43 प्रतिशत पार्षद अपने अपने वार्ड में कार्यो का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, 43 प्रतिशत पार्षद वार्ड में कभी कभी निरीक्षण करते हैं तथा 14 प्रतिशत पार्षद कभी भी वार्ड का निरीक्षण नहीं करते हैं। वार्ड का निरीक्षण न करने वालों में अधिकांश महिलायें ही होती हैं जो वृद्ध होती हैं या उनके परिवार के सदस्य के सदस्य ही कभी कभी वार्ड का निरीक्षण कर आते हैं।

तालिका नं0 21

नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में विचार

वित्तीय स्थिति	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अच्छी है	19	56
मध्यम है	12	34
खराब है	2	5
पता नही है	2	5
कुल योग	35	100

74वें संविधान संशोधन के पूर्व नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति बड़ी ही दयनीय हुआ करती थी। ये संस्थायें करों पर या निजी सम्पत्ति के द्वारा प्राप्त आय पर ही निर्भर रहती थी। जिसमें ये सिर्फ अपने कर्मचारियों का वेतन दे पाती थी और थोड़ा बहुत निर्माण कार्य करवा पाती थी। मगर

इस संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पहले की अपेक्षा सुदृढ़ हो गयी है क्योंकि इनको अब राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि तथा निर्माण या विकास कार्यों के लिये वित्त प्राप्त होता है। झाँसी नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध 56 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि पूर्व की अपेक्षा नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति बेहतर हो गयी है, 34 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि परिषद की वित्तीय स्थिति अब न पहले की तरह खराब और न ही बहुत अच्छी हो गई है। 5 प्रतिशत पार्षदों का कहना था कि नगरीय संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्त जरूर प्राप्त हो रहा है मगर उस धन का प्रयोग परिषद् हित में नहीं हो रहा है। 5 प्रतिशत पार्षद परिषद की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं।

तालिका नं0 22

74वें संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष की कार्यकुशलता

कार्यकुशलता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
बढ़ी है	12	34
नहीं बढ़ी है	10	29
पता नहीं	13	37
कुल योग	35	100

74वें संविधान संशोधन से पूर्व अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हुआ करता था। इस संशोधन के बाद से अध्यक्ष का चुनाव वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होने लगा है। जिस कारण अध्यक्ष जनता के प्रति उत्तरदायी हो गयी है। झांसी नगरपालिका परिषद के पार्षदों से पूछने पर कि इस संशोधन के पश्चात् जब से अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होने से क्या इसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हुयी है। इस सम्बन्ध में 34 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष की कार्यकुशलता बढ़ी है तथा 29 प्रतिशत पार्षदों के अनुसार अध्यक्ष की कार्यकुशलता में कोई बदलाव नहीं आया है। 37 प्रतिशत पार्षदों का इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं था।

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् झांसी नगरपालिका परिषद में महिला पार्षदों की भूमिक तथा स्थिति –

वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। पुरूषों के समान स्वतंत्रता और शील तथा सम्मान की रक्षा करना महिलाओं कर्तव्य माना जाता था। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। मध्ययुग में पितृसत्तात्मक सत्ता थी। लिंगभेद के आधार पर स्त्री पुरूष की भूमिका निर्णित थी और स्त्रियों की स्थिति कमरे की चारदिवारी के अन्दर थी। यह युग स्त्रियों की स्थिति की दृष्टि से एक

कलक का युग माना जाता है। अंग्रेजों के समय में शिक्षा सुधार के प्रयास, पश्चिमी उदारतावाद, मानवतावाद और लोकतंत्र, स्वतंत्रता–समानता के कारण एवं स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को दिये अधिकार शिक्षा व्यवसाय जैसे आधुनिक कारकों के प्रभाव से महिलाओं के स्थान और भूमिका में बदलाव आया है।

महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा देश भर की पंचायतों व नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जो भारतीय स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है। यह कदम महिलाओं के राजनीतिक दायित्व को पूर्ण करेगा। इससे महिलाओं में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होगी और वह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में व क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभायेगी और सामाजिक विकास में तथा एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करने में अर्थपूर्ण कार्य करेगी।

74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने का सफल प्रयास किया गया है। परिणामस्वरूप महिलायें विभिन्न नगरीय निकायों में पदों पर आसीन हैं। आज इस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं का राजनीति में प्रवेश अनिवार्य हो गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये नगरीय संस्थाओं में बहुत ही बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया हैं देखना यह है अब इस संशोधन के माध्यम से ये देखना है कि झांसी नगरपालिका परिषद की महिला पार्षदों की सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है तथा परिषद में उनकी भूमिका एवं स्थिति क्या है? महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति में उनकी शैक्षिक योग्यता, राजनीतिक जागरूकता उनके मत का आधार व चुनाव में भाग लेने के निर्णय का आधार तथा परिवर्तित समाज में उनके स्तर आदि को सम्मिलित किया गया है।

महिला पार्षदों की शैक्षिक योग्यता –

शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलाऐं कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं जब हम चाहते हैं कि महिलायें राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बने तब उनका शिक्षित होना एवं जागरूक होना आवश्यक है। आज वह समय आ गया जब महिलायें पुरूषों के समान शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर रही है। इसी आधार पर झांसी नगरपालिका परिषद से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार परिषद की 80 प्रतिशत महिला पार्षद शिक्षित है तथा 20 प्रतिशत महिला अशिक्षित हैं। कुछ समय पश्चात् महिलाओं में शिक्षित एवं अशिक्षित का यह अन्तर भी समाप्त हो जायेगा।

महिला पार्षदों द्वारा मताधिकार के निर्णय का आधार –

भारत में महिलाओं को काननून वे सभी अधिकार प्राप्त है जो पुरूषों को प्राप्त हैं। फिर भी अधिकांश महिलायें अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाती हैं। कुछ ही ऐसी महिलायें हैं जो अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। आज भी अधिकांश महिलायें अपने मत का प्रयोग भी अपनी इच्छानुसार नहीं कर पाती बल्कि उनका यह निर्णय भी उनके परिवार वालों या पति द्वारा प्रभावित होता है। नगरपालिका परिषद की 33 प्रतिशत महिलायें अपने मत का प्रयोग परिवारवालों के कहे अनुसार करती हैं, 16 प्रतिशत महिला पार्षद पार्टी के आधार पर मत का प्रयोग करती हैं, इस सन्दर्भ में महिलाओं का कहना है कि उनके पति जिस पार्टी से जुड़े हैं वो उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देती हैं। 50 प्रतिशत महिला पार्षद स्वविवेक से प्रत्याशी के आधार पर मत का प्रयोग करती हैं।

महिला पार्षदों द्वारा चुनाव का निर्णय –

महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिये आवश्यक है कि उनका चहुमुखी विकास किया जाये। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाया जाये। इसके लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई है। मगर आज भी अधिकांश महिलायें 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रही है। आज जब महिला जनप्रतिनिधियों को पुरूष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिये खड़ा कर दिया गया है तब उसे अपने निर्णय स्वयं से लेने चाहिये। नगरीय निकायों के चुनावों में भी भाग लेने के लियें महिलायें पुरूषों पर आश्रित हैं। कुछ महिलाओं की यह स्थिति है कि उनको आरक्षण व्यवस्था होने के कारण चुनाव में भाग लेने के लिये विवश किया जाता है। यही हाल झांसी नगरपालिका परिषद में है 60 प्रतिशत महिला पार्षदों ने परिवार वालेां के कहने पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया, 10 प्रतिशत महिला पार्षदों ने दलवालों के कहने पर चुनाव में भाग लिया तथा 30 प्रतिशत महिला पार्षद ऐसी हैं जिन्होंने स्वविवेक से चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया है।

महिला पार्षदों को आरक्षण का ज्ञान –

आज जिस संशोधन की बजह से नगरीय संस्थाओं में महिलायें पदासीन हैं। उसी संविधान संशोधन के विषय में हीं अधिकांश महिलाओं को जानकारी नहीं है। महिलायें यह जानती है कि सरकार के द्वारा उनके लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, पर वह यह नही जानती कि आरक्षण व्यवस्था किस संशोधन के तहत की गई है। इतना सब होने के बावजूद महिलायें कानूनी अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। झांसी नगरपालिका परिषद में 10 प्रतिशत महिला पार्षद 74वें संविधान संशोधन के विषय में जानती हैं और 90 प्रतिशत महिला पार्षद को इस संशोधन का कोई ज्ञान नहीं है।

नगरपालिका परिषद की बैठकों में भागीदारी –

आरक्षण व्यवस्था के कारण महिलायें नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व तो अवश्य कर रही हैं जहां तक उनकी नगरपालिका परिषद की बैठकों में भागीदारी की बात है तो वह न के बराबर है। आज नगरीय निकायों को महिलाओं की जब सक्रियता की आवश्यकता है तब ये महिलाये इस अधिकार का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही है। झांसी नगरपालिका परिषद में 30 प्रतिशत महिला पार्षद परिषद की बैठकों में भाग लेती हैं 40 प्रतिशत महिला पार्षद बैठकों में कभी कभी भाग लेती हैं तथा 20 प्रतिशत महिला पार्षद परिषद की बैठकों में कभी भाग नहीं लेती हैं। आज आवश्यक है कि परिवार के सदस्य व स्थानीय लोग सभी मिलकर इन महिलाओं को सहयोग प्रदान करें, जिससे प्रत्येक नगरीय संस्थाओं को महिलाओं का उचित नेतृत्व प्राप्त हो सके।

महिला पार्षदों द्वारा राजनीति में आगे बढ़ने का निर्णय–

भारत में महिला विकास हेतु समय समय पर अलग अलग तरीके अपनाये गये। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था जब स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किए गए। इस संविधान संशोधन से नगरीय संस्थाओं की सत्ता संरचना में और निर्णय की प्रक्रिया में महिलाऐं भागीदार हुई। इतना ही नहीं इस से महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी। अब वह और अपनी शक्ति को सामाजिक विकास में तथा राजनैतिक कार्यकलापों में लगा सकेंगी और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगी। निःसन्देह राजनीति में भागीदारी से महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुयी। तभी झांसी नगर पालिका परिषद की 70 प्रतिशत महिला पार्षद राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं तथा 30 प्रतिशत महिला पार्षद राजनीति में आगे नहीं जाना चाहती हैं।

महिला पार्षदों का केन्द्रीय विधायिका में आरक्षण के प्रति रूझाव –

नगरीय संस्थाओं एवं पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के बाद अब केन्द्रीय विधायिका में महिलाओं के लिये आरक्षण की आवाज उठायी जा रही है। बल्कि सत्ता और सत्ता की भागीदारी के मुख्य गढ़ हैं – विधानसभा और लोकसभा। उसके लिये संसद में महिलाओं के आरक्षण का विधेयक 1986 से करवटें बदलता रहा है। तेरहवी लोकसभा की अवधि में प्रधानमंत्री ने विधेयक स्वीकार करने की उत्सुकता प्रकट की थीं। साथ ही साथ इस पर सभी पार्टियों की सहमति की भी बात उठाई थी, किन्तु बात नहीं बनी। यदि आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो निश्चय ही उसके बाद की आगामी लोकसभा कहीं अधिक सार्थक ही नहीं, आकर्षक और संभवतः अनुशासनप्रिय भी हो जाये। इसलिये झांसी नगरपालिका परिषद की 80 प्रतिशत महिला पार्षद का केन्द्रीय विधायिका में आरक्षण के प्रति रूझान है कि आरक्षण अवश्य होंना चाहिये। 20 प्रतिशत महिला पार्षद अभी भी आरक्षण के विपक्ष में हैं।

महिलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न कानूनों की जानकारी –

हमारे संविधान से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों में भी महिला एवं बालिकाओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारियां नहीं होने से महिलाऐं अनेक लाभों से वंचित रह जाती हैं। अधिकारों के साथ साथ सरकार द्वारा समय समय पर बनाये गये कानूनों की जानकारी कारवाई जानी चाहिये। झांसी नगरपालिका परिषद की 60 प्रतिशत महिलाओं को सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों की जानकारी है और 40 प्रतिशत महिला पार्षदों को इन अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी नहीं है।

महिला पार्षदों का सामाजिक परम्पराओं पर विचार –

राजनैतिक महौल में सहभागी महिलाओं के प्रति पुरूष प्रधान रूढ़िवादी सोच बदलनी चाहिये। उसको भी पुरूषों जैसा ही मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी चाहिए। किन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अधिकांश आबादी पिछड़ी होने के कारण अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर पा रही हैं, इसी कारण आज भी झांसी नगर के अधिकांश महिला पुरूष पुराने रीति रिवाज पर्दाप्रथा एवं अन्धविश्वासों में विश्वास करती हैं। पर्दाप्रथा के कारण नगरपालिका परिषद की कुछ महिला पार्षद परिषद की बैठकों की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेती हैं। परिषद् की 75 प्रतिशत महिला पार्षद सामाजिक परम्पराओं में आज भी विश्वास करती हैं। 25 प्रतिशत महिला पार्षद सामाजिक परम्पराओं में विश्वास नहीं करती हैं। महिलाऐं जब तक अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं बना सकते हैं।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में विचार –

झांसी नगरपालिका परिषद् की महिला पार्षदों का कहना है कि पहले की अपेक्षा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन अवश्य आया है लेकिन जितना अपेक्षित था उतना नहीं। इसके लिये सर्वप्रथम पुरूषों की विचारधारा में परिवर्तन लाया जाये जिससे वे महिलाओं को भी स्वयं के समान कार्य करने योग्य समझें। ऐसा तभी सम्भव है जब पुरूष समाज महिलाओं के कार्यों की अवहेलना न करके उनके कार्यो का आदर करें। पुरूषों की महिला सशक्तिकरण पर ज्ञानवर्धन करना आवश्यक है। उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने से उनके अधिकारों में कोई नहीं आयेगी।

झाँसी नगरपालिका परिषद् की कार्य प्रणाली

झाँसी नगरपालिका परिषद् की कार्यप्रणाली के अन्तर्गत नगरपालिका की बैठक और उसकी कार्यवाहियां, पत्र व्यवहार, लेखा, बजट, समिति और संयुक्त समिति, अधिवेशन का समय एवं नगरपालिका परिषद द्वारा शक्ति का प्रयोग और प्रत्यायोजन व कार्य और कार्यवाही की विधि ामान्यता आदि विषयों को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद झांसी नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति तथा तीन वर्ष का आय व्यय के विवरण का वर्णन किया गया है।

1. नगरपालिका की बैठकें और उसकी कार्यवाहियां –

नगरपालिका की कम से कम एक बैठक प्रतिमाह उस दिन होगी जो विनियम द्वारा निश्चित की जायेगी या जिसके बारे में उस रीति से, जिसका विनिमय द्वारा इस निमित्त उपबन्ध किया गया हो, नोटिस दिया जाये। अध्यक्ष जब उचित समझे एक बैठक बुला सकता है। इस बैठक के सम्बन्ध ा में सूचना प्रत्येक पार्षद को बैठक में उपस्थित होने के तीन दिन पूर्व दे दी जाती है। प्रत्येक बैठक नगरपालिका के कार्यालय में या ऐसे अन्य सुविधाजनक स्थान पर जिनके बारे में सम्यक रूप से नोटिस दे दिया गया हो, की जायेगी। अगर कारणवश बैठक स्थगित हो जाती है तब ऐसी दशा मे बैठक आगामी कार्य दिवस को किया जायेगा। अध्यक्ष उस सदस्य के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा जो नगरपालिका से स्वीकृति प्राप्त किये बिना नगरपालिका की बैठकों से लगातार तीन मास तक अथवा लगातार तीन बैठकों में, जो भी अवधि दीर्घ हो, अनुपस्थित रहा हो।

बैठक में कार्य सम्पादन –

नियम द्वारा इस निमित्त बनाये गये प्रतिफल किसी उपबन्ध के अधीन रखे हुए, किसी बैठक में कोई भी कार्य किया जा सकता हैं। परन्तु कोई ऐसा कार्य, जो विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा कार्य करने के अभिप्राय का नोटिस न दे दिया गया हो। लेकिन वह भी कि इस धारा की कोई बात ऐसे प्रस्ताव पर लागू नहीं होगी कि बोर्ड अध यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करने का संकल्प अंगीकार करे या न ऐसे प्रस्ताव पर कि नगरपालिका अध्यक्ष से पद त्याग की मांग करने का संकल्प अंगीकार करें।[1]

अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव –

अधिनियम की धारा 87 (क) के अनुसार अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव केवल नीचे निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। नगरपालिका के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का लिखित नोटिस, नगरपालिका के कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिये। तब जिला मजिस्ट्रेट उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित करेगा, जिला न्यायाधीश इस बैठक

की अध्यक्षता करेगा और प्रस्ताव को न्यायोचित समझने पर अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जायेगा।[2]

गणपूर्ति –

ऐसे कार्य जिसे विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित हो या नगरपालिका से सम्बन्धित अन्य कार्य को करने के लिये यह आवश्यक होगा कि तत्समय नगरपालिका के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित हों। परन्तु यह है कि यदि किसी बैठक में विहित गणपूर्ति के अभाव के कारण कार्य स्थगित करना आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष ऐसा कार्य करने पश्चात्, जो किया जा सकता, बैठक को अन्य दिनांक के लिये स्थगित कर देगा।[3]

बैठक की अध्यक्षता –

प्रत्येक नगरपालिका परिषद् की बैठक की अध्यक्षता परिषद् का अध्यक्ष करेगा एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। यदि किसी बैठक में न तो अध्यक्ष उपस्थित हो और न ही उपाध्यक्ष, तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे और ऐसा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते समय नगरपालिका के अध्यक्ष के सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा और उसकी सभी शक्तियों की प्रयोग कर सकेगा।[4]

बैठक में कतिपय अधिकारियों को उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार –

मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरप्रदेश जिले का मुख्य अधिकारी, अधिशासी अभियंता, विद्यालय निरीक्षक और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी नगरपालिका की बैठक में उपस्थित रहने और किसी ऐसे विषय पर जिसका उनसे सम्बन्धित विभागों पर प्रभाव पड़ता हो, नगरपालिका को सम्बोधित करने के हकदार होंगे।[5]

3. पत्र व्यवहार, लेखा, बजट आदि का संचालन –

अधिनियम की धारा 95 के अनुसार ऐसा या ऐसे मध्यवर्ती कार्यालय, यदि कोई हों, जिसके या जिनके माध्यम से और राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार किया जायेगा और नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को सम्बोधित अभ्यावेदन भेजे जायेंगे। निर्माण कार्य के रेखांकन और प्राक्कलन तैयार करना जो अंशतः या पूर्णतः नगरपालिका के व्यय पर निर्मित किये जाने हों। प्राधिकारी जिसके द्वारा और शर्त जिनके अधीन रहते हुए ऐसे रेखांख और प्राक्कलन स्वीकृत किये जा सकते हैं लेखा जो नगरपालिका द्वारा रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार लेखा परीक्षा की जायेगी और ये प्रकाशित किये जायेंगे और अनुज्ञात करने तथा अधिभार के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की शक्ति है। दिनांक जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिये बैठक होगी। नियमों के अनुसार ही नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, वक्तव्य और रिपोर्ट प्रस्तुत

की जायेगी तथा नगरपालिका के कार्यालय और निर्माण कार्य का नियमित सावधिक निरीक्षण किया जायेगा।[6]

4. समिति और संयुक्त समिति –

नगरपालिका कार्य की सुविधा की दृष्टि से समितियों को नियुक्त कर सकती है। नियम द्वारा ऐसी समितियां स्थापित करना जिन्हें वह उचित समझे या जिनके लिए राज्य सरकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कर्तव्यों का पालन या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिये जो धारा 112 के अधीन किसी समिति को प्रत्यायोजित किये जाये, निर्देश दिये जायें।

सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति –

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे संकल्प द्वारा, जिसका समर्थन तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों ने किया हो, किसी भी व्यक्ति को चाहे वह स्त्री हो या पुरूष और जो नगरपालिका की विशेष अर्हता रखता हो, समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। परन्तु समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।[7]

समिति का सभापति –

नगरपालिका किसी भी समिति का सभापति नियुक्त कर सकती है। नगरपालिका द्वारा सभापति नियुक्त न करने की दिशा में समिति अपने सदस्यों में से सभापति नियुक्त करेगी।[8]

समितियों की प्रक्रियां –

समितियां, जब वे उचित समझे, बैठक कर सकती हैं या उसे स्थगित कर सकती हैं किन्तु समिति का सभापति, जब भी वह ठीक समझे, समिति की बैठक बुला सकता है और नगरपालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलाएगा। उपबन्ध के अधीन रहते हुए किसी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उसमें समिति के एक चौथाई से अधिक सदस्य उपस्थित न हो।[9]

समिति का नगरपालिका के अधीनस्थ होना –

बोर्ड किसी भी समय, किसी समिति को किसी भी कार्यवाही के उद्धरण और किसी ऐसे विषय से, जिसके लिए समिति कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत या निर्देशित की गयी हो, सम्बद्ध या संशक्त कोई विवरणी, विवरण पत्र लेखा या रिपोर्ट मांग सकती है।[10]

संयुक्त समिति –

नगरपालिका एक या एक से अधिक किसी अन्य अनुमति देने वाली स्थानीय प्राधिकारी को सम्मिलित करके, कोई ऐसा कार्य करने के प्रयोजनार्थ जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त लिखित के माध्यम से संयुक्त समिति नियुक्त कर

सकता है और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो नियुक्त करेगा।[11]

नगरपालिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग और प्रत्यायोजन –

अधिनियम की धारा 111 के अनुसार नगरपालिका द्वारा शक्ति, कर्त्तव्य और कृत्यों का प्रयोग नगरपालिका के सन्दर्भ में किया जा सकता है। नगरपालिका सभी या किसी शक्ति, कर्त्तव्य या कृत्य को, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को प्रदत्त या अधिरोपित या समनुदेशित किये गये हों, विनिमय द्वारा प्रत्यायोजित कर सकती हैं।

कार्य और कार्यवाही की विधिमान्यता –

अधिनियम की धारा 113 के अनुसार नगरपालिका में या नगरपालिका की समिति में किसी रिक्ति के कारण नगरपालिका या ऐसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही दूषित नहीं होगी। इस अधिनियम के अधीन के नगरपालिका सदस्य या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नाम निर्देशन या नियुक्ति में या नियुक्ति की गयी किसी समिति के सदस्य रूप में या यथास्थिति, नगरपालिका या ऐसी समिति की किसी बैठक के अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यंक्ति के निर्वाचन नाम निर्देशन किये जाने में किसी निर्योग्यता या त्रुटि के कारण नगरपालिका या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को दूषित नहीं समझा जाएगा, यदि कार्य करते या कार्यवाही किये जाते समय अधिकांश उपस्थित व्यक्ति अर्ह या नगरपालिका या समिति के सम्यक रूप से निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्य रहे हों।

झाँसी नगरपालिका परिषद् के बजट सम्बन्धी प्रावधान –

नगरपालिका आगामी मार्च के 31 वें दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वास्तविक और प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा तैयार करायेगा और उसके ठीक बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिनांक को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नगरपालिका की आय और व्यय के बजट प्राक्कलन के साथ उसे प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो इस निमित्त नियमतः निश्चित किया जाये, होने वाली बैठक में अपने समक्ष रखवाएगा। नगरपालिका ऐसी बैठक में बजट प्राक्कलन में वर्णित विनियोग और अर्थोपाय के बारे में निर्णय करेगा और विशेष संकल्प द्वारा बजट स्वीकृत करेगा जिसे राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारियों को जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करें, प्रस्तुत किया जायेगा। नगरपालिका समय समय पर जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय हो सके, बजट में विशेष संकल्प द्वारा फेर फार कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता हैं

बजट के तैयार करने में नगरपालिका ऐसा न्यूनतम अंत अतिशेष बनाये रखने की व्यवस्था करेगी, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करें यदि राज्य सरकार की राय में किसी नगरपालिका की ऋणता की दशा हो कि उसके कारण उसके बजट पर राज्य सरकार का नियन्त्रण वांछनीय हो कि राज्य सरकार आदेश द्वारा उस दशा की घोषणा करके यह निर्देश दे सकती है कि

ऐसी नगरपालिका का बजट राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को स्वीकृति के अधीन होगा और यह धारा 99 की उपधारा (3) के अधीन बजट में फेरफार या उसमें परिवर्तन करने की शक्ति नियम द्वारा विहित शर्तों के अधीन होगी।

जहाँ बजट स्वीकृत कर दिया गया हो, वहां नगरपालिका बजट के किसी ऐसे शीर्षक के अधीन जो उस शीर्षक से भिन्न हो जिसमें करों के प्रतिदाय की व्यवस्था की गई हो, उस शीर्षक के अधीन स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय बजट में फेरफार या परिवर्तन करके ऐसी अधीन राशि की व्यवस्था किए बिना नहीं करेगा। जहां किसी ऐसे शीर्षक के अधीन, जिसमें करों के प्रतिदाय के व्यवस्था की गयी हो, उस शीर्षक के अधीन स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाये तो ऐसे व्यय के लिए बजट में फेरफार करके अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी।

झांसी नगरपालिका परिषद की गत तीन वर्षो की वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2004 – 05 की अनुमनित आय का विवरण इस प्रकार है।

झांसी नरगपालिका परिषद की गत तीन वर्षो की वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2004–05 की अनुमानित आय का विवरण

1. निजी स्रोतों की आय

वर्ग (क) करों से आय

क्र0 सं0	मद का नाम बजट शीर्ष के अनुसार	2001–02 वास्तविक	2002–03 वास्तविक	2003–04 वास्तविक	2004–055 अनुमानित
1	**सम्पत्ति कर**				
	1. गृहकर	47,20,144	60,14,116	95,63,196	150,00,000
	2. जलकर	–	–	–	–
	3. सीवर कर	–	–	–	–
	4. जल निस्तारण कर	–	–	–	–
2	वाहन करन	–	–	–	10,000
3	पशुओं पर कर (कुत्तों पर)	–	–	–	100
4	व्यापार आजीविकाओं और व्यवसायों पर कर	–	–	–	–
5	कुत्तो पर कर	–	–	–	–
6	परिवृद्धि कर (बेटरमेन्ट टैक्स)	–	–	–	–
7	2 प्रतिशत अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेखों पर कर	44,04,125	96,19,996	–	1,60,00,000
8	विज्ञापन कर (हार्डिंग फीस)	4,08,863	6,88,525	7,70,850	10,00,000
9	प्रेक्षागृह (थियेटर) पर कर	1,68,565	1,78,560	2,54,480	3,00,000
10	अन्य पर	–	–	–	–
	योग कर (क)	97,01,697	1,65,01,197	1,05,88,526	3,23,10,100

1. निजी स्रोतों की आय

वर्ग (ख) करों से आय

क्र0 सं0	मद का नाम बजट शीर्षक के अनुसार	2001–02 वास्तविक	2002–03 वास्तविक	2003–04 वास्तविक	2004–05 वास्तविक
1	जलमूल्य				
2	किराया (भूमि,भवन,सराय,दुकान व किराये की गाड़ियों से किराया)	15,81,522	15,69,080	15,65,840	20,00,000
3	तहबाजारी	19,73,706	21,61,579	24,57,324	28,00,000
4	पार्किंग शुल्क	08,97,274	9,47,437	11,08,625	14,00,000
5	लाइसेन्सिंग शुल्क	7,66,292	8,74,437	6,93,549	10,00,000
6	बिक्री से आय (भूमि,भवन,वृक्षों,फलों,मशीनरी,संयंत्र तथा चल सम्पत्ति की बिक्री से)				
7	ठेके से आय				
8	वधशाला	14,65,325	1,14,176	16,78,893	20,00,000
9	सम्पत्ति की क्षति के लिए प्रतिकर				
10	रोड कटिंग	10,379	2,58,220	15,701	2,00,000
11	पंजीयन शुल्क				
12	कांजी हाउस शुल्क व जुर्माना	–	3,821	–	–
13	प्रतिलिपि शुल्क	38,228	72,309	1,34,770	1,50,000
14	नामान्तरण शुल्क	5,88,330	5,45,700	2,65,500	5,00,000
16	पार्किंग शुल्क				
17	मेले/हाट/प्रदर्शनी से आय				
18	अन्य करेत्तर मदवार (अना0प्र0प0)	–	49,900	2,64,200	5,00,000
अ	खाद बिक्री/टैंकर सफाई	21,197	50,678	97,115	1,17,000
ब	दुकानों का प्रीमियम	32,400	2,37,750	2,17,199	5,00,000
स	हैकनी कैरिज	1832	–	1330	3000
द	विविध आय	7,63,368	21,06,912	35,33,369	41,30,000
य	अन्य लाइसेन्स (व्यावसायिक)	–	1,97,089	2,44,578	4,00,000
	योग करेत्तर राजस्व (ख)	81,39,853	91,90,765	1,22,77,993	1,57,00,000
	निजी स्रोतों की कुल आय (क + ख)	1,78,41550	2,56,91,966	2,28,66,519	4,80,10,100

(ग) शासकीय संक्रमण/अनुदानों से आय (आयोजनागत/आयोजनेत्तर)

क्र0 सं0	मद का नाम बजट शीर्षक के अनुसार	2001–02 वास्तविक	2002–03 वास्तविक	2003–04 वास्तविक	2004–05 वास्तविक
1	2	3	4	5	6
1	आयोजनागत विकास कार्यों के लिए प्राप्त शासकीय अनुदानों से आय 11 वें वित्त आयोग की धन0	27,38,000	1,08,97,070	54,72,750	55,00,000
2 (i)	आयोजनागत राजय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार संक्रमित धनराशि	7,80,73,273	8,37,19,000	8,93,98,000	12,00,00,000
(ii) 3	अन्य मद रिवाल्विंग फण्ड अन्य अनुदानों से आय (विवरण सहित)				
	सांसद/विधायक निधि अन्य विकास मद, गांव सभा से प्राप्त	3,48,79,300	42,59,000	22,31,000 9,43,106	50,00,000 10,00,000
	(अ) बुन्देलखण्ड विकास निधि	–	–	–	–
	(ब)				
	(स)				
	योग – (ग)	11,56,90,573	9,88,75,070	9,80,44,856	13,15,00,000
	(घ) ऋणों से आय शासकीय/अशासकीय	–	–	–	–

(ग) शासकीय संक्रमण/अनुदानों से आय (आयोजनागत/आयोजनेत्तर)

क्रं0 सं0	मद का नाम बजट शीर्षक के अनुसार	2001–02 वास्तविक	2002–03 वास्तविक	2003–04 वास्तविक	2004–05 वास्तविक
1	2	3	4	5	6
	शासकीय ऋण				
(i)	रिवाल्विंग फण्ड	20,00,000	–	30,00,000	30,00,000
(ii)	अन्य शासकीय ऋण				
	(अ)				
	(ब)				
	(स)				
2	अशासकीय ऋण				
	वेतन हेतु				
	भविष्य निधि हेतु				
	आवासीय योजना हेतु				
	पेयजल योजना हेतु				
	निर्माण हेतु				
	अन्य ऋण विवरण सहित				
	योग – (घ)				
	कुल आय का योग (क+ख+ग+घ)	13,55,32,123	12,45,67,036	13,39,11,375	18,25,10,100

रूप पत्र – 2

निकायों की गत तीन वर्षो की वास्तविक तथा 2002–03 की मदवार अनुमानित व्यय का विवरण

क्र0 सं0	मद का नाम बजट शीर्षक के अनुसार	2001–02 वास्तविक	2002–03 वास्तविक	2003–04 वास्तविक	2004–05 वास्तविक
1	2	3	4	5	6
	वर्ग–क–अधिष्ठान व्यय को छोड़कर सामान्य प्रशासन (जिनमें कार्यालय व्यय आदि शामिल हो)	1,15,900	4,02,500	2,88,685	775,000
	2. पथ प्रकाश				
	क– मरम्मत/रखरखाव पर व्यय स्टीट लाईट	4,80,900	–	3,15,650	13,87,000
	ख– नये सड़कों के निर्माण पर व्यय स्ट्रीट लाईट बिल सहित	39,30,691	39,35,300	28,02,899	78,63,000
	3. सड़क निर्माण				
	क– मरम्मत/रखरखाव पर व्यय	5,74,89,293	2,10,66,426	2,51,41,692	4,53,70,000
	ख– नये सड़कों के निर्माण पर व्यय	1,01,45,170	90,28,468	1,35,37,835	2,44,30,000
	4. भवन/अन्य निर्माण (नाली, खडंजा, पार्क आदि)	2,12,346	–	–	1,00,00,000
	क– मरम्मत/रखरखाव पर व्यय				
	ख– नये निर्माण कार्य पर व्यय				
	5. जल सम्पूर्ति पर व्यय	1,00,00,000	–		–
	क– अनुरक्षण पर व्यय यथा – (पाइप विस्तार मोटर आदि के एवं जलकल के आधुनिक आदि के क्रय अन्य नवीन कार्य) अन्य नवीन कार्य				
	6. सफाई उपकरण				
	क– मरम्मत/रखरखाव (डीजल व्यय)	5,64,880	38,56,200	38,89,540	58,00,000
	ख– सफाई उपकरण क्रय पर व्यय	50,83,800	11,97,267	28,51,284	50,00,000
	ग– अन्य सफाई व्यवस्था पर व्यय				4,10,000
	घ– अन्य नागरिक सुविधाओं पर व्यय				
	7. मेले/हाट/प्रदर्शनी पर व्यय				

झाँसी नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति –

74 वें संविधान संशोधन से पूर्व उत्तर प्रदेश की प्रत्येक नगरपालिका परिषदों की तरह झांसी नगरपालिकापरिषद की वित्तीय स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति में थी। इस संशोधन के माध्यम से नगरीय संस्थाओं में किये गये परिवर्तनों में सबसे प्रमुख परिवर्तन इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना था। लगभग देश के सभी राज्यों की नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षित थी। किन्तु अब राज्य सरकार द्वारा नगरीय संस्थाओं को प्रदान किये जा रहे वित्त कोष एवं अनुदान राशि आदि की सहायता से इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है।

वर्तमान समय में झांसी नगरपालिका परिषद को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राज्य वित्त, दशम वित्त आदि के माध्यम से नगर की प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण आदि कार्य 1998–99 वर्ष में कराये गये। इसी प्रकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त वित्त, विधायक निधि से प्राप्त वित्त से नगर में निर्माण एवं विकास कार्य कराये गयें हैं। उपर्युक्त स्थिति से प्रतीत होता है कि पहले की अपेक्षा नगरपालिका परिषदों को नगर के विकास कार्य के लिये काफी सहायता प्रदान की जा रही है। झांसी नगरपालिका परिषद की विगत तीन वर्षो के वास्तविक आय व्यय के विवरण पर दृष्टिपात करने पर परिषद् की वित्तीय स्थिति अच्छी होती प्रतीत हो रही है। क्योंकि वर्ष 2001–2002 में परिषद् की आय 13,5532,123 से घटकर 12,45,67,036 वर्ष 2002–03 में हो गई थी लेकिन वर्ष 2003–2004 में परिषद की आय 12,39,11,375 से बढ़कर 18,25,10,100 वर्ष 2004–05 में होना अनुमानित है। उपर्युक्त वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् झांसी नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है।

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद्

मऊरानीपुर नगर का परिचय

स्वाभिमान, शौर्य और ह्रदय की निर्मलता का संगम यदि कहीं देखना है तो बुन्देलखण्ड की लहुसिंचित भूमि पर ही दृष्टिगोचर होता है। इसके लिए इस तेजोमय भूमि को भारी कीमत के रूप में समृद्धि को त्यागकर आर्थिक विपन्नता को गले लगाना पड़ा है।

चार सौ वर्ष पूर्व सुखनई नदी व सपरार के किनारे महुवा के वृक्षों की बहुलता पूर्ण जंगल था। दोनो नदियों के संगम पर आबादी का प्रारम्भ हुआ जिसे पुरानीमऊ कहा जाता था। और आज यह नगर मऊरानीपुर के नाम से जाना जाता है। बुन्देलखण्ड का यह नगर पहले ओरछा रियासत के अधीन था। उसके बाद यह बुन्देलखण्ड के पराक्रमी शासक ''छत्रसाल'' के शासन में सम्मिलित हो गया। कुछ समय पश्चात् छत्रसाल को वृद्ध जानकर मीरबक्स ने उन पर हमला कर दिया। यह युद्ध जैतपुर (जो वर्तमान समय में जिला हमीरपुर के कस्बा बेलाताल) में हुआ था। महाराजा छत्रसाल ने इस युद्ध में बाजीराव से सहायता मांगी थी और महाराजा छत्रसाल के आमंत्रण पर बाजीराव अपनी सेना के साथ छत्रसाल की सहायता को पहुंचे। छत्रसाल की बुन्देली सेना और बाजीराव की मराठी सेना के मध्य फंसकर मीरबक्श बुरी तरह पराजित हुआ। विजय के उल्लास में महाराजा छत्रसाल ने झांसी और बांदा की रियासतों को 'बाजीराव' को परितोषक के रूप में प्रदान कर दिया। तब से मऊरानीपुर मराठा शासकों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया।

कालान्तर में छतरपुर राज्य तत्कालीन शासक द्वारा वहां के जैन व्यवसायियों का उत्पीड़न किये जाने पर जैन लोग वहाँ से पलायन कर मऊरानीपुर में बस गये। प्राचीन समय में मऊरानीपुर के मुख्य व्यवसायी जैन सम्प्रदायी ही थे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संघर्ष (गदर) के पूर्व, तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा इस नगर को ओरक्षा राज्य से छीनकर कब्जा कर लिया गया था तथा 1869 में मऊरानीपुर में ब्रिटिश शासकों द्वारा नगरपालिका स्थापित की गई थी। प्रारम्भ में समीपवर्ती रानीपुर नगरपंचायत भी मऊरानीपुर नगरपालिका में सम्मिलित थी परन्तु सन् 1912 में रानीपुर को मऊरानीपुर नगरपालिका से पृथक कर दिया गया। कुछ समय पश्चात् मऊरानीपुर नगर में नगरपालिका स्थापित होने के उपरान्त अंग्रेजी शासकों द्वारा इस नगर में कुछ विकास कार्य भी किये गये, जिसमें एक बाजार का निर्माण कराया गया जो आज भी जीर्ण–शीर्ण स्थिति में वर्तमान है।

भौगोलिक स्थिति

भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश राज्य के सुदूर दक्षिण–पश्चिम अंचल

में स्थित, स्वतन्त्रता का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाला जनपद झांसी है। झांसी जनपद का नाम राष्ट्र की स्वतंत्रता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी झांसी जनपद की ही महत्वपूर्ण एक तहसील मऊरानीपुर है। जो जनपद के मुख्यालय से 65 कि0मी0 दक्षिण–पूर्व में स्थित है। इस नगर के पांच किमी0 दूरी पर मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जनपद की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। यह नगर 25:15 उत्तरी अक्षांश एवं 79:11 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग छः वर्ग कि0मी0 है। झांसी से मिर्जापुर का राजमार्ग मऊरानीपुर नगर होकर ही निकला है। इस नगर में मऊरानीपुर तहसील का मुख्यालय भी है। जो झांसी जनपद की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। यह नगर प्राचीन समय से ही झांसी जनपद का व्यापारिक केन्द्र रहा है।

जलवायु परिदृश्य

मऊरानीपुर नगर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र पत्थरों की पहाड़ियों से घिरा है, जिसके कारण इस नगर की जलवायु अर्धशुष्क मानूसनी जलवायु है। यहां पर गर्मियों में पत्थर की पहाड़ियों की ज्वलन्त तपन से अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसके विपरीत सर्दियों में ठण्ड का भी अधिक प्रकोप रहता है। यहाँ पर गर्मियों और सर्दियों के तापमान में बहुत अधिक अन्तर पाया जाता है। गर्मियों में अत्यधिक गर्म हवायें चलती हैं। यहाँ पर वर्षा जुलाई अगस्त तथा दिसम्बर में होती है। और चक्रवाती वर्षा भी होती है। इस नगर के मध्य से सुखनई नदी प्रवाहित है। जिसमें बरसात के मौसम में कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है।

अप्रैल से जून के मध्य यहाँ पर गर्म और धूल भरी हवायें चलती हैं। सर्दियों में दिसम्बर और जनवरी में अधिक सर्दी होने के कारण कोहरे की धुन्ध छायी रहती है। सन् 1990 में एक बार सुखनई में बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ था, उस बाढ़ में एक दो लोगों की जानें भी चली गयी थी।

जनसंख्यात्मक स्वरूप

1 मार्च 1991 के सूर्योदय के समय भारत की जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) 84,63,02,688 थी। उस समय विश्व की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में था। इस जनगणना के अनुसार मऊरानीपुर की जनसंख्या 43714 थी, जिसमें स्त्रियों की संख्या 20671 एवं पुरूष की संख्या 23040 थी। पुरूषों की संख्या की अपेक्षा स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत कम था। 1991 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 11572, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 4 एवं पिछड़ी जाति की संख्या 14403 थी। अनुसूचित जाति की तुलना में यहाँ पर पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की संख्या अधिक है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,02,70,15,247 थी। 1991 की तुलना में नगर की 2001 में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 24.27 हो गया। अब मऊरानीपुर नगर की जनसंख्या 1991 की जनगणना से बढ़कर 50,886 हो गई है। जिसमें पुरूषों की संख्या 26,953 तथा स्त्रियों की संख्या 2393 है। पहले की भांति वर्तमान में भी पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। कुल जनसंख्या 50,886 में 31,632 व्यक्ति साक्षर है। और 19,254 व्यक्ति निरक्षर हैं। कुल जनसंख्या में 13042 व्यक्ति दीर्घ कालिक हैं, 1528 व्यक्ति अल्पकालिक और 36,316 व्यक्ति गैर कर्मी हैं। पारिवारिक उद्योग की दृष्टि से 19,44 व्यक्ति अपने कार्यो में लगे हुये हैं और 424 लोग खेतिहर मजदूर हैं।

1991 की जनगणना की अपेक्षा 2001 में मऊरानीपुर की जनगणना में काफी वृद्धि हुयी है। इस जनसंख्या वृद्धि के लिये कई कारण उत्तरदायी हैं। प्रथम कारण यह है कि मऊरानीपुर में गांवों से लोग भारी संख्या में आते हैं। चुंकि गांवों में शिक्षा का अभाव है इसीलिये ग्राम के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिये यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। दूसरा कारण है कि गांवो की वियुत व्यवस्था अच्छी नहीं है जिससे वहां के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे लोग इस नगर की ओर भाग रहे हैं। तीसरा कारण है कि गांवो में कृषि ही मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन है और वहाँ के लोग मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित रहते हैं व कृषि का स्तर भी निम्न है जिससे व्यापार करने के लिये और रोजगार की तलाश में प्रतिवर्ष भारी संख्या में व्यक्ति इस नगर में आते हैं। इस प्रकार मुख्यरूप से ग्रामीण पलायन इस नगर की जनसंख्या वृद्धि के लिये उत्तरदायी है और इस क्षेत्र में बढ़ती हुयी जनसख्या के लिये उत्तरदायी है। अन्त में जनसंख्या वृद्धि के लिये यहां का परम्परागत दृष्टिकोण भी उत्तरदायी है क्योंकि यहां के अधिकांश निवासी परम्परावादी हैं जो पुत्र के महत्व को अधिक मानते हैं। जिससे एक पुत्र के लिये उनके परिवारों की सदस्य संख्या बढ़ जाती है क्योंकि एक पुत्र के लिये उनके परिवार में चार–पांच लड़कियों का जन्म हो जाता है। इस प्रकार उर्पयुक्त कारणों से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

शैक्षणिक स्वरूप

मऊरानीपुर नगर की कुल जनसंख्या 50,886 में 31,632 व्यक्ति साक्षर हैं। जिसमें 19,254 व्यक्ति निरक्षर की श्रेणी में आते हैं। यदि स्त्री पुरूष की साक्षरता का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाये तो इस नगर में स्त्रियाँ, पुरूषों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ी हुयी हैं। क्योंकि साक्षर व्यक्तियों में 18,822 पुरूष साक्षर हैं और 12810 स्त्रियाँ साक्षर हैं। 1991 की जनगणना की तुलना

में 2001 की जनगणना में मऊरानीपुर नगर की साक्षरता प्रतिशत में काफी कुछ वृद्धि हुयी है। 1991 में 22091 व्यक्ति मऊरानीपुर नगर में साक्षर और 21623 व्यक्ति निरक्षर थे। जिसमें 13920 पुरूष साक्षर और 8171 स्त्रियां साक्षर थीं।

मऊरानीपुर नगर में दो महाविद्यालय हैं जो सहशिक्षा पर आधारित हैं। इस नगर में बालिकाओं के लिये दो इण्टरमीडिएट विद्यालय और बालको के लिए तीन विद्यालय तथा 9 प्राथमिक विद्यालय हैं। संस्कृत अध्ययन के लिये यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त इस नगर में संगीत विद्यालय, सिलाई एवं हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र और कम्प्यूटर प्रशिक्षण, संस्थायें भी हैं। इस प्रकार साक्षरता प्रतिशत को देखने से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियां पीछे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन यह क्षेत्र जागरूकता की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की स्थापना से शैक्षिक स्तर में भी काफी सुधार हो रहा है। तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी इस नगर में कम्प्यूटर संस्थाओं ने भी काफी योगदान दिया है।

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

गौरव, शौर्य और ह्रदय की निर्मलता का संगम यदि देखना है तो बुन्देलखण्ड की भूमि पर ही देखा जा सकता है। इस क्षेत्र के मऊरानीपुर नगर में भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यहाँ की लोक संस्कृति ने मानवीय भावनाओं के सूक्ष्म तन्तुओं को समझा है और उसी के अनुरूप अपने को ढाला है। इस नगर की भूमि की अनूठी संस्कृति में सामाजिकता की झलक प्रमुख रूप से दिखती है। यहाँ की लोक परम्पराओं एवं उत्सवों में जल–बिहार उत्सव भी एक है। इस उत्सव को मऊरानीपुर में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मऊरानीपुर का जलबिहार पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अत्यन्त प्रसिद्ध है। यहाँ इस अवसर पर पिछले कई दशकों से दर्शनार्थियों की भारी भीड़ के कारण मेला लगता आया है। इस मेले में 10 दिन सारे क्षेत्र की जनता मेले में अन्य मनोरंजनों के साथ साथ रात्रि में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी निःशुल्क आनन्द लेती है।

'जलबिहार महोत्सव' गणेशोत्सव की भांति गणेश चतुर्थी से प्रारम्भ हो जाता है। तब नगर भर में घर घर सजाई गई नयनाभिराम झांकियों का प्रदर्शन होने लगता है। यह उत्सव पूर्णमासी तक निरन्तर चलता रहता है। मेले में दूर–दूर से दर्शनार्थी व व्यापारी आकर भाग लेते हैं। खेल तमाशों के साथ भारी भीड़ जुड़ती है। नगर के सौ से ऊपर मन्दिर में से लगभग 80–85 मन्दिर विमान रूप में नगर मे घूमते हैं और जल बिहार के लिये यहां की निर्मल धारा सुखनई नदी में स्नान करते हैं।

धुनषधारी, बड़े बाबा, रामकृष्ण मन्दिर, गणेश मन्दिर, मातन का मन्दिर, लठाटोर महाराज आदि विमान जनता में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक जन समूह लठाटोर महाराज के दर्शन के लिए उमड़ता है। यह विमान तीसरे दिन निकलता है। ग्रामीण महिलायें इस विमान के दर्शन के लिए विशेष श्रद्धाभाव से आती है।

इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का व्यय इस क्षेत्र की जनता द्वारा बड़ी ही सहृदयता से वहन किया जाता है। जिस उत्साह एवं उल्लास के साथ ग्रामीण जन इस मेले में उमड़ पड़ते हैं वह देखते ही बनता है। मऊरानीपुर नगर एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ के लोगों की धार्मिक अभिव्यक्तियों की झलक यहाँ के मन्दिरों में देखने को मिलती है। इस नगर की इसी धार्मिकता और लोगो का ईश्वर के प्रति विश्वास होने के कारण यहाँ पर मन्दिरों की भरमार है जिससे इसे बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अयोध्या नगरी कहा जाता है।

मऊरानीपुर वह धन्य भूमि है जिसे स्व. श्री घासीराम जी ब्यास और श्री नरोत्तम जी पाण्डेय जैसे सुकवियों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक स्व. श्री बृन्दावन लाल जी वर्मा का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पूर्वजों का घर शायद अब भी अपनी हालत में यहाँ मौजूद है। बुन्देलखण्ड के सुविख्यात लोककवि ईसुरी का जन्मस्थली मेंढ़की भी यही से थोड़ी दूर पर स्थित है। ब्रिटिश के आधिपत्य के प्रारम्भिक काल में मऊरानीपुर समस्त बुन्देलखण्ड का एक प्रमुख बल्कि कहना चाहिएं कि सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र रहा है। एक अंग्रेज लेखन ने (1890) यहाँ के भारतीय ढंग के बने घरों के स्थापत्य की बड़ी प्रशंसा की।

सामाजिक स्तर

मऊरानीपुर नगर में मुख्य रूप से हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन बहुसंख्यक दृष्टि से हिन्दु अधिक हैं। कुछ सिन्धी सम्प्रदाय के लोग भी रहते हैं। वैसे मऊरानीपुर नगर में लगभग सभी जातियों और वर्गो के लोग रहते हैं। इस नगर के सामाजिक ताने बाने में वैश्य समाज की बहुलता रही है। वैश्यों में विशेष रूप से गहोई और अग्रवाल समाज की प्रमुखता रही है, इनके अलावा ओमर, वैश्य, माहेश्वरी, एवं अन्य उपजातियों के वैश्य भी स्थाई रूप से निवास करते हैं। कालान्तर में छतरपुर राज्य में वहाँ के तत्कालीन शासक द्वारा जैन व्यवसायियों का उत्पीड़न किये जाने पर जैन लोग वहाँ से पलायन कर मऊरानीपुर में बस गये थे। मऊरानीपुर नगर में स्थायी रूप से निवास करने के कारण जैन इस नगर के मुख्य व्यवसायी बन गये प्राचीन समय से ही मऊरानीपुर नगर जैन सम्प्रदायियों का मुख्य व्यवसायिक केन्द्र होने के कारण यह नगर झांसी जनपद की आर्थिक

और व्यवसायिक राजधानी के रूप में जानी जाती रही है। वर्तमान समय में इस नगर से जैन सम्प्रदायियों का व्यवसाय अच्छी तरह से न चलने के कारण वे यहाँ से अन्य शहरों में पलायन कर चुके हैं। पहले कभी इस नगर को जेन व्यवसायियों का व्यापारिक केन्द्र कहा जाता था पर आज नहीं वैश्य समाज के अतिरिक्त ब्राम्हण समाज के लोग भी अधिकांश संख्या में रहते हैं। पिछड़ी जातियों में विशेषकर कुशवाहा (काछी), नाई, यादव, स्वर्णकार, तमेरे एवं अनुसूचित जातियों में कोरी, चमार, धोबी एवं बसोर जाति के लोग क्रमशः बहुलता में रहते हैं। उच्च वर्ग में ब्राम्हण क्षत्रिय एवं वैश्य आदि जातियां, व्यापार वर्ग एवं कृषक वर्ग से सम्बन्धित हैं लेकिन व्यापार में वैश्य जाति के लोग अन्य जातियों की अपेक्षा प्रथम स्थान पर हैं। कृषि में वैश्य, ब्राम्हण एवं यादव जातियां आगे हैं। इसका पहला कारण है इस नगर में ये जातियां अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं। दूसरा कारण यह है कि अधिकतर कृषि भूमि पर इन्हीं जातियों का स्वामित्व है। पिछड़ी जातियों में यादव, स्वर्णकार एवं तमेरे की संख्या आर्थिक समृद्धि में आगे हैं।

अनुसूचित जातियों में कोरी जाति अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इसके दो कारण हैं पहला तो यह है कि इस नगर में हथकरघा उद्योग छोटे बड़े स्तर पर स्थापित है जो कोरी जाति के माध्यम से अधिक संचालित है। इसीलिये इस जाति के अधिकांश लोग समृद्ध हैं। दूसरा कारण यह है कि इस जाति के स्थानीय नेताओं के उच्च स्तर के नेताओं से गहन सम्बन्ध होने के कारण यह जाति अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक प्रभाव शाली है। यहां अन्य अनुसूचित जातियां संख्यात्मक दृष्टि से, आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रभावहीन हैं।

जैसा सम्पूर्ण राष्ट्र का सामाजिक परिवेश है उसी रूप में यहाँ भी अल्पसंख्य समुदाय के लोग स्थाई रूप से इस नगर के निवासी हैं। इस सदी के प्रारम्भ से ही वैश्य वर्ग की बहुलता के कारण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इस वर्ग का ही प्रभुत्व रहा है। लेकिन 20 वर्षो से आर्थिक गिरावट और राजनीतिक आरक्षण के कारण अन्य जातियों का प्रभाव भी अब बढ़ता जा रहा है। मऊरानीपुर नगर में लोगों की मुख्य भाषा हिन्दी है लेकिन यह नगर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आने के कारण यहाँ की अधिकांश जनता बुन्देली भाषा बोलती है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

झांसी जनपद का मऊरानीपुर नगर प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक धरोहर का केन्द्र रहा है। वस्तुतः अतीत में मऊरानीपुर कला कौशल का आदर्श स्थल था। यहाँ पर वही व्यापार होते थे, जिनमें 'मानवीयकला' प्रदर्शन के अवसर होते थे। जैसे कपड़ों की छपाई, बर्तनों की नक्काशी एवं अन्य व्यापार उत्तरोत्तर वर्षो में पल्लवित होते गए। मऊरानीपुर नगर एक प्राचीन बस्ती है। यहाँ पर प्रारम्भ

से ही सभी जातियों एवं धर्मो के लोग रहते हैं। झांसी नगर से 65 किमी0 दूरी पर बसा होने के कारण यह नगर काफी समय से व्यापारिक क्षेत्र में अग्रणी रहा है। प्रारम्भ से ही इस नगर की अनाज की मंडी का नगर के चारों तरफ फैले लगभग 70 किमी. तक प्रभाव था। दूर-दूर से किसान अपना अनाज लेकर इस मण्डी में बेचने आते थे। और लगभग आधा नगर इस अनाज मण्डी से किसी न किसी रूप में जुड़ा था। यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र में दूसरा बड़ा कार्य हाथ से कपड़ा बनाना और बेचना था। बाद में बिजली आने पर यही कार्य पावरलूम से होने लगा। सत्तर के दशक में यही कपड़ा रानीपुर टेरीकाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बिजली की कमी एवं कुछ अन्य कारणों से टेरीकाट एवं अन्य कपड़ों का बनना और बिकना कम हो गया है। यहाँ पर वैश्य समाज के ही लोग बड़ी बड़ी पसरठ का थोक एवं फुटकर व्यापार करते हैं । इस नगर में पहले देशी घी और गोंद का व्यापार भी हुआ करता था। यहाँ पर पहले से ही पीतल एवं अन्य धातुओं से बने बर्तनों का निर्माण भी होता था। तथा उन पर नक्काशी आदि कार्य भी किया जाता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह नगर आज भी झांसी जनपद का मुख्य व्यापारिक केन्द्र है।

राजनीतिक स्थिति –

मऊरानीपुर नगर 19वीं शताब्दी में झांसी की रानी वीरागंना लक्ष्मीबाई के ही राज्य का अंग था। स्वतन्त्रता संग्राम में मऊरानीपुर नगर की कई महान आत्माओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी और जेल गये। जैसा कि विदित है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही प्रारम्भ किया गया था और उसी के नेतृत्व में 1947 में देश को स्वतन्त्रता मिली। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् मऊरानीपुर विधान सभा सीट सामान्य सीट ही थी लेकिन 1957 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कर दी गई तब से अब तक यह इसी रूप में चली आ रही है। फलस्वरूप स्वतन्त्रता के पश्चात् लगभग 20 वर्षो तक मऊरानीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का ही विधायक चुना जाता रहा। लेकिन इसके पश्चात् तत्कालीन जनसंघ और आपातकाल के बाद बनी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया। इस नगर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस विधान सभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद के भी चुनावों में आजादी के बाद से अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता ही विभिन्न वार्डो में सदस्य और अध्यक्ष के पद पर चुने जाते रहे हैं। नगरपालिका परिषद के चुनाव प्रारम्भ में दलगत आधार पर नहीं लड़े जाते थे। लेकिन देश में कांग्रेस पार्टी का सबसे

अधिक प्रभाव होने के कारण इसी दल के लोग चुनाव में जीतते रहे हैं। स्वतन्त्रता पश्चात् मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव विभिन्न वार्डो से चुनकर आये सदस्यों के द्वारा होता था। सन् 1989 में उ0प्र0 सरकार द्वारा नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से कर दिया। उसके बाद संविधान के 74 वें संशोधन द्वारा इन स्थानीय शासन की संस्थाओं में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के लिए चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इस संशोधन के बाद मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया और वर्तमान में यह पद अनुसूचित जाति के पुरूष के पास है। यह आरक्षण अध्यक्ष पद के साथ – साथ मऊरानीपुर नगर में जितने वार्ड हैं उन सभी पर लागू है।

वर्तमान में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज नगर में इस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। वर्तमान में अध्यक्ष ही पिछला विधान सभा का चुनाव लड़े थे और कुछ ही मतों से विधानसभा में पहुंचने में असफल हो गये थे। नगर में बहुजन समाजपार्टी भी अच्छा प्रभाव रखती है। इस दल के कार्यकर्ता भी समय–समय पर अपने कार्यक्रमों द्वारा जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मेरी दृष्टि में वर्तमान में मऊरानीपुर नगर और विध ानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी तुलनात्मक रूप से सभी बराबर का प्रभाव रखती हैं। इन राजनैतिक दलों के अतिरिक्त यहां पर कुछ जातियों के अपने जातीय संगठन भी हैं। जो समय समय पर यहां की राजनीति को प्रभावित किया करते हैं।

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् का वर्तमान संगठन

वर्तमान समय में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 25 निर्वाचित सदस्य, 5 मनोनीत सदस्य तथा 2 पदेन सदस्य हैं, कुल मिलाकर 32 सदस्य हैं। नगरपालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों में 9 महिला एवं 16 पुरूष पार्षद हैं, तथा मनोनीत सदस्यों में एक महिला एवं 4 पुरूष पार्षद हैं।

नगरपालिका परिषद् के अधिकारी

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् का गठन निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस सगंठन में प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिशासी अधिकारी भी होता है। इस अध्याय में इन सभी के चुनाव, शक्तियां, कार्य व उनके अपदस्थ करने के विषय में विवरण निम्नवत हैं।

सदस्यों का चुनाव

नगरपालिका परिषद् के सभी कार्यो के निष्पादन के लिये नगरपालिका परिषद् की एक विचार 'विमर्शकारी निकाय परिषद्' होती है। इसमें नगर के निवासियों द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। जिसमें 25 निर्वाचित सदस्य तथा 5 मनोनीत होते हैं। इन मनोनीत सदस्यों की संख्या परिवर्तनीय होती है। राज्य सरकार जब चाहे इन मनोनीत सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सम्पूर्ण नगर को चुनाव के लिए 25 वार्डो में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है। वार्ड और सदस्यों की भी संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार इनकी संख्या में वृद्धि या कमी कर सकती है। वर्ष 1993 तक यह प्रावधान था कि यदि निर्वाचन द्वारा परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है तो दो महिला सदस्यों का सहवरण किया किया जा सकता था। किन्तु संविधान में हुए 74 वें संशोधन के पश्चात् अब निकायों के एक तिहाई स्थान सामान्य, दलित व पिछड़े जाति की महिलाओं व पुरूषों के लिए आरक्षित किये गये हैं।[1] मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के सदस्य के चुनाव के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है।

1. वह व्यक्ति इस पालिका के क्षेत्र में मतदाता हो।
2. वह फौजदारी अदालत से एक वर्ष से अधिक सजा पाया न हो।

3. वह व्यक्ति राज्य या स्थानीय संस्था की नौकरी में न हो अथवा कदाचार के आरोप में नौकरी से निकाला न गया हो।
4. वह व्यक्ति दिवालिया अथवा पागल न हो।
5. वह व्यक्ति नगरपालिका परिषद् की ओर से या उसके विरूद्ध किसी मामले में वकील न हो अथवा नगर पालिका परिषद् से किसी रूप में ठेके या व्यापार से सम्बन्धित न हो।
6. वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

पदावधि

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि किसी सदस्य की 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये दूसरे सदस्य का निर्वाचन उसके बचे हुये शेष कार्यकाल के लिये किया जाता है।[2]

पद की शपथ और त्यागपत्र

अधिनियिम के अनुसार नगर पालिका परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्यों को सम्भालने से पूर्व जिलाधीश अथवा सरकार द्वारा मनोनीत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र द्वारा शपथ लेनी होती है। और उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। अधिनियम की धारा 40 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य नगरपालिका परिषद् की प्रथम बैठक की तिथि से तीन मास की अवधि में शपथ ग्रहण नहीं कर पाता या लगातार तीन अधिवेशनों में, अनुपस्थित रहा हो तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा।[3] अधिनियम की धारा 39 के अनुसार नगरपालिका परिषद् को कोई सदस्य लिखकर अपने हस्ताक्षर से राज्य सरकार को सम्बोधित करके अपना त्याग पत्र देता है तो तुरन्त उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र उस जिले के जिसमें नगरपालिका परिषद स्थित हो, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिया जाएगा जो इसकी सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा और त्यागपत्र को राज्य सरकार के पास भेज देगा।[4]

सदस्यों के कार्य

परिषद् को नगर की जनप्रतिनिधि सभा कहा जाता है। परिषद् के सदस्य ''जनप्रतिनिधि'' जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण कहलाते हैं। परिषद् ही नगरपालिका परिषद् का वार्षिक बजट पारित करती है। बजट पर चर्चा करते समय परिषद्, स्थानीय सेवाओं का स्तर निध ारित करती है। परिषद् नगर के नियोजित विकास, सफाई और रखरखाव के सन्दर्भ में सामान्य

नीति निर्धारित करती है इस हेतु महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर विचार विमर्श एवं नगरीय शासन के संचालन के लिए परिषद् को उपनियम बनाने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

किसी भी नये कर का प्रस्ताव सर्वप्रथम परिषद् की स्वीकृति के लिए रखा जाता है और उसके पश्चात् ही उसे राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। परिषद् अपने कार्य संचालन के लिए समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत है। परिषद् ही अपने उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा पदच्युत भी कर सकती है। इस तरह स्थानीय जन प्रतिनिधि सभा के रूप में परिषद् स्थानीय लोगों की आंकाक्षाओं का प्रतीक होती है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 74वें संविधान संशोधन से पूर्व नगर की वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित परिषद् अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का परिषद् के लिए निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन करती थी। किन्तु 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव आज भी परिषद् के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है।

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् अब और भी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं जिसमें नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 65 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि राज्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों पिछड़े वर्गो व महिलाओं के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण हो। राज्य की नगरपालिकाओं में स्थान आरक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए अध्यक्ष के पदों हेतु आरक्षण, उन वर्गो की जनसंख्या के घनत्व वाले निकायों में और महिलाओं के लिए पूरे राज्य में किया जायेगा। अनुसूचित जातियों व जनजातियों से सम्बन्धित प्रावधान तब तक प्रवर्तित रहेंगे जब तक यह संविधान के अनुच्छेद 334 में प्रावधान लागू है।

वर्तमान समय में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (पुरुष) के लिए आरक्षित होने के कारण अध्यक्ष पद पर श्री हरिश्चन्द्र आर्य (अनुसूचित जाति) पदस्थ हैं।

पद व गोपनीयता की शपथ

अधिनियम की धारा 43 के अनुसार मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र, जिला मजिस्ट्रेट धारा 43 के अधीन विहित रीति से शपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने

के लिए नगरपालिका परिषद् की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जायेगी। नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में संविधान के प्रति अपनी राज्य निष्ठा की शपथ लेगा एवं प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

''मै। नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत को संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुत्ता और अखण्डता को बनाये रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्त्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ।''[5]

अवधि एवं पदच्युति

संविधान संशोधन के पश्चात् नगरपालिका परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष का कार्यकाल नगरपालिका परिषद् के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। अधिनियम की धारा 47 के अनुसार यदि नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष, पदत्याग करना चाहे तो वह, अपना लिखित त्याग पत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को भेज सकता है। नगर पालिका परिषद् द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, ऐसे अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।[6] अधिनियम की धारा 48 के अनुसार जहाँ राज्य सरकार को किसी भी समय, यह विश्वास करने का कारण हो कि अध्यक्ष ने अपना कर्त्तव्य पालन करने में चूक की है तो अध्यक्ष को पद से हटा सकती है।[7] अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति में उसके सभी अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य

अधिनियम की धारा 50 एवं 51 में अध्यक्ष के कार्यो एवं अतिरिक्त कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इस धारा के अनुसार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा साथ ही कार्यकारी उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करता है। एक ओर वह नीति निर्माण में निर्वाचित परिषद् का नेतृत्व करता है तो दूसरी ओर वह नीतियों के कार्यान्वयन में अधिशाषी अधिकारी का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण भी करता है। अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् के वित्तीय प्रशासन की देखरेख और कार्यपालिका प्रशासन का अधीक्षण करता है।

नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष, परिषद् का अध्यक्ष होने के साथ ही साथ वह नगर का प्रथम नागरिक होता है। वह नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों की सेवाओं से सम्बन्धित विषय जैसे वेतन, भत्ते एवं अवकाश इत्यादि का निपटारा करता है। नगरपालिका परिषद् का सरकार या जनता से होने वाला पत्र व्यवहार अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह बजट वक्तव्य, पत्रावलियां तथा स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित प्रलेख, प्रस्ताव, वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि का परिषद् में तथा उसके उपरान्त सरकार को प्रस्तुतीकरण का कार्य भी करता है। वह नगरपालिका परिषद् के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखरेख करता है और उसके आदेशों को परिषद् की जानकारी में लाता है।

अधिशाषी अधिकारी

राज्य सरकार द्वारा मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में एक अधिशाषी अधिकारी नियुक्त है। जो परिषद् द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करता है। प्रायः समी राज्यों में इस प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नगर पालिका परिषद् में नियुक्त यह सरकारी अधिकारी प्रायः नगर निगम में आयुक्त की भांति ही सरकारी कार्यो का निष्पादन करता है किन्तु नगर निगम से उसकी स्थिति किंचित भिन्न है। नगर निगम में जहाँ आयुक्त को प्रशासनिक निकाय का सर्वेसर्वा बनाया गया है और उनके कार्यो में मेयर की कोई भूमिका या नियन्त्रण नहीं होता है वहीं नगरपालिका परिषदों में नियुक्त यह अधिशाषी अधिकारी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से करता है। वित्तीय भुगतान आदि के सम्बन्ध में लेखाधिकारी की शक्तियां अधिशाषी अधिकारी में ही निहित होती है।

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की उपसमितियां

मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् अपने कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए व नगर में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपसमितियों का गठन करती है। इन उपसमितियों का निर्माण नगर निगम की भांति ही नगर पालिका परिषद में भी कार्य सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार से किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 298 अन्तर्गत 'मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की उपविधियाँ, नियम एवं विनिमय', एक पुस्तक के रूप में 15 अगस्त सन् 1956 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक मे नगरपालिका परिषद् के कार्यो एवं नियमों के साथ-साथ उपसमितियों के विषय में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है, कि परिषद् की कई उपसमितियां होंगी जो लोक कर्म की

उपसमिति कहलायेंगी। जिसमें बोर्ड द्वारा एकल संक्राम्य मत प्रणाली से निर्वाचित तीन सदस्य होंगे और एक सभापति मनोनीत किया जायेगा। उपसमिति के चार सदस्य होंगे और जहां तक हो प्रत्येक कक्ष का एक पार्षद उपसमिति का सदस्य होगा। उपसमिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए अथवा आगामी जनवरी में उपसमितियों के लिए सदस्य फिर से नियुक्त किये जायेंगे। परिषद् द्वारा चार प्रकार की उपसमिति गठित की जाती हैं। इनमें शिक्षा समिति, सार्वजनिक कार्य व निर्माण समिति, पुस्तकालय समिति तथा कर समिति आदि हैं।

शिक्षा समिति

शिक्षा समिति नगर के सभी बच्चों के शैक्षिक उत्थान का कार्य करती है। यह समिति शिक्षा सम्बन्धी व्यय पर विचार तथा आवश्यक प्रबन्ध करती है तथा नगर में शिक्षा प्रसार का प्रयत्न भी करती है। यह समिति पाठशालाओं का पर्यवेक्षण तथा नियमित कार्य संचालन की व्यवस्था करती है। शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यचर्या निश्चित करती है। साथ ही यह समिति पाठ्शालाओं में छुट्टियां प्रदान करने का कार्य तथा समय-समय पर पाठ्शालाओं का कार्य स्थिर करने का भी कार्य करती है। शिक्षा समिति निरीक्षण अधिकारियों के प्रलेखों पर कार्यवाही करती है। यह समिति पाठशालाओं की आवश्यकतार्थ मरम्मत, स्वच्छता तथा अन्य कार्यो की पूर्ति के लिए व्यय की स्वीकृति देती है। तथा शिक्षा कर्मचारी वर्ग का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का अधिकार, शिक्षा उपसमिति के प्रधान को होता है।

पुस्तकालय समिति

पुस्तकालय समिति पुस्तकालय की आवश्यकताओं पर बजट से प्राप्त धन पर विचार करती है तथा व्यय का आवश्यक प्रबन्ध करती है। यह समिति छुट्टियां प्रदान करती है और जब पुस्तकालय जन साधारण के लिए खुले तब उसका समय एवं घेरा निश्चित करती है। पुस्तकालय के यथोचित प्रबन्ध के लिए नियमों और अधिनियमों को तैयार करती है एवं आवश्यकतानुसार उनमें सुधार भी करती है। शिक्षा समिति नगरपालिका परिषद् में शिक्षणं संस्थाओं और स्थानीय पुस्तकालयों के स्थापना की अनुशंसा करती है तथा जनता द्वारा प्रबन्धित किसी भी विद्यमान पुस्तकलाय को सहायता का अभिस्ताव करती है। पुस्तकालय समिति के अन्य कार्य भी है जैसे पुस्तकालय के किसी कर्मचारी की नियुक्ति, दण्ड और अनुपस्थिति के अवकाश की सिफारिश करना।

सार्वजनिक कार्य व निर्माण समिति

यह समिति मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के सार्वजनिक कार्यो व निर्माण से सम्बन्धित कार्यो की जांच एवं रखरखाव करती है तथा नगरपालिका परिषद् की सम्पत्ति की पुष्टि करती है इसके साथ-साथ मानवीय सम्पत्ति की पुष्टि करती है। इसके साथ-साथ मानवीय सम्पत्ति सड़क निर्माण जो मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के नियन्त्रण में हैं, उसका निरीक्षण करती है। यह समिति दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार सम्बन्धित मामलों व आरोपित मामलों को भी व्यवस्थित करती है तथा सुधार संघों द्वारा बनाई गई विकासात्मक योजनाओं, निर्माण और विकास के लिए लगाए गए कर पर भी विचार करती है।

वित्तीय सहसमिति या कर समिति

मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् की वित्तीय सह समिति समय पर बजट का अनुमान लगाकर नगरपालिका परिषद् को सौंपती है। यह समिति मासिक व वार्षिक खातों का विवरण बनाने से सम्बन्धित खातों का विवरण तैयार करती है। अतः वित्तीय समिति भवनों, दुकानों एवं अन्य करों को निर्धारित व एकत्रित करती है। इसके साथ ही साथ यह समिति नगरपालिका परिषद की सम्पत्तियों की बिक्री करती है व पट्टे पर देती है। वित्तीय समिति स्कूलों, एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों की बिजली आदि का रखरखाव से सम्बन्धित वित्त का प्रबन्ध करती है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पालिका परिषद् के जो भी वित्त से सम्बन्धित मामले हैं उनको व्यवस्थित करती है।

74वें संविधान के पश्चात् मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद का संगठनात्मक स्वरूप

इस अध्याय में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् पर 74वें संविधान संशोधन का प्रभाव के मूल्यांकन किया गया है। अध्याय का प्रारम्भ नगरपालिका पार्षदों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्टभूमि से किया गया। इस अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पार्षदों की कार्यशैली पर और पार्षदों की कार्यशैली का प्रभाव किस प्रकार परिषद् की क्रिया प्रणाली पर पड़ता है, जानने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात् मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् के सम्बन्ध में पार्षदों के विचारों को भी दर्शाया गया है। अन्त में 74 वें संशोधन द्वारा महिलाओं को दिये गये आरक्षण का महिला पार्षदों के ऊपर हुये प्रभाव और परिषद् में उनकी स्थिति एवं भूमिका तथा इस संशोधन के द्वारा नगरपालिकाओं पर हुये परिवर्तनों का का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को भी प्रस्तुत किया गया है।

सामाजिक पृष्ठभूमि

सामाजिक पृष्ठभूमि में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के पार्षदों की आयु, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा का स्तर तथा परिवार का आकार आदि सम्मिलित किया गया है।

लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व

74 वें संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक बहुत बड़ा प्रविर्तन आया है। यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश की नगरीय संस्थाओं में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में देखा जा सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को अनिवार्य कर दिया गया है। फलस्वरूप आज नगरीय संस्थाओं में स्त्री–पुरूष दोनो का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। इस संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं में स्त्री–पुरूष के अनुपात में अत्याधिक अन्तर था। इन संस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी न के बराबर होती थीं।

तालिका नं0 1

लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व

लिंग	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
स्त्री	9	36
पुरूष	16	64
कुल योग	25	100

इस प्रकार उपरोक्त तालिका नं0 1 के अध्ययन से पता चलता है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 36 प्रतिशत महिला पार्षद हैं। जबकि 74 वें संशोधन के पहले इस नगरपालिका में महिला पार्षदों का प्रतिनिधित्व न के बाराबर होता था। मऊरानीपुर नगर में बसने वाली अधिकांश जनता पारम्परिक तथा रूढ़िवादी है, जिसके कारण यहां पर महिलाओं का राजनीति में भाग लेना या राजनीति में सक्रिय होना पसन्द नही किया जाता था, जिससे नगरीय संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता शून्य थी। लेकिन 74 वें संशोधन द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के बाद नगरपालिका परिषद् में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य हो गयी है। इसीलिये अब इस नगर के पुरूष भी महिलाओं को राजनीति में प्रवेश कराने के लिये विवश हो गये हैं। इस आरक्षण से पूर्व कभी कोई महिला चुनी भी जाती थी तो वह सवर्ण जाति तथा सम्पन्न परिवार की ही हुआ करती थीं। इस संशोधन के बाद आरक्षण नीति के कारण पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उभरकर सामने आया है। दूसरी ओर पुरूषों का प्रतिनिधित्व पहले की अपेक्षा, कम होकर 64 प्रतिशत रह गया है। ऐसी स्थिति महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था किए जाने के कारण ही पैदा हुई है। (सारणी सं0 1)

आयु के आधार पर प्रतिनिधित्व

74 वें संविधान संशोधन से पहले नगरीय संस्थाओं में अधिकतर बड़ी आयु के लोगो को प्रतिनिधित्व मिलता था। परन्तु संशोधन के बाद नगरीय संस्थाओं के चुनाव में इस सन्दर्भ में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिला है। 74वें संशोधन से पहले 30 वर्ष से कम आयु वर्ग को नगर

पालिका परिषद में प्रतिनिधित्व न के बराबर था। अतः इस संशोधन के पश्चात् एवं वयस्क मताधिकार के कारण अब इस आयु वर्ग को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है एवं अब मध्यम आयु वर्ग के लोगों का भी नेतृत्व उभर रहा है। और अधिकतम आयु के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है।

तालिका नं0 2

आयु के आधार पर प्रतिनिधित्व

आयु समूह	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
25 से 35	8	32
36 से 45	12	48
46 से 55	3	12
56 से 65	2	8
66 से ऊपर	0	0
कुल योग	25	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार 74 वें संशोधन के बाद युवा वर्ग (25 से 35 वर्ष) आयु का 32 प्रतिशत प्रतिनिधित्व तथा मध्यम वर्ग (36 से 45 वर्ष) का 48 प्रतिशत प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। लेकिन (46 से 55) आयु वर्ग के लोगो का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व तथा अधिकतम आयु वर्ग (56 से 65) का 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। इस आयु के लोगों का प्रतिनिधित्व युवा वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों की अपेक्षा कम हो गया है। इन आकड़ों से यह प्रतीत हो रहा है कि युवा वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है तथा अधिकतम आयु के लोगों में राजनीतिक जागरूकता घट रही है। (सारणी संख्या – 2)

धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व

भारतीय राजनीति के विशेषज्ञों ने धर्म को विभिन्न स्तरों पर शक्ति के ढांचे के लिए एक

महत्वपूर्ण तथ्य माना है। धर्म का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। नगरीय संस्थाओं में भी नेताओं के प्रतिनिधित्व को धार्मिक समूह बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि तालिका नं. 3 में दिए गए आंकड़ों से होती है।

तालिका नं0 3

धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व

धर्म	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हिन्दू	22	88
मुस्लिम	3	12
सिक्ख	0	0
जैन	0	0
कुल योग	25	100

इस तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद में हिन्दू पार्षदों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम पार्षदों की अपेक्षा काफी अधिक है क्योंकि हिन्दू पार्षद 88 प्रतिशत हैं जबकि मुस्लिम पार्षद 12 प्रतिशत ही है। सिक्ख लोगों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं है। 74 वें संशोधन के पहले अन्य धर्मो का प्रतिनिधित्व न के बराबर था, लेकिन पहले की अपेक्षा इस समय अन्य धर्मो का प्रतिनिधित्व कुछ बढ़ा है। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद में हिन्दू धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक होने का मुख्य कारण यह है कि इस नगर की लगभग 80 प्रतिश जनसंख्या हिन्दू है। तथा 20 प्रतिशत में मुस्लिम, सिक्ख हैं, जिसमें भी सिक्ख सम्प्रदाय के दो चार परिवार ही हैं जिसके कारण उन्हें चुनाव में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। (सारणी सं0 3)

जातीय प्रतिनिधित्व

भारतीय राजनीति में जाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध हो रहा है। नगरीय संस्थाओं में सदस्यों के निर्वाचन का मुख्य आधार जातीय आधार भी है। 74 वें संविधान संशोधन से पूर्व की

स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में केवल कुछ आधिपत्य प्राप्त जातियों का एकाधिकार था। किन्तु इस संशोधन के पश्चात् स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और दलित जातियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

तालिका नं0 4

जातीय प्रतिनिधित्व

जातियां	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अनुसूचिज जाति		
बसोर	1	4
कोरी	3	12
धोबी	3	12
पिछड़ी जाति		
ढीमर	1	4
राय	1	4
कुशवाहा	2	8
सामान्य जाति		
ब्राम्हण	7	28
वैश्य	3	12
क्षत्रिय (ठाकुर)	1	4
अल्पसंख्यक		
मुसलमान	3	12
कुल योग	25	100

इस तालिका के आंकड़ों के अनुसार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में (अनूसूचित जाति) में 4 प्रतिशत बसोर जाति के पार्षद् 12 प्रतिशत कोरी जाति के पार्षद तथा 12 प्रतिशत धोबी जाति

के पार्षदों का प्रतिनिधित्व है तथा (पिछड़ी जाति) में 4 प्रतिशत ढीमर जाति के पार्षदों का, 4 प्रतिशत राय जाति के पार्षदों का और 8 प्रतिशत कुशवाहा जाति के पार्षदों का प्रतिनिधित्व है। 74 वें संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं में सभी जाति वर्गो का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है जिससे उच्च जातियों का पहले की अपेक्षा प्रतिनिधित्व कम हो गया है। अतः (सामान्य जाति) में 28 प्रतिशत ब्राम्हण जाति के पार्षदों, 12 प्रतिशत वैश्य जाति के पार्षद् तथा 4 प्रतिशत क्षत्रिय (ठाकुर) जाति के पार्षदों का प्रतिनिधित्व है। और अल्पसंख्यक वर्ग से 12 प्रतिशत मुस्लिम पार्षदों का प्रतिनिधित्व है। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में सामान्य जातियों में वैश्य एवं क्षत्रिय जाति की अपेक्षा ब्राम्हण जाति का प्रभुत्व अधिक है। इसका कारण है कि मऊरानीपुर नगर में जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः वैश्य एवं ब्राम्हणों का बाहुल्य है। मऊरानीपुर नगर में पिछड़ी जातियों में ढीमर एवं राय जाति की अपेक्षा कुशवाहा जाति के लोगों की संख्या अधिक है। अनुसूचित जाति में कोरी जाति की बहुलता है इसीलिये मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष भी कोरी जाति के ही हैं।

74 वें संशोधन के बाद से नगरीय संस्थाओं में सभी जाति वर्गो का प्रतिनिधित्व तो हुआ है लेकिन अब इन संस्थाओं में सदस्यों को टिकट देने से लेकर चुनाव की प्रक्रिया में जातीय समीकरण बहुत प्रभावी है। इससे यह सिद्ध होता है कि जाति व्यवस्था की भारतीय राजनीति में एक अहम भूमिका हो गई है। (सारणी सं0 4)

शिक्षा का स्तर

शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के विकास का एक ऐसा कारक है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज राजनीति के क्षेत्र में भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज अशिक्षित राजनीतिज्ञ अपेन अधिकारों का प्रयोग व जानकारी सही रूप से प्राप्त न कर पाने के कारण शिक्षित व चतुर राजनीतिज्ञ उनके अधिकारों का प्रयोग अपने निजी स्वार्थो के लिए करते हैं। इसी प्रकार नगरीय संस्थाओं में अशिक्षितों की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

तालिका नं0 5

शैक्षणिक स्तर

आयु समूह	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
प्राइमरी	4	16
मिडिल	5	20
मैट्रिक	3	12
इण्टरमीडियट	0	0
स्नातक	6	24
परास्नातक	2	8
अशिक्षित	5	20
कुल योग	25	100

इन आकड़ों के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले की अपेक्षा पार्षदों का शिक्षा का स्तर बढ़ा है क्योंकि आज की अपेक्षा पहले शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था। अतः वर्तमान समय में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 16 प्रतिश पार्षद प्राइमरी, 20 प्रतिशत पार्षद मिडिल, 12 प्रतिशत पार्षद मैट्रिक, 24 प्रतिशत पार्षद स्नातक तथा 8 प्रतिशत पार्षद अशिक्षित हैं। इसका मुख्य कारण है, 74 वें संशोधन में महिलाओं के लिए किया गया एक तिहाई आरक्षण, जिसके द्वारा नगरीय संस्थाओं में अधिकांश महिलाएं अपनी रूचि से चुनाव में न भाग लेकर बल्कि परिवार एवं पार्टी के लोगों के कहने पर चुनावों में भाग लेती हैं। जिसके कारण कुछ अशिक्षित महिलाऐं भी इन संस्थाओं में निर्वाचित होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 74वें संशोधन का सबसे ज्यादा प्रभाव उच्च शिक्षित पार्षदों के प्रतिनिधित्व पर हुआ है क्योंकि जहां पहले मैट्रिक या इससे कम शिक्षित पार्षदों का अधिक प्रतिनिधित्व था। अतः 74 वें संशोधन के द्वारा हुये परिवर्तनो एवं राजनीतिक

जागरूकता के कारण अब नगरीय संस्थाओं में स्नातक एवं परास्नातक शिक्षित पार्षदों का प्रतिनिधि
ात्व बढ़ा है।

(सारणी सं0 5)

परिवार का आकार

नगरीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से परिवार का आकार भी महत्वपूर्ण कारक है। 74 वें संशोधन से पहले नगरीय संस्थाओं में बड़े परिवारों (संयुक्त परिवार) के सदस्य अधिक निर्वाचित होते थे। नगरीय समाज के बड़े परिवारों के पास अधिक मत, अधिक साधन और अधिक बाहुबल होने के कारण छोटे परिवारों का इन संस्थाओं में कम प्रतिनिधित्व था। वर्तमान समय में एकल एवं संयुक्त परिवारों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है या घटा है, इसकी पुष्टि तालिका नं0 6 से होगी।

तालिका नं0 6

परिवार के आकार के आधार पर प्रतिनिधित्व

परिवार का आकार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एक परिवार	9	36
संयुक्त परिवार	16	64
कुल योग	25	100

इन आंकड़ो के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि नगरीय संस्थाओं में संयुक्त परिवारों का आधिपत्य है। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में एकल परिवारों के सदस्यों का 36 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है तथा संयुक्त परिवारों के सदस्यों का 64 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में एकल परिवारों की अपेक्षा, संयुक्त परिवारों का अधिक प्रतिनिधित्व होने के पीछे मुख्य कारण है नगर की जनता का आज भी पुराने रीतिरिवाजों परम्पराओं एवं संयुक्त परिवारों

पर विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि एकल परिवारों का प्रतिनिधित्व बढ़ा न हो मगर संयुक्त परिवारों की अपेक्षा आज भी कम है। (सारणी सं0 6)

आर्थिक पृष्ठभूमि

आर्थिक पृष्ठभूमि में नगरपालिका परिषद् के सदस्यों के व्यवसाय, वार्षिक आय तथा भूमि के स्वामित्व आदि को शामिल किया गया है।

व्यवसाय

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में पार्षदों का व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व इस तालिका में प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखना यह है कि आज किस वर्ग (जैसे व्यापारी, नौकरीपेशा, कृषक या मजदूर) का प्रतिनिधित्व बढ़ा है या कम हुआ है।

तालिका नं0 7

व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व

व्यवसाय	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
व्यापार	18	72
कृषि	0	0
नौकरी	2	8
मजदूर	5	20
कुल योग	25	100

इस तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व अन्य की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि 72 प्रतिश पार्षद व्यापारी हैं, 8 प्रतिशत पार्षद नौकरीपेशा तथा 20 प्रतिशत मजदूर पार्षद हैं। नगरपालिका परिषद् में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व अधिक होने का मुख्य कारण यह नगर प्राचीन समय से ही एक व्यापारिक नगरी रही है जिसके

कारण इस नगर में व्यवसायियों की संख्या अधिक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ का व्यापारी वर्ग के लोग प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई अन्य हर जगह सक्रिय रहते हैं। (सारणी सं0 7)

पारिवारिक आय

नगरीय संस्थाओं के नेतृत्व में पारिवारिक आय की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन लोगों की आय अधिक होती है उनकी इन संस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता अधिक होती है। क्योंकि अब राजनीति पैसे की दासी होती जा रही है। जिन लोगो के पास जितने ज्यादा आय के स्रोत होंगे और पारिवारिक आय अधिक होगी वही चुनावों में प्रचार एवं अन्य कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। मगर ऐसा भी नहीं कि जिनकी पारिवारिक आय कम है उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उपरोक्त स्थिति निम्नांकित तालिका द्वारा पार्षदों की आय को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

तालिका नं0 8

पारिवारिक वार्षिक आय के आधार पर प्रतिनिधित्व

वार्षिक आय	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
10000/–से 20000/–तक	1	4
20000/–से 30000/–तक	2	8
30000/–से 40000/–तक	4	16
40000/–से 50000/–तक	7	28
50000/–से 100000/–तक	3	12
100000/– से ऊपर	8	32
कुल योग	25	100

इन आंकड़ो से यह प्रतीत होता है कि परिषद् में अन्य की अपेक्षा धनिक वर्ग का पारिवारिक

आय अधिक होने के कारण बोलबाला है। लेकिन विशेष बात यह है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में सभी प्रकार के आंय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है उदाहरण स्वरूप 10000/– से 20000/– तक आय के पार्षद 4 प्रतिशत, 20000/– से 30000/– रूपये तक की आय के 8 प्रतिशत पार्षद 30000/– से 40000/– रूपये तक की आय वर्ग के 16 प्रतिशत पार्षद हैं। मगर इन आयों के आधार पर पार्षदों का प्रतिनिधित्व सामान्यतः मिलता जुलता है, लेकिन (40000/– से 50000/– रूपये) की आय के पार्षदों का प्रतिनिधित्व इनसे अधिक है, एवं (50000/– से 100000/– रूपये) की आय के पार्षद कम होकर 12 प्रतिशत हैं। इन सभी आकड़ों में 100000/– रूपये से ऊपर की आय के पार्षद 32 प्रतिशत हैं। इसका मुख्य कारण है कि यह व्यापारिक नगर है जिसमें उच्च मध्यम वर्ग के व्यापारी निवास करते हैं । इस नगर के उपरोक्त श्रेणी अधिकांश व्यापारी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि उच्च मध्यम आय वर्ग के लोग मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं।

तालिका नं0 9

भूस्वामी तथा भूमिहीन वर्गो का प्रतिनिधित्व

भूमि स्वामित्व	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भूमि धारक	9	36
भूमिहीन	16	64
कुल योग	25	100

74 वें संशोधन से पहले नगरीय संस्थाओं में सिर्फ सवर्ण जाति एवं सम्पन्न परिवारों के सदस्यों द्वारा ही भागीदारी होती थी। इन आकड़ों से साफ पता चलता है कि आज भी मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 64 प्रतिशत भूमि धारक पार्षद अपना प्रभुत्व बनाये हुये हैं । लेकिन 74वें

संशोधन के द्वारा आरक्षण नीति के कारण अब भूमिहीनों व अन्य वर्गो के लोगों के लिए नगरपालिका परिषद् में प्रतिनिधित्व करने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए नगरपालिका परिषद् में 36 प्रतिशतं भूमिहीन पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (सारणी सं0 9)

राजनीतिक पृष्ठभूमि

राजनीतिक पृष्ठभूमि में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद के सदस्यों का राजनीतिक अनुभव राजनीति में परिवारिक सदस्य की भागीदारी, राजनीतिक दलों से सम्बन्ध, चुनाव में भाग लेने का निर्णय, दलीय विचारधारा, मत का आधार एवं दलीय प्रणाली आदि को शामिल किया गया है। जिससे पता चलता है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में प्रतिनिधित्व कर रहे पार्षदों में राजनीतिक जागरूकता की क्या स्थिति है?

राजनीतिक अनुभव

74वें संशोधन से पहले चुने गए नगरपालिका परिषद् के पार्षदों को राजनीतिक अनुभव, इस संशोधन के बाद निर्वाचित नगर पालिका परिषद् के पार्षदों की अपेक्षा, अधिक था। इसका मुख्य कारण राजनीति या नगरीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले सदस्य उम्र तथा अनुभव से परिपक्व हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में युवा वर्ग जिनकी आयु 25 से 30 होती है वह न तो उम्र से और ही अनुभव की दृष्टि से परिपक्व होते हैं। परन्तु मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद में पार्षदों की क्या स्थिति है ? इसकी पुष्टि निम्नांकित तालिका नं0 10 से हो रही है।

तालिका नं0 10

पिछला राजनीतिक अनुभव

राजनीतिक अनुभव	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
कुल योग	25	100

इन आकड़ों से प्रतीत हो रहा है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 80 प्रतिशत पार्षदों को राजनीतिक अनुभव है तथा 20 प्रतिशत पार्षदों को राजनीतिक अनुभव नहीं है। राजनीतिक अनुभव रखने वाले पार्षदों का प्रतिशत अधिक है। इसका मुख्य कारण यहाँ नगरीय संस्थाओं में दल गत चुनाव का होना है तथा अधिकांश पार्षद किसी न किसी दल से सम्बन्धित होने के कारण वे राजनीति में पहले से ही सक्रिय रहे हैं। परिषद में 20 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक अनुभव नहीं रखते हैं वे अधिकतर अशिक्षित महिला एवं दलित पुरूष पार्षद हैं। इस संशोधन के पश्चात् आरक्षण नीति के कारण नगरपालिका परिषद् में चुनी गयी महिला पार्षद अधिकांशतः अपनी स्वेच्छा से न आकर उन्हें परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के लिये परिवार के पुरूषों के द्वारा प्रेरित किया जाता है। इसलिये इन महिला पार्षदों को न तो राजनीतिक अनुभव होता है और न ही परिषद् की कार्यशैली की जानकारी होती है। अतः 74 वें संशोधन के द्वारा लाभ यह हुआ कि राजनीति की प्रथम पाठशाला में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य कर दी गयी है जिससे महिलाओं का राजनीति में प्रवेश करना आवश्यक हो गया और जिसके कारण अब इन्हें राजनीति ज्ञान भी होता जा रहा है। (सारणी सं0 10)

पारिवारिक सदस्यों की राजनीति में भागीदारी

बहुत से परिवारों में राजनीति में सक्रियता, राजनीतिक दलों से सम्बन्ध एवं राजनीतिक सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। इसका भी पार्षदों पर काफी प्रभाव पड़ता है । परिषद में कुछ पार्षद अपने पारिवारिक सदस्यों से प्रभावित होकर नगरीय संस्थाओं के चुनावों में भाग लेते हैं। और इनको राजनीतिक अनुभव भी रहता है। देखना यह है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद में कितने पार्षदों के पारिवारिक सदस्य राजनीतिक सदस्यता ग्रहण किये हुये हैं?

तालिका नं0 11

पारिवारिक सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी

राजनीतिक सदस्यता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	8	32
नहीं	17	68
कुल योग	25	100

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 32 प्रतिशत् पार्षदों के परिवारों के सदस्य राजनीतिक सदस्यता ग्रहण किए हुए है। जबकि 68 प्रतिशत पार्षदों के परिवार का कोई भीसदस्य राजनीतिक सदस्यता ग्रहण नहीं किये हुये है। 74 वें संशोधन द्वारा आरक्षण की नीति अपनाने के कारण नगरीय संस्थाओं में सभी वर्ग के लोगो की भागीदारी हो रही है। वर्तमान समय में संचार साधनों के माध्यम से जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है। इस कारण जिनके परिवारों की राजनीतिक सहभागिता नहीं भी है वे पार्षद भी अब राजनीतिक जागरूकता रखते हैं। (सारणी सं. – 11)

चुनाव में भाग लेने का निर्णय –

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के पार्षदों की राजनीतिक भागीदारी तथा राजनीतिक जागृति के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके चुनाव में भाग लेने के निर्णय के आधार को जानने का प्रयास किया गया है। इसकी पुष्टि निम्नाकिंत तालिका नं0 12 में की गयी है।

तालिका नं0 12

चुनाव के निर्णय का आधार

चुनाव के निर्णय का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
स्वविवेक से	14	56
पारिवारवालों के कहने पर	7	28
दलवालों के कहने पर	4	16
कुल योग	25	100

इन आकड़ों से प्रतीत हो रहा है कि अब लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 56 प्रतिशत पार्षदों ने नगरपालिका परिषद् के चुनाव में भाग लेने का निर्णय स्वविवेक से लिया है। लेकिन 28 प्रतिशत पार्षदों ने दलवालों के कहने पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया है। जिन पार्षदों ने दलवालों के कहने पर चुनाव में भाग लिया है इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक दल नगरीय संस्थाओं के चुनावों में भाग लेते हैं। जिससे उनके दल का नगरीय संस्थाओं में वर्चस्व बना रहे। कुछ महिला पार्षद अपने परिवार के सदस्यों के कहने पर चुनाव में खड़ी होती हैं और चुनी जाती है । लेकिन बिडम्बना यह है कि चुनाव जीतने के बाद इन महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता न होने के कारण इनके पति या परिवार के अन्य सदस्य परिषद् के कार्यो को प्रभावित करते हैं। (सारणी सं0 12)

पार्षदों के राजनीतिक दलों से सम्बन्ध

वर्तमान समय में लोकसभा, विधानसभा एवं नगरीय संस्थाओं के चुनाव बिना राजनीतिक दलों की भागीदारी से सम्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन अधिकांश सदस्य जो राजनीतिक दलों से सम्बन्धित नही भी होते हैं, वे भी चुनावों में भाग लेते हैं। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में किन पार्षदों के राजनीतिक दलों से सम्बन्ध हैं तथा किन पार्टियों का नगरीय संस्थाओं में प्रभुत्व बना हुआ है, यह निम्नांकित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका नं0 13

पार्षदों के राजनीतिक दल से सम्बन्ध

राजनीतिक दल	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी	4	56
बहुजन समाज पार्टी	4	28
कांग्रेस पार्टी	3	16
राजनीतिक दलों से सम्बन्ध नहीं है।	1	16
कुल योग	25	100

74 वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों का रुझान कम था। लेकिन जब से इस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं के चुनावों को नियमित रूप से पांच वर्ष में कराने का निर्णय कर दिया गया है तब से राजनीतिक दलों की इन संस्थाओं के चुनावों में भागीदारी बढ़ गई है। वर्तमान में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 16 प्रतिशत पार्षद भारतीय जनता पार्टी से, 16 प्रतिशत पार्षद समाजवादी पार्टी से, 12 प्रतिशत पार्षद बहुजन समाजवादी पार्टी से तथा 4 प्रतिशत पार्षद कांग्रेस से सम्बन्धित हैं। कुछ 52 प्रतिशत पार्षद ऐसे भी हैं जिनके किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं हैं और निर्दलीय निर्वाचित होकर परिषद् में प्रतिनिधित्व करते हैं। (सारणी सं0 13)

दलीय विचारधारा

परिषद् के पार्षदों के साक्षात्कार के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश पार्षद किसी न किसी दलीय विचारधारा से प्रभावित हैं और वे उनके द्वारा राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान चाहते हैं। अधिकांश पार्षद किसी न किसी विचारधारा को अवश्य महत्व देते हैं। इसको निम्नलिखित तालिका नं0 14 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका नं0 14

दलीय विचारधारा

दलीय विचारधारा	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
गांधीवादी	1	4
समाजवादी	7	28
हिन्दूवादी	4	16
कोई उत्तर नहीं	13	52
कुल योग	25	100

इन आकड़ों से स्पष्ट होता है कि 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् सत्ताधारी पार्टियों में कांग्रेस की दलीय विचारधारा गांधीवाद की लोकप्रियता घटती जा रही है क्योंकि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद में 4 प्रतिशत गाधीवादी विचारधारा के पार्षद हैं। जबकि 74 वें संशोधन से पूर्व मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अधिकांश पार्षद कांग्रेस की दलीय विचारधारा गांधीवादी को ही महत्व दिया करते थे। लेकिन इस समय परिषद् में 28 प्रतिशत समाजवादी विचारधारा के पार्षद तथा 16 प्रतिशत हिन्दूवादी विचारधारा के पार्षद हैं एवं 52 प्रतिशत पार्षदों का कोई उत्तर नहीं है कि वे किस विचारधारा को पसन्द करते हैं या अच्छा मानते हैं। (सारणी सं0 14)

दलीय प्रणाली के विषय में विचार

नगर पालिका परिषद् के पार्षदों से दलीय प्रणाली के विषय में पूछा गया कि कौन सी दलीय प्रणाली भारतीय लोकतन्त्र को मजबूत बना सकती है। इस विषय में उनकी राय नीचे दी हुयी तालिका से स्पष्ट होती है।

तालिका नं0 15

दलीय प्रणाली के विषय में विचार

दलीय प्रणाली के प्रकार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एक दलीय प्रणाली	0	0
द्वि दलीय प्रणाली	7	28
बहुदलीय प्रणाली	2	8
कोई उत्तर नहीं	16	64
कुल योग	25	100 %

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के 28 प्रतिशत पार्षद मानते हैं कि भारतीय लोकतन्त्र को द्विदलीय प्रणाली ही मजबूत बना सकती है। 8 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि बहुदलीय प्रणाली

भारतीय लोकतन्त्र को मजबूत बना सकती है। लेकिन 64 प्रतिशत पार्षदों का इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकतम पार्षद द्विदलीय प्रणाली को ही भारतीय लोकतन्त्र के लिए उत्तम मानते हैं। इसका कारण यह है कि पिछले कई वर्षो से केन्द्र में अस्थिर सरकारों का रहना जिसके कारण क्षेत्रीय दलों की महत्ता बढ़ने लगी है। (सारणी सं0 15)

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के सम्बन्ध में पार्षदों के विचार

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के विषय में, पार्षदों को अधिकार क्षेत्र की जानकारी, 74 वें संशोधन का ज्ञान, नगरपालिका परिषद के कार्यो की जानकारी, वार्ड के निरीक्षण के सम्बन्ध में, नगर पालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति तथा 74वें संशोधन से जनता द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने के बाद उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि आदि को विचारों में शामिल किया गया है।

अधिकार क्षेत्र की जानकारी

74 वें संशोधन के द्वारा आरक्षण की नीति अपनाने के कारण नगरीय संस्थाओं में सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व हो रहा है। जिनमें कुछ शिक्षित तथा अशिक्षित पार्षद ऐसे हैं जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी थोड़ी बहुत है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं है। नीचे दी गयी तालिका में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के पार्षदों को अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी है या नहीं के विषय में निम्नांकित तालिका द्वारा पुष्टि की गयी है।

तालिका नं0 16

अधिकार क्षेत्र की जानकारी

अधिकार क्षेत्र की जानकारी	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
जानकारी है	11	44
कुछ जानकारी है	9	36
जानकारी नहीं है	5	20
कुल योग	25	100

मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद में 44 प्रतिशत पार्षदों को अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी है, 36 प्रतिशत पार्षदों को कुछ जानकारी तथा 20 प्रतिशत पार्षदों को अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। 74 वें संशोधन में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से नगरपालिकाओं में जो अनुसूचित, पिछड़ी जाति तथा महिलायें निर्वाचित होकर आती है इन्हें भी अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी कम ही होती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण इन दोनो वर्गो का अशिक्षित होना है तथा दूसरा कारण महिलाओं के स्थान पर उनके पतियों का राजनीति में अधिक सक्रिय होना है। जिससे इन महिलाओं को नगरपालिका परिषद के कार्यो में भाग लेने का अवसर ही नही मिलता है। (सारणी सं0 16)

74 वें संशोधन का ज्ञान

74 वां संवैधानिक संशोधन नगरीय संस्थाओं के लिये उठाया गया एक क्रान्तिकारी कदम था, जिसकी वजह से आज नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा महिलाओं के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि उन्हें राजनीति में प्रवेश करने के लिए नगरीय संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा दलित जातियों के लोगों को राजनीति में अनिवार्य रूप से प्रवेश कराने के लिए अनुसूचित, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब देखना यह है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद के कितने पार्षदों को 74 वें संशोधन का ज्ञान है ?

तालिका नं0 17

74 वें संशोधन का ज्ञान

74वे संशोधन का ज्ञान	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	2	8
नहीं	23	92
कुल योग	25	100

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में 8 प्रतिशत पार्षदों को 74 वें संशोधन के सम्बन्ध में ज्ञान है और 92 प्रतिशत पार्षदों को इस संशोधन के विषय में ज्ञान नहीं है। इन आकड़ों से स्पष्ट है कि मऊरानीपुर क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है क्योंकि जिस संशोधन की वजह से पूरे भारत की नगरीय संस्थाओं में इतना बड़ा बदलाव लाया गया है, उसी के सम्बन्ध में पार्षदों को ज्ञान नहीं है। कुछ पार्षदों को इसका ज्ञान भी है लेकिन पूर्ण वह भी नहीं है।

तालिका नं0 18

नगरपालिका परिषद् के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी

नगरपालिका परिषद के कार्य	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
मार्गो का निर्माण एवं सुधार	0	0
प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था	0	0
उद्यानों का निर्माण एवं रखरखाव	0	0
सभी	19	76
नहीं जानते	6	24
कुल योग	25	100

इन आकड़ों से स्पष्ट है कि 76 प्रतिशत पार्षदों को मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी है, लेकिन 24 प्रतिशत पार्षदों को नगरपालिका परिषद् के कार्यो की कोई जानकारी नहीं है। यह अज्ञानता की स्थिति तब पैदा होती है जब वार्डो की आरक्षित सीटों पर महिलाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए विवश किया जाता है किन्तु ऐसी महिलाओं को नगरपालिका परिषद की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। इस बात से कल्पना की जा सकती है कि जिस उद्देश्य से इन्हें चुनकर जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में नगरपालिका परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है, क्या ये उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है। (सारणी सं0 18)

तालिका नं0 19

वार्ड की जनता की सहायता का आधार

सहायता का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अपनी जाति के लोगो की	3	12
अपनी पार्टी के लोगों की	3	12
सभी लोगों की	19	76
कुल योग	25	100

नगरपालिका परिषद् में निर्वाचित होने के बाद पार्षदों का उद्देश्य होता है कि वे वार्ड की सफाई रोशनी, सड़कों की मरम्मत एवं वार्ड की जनता की शिकायतों पर ध्यान दें तथा उनकी सहायता करें। लेकिन मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद में 12 प्रतिशत पार्षद वार्ड में अपनी जाति के लोगों की सहायता करने को महत्व देते हैं और 12 प्रतिशत पार्षद वार्ड की जनता में अपने दलवालों की सहायता पहले करना पसन्द करते हैं। जबकि 76 प्रतिशत पार्षद वार्ड के सभी लोगों की सहायता करते हैं। (सारणी सं0 19)

वार्डो में किये गये कार्यो का निरीक्षण

परिषद् के सभी सदस्यों का कर्त्तव्य होता है कि जब वार्ड में नगरपालिका परिषद् द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा हो तब वार्ड के सदस्यों को समय-समय पर आकर कार्यस्थल का निरीक्षण करना चाहिए। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के पार्षदों की अपने-अपने वार्डो में क्या स्थिति है? इसको निम्नांकित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका नं0 20

वार्ड में किये गये कार्यो का निरीक्षण

कार्यो का निरीक्षण	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
निरीक्षण करते हैं	14	56
कभी-कभी करते हैं	4	16
नहीं करते हैं	7	28
कुल योग	25	100

इन आकड़ों के अनुसार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के 56 प्रतिशत पार्षद अपने वार्ड में किये गये कार्यो का निरीक्षण करते हैं। 16 प्रतिशत पार्षद कभी कभी निरीक्षण करते हैं जबकि 28 प्रतिशत पार्षद अपने वार्ड में किये गये कार्यो का कभी भी निरीक्षण नहीं करते। इससे यह सिद्ध होता है जो अपने वार्ड का निरीक्षण ही नहीं करते हैं उन्हें अपने वार्ड की गन्दी गलियों एवं टूटी फूटी सड़कों आदि की कोई जानकारी नहीं रहती। इस कारण उस वार्ड की जनता भी अपने वार्ड सदस्य से असन्तुष्ट रहती है। लेकिन जो पार्षद अपने वार्ड के कार्यो के प्रति सक्रिय रहते हैं, उनके वार्ड की स्थिति भी अच्छी है और वार्ड की जनता भी सन्तुष्ट है। (सारणी सं0 20)

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति

74 वें संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति काफी खराब थी क्योंकि पहले राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं की वित्तीय मदद् नहीं की जाती थी। इन संस्थाओं के अपने नगर से ही जो वित्तीय स्रोत थे वही इनकी आय थी। लेकिन 74 वें संशोधन के बाद से नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो गयी है और आय के स्रोत भी बढ़ गये हैं। वर्तमान में मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति कैसी है? इसको नीचे दी हुयी तालिका नं0 21 में दिखाया गया है।

तालिका नं0 21

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति

वित्तीय स्थिति	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अच्छी है	12	0
मध्यम है	6	28
खराब है	0	8
पता नही	7	64
कुल योग	25	100

इस तालिका में दिये हुये आकड़ों के अनुसार 74 वें संशोधन के पश्चात् नगरयी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् के 48 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति अच्छी है। और 24 प्रतिशत पार्षद मध्यम वित्तीय स्थिति बताते हैं लेकिन 28 प्रतिशत पार्षदों को मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति के विषय में कोई जानकारी नहीं है। 74 वें संशोधन से पूर्व मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति वास्तव में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्योंकि जिस प्रकार परिषद् को नगर में मार्गो का निर्माण, मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, उद्यानों का निर्माण व रखरखाब एवं पानी आदि की व्यवस्था अच्छी तरह से करना चाहिये था, पर उस तरह से नहीं हो पाती थी। लेकिन इस संशोधन के बाद इस प्रकार की समस्यायें समाप्त हो गयी क्योंकि अब मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति भी अच्छी हो गयी है। (सारणी सं0 21)

74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष की कार्यकुशलता

इस संशोधन के बाद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर जनता द्वारा होने लगा है लेकिन इसके पूर्व अध्यक्ष का चुनाव परिषद् के चुने हुये सदस्य चुनाव करते थे। इस कारण न तो वह मनमानी कर सकता था और न ही वह अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर सकता था। क्योंकि वह सदस्यों के प्रति उत्तरदायी रहता था। परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या 74वें संशोधन के पश्चात् से अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि हुयी है एवं अध्यक्ष की जनता के प्रति जबावदेही बढ़ी है ?

तालिका नं0 22

74 संविधान संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष की कार्यकुशलता

अध्यक्ष की कार्यकुशलता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
बढ़ी है	10	40
नही बढ़ी है	6	24
पता नहीं	9	36
कुल योग	25	100

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के 40 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि जब से अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर जनता द्वारा होने लगा है तब से अध्यक्ष की कार्यकुशलता बढ़ गयी है। लेकिन 24 प्रतिशत पार्षद बताते हैं कि प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव होने से उसकी कार्यकुशलता में कोई वृद्धि नहीं हुयी है। क्योंकि जनता के पास अध्यक्ष के चुनाव में मत देने के अधिकार के अलावा कोई अधिकार नहीं होता। जिसके कारण अध्यक्ष के भ्रष्ट होने की पूरी सम्भावना रहती है। पूर्व में अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा होना अच्छा था। उस समय अध्यक्ष की जबावदेही सदस्यों के प्रति होती थी। 36 प्रतिशत पार्षदों को अध्यक्ष की कार्यकुशलता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। (सारणी सं0 22)

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति

भारतीय इतिहास इस तथ्य का साक्षी रहा है कि स्त्री–पुरूष की तुलना में अपने अधिकारों के सन्दर्भ में सदैव उपेक्षित रहीं हैं। इसीलिए भारतीय समाज में स्त्री के साथ सदैव शोषण, अन्याय और अत्याचार होता रहा है। इस शोषण के पीछे उसकी अशिक्षा राजनीतिक जागरूकता की कमी, पुरूष प्रधान मानसिकता तथा आर्थिक आधार पर पुरूषों पर निर्भर रहना आदि कुछ कारण उत्तरदायी रहे हैं।

19वीं शताब्दी में सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में कुछ परिवर्तन शुरू हुआ। इसके बाद स्वतन्त्रता आन्दोलन में गांधी जी के आवह्न पर काफी महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपना योगदान देना प्रारम्भ किया। जिनमें श्रीमती ऐनीवेसेन्ट और सरोजनी नायडू का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। लता सिंह का अपने एक कथन में कहना है कि ''राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की काफी भूमिका थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरणों में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया, अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ संख्यात्मक दृष्टि से तो उसे मजबूत बनाया ही, वे आन्दोलनों में अपने मुद्दे और मसविदे भी साथ लेकर आई।''[1]

महिलाओं की राजनीति में सहभागिता राष्ट्रीय आन्दोलन में ही आरम्भ हो गई थी। लेकिन महिलाओं को इस सहभागिता का फल आजादी के बाद ही प्राप्त हुआ। तनवीर एजाज के अनुसार ''इस संविधान ने स्त्रियों को पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और साथ ही जाति, वर्ग, धर्म, और शैक्षणिक या सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में महिलाओं की स्वतन्त्र, सक्रिय तथा समान राजनीतिक हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया।''[2]

संविधान में समानता के मूलभूत अधिकारों के बावजूद यह कड़वी सच्चाई है कि जनसंख्या के इस आधे हिस्से को राष्ट्र निर्माण की भूमिका में भागीदारी के समान अवसरों से वंचित रखा गया है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को नकारा नही जा सकता।

शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, सरकारी व अन्य क्षेत्रों, सेवाओं एवं इनसे भी महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्र जेसे पंचायत, स्थानीय निकायों, संसद तक में महिलाओं की भागीदारी की उपेक्षा की गई। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने घड़ियाली आंसू अवश्य बहाए लेकिन उनकी वास्तविक सहभागिता के समय पल्ला झटक लिया।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''जिस राष्ट्र में नारी का जितना अधिक सम्मान तथा ऊँचा दर्जा होगा, वह राष्ट्र उतना ही सभ्य और सम्मुन्नत माना जाएगा।'' यूरोप और अमेरिका में 18वीं सदी में नारी स्वतन्त्रता का आन्दोलन अवश्य प्रारम्भ हुआ, परन्तु भारत में आजादी के बाद 20वीं0 सदी में महिलाओं को पुरूषों के समानान्तर अधिकारा प्रदान किये गये। सामाजिक ढांचे में महिलाओं की सार्थक भूमिका के बिना हम समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते और आर्थिक विकास में भी महिलाओं की भूमिका को नकारा नही जा सकता। 20 वीं0 सदी के लोकतान्त्रिक दौर में विश्वभर में अर्थव्यवस्था में महिलाओं के श्रम और आर्थिक भागीदारी के आकड़े 50 फीसदी से भी ज्यादा हैं। अतः यह स्पष्ट हो चुका है, कि समाज में प्रगति का आधार पुरूष ही नहीं नारी भी है।

अनेक अत्याचार उत्पीड़न की भीषण त्रासदी सहते हुए महिलाऐं आज भी सामाजिक और आर्थिक विकास में सन्नद्ध हैं। अब हम 21 वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं इसी के साथ महिलाओं के अधिकारों, समानता के सिद्धान्तों, जीवन के मूलभूत अधिकारों और गरीबी हटाने की मांग ने जोर पकड़ा है। आज महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर कदम रखने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों में सक्रिय रूप से भाग ले सके।

महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो, उन्हें प्रदेय संरक्षण के निमित्त बनाए कानूनों का कार्यान्वयन सही ढंग से हो, तभी हम समानता और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं अन्य योजना प्रक्रियाओं में महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता आवश्यक है।

आज विश्व में महिला सशक्तीकरण का कार्य एक आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है।

इन आन्दोलनों और महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के फलस्वरूप ही इतने वर्षो में पहली बार महिलाओं के सम्बन्ध में एक बड़ा कदम उठाया गया। जिसके अन्तर्गत 1992 में अनेको प्रयत्नों के पश्चात केन्द्रीय सरकार के द्वारा संविधान में 73वां तथा 74वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें पंचायती राज तथा नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस महान क्रान्तिकारी संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने का सफल प्रयास किया गया। इसी के फलस्वरूप आज महिलायें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय संस्थाओं में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। और यही महिलायें आज समाज को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

वर्तमान में 74 वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होने के बाद राजनीति में प्रवेश अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि केन्द्रीय विधायिका में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की बातचल रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर सम्भव कदम उठाया जा रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इतने सब प्रयासों का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसीलिए मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में निर्वाचित महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है। महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति में उनकी शैक्षिक योग्यता, राजनीतिक जागरूकता एवं परिवर्तित समाज में उनका स्तर आदि को सम्मिलित किया गया है।

महिला पार्षदों की शैक्षिक योग्यता

आज विश्व भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों आन्दोलन चलाये जा रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय महिलायें अपने जीवन क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी जरूर महसूस होती है, जो अधिकांश महिलाओं को दुर्बल बनाती है। अतः जिस कारण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का अशिक्षित होना आज की बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों की है, जहाँ आज भी पुराने रीति रिवाजों एवं परम्पराओं पर विश्वास तथा

महिलाओं को चहारदीवारी में रहना पसन्द किया जाता है। साथ ही महिलाओं का पढ़ना लिखना भी पसन्द नहीं किया जाता। उन्हीं क्षेत्रों में एक मऊरानीपुर नगर भी है। मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् की महिलाओं का शैक्षिक स्तर निम्नांकित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका नं0 23

महिला पार्षदों की शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
परास्नातक से हाई स्कूल	2	22
मिडिल से प्राइमरी	3	33
अशिक्षित	4	44
कुल योग	09	100

शिक्षा के क्षेत्र में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 22 प्रतिशत महिला पार्षद हाईस्कूल से परास्नातक तक एवं 33 प्रतिशत महिला पार्षद प्राइमरी से मिडल तक शिक्षित हैं। तथा 44 प्रतिशत महिला पार्षद अशिक्षित हैं। जो महिला पार्षद अशिक्षित हैं, उनमें तो राजनैतिक चेतना का स्तर निम्न है ही लेकिन इसके साथ ही मध्यम स्तर की महिला पार्षदों की भी यही स्थिति पायी गई है। लेकिन जो हाईस्कूल से परास्नातक स्तर की शिक्षित महिला पार्षद हैं उनमें थोड़ी बहुत जागरूकता अवश्य दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए महिला का शिक्षित होना अति आवश्यक है तभी वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर पायेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाया हो। बल्कि आज सरकार के द्वारा गांव गांव एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अनेको योजनाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु इतने प्रयत्नों के बावजूद मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद की महिला पार्षद पुरूष पार्षदों की तुलना में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। 74 वें संशोधन से पहले की अपेक्षा आज मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद की महिला पार्षदों की साक्षरता बढ़ी अवश्य है लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं बढ़ी है।

(सारणी सं0 23)

महिला पार्षदों द्वारा मताधिकार के निर्णय का आधार

आज भारत में स्त्रियों को पुरूषों के समान सभी क्षेत्रों में कार्य करने व निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अधिकांश महिलायें इन अधिकारों का प्रयोग भी स्वतन्त्रता पूर्वक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में आज भी पुरूष प्रधान मानसिकता कार्य कर रही है। इस कारण आज भी अधिकांश महिलायें स्वतन्त्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाती हैं, बल्कि उनके निर्णय पति या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः संविधान द्वारा पुरूषों के समान मत का अधिकार प्राप्त होने पर भी मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की निर्वाचित महिला पार्षद अपने मताधिकार का निर्णय किस आधार पर करती है? इसकी पुष्टि नीचे दी हुई तालिका में की गई है।

तालिका नं0 24

महिला पार्षदों के मताधिकार का आधार

मताधिकार का आधार	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
जिसमें कह देते हैं	5	56
पार्टी के आधार पर	3	33
जातीय आधार पर	0	0
प्रत्याशी के आधार पर	1	11
कुल योग	09	100

उपरोक्त आकड़ों से यह प्रतीत होता है कि विभिन्न चुनावों में अधिकांश महिलायें मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करती हैं। क्योंकि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद की 56 प्रतिशत महिला पार्षद पति या परिवार के अन्य सदस्यों के कहने पर मताधिकार का प्रयोग करती हैं। 33 प्रतिशत महिला पार्षद का परिवार जिस पार्टी से प्रभावित होता है या परिवार का कोई भी सदस्य जिस पार्टी से सम्बन्धित होता है, उसी आधार पर मताधिकार का प्रयोग करती हैं। 11 प्रतिशत

महिला पार्षद स्वयं भी राजनीतिक जागरूकता के कारण अपने मत का प्रयोग प्रत्याशी के आधार पर करती हैं। (सारणी सं0 24)

महिला पार्षदों द्वारा चुनाव का निर्णय

देश के संविधान द्वारा पुरूषों के समान महिलाओं को भी चुनाव में मत देने एवं स्वयं चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि अधिकांश महिलायें संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग स्वतन्त्रापूर्वक फिर भी नहीं करती हैं। इस सम्बन्ध में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद की महिला पार्षदों की क्या स्थिति है? इसको निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका नं0 25

महिला पार्षदों द्वारा चुनाव का निर्णय

चुनाव का निर्माण	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
परिवार वालो के कहने पर	7	78
दल वालों के कहने पर	1	11
स्वविवेक से	1	11
कुल योग	09	100

74 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को नगरीय संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होने के बाद चुनाव में भाग लेना अनिवार्य हो गया है लेकिन फिर भी अधिकांश महिलायें पारिवारिक दबाव या अन्य किसी दबाव के कारण चुनाव में भाग लेतीं हैं। क्योंकि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 78 प्रतिशत महिला पार्षदों ने परिवार वालों के कहने पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया । तथा 11 प्रतिशत महिला पार्षदों में दलवालों के कहने पर चुनाव में भाग लिया है। सिर्फ 11 प्रतिशत महिला पार्षदों ने स्वविवेक से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। (सारणी सं0 25)

तालिका नं0 26

महिला पार्षदों को आरक्षण का ज्ञान

आरक्षण का ज्ञान	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	1	11
पता नहीं है	8	89
कुल योग	09	100

संविधान में 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत और नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। फलस्वरूप आज महिलाओं का राजनीति में प्रवेश अनिवार्य हो गया है। लेकिन मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद की 11 प्रतिशत महिला पार्षदों को इस आरक्षण के विषय में जानकारी है। जबकि 89 प्रतिशत महिला पार्षद को 33 प्रतिशत आरक्षण के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। साक्षात्कार के दौरान जब महिला पार्षदों से पूछा गया कि आपने चुनाव किस आधार पर लड़ा था तो उनका उत्तर था कि मुझे कुछ भी पता नहीं बल्कि परिवार वालों की जोर जबरदस्ती के कारण चुनाव में भाग लिया। मैं पार्षद जरूर हूँ मगर नगरपालिका परिषद् से मेरा या उसके कार्यो से कोई मतलब नहीं है। (सारणी सं0 26)

तालिका नं0 27

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की बैठकों में भागीदारी

बैठकों में भागीदारी	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भाग लेती हैं	2	22
कभी कभी भाग लेती हैं	4	45
भाग नहीं लेती हैं	3	33
कुल योग	09	100

उपरोक्त तालिका के आकड़ों के अनुसार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 22 प्रतिशत महिला पार्षद परिषद् की बैठकों में भाग लेती हैं, 45 प्रतिशत महिला पार्षद कभी कभी भाग लेती हैं तथा 33 प्रतिशत महिला पार्षद निर्वाचन के बाद परिषद की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने के पश्चात् कभी भी भाग नहीं लिया हैं। सत्य तो यह है कि मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद में आरक्षण के कारण महिलाओं की भागीदारी सिर्फ स्थानापूर्ती के लिए होती है। निर्वाचित महिला पार्षदों में अधि कांश महिला पार्षदों की राजनैतिक चेतना का स्तर निम्न है। 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण सिर्फ इनको चुनाव लड़ाया जाता है। कभी–कभी ऐसी स्थिति भी पायी जाती है कि पत्नी के मना करने पर भी पति द्वारा उनको चुनाव में भाग लेने के लिये विवश किया जाता है। इसीलिए मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की बैठकों में अधिकांश महिला पार्षदों की भागीदारी न के बराबर होती है। (सारणी सं0 27)

बैठकों की कार्यवाहियों में महिला पार्षदों की सहभागिता

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की बैठकों में भाग लेने वाली 22 प्रतिशत महिला पार्षदों में 11 प्रतिशत अथवा महिला पार्षद कार्यसूची पर प्रश्न पूछती हैं अथवा सूचनायें मांगती हैं तथा कभी कभी आलोचना या विचार भी व्यक्त करती हैं। 11 प्रतिशत महिला पार्षद कभी किसी विषय पर कोई विचार व्यक्त नहीं करती हैं। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में भी महिलओं में नेतृत्व का अभाव क्योंकि आज की सामाजिक संरचना पुरूष प्रधान होने के कारण महिलाओं का व्यक्तित्व उभर नहीं पा रहा है। महिलाओं में जागरूकता लाने का जितना प्रयास किया जा रहा है किन्तु उसे रूप में जागरूकता नहीं आ पा रही है। अधिकांश महिला पार्षद बैठकों में सिर्फ औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने ही आती हैं एवं बैठकों की कार्यवाही में भाग नहीं लेती हैं। महिला पार्षदों का बैठकों की कार्यवाहियों में भाग न लेने के पीछे कई कारण हैं, पहला इस क्षेत्र में पर्दा प्रथा के कारण अधिकांश महिला पार्षद अपने से बड़े पुरूष पार्षदों के सामने नहीं बोलती है। दूसरा कारण कभी कभी बैठक की कार्यवाही के बीच किसी पुरूष पार्षद के द्वारा गलत तरीके से बोलने तथा व्यवहार करने की वजह से महिला पार्षद चुप रहती हैं। तीसरा अधिकांश महिला पार्षदों में न राजनैतिक चेतना, न ही किसी

प्रकार का ज्ञान और न ही उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी होती है जिसे थोड़ा बहुत राजनैतिक ज्ञान होता भी है, वह उस ज्ञान का प्रयोग अपने हित में करती है, न कि समाज के हित में। एक और अन्य कारण भी है कि अधिकाशंतः महिला पार्षद पारिवारिक दायित्व से हट कर बाहर निकलना नहीं चाहती हैं और न ही निकलने के लिये पति उनको सहयोग देते हैं।

तालिका नं0 28

महिला पार्षदों द्वारा राजनीति में आगे बढ़ने का निर्णय

राजनीति में आगे बढ़ने का निर्णय	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
आगे बढ़ना चाहती हैं	6	67
नहीं बढ़ना चाहती हैं	3	33
कुल योग	09	100

उपरोक्त के अनुसार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 67 प्रतिशत महिला पार्षद राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन 33 प्रतिशत महिला पार्षद राजनीति में आगे आना नहीं चाहती हैं बल्कि उनका कहना है कि हम नगरपालिका परिषद का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे।

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 67 प्रतिशत महिला पार्षद राजनीति में आगे बढ़ना तो चाहती है मगर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनमें से 11 प्रतिशत महिला पार्षद पाति के कहने पर, 45 प्रतिशत महिला पार्षद पारिवार वालों के कहने पर तथा 11 प्रतिशत महिला पार्षद पार्टी के कहने पर राजनीति में आगे भाग लेना चाहती हैं। महिलाओं के इस प्रकार के निर्णय यह सिद्ध करते हैं कि आज भी इस क्षेत्र की महिलायें निर्णय लेने में स्वावलम्बी नहीं हैं। (सारणी सं0 28)

तालिका नं0 29

महिला पार्षदों का केन्द्रीय विधायिका में आरक्षण के प्रति रूझान

आरक्षण के प्रति रूझान	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
पक्ष में	7	78
विपक्ष में	2	22
कुल योग	09	100

भारत में महिलाओं की दशा और स्थिति में आमूल–चूल सुधार के लिए केन्द्र सरकार को ऐसे उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए, जो सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया को सार्थक और सकारात्मक बनाने में सहयोग साबित हो सके। अतः महिलाओं के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार ने आज तक कोई संतोष जनक नीति निर्धारित नही की है। इसका प्रमुख कारण है महिलाओं में अपने अधिकारों तथा राजनीति की प्रति जागरूकता की कमी। इसी कारण महिलाओं को केन्द्रीयविधायिका में आरक्षण मिलने के मार्ग में कठनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उपरोक्त आकड़ों के अनुसार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 78 78 प्रतिशत महिला पार्षद महिलाओं को केन्द्रीय विधायिको में आरक्षण के पक्ष में हैं तथा 22 प्रतिशत महिला पार्षद विपक्ष में हैं। (सारणी सं0 29)

महिलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न कानूनों की जानकारी

महिलाओं के उत्थान हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न कानून बनाये गये हैं ताकि महिलाओं पर सामाजिक और आर्थिक रूप से हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों से लड़ा जा सके। लेकिन आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु बनाये गये इन कनूनों के सन्दर्भ में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 44 प्रतिशत महिला पार्षदों को ज्ञान है। तथा 56 प्रतिशत महिला पार्षदों को इन कानूनों के सन्दर्भ में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्योंकि अभी भी अधिकांश कस्बों एवं गांवों में रहने वाली महिलायें चहारदीवारी में कैद रहती हैं, जिसकी वजह से ये महिलायें सरकार

द्वारा बनाये गये इन कानूनों से अवगत नहीं हो पाती हैं।

तालिका नं0 30

महिला पार्षदों का सामाजिक परम्पराओं पर विचार

सामाजिक परम्पराओं पर विचार	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
विश्वास करती हैं	7	78
विश्वास नहीं करती हैं	2	22
कुल योग	09	100

इस नगर में रहने वाली अधिकांश जनता पुराने रीतिरिवाजों या सामाजिक परम्पराओं का कठोरता से पालन करती है। यहाँ की महिलायें आज भी पर्दा प्रथा एवं छुआछूत पर विश्वास करती हैं। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की निर्वाचित 78 प्रतिशत महिला पार्षद सामाजिक परम्पराओं पर विश्वास करती हैं। लेकिन 22 प्रतिशत महिला पार्षद सामाजिक परम्पराओं पर विश्वास नहीं करती हैं। 74वें संशोधन के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के कारण महिलाओं का घर की चहारदीवारी से निकलना अनिवार्य हो गया है। जिससे कई परिवारों के विचारों में परिवर्तन हुआ है। (सारणी सं0 30)

तालिका नं0 31

महिला पार्षदों का महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में विचार

सामाजिक स्थिति में सुधार	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
सुधार हुआ है	6	67
सुधार नहीं हुआ है	3	33
कुल योग	09	100

भारत के इतिहास में गत कई शताब्दियों से किसी भी काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं रही है, जिसके कारण उनकी समाज में हमेशा उपेक्षा होती आई है। पिछली शताब्दी से सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत से प्रयास किये गये, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की 67 प्रतिशत महिला पार्षदों के अनुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन 33 प्रतिशत महिला पार्षदों का कहना है कि आज भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। (सारणी सं0 31)

74 वें संवैधानिक संशोधन के सकारात्मक प्रभाव

74वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत सबसे बड़ा कदम नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करना है। यह कदम महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करेगा और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का सफल प्रयास करेगा। 74वें संवैधानिक संशोधन से अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गो को राजनैतिक सहभागिता के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर अनुसूचित जातियों, जनजातियां व पिछड़े वर्गो के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण प्राप्त हुआ है। जिनसे इन जातियों के सदस्यों को नगरपालिका के विशेष क्षेत्र से नेताओं के रूप में आगे आने का अवसर भी प्राप्त हुआ है जो अपने अपने क्षेत्रों से निर्वाचित होकर नगरपालिका में प्रवेश करते हैं।

आज नगरपालिका परिषद् अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़े वर्गो के पार्षद अपनी जातियों के हितों के लिये कार्य करते हैं जिससे उनकी मूलभूत सेवाओं जैसे झुग्गी झोपड़ियों की स्वच्छता, नगरपालिका की सेवाओं में आरक्षण, जनसुविधाओं की पूर्ति, गलियों एवं नालियों का सुधार अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यवस्था में उनकी जातियों के हितों की सुरक्षा हो सकेगी। 74वें संविधान संशोधन से देश में महिलाओं और समाज के आम कमजोर वर्गो की भागीदारी के बिना प्रजातन्त्र का कोई मूल्य नही था। अब नगरीय संस्थाओं को वित्त आयोग द्वारा वित्तीय

सहायता दी जाती है। जिससे वे अपने नगरों का विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त नगरीय संस्थाओं को अपनी आय प्राप्त करने के लिए कुछ कर प्राप्त करने के कुछ और भी प्रावधान हैं जिससे उन्हें अपने नगर का विकास करने में सहायता प्राप्त मिलती है।

74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं के स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व इन संस्थाओं के चुनाव राज्य सरकार पर निर्भर करते थे। परन्तु अब यह प्रावधान किया गया है कि इन संस्थाओं के स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराये जायेंगे। नगरीय संस्थाओं के कार्यकाल के समाप्त होने के छः मास के अन्दर ही चुनाव करवाने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार नगरीय संस्थाओं में चुनाव होने अनिवार्य हो गए हैं। इस प्रकार 74 वें संशोधन के आधार पर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 में राज्य की नगरीय स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।

74 वें संवैधानिक संशोधन का नकारात्मक प्रभाव

इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो एवं महिलाओं को नगरीय संस्थाओं में चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। आज इन सभी वर्गो के प्रत्याशी चुनाव लड़कर नगरपालिका परिषद् में पार्षद भी बन रहे हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश पार्षदों का शैक्षिक स्तर कम या बिल्कुल न होने के कारण इनको परिषद् के नियमों, अधिनियमों और अपने अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप यह पार्षद अपनी कम योग्यता के कारण परिषद् के क्रिया कलापों में अपनी प्रभावी भूमिका नही निभा पाते हैं। एक और बिडम्वना है कि महिला पार्षदों की भूमिका उनके पतियों या उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा निभाई जाती है। जिसके परिणामस्वरूप चुनी हुई महिलाओं का राजनीतिक ज्ञान और अनुभव कम ही है। आज नगरीय संस्थाओं में वित्त की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है इन संस्थाओं के पास नगर का विकास करने के लिए पर्याप्त धन का अभाव रहता है। इन संस्थाओं में बड़े सरकारी अधिकारी व राजनीतिज्ञों द्वारा अधिक हस्तक्षेप एवं प्रभाव के कारण धन का सदुपयोग न होकर दुरूपयोग किया जाता है। कई बार तो स्थानीय संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन भी प्राप्त नहीं हो पाता। परन्तु 74वें संवैधानिक

संशोधन के आधार पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्य वित्तीय आयोग इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा व उनको और अधिक धन इकट्ठा करने के लिए कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

उपरोक्त विचारों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 74वें संशोधन के बाद नगरीय संस्थाओं में परिवर्तन के बावजूद कोई विशेष परिवर्तन देखने को नही मिला। इसीलिए वर्तमान शोधकार्य करना आवश्यक माना गया ताकि नगरपालिका परिषद् की सही कार्य प्रणाली तथा उस पर 74वें संशोधन के प्रभाव को देखा जा सके।

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की कार्यप्रणाली

प्रस्तुत इस अध्याय में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् के अधिवेशनों का समय कार्यवाही का संचालन व अधिवेशनों का स्थगन तथा पार्षदों द्वारा कार्यवाहियों में प्रश्न पूछना आदि विषयों को शामिल किया गया है। इसके बाद मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की आय और व्यय तथा वित्तीय स्थिति का भी वर्णन किया गया है। अन्त में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् पर राज्य का नियन्त्रण वर्णन किया गया है।

अधिवेशनों का समय

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् में प्रत्येक मास के 22 वें दिन अधिवेशन होना निश्चित है, यदि उस दिन छुट्टी हो तो ऐसी दशा में अधिवेशन आगामी कार्य दिवस को किया जाता है। परिषद् के प्रत्येक पार्षद को अधिवेशन में उपस्थित होने की सूचना अधिवेशन होने के तीन दिन पूर्व दे दी जाती है। यह सूचना अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होकर अथवा उनके अभाव में सभापति उपसभापति द्वारा भेजी जाती है।

अधिवेशन में उपस्थित होने की सूचना में प्रत्येक प्रस्ताव अथवा प्रस्थापना जो अधिवेशन में उपस्थित की जायेगी, उसी में अधिनियम की धारा 94 उपधारा (6) के सम्बन्ध से उपधारा के अपेक्षित अन्य विवरण सहित निर्देशन कर दिया जाता है और साधारण तथा अन्य कार्य जो उसमें सम्पादित होगा उसका भी आवेदन कर दिया जाता है। साथ ही अधिवेशन में उपस्थित होने की प्रत्येक सूचना में अधिवेशन का स्थान, दिन और समय आवेदित कर दिया जाता है।

कार्यवाही का संचालन एवं अधिवेशनों का स्थान

परिषद् का कोई भी पार्षद जो किसी भी समय कोई प्रस्ताव प्रस्थापना उपस्थित करना चाहे तो ऐस अपने विचार की सूचना पूर्ववर्ती अधिवेशन में भेज देना चाहिये अथवा अधिवेशन से न्यूनातिन्यून एक सप्ताह पूर्व अपने ऐसे विचार को सभापति को लिखित सूचना कर देना चाहिए।

कोई भी पार्षद औचित्य प्रश्न सभापति के सामने उपस्थित कर सकता है। परन्तु ऐसे बिन्दु पर कोई विवाद नहीं होगा, जब तक कि उस पर सभापति उपस्थित पार्षदों से उनका मत जानना उचित न समझे। अधिवेशन में प्रत्येक प्रस्ताव या सुधार लिखित उपस्थित किया जाता है एवं लिखा भी जाता है। सभापति किसी प्रस्ताव अथवा सुधार पर विवाद प्रारम्भ के पूर्व समर्थन चाह सकते हैं। किसी प्रश्न को प्रस्तावित

कराने के लिए प्रत्येक पार्षद अपने स्थान से बोलेगा और समापति को सम्बोधित करेगा। कोई पार्षद उत्तर में प्रस्तावक के अतिरिक्त, कभी भी दुबारा नहीं बोल सकता है। अधिवेशन के कार्य सम्बन्धी सभी प्रश्न एक पार्षद से अन्य पार्षद के प्रति सभापति के माध्यम द्वारा ही उपस्थित किये जाते हैं।

पार्षदों द्वारा कार्यवाही में प्रश्नों का पूछना

प्रत्येक परिषद् के सदस्य को प्रश्न करने का अधिकार होता है जो निम्न शर्तो और प्रतिबन्ध ों के अधीन प्रयुक्त हो सकता है।

1. परिषद् के किसी विषय के सम्बन्ध में कोई पार्षद जो प्रश्न करना चाहता है वह परिषद् के आगामी साधारण अधिवेशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व अपने प्रश्न या प्रश्नों की लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी के पास भेज देना चाहिए।

2. इस प्रकार से प्राप्त प्रश्नों को अधिशासी अधिकारी प्राप्ति की तिथि से संख्यांकित करते हैं।

3. प्रश्नों के प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी सभापति के समक्ष प्रस्तुत करता है और सभापति परिषद् के किसी अधिकारी अथवा उपसभापति के प्रधान को प्राप्त प्रश्नों के उत्तर तैयार करने को निर्देशित करता है।

4. प्रश्न व्रतर्कनीय अथवा औपकाल्पिनिक या किसी जन समुदाय (लोग समाज) उपविभाग के अपकीर्तिकर नहीं होना चाहिये।

5. परिषद् के आगामी अधिवेशन में सभापति, अधिशासी एवं परिषद् के अन्य अधिकारी, जिसके विभाग से प्रश्न का सीधा सम्बन्ध होगा, उस उपसमिति का प्रधान, प्रश्न जो यथावत् अधि ावेशन के पूर्व प्राप्त हुआ है, उसका उत्तर पढ़ेगा।

6. प्रश्न और उनके उत्तर अधिवेशन की कार्यवाही का भाग होंगे और यदि परिषद् ने किसी विशेष विषय पर, अन्यथा निर्देश दिया न हो तो कार्यवाही के साथ प्रकाशित होते हैं।

7. प्रश्नकर्ता पार्षद् अधिवेशन में उत्तर पढ़े जाने के पूर्व किसी भी समय उसको वापिस ले सकता है परन्तु ऐसी किसी दशा में प्रश्न वृतपुस्त से हटा दिया जाता है।

8. यदि पार्षद ने किसी प्रश्न को जिसकी सूचना यथावत् दी है, अधिवेशन होने से पूर्व प्रश्न को वापिस नहीं लिया है परन्तु अधिवेशन में उपस्थित नहीं है, सभापति किसी अन्य उपस्थित पार्षद को उस प्रश्न के पूछने की अनुमति दे सकते हैं और उसका उत्तर पढ़ा जा सकता है।

स्थानीय निकाय की गत तीन वर्षों की वास्तविक व वित्तीय वर्ष 2003–04 की अनुमानित आय का विवरण

मद का नाम	बजट शीर्षक अनुसार	वर्ष 2000–01 वास्तविक	वर्ष 2001–02 वास्तविक	वर्ष 2002–03 वास्तविक	वर्ष 2003–04 अनुमानित
(क) करो से आय	1. गृहकर	283445.00	101700.00	721652.00	897000.00
	2. शौ टैक्स	33120.00	31300.00	28230.00	40000.00
	3. विशिष्ट व्यापार कर	5170.00	3162.00	6069.00	6000.00
	4. 2 प्रतिशत अचलसम्पत्ति	–	–	476059.00	750000.00
	योग	321744.00	136162.00	1232010.00	1693000.00
(ख) करेत्तर राजस्व	1. तहबाजारी	313542.00	241828.00	52500.00	100000.00
	2. लाईसेन्स शुल्क	.	.	.	200000.00
	3. पार्किंग शुल्क	115500.00	165271.00	87250.00	250000.00
	4. किराया दुकान, भवन	831859.00	946509.00	1324527.00	1700000.00
	5. तहबजारी ठेका	.	.	219825.00	400000.00
	6. भूमि की उपज से	.	.	20225.00	35000.00
	7. किराया नजूल भूमि	.	.	.	200.00
	8. पोण्ड से आय	450.00	.	.	1000.00
	9. बिक्री खाद	308.00	232.00	30.00	2000.00
	10. फीस बालिका विद्यालय	3623.00	3474.00	3271.00	6000.00
	11. बढ़ाव शुल्क	14280.00	31220.00	37333.00	55000.00
	12. वधशाला	2140.00	2164.00	2500.00	4000.00
	13. रोड कटिंग	530175.00	483.00	652.00	3500.00
	14. प्रतिलिपि शुल्क	2510.00	2329.00	10172.00	3000.00
	15. मेला से आय	5320.00	15915.00	.	20000.00
	16. पशु रजिस्ट्रेशन शुल्क	123320.00	207321.00	497720.00	500000.00
	17. लाईसेन्स बैलगाड़ी	2010.00	189.00	66.00	300.00
	18. ब्याज से आय	.	.	.	10000.00
	19. अन्य से आय	153713.00	184121.00	943330.00	651600.00
	20. नगद जमानत	5628.00	55560.00	36692.00	50000.00
	21. 2%रजिस्ट्री शुल्क	.	.	.	
	योग	2102567.00	1856616.00	2387093.00	3991600.00
	निजी स्त्रोंतो से कुल आय	2424311.00	1992778.00	3619103.00	5684600.00
(ग) शासकीय अनुदान	1. सड़क अनुदान	.	.	...	...
	2. मार्ग प्रकाश	.	.	...	...
	3. सफाई उपकरण	.	.	...	...
	4. मलिनबस्ती सुधार	.	1200.00	6800.00	500000.00
	5. दशम वित्त आयोग	9174660.00	384406.00	...	...
	6. ग्यारहवां वित्त आयोग			1535600.00	770000.00
	योग	917460.00	385605.00	1542400.00	1270000.00
(घ) वेतनमद के अनु0	1. वेतन भत्ते पर राज्यसहायता	8882178.00	10618508.00	12644500.00	11300000.00
	2. चुंगी क्षतिपूर्ती	...	...	...	...
	3. पथकर	...	...	...	...
	4. बकाया वेतन आदि	...	...	...	...
	5. अन्य वेतन हेतु प्राप्त	...	...	...	...
	योग	917460.00	385605.00	1542400.00	1270000.00
(ड) शासकीय ऋणी से आय	1. वेतन हेतु	...	...	...	...
	2. भविष्य निधि हेतु	...	...	...	...
	3. आवासीय योजना	...	...	...	...
	4. पेयजल	...	...	...	...
	5. निर्माता हेतु (सड़क, नाली)	...	...	2500000.00	...
	योग	...	...	2500000.00	...
(छ) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1. जीवन बीमा निगम	...	...	...	...
	2. बैंक से	...	...	...	...
	3. अन्य श्रोतों से	...	...	...	...
	योग	...	...	...	...
	महायोग	12223949.00	12996892.00	20306003	18254600.00

निकाय की तीन वर्षों की वास्तविक तथा वर्ष 2003–04 की मददार अनुमानित व्यय का विवरण

क्रम	मद का नाम	बजट शीर्षक के अनुसार	वर्ष 2000–01 वास्तविक		वर्ष 2001–02 वास्तविक		वर्ष 2002–03 वास्तविक		वर्ष 2003–04 अनुमानित	
			मरम्मत व रखरखाव	नये कार्य पर व्यय	मरम्मत व रखरखाव	नये कार्य पर व्यय	मरम्मत व रखरखाव	नये कार्य पर व्यय	मरम्मत व रखरखाव	नये कार्य पर व्यय
1	वर्ग (क) अधि0/कर्म0 के वेतन भत्ते को छोड़कर	1. सामान्य प्रशासन	7628.00		9183.00		5280.00		11400.00	
		2. कर संग्रह	...		...				...	
		3. पथ प्रकाश	277300.00		204314.00		289970.00		945250.00	
		4. सड़क निर्माण	2551606.00		3038297.00		3618564.00		4000000.00	
		5. भवन निर्माण	...		...		...		360000.00	
		6. मलिन बस्ती सुधार	...		...		...		800000.00	
		7. जल सम्पूर्ति	139050.00		158991.00		72696.00		200000.00	
		8. सफाई उपकरण	264391.00		230316.00		54142.00		232000.00	
		9. पुलिया मरम्मत	2790.00		...		7255.00		150000.00	
		10. नाली मरम्मत	55000.00		...		...		60000.00	
		11. औषधालय	...		...		...		5000.00	
		12. खाद्य पदार्थ नमुना	...		...		...		1000.00	
		13. बाजार	...		...		...		50000.00	
		14. उद्यान	1000.00		4450.00					
		15. उ.मा.वि. विद्यालय	407.00		8724.00		25432.00		26000.00	
		16. उ.मा.वि.भवन	...		...				25000.00	
		17. पुस्तकालय	12528.00		11269.00		2085.00		50527.00	
		18. मूल्य फार्म आदि	41409.00		40735.00		30464.00		75000.00	
		19. कानूनी व्यय	55627.00		30780.00		49316.00		65000.00	
		20. अनुदान पेंशन	299458.00		575267.00		422834.00		600000.00	
		21. मेला	531862.00		602147.00		692993.00		650000.00	
		22. विविध	327931.00		136826.00		456663.00		681730.00	
		23. जमानत वापिसी	2600.00		42232.00		15050.00		30000.00	
		24. 11वां वि. आयोग	1176201.00		583540.00		580526.00		1050000.00	
		25. अवस्थापना विकास	...		...		1961.00		...	
		26. नजूल चर्तुथांश	...		...				200.00	
		योग	5666788.00		5677071.00		6335231.00		10068107.00	
2	वर्ग (ख) सामान्य प्रशासन अधि0/कर्म0 के वेतन भत्ते पर व्यय सफाई कर्मको छोड़कर	1. सामान्य प्रशासन	599190.00		856689.00		801918.00		860843.00	
		2. कर संग्रह	1438207.00		1696573.00		1564914.00		1583620.00	
		3. पथ प्रकाश	...		...					
		4. सड़क भवन	112071.00		176554.00		177141.00		201740.00	
		5. वैक्सीनेटर	59484.00		73694.00		66347.00		49935.00	
		6. पोण्ड मुहर्रिर	171553.00		205264.00		209499.00		212745.00	
		7. उद्यान कर्मचारी	50509.00		69801.00		84232.00		100787.00	
		8. पुस्तकालय	108282.00		129242.00		130243.00		134204.00	
		योग	2541296.00		3207817.00		3034294.00		3143874.00	
3	वर्ग (घ) सफाई कर्म के वेतन भत्ते पर	1. सफाई निरीक्षक	70781.00		90387.00		89447.00		94939.00	
		2. सफाई कर्मचारी	4203668.00		4391260.00		4397252.00		4947680.00	
		योग	427449.00		4481847.00		4486699.00		5042619.00	
		महायोग	12482533.00		13366735.00		138562242.00		18254600.00	

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् का आय–व्यय का विवरण
वर्तमान में मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति

74 वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। इस संविधान संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं में हुये परिवर्तनों में एक बड़ा परिवर्तन इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में भी हुआ है। पहले इन संस्थाओं को करों से प्राप्त आय पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिस कारण ये संस्थायें अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं चला पाती थी। परन्तु अब नगरीय संस्थाओं को मुख्यतः अपने करों से जो राशि प्राप्त होती है उसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि या निकाय निधि भी प्राप्त होती है।

मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति संशोधन से पूर्व की अपेक्षा अच्छी हो गई है। परिषद् ने लगभग 10 वर्षो में नगर में काफी सुधार कार्य कराये हैं। मऊरानीपुर नगर की प्रत्येक सड़क को पक्की करा दिया गया है, सफाई व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था भी पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई है। परिषद् के कुछ आय के स्रोत भी बढ़ें हैं जैसे अपनी जमीन पर दुकानें बनवाकर उनसे किराया वसूल किया जा रहा है। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् से प्राप्त आय–व्यय के आकड़ों के अनुसार जहाँ वर्ष 2000–01 में परिषद् की आय 12223949.00 थी, वहीं वर्ष 2001–02 में यही आय बढ़कर 12996892.00 हो गयी। यही क्रम वर्ष 2002–03 में परिषद् की आय का 20306003.00 रहा है। नगरपालिका परिषद् की आय की उत्तरोत्तर वृद्धि के बाद वर्ष 2003–04 में परिषद् की आय 18254600.00 अनुमानित की गई है। इसी प्रकार मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद् का वास्तविक व्यय वर्ष 2000–01 में 12482533.00 था, वर्ष 2001.02 में वास्तविक व्यय 13366735.00 रहा तथा वर्ष 2002–03 में परिषद् का यही वास्तविक व्यय बढ़कर 138562242.00 हो गया। वर्ष 2003–04 में परिषद् का व्यय 18254600.00 अनुमानित किया गया है। परिषद् के आय–व्यय की तुलना करने पर यह प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार व्यय में 2001 से लेकर 2004 तक कमी नहीं आयी, उसी प्रकार परिषद् की आय में भी कमी नहीं होनी चाहिए लेकिन वर्ष 2003–04 में परिषद् की आय की जो अनुमानित राशि रखी गयी वह पूर्व की अपेक्षा कम होती दिख रही है। परिषद् की आय के कम होने के व वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कुछ कारण अवश्य हैं।

वर्तमान समय में मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह अनुभव हुआ है कि इस परिषद् में कुछ मूलभूत कमियां हैं जैसे यह संस्था करारोपण के अपने अधिकार का अत्यन्त संकोचपूर्वक प्रयोग करती है अर्थात् यह परिषद् अपने नागरिकों

पर कर लगाने में हिचकिचाती है व कर लगाने का निर्णय खुले मन से नहीं कर पाती है। इस स्थिति के लिए पूरी तरह नगरपालिका परिषद के प्रशासन तंत्र एवं परिषद् के पार्षदों को ही उत्तरदायी माना जा सकता है। क्योंकि शासन से अनुदान जिस कार्य के व्यय के लिये प्राप्त होता है उस कार्य में व्यय न करके उस अनुदान का अन्य मदों पर व्यय करके दुरूपयोग किया जाता है। तहबजारी, पार्किंग शुल्क, पशु रजिस्ट्रेशन शुल्क, ठेकों की नीलामी आदि में भी यह जनप्रतिनिधि गलत तरीके अपनाने में नहीं चूकते हैं। यहाँ तक कि पार्षद करों आदि से प्राप्त आय जो कि पालिका निधि कहलाती है, से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में खराब कार्य कराकर दुरूपयोग करते हैं।

नगरपालिका परिषद् की इस कमजोर स्थिति के लिए स्वयं आम जनता का दृष्टिकोण भी कम उत्तरदायी नही है। आम जनता यह तो चाहती है कि नगरपालिका परिषद् द्वारा उन्हें अधिकाधिक सेवाएं दी जाएं किन्तु यदि नगरपालिका परिषद उसके बदले में कोई कर आरोपित करना चाहती है तो नागरिकों की प्रथम प्रतिक्रिया, उनका विरोध करने में रहती है। परन्तु आम जनता को इस बात के लिए चिन्तन करना ही होगा कि यदि वे इस संस्था से अधिक सेवाओं की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें बढ़े हुए करों को देने के लिए भी अपने आपको मानसिक दृष्टि से तैयार करना होगा। नगरपालिका परिषद् को भी कर निर्धारण और वसूली में होने वाली प्रशासनिक गड़बड़ियों और अपने वित्तीय प्रशासन में किसी भी प्रकार की कमी, अकार्यकुशलता, भ्रष्टाचार और पक्षपात को कठोरता से रोकना होगा। जब तक नगरपालिका परिषद् अपनी सेवाओं की तुलना में आय के स्रोतों का विकास स्वयं नहीं करेगी, राज्य सरकार भी उन्हें इस हेतु सहायता नही करेगी। ये संस्थाऐं जब तक अपने प्रशासन तंत्र में आवश्यक सुधार नहीं करेगी तब तक न तो वे आम जनता की अपेक्षाओं की सटीक पूर्ति कर पाऐंगी और न ही प्रजातंत्र की पाठशालाऐं सिद्ध हो सकेंगी।

झाँसी जनपद की अन्य नगरपालिका परिषदें

झाँसी जनपद की महत्वपूर्ण नगरपालिका परिषदों में एक बरूआसागर तथा गुरसरांय नगरपालिका परिषद भी आती हैं।

बरूआसागर नगरपालिका परिषद् –

बरूआसागर नगर का भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक परिचय इस प्रकार है।

बरूआसागर नगर झांसी मुख्यालय से मऊरानीपुर राजमार्ग पर 21 किमी0 की दूरी पर स्थित है। यह नगर 25°22 उत्तरी अक्षांश तथा 78°44 पूर्वी देशान्तर में स्थित है। यह नगर विन्ध्य पहाड़ियों की श्रृंखला की एक पहाड़ी की गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है। इसके पूर्व में एक विशाल झील है, जिसके विषय में कहा जाता है कि यहां के तत्कालीन राजा श्री उद्देत सिंह ने टीकमगढ़ से आने वाले एक बरूआ नाले पर बांध बनाकर उस जल को रोका था। जो प्रारम्भ में एक ताल के रूप में था और बाद में इस तालाब का नाम सागर हो गया। फिर इसी नाम से इस नगर का नाम बरूआसागर पड़ा। नगर और झील के बीच में एक ऊँची पहाड़ी पर राजा उद्देतसिंह ने अपना सात मंजिल का किला बनवाया था जो उस समय अपनी सुन्दरता और भव्यता के लिये प्रसिद्ध था। प्रारम्भ में बरूआसागर राज्य आरेछा राज्य का ही एक अंग था। इस नगर में किले से उत्तरपूर्व में एक झरना भी है जो बरसात के दिनों में अति रमणीक लगता है।

इस नगर का धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना एक स्थान है। यहां पर किले के पास ही एक कैलाश मंदिर है। नगर से झांसी की तरफ 2 किमी0 की दूरी पर एक जराय का मठ है जिसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, यह मठ वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत संरक्षित है। नगर से लगभग 3 किमी0 की दूरी पर एक गिरवरधारी मंदिर भी स्थित है। जो अपनी भव्यता के लिये प्रसिद्ध है। यहां पर नगर से उत्तर की तरफ एक स्वर्गाश्रम झरना स्थान है जहां पर कभी एक सन्त ने काफी तप किया था इसी से यह स्थान आज धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ओर यह स्थल एक दर्शनीय स्थान बन गया है। इस नगर की विशेष उपलब्धि यह है कि यहां पर देश के एवं फिल्म इण्डिया के प्रसिद्ध गीतकार श्यामलाल आजाद इंदीवर का जन्म हुआ था। इनके मोहल्ले का नाम खादी मोहल्ला था जो उनकी मृत्यु के बाद अब इंदीवर नगर के नाम से प्रसिद्ध है।

इस नगर को आज भी बुन्देलखण्ड का कश्मीर कहा जाता है। क्योंकि यह नगर तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण शीतकाल में तो अधिक ठण्डक रहती ही है पर गर्मियों में भी यहां की जलवायु

ठण्डी रहती है। सिंचाई के साधन अच्छे होने की बजह से यहां पर बहुत से आम के बाग तथा एक कम्पनी बाग है जिसमें तरह तरह के फूलों और फलों के पेड़ पाये जाते हैं। वर्तमान में नगर की अधिकांश आबादी, कृषि, व्यवसाय तथा सरकारी सेवाओं में संलग्न रहती है। इस क्षेत्र की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। इसलिये यहां पर सब्जियों का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। सब्जियों में भी अदरख और घुइंया की खेती विशेष रूप से होती है। सब्जियों की बहुतायत के कारण यहां से अदरख और घुइंया आदि को सम्पूर्ण प्रदेश में विक्रय के लिये भेजा जाता है। इस नगर में स्वर्ण आभूषण, वर्तन बनाना तथा परस्ठ आदि का व्यवसाय विशेष रूप से किया जाता है।

यदि इस नगर के सामाजिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाये, तो यहाँ पर सभी जातियों की बहुलता पायी जाती है। सामान्य जातियों में ब्राम्हण, क्षत्रिय, कायस्थ, जैन तथा अग्रवाल, पिछड़ी जातियों में कुशवाहा, यादव, लुहार स्वर्णकार ढीमर तथा अनुसूचित जातियों में अहिरवार, बरार और बसोर आदि जातियों के लोग इस नगर में बहुतायत में रहते हैं। यहां के सामाजिक स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां की कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत भाग कुशवाहा समाज का है जिस कारण इस नगर में कुशवाहा जाति के लोगों क प्रभुत्व स्थापित है। जो अधिकाशतः कृषि तथा व्यवसाय में ही संलग्न है एवं स्थानीय राजनीति में भी सक्रियता से भाग लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से श्री दयाराम माते, जो कुशवाहा समाज से ही हैं, लगातार टाउन एरिया एवं नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष रहे हैं।

बरूआसागर नगर के जनसंख्यात्मक परिदृश्य में केन्द्र सरकार द्वारा 2001 की जनगणना के अनुसार इस नगर की जनसंख्या 22090 है जिसमें 10433 महिलायें तथा 11657 पुरूषों की संख्या है। लिंग अनुपात की दृष्टि से इस नगर में भी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत कम है।

बरूआसागर नगर झाँसी मऊरानीपुर राजमार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर बस स्टैण्ड हैं, जहाँ से हजारों लोग अपने गन्तव्य तक पहुंचते हैं। बरूआसागर नगर के पूर्व और दक्षिण में झाँसी–मानिकपुर रेलमार्ग का रेलवे स्टेशन भी है। इस नगर में डॉ0 आर0 पी0 रिक्षारिया के नाम से एक डिग्री कालेज तथा दो इण्टर कॉलेज एक पं0 रामसहाय शर्मा इण्टर कॉलेज एवं दूसरा राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज हैं। इन विद्यालयों में यहाँ के छात्र–छात्रायें अपनी उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त इस नगर में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक नवोदय स्कूल है जो झाँसी–मऊरानीपुर मार्ग पर स्थित है तथा प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये

यहाँ पर एक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र भी है जिसमें सैकड़ों छात्र छात्रायें प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नगर के उत्तर पूर्व में झरने के पास लोक निर्माण विभाग का एक निरीक्षण भवन भी है। फलों के उत्पादन के लिए यहाँ पर एक औद्यानिक प्रशिक्षण केन्द्र भी है जिसमें फलों की नई-नई किस्में तैयार की जाती हैं। इन केन्द्रों के अतिरिक्त छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए 10-11 प्राथमिक स्कूल तथा नगरपालिका परिषद् द्वारा संचालित एक पब्लिक स्कूल भी है।

बरूआसागर नगर बबीना विधानसभा क्षेत्र का एक अंग है। आजादी प्राप्त होने के पश्चात् से ही इस नगर पर कांग्रेस पार्टी का विशेष प्रभाव रहा है। इसीलिये इस विधान सभा क्षेत्र से अधिकांशतः कांग्रेस पार्टी का ही विधायक, निर्वाचित होता रहा है। लेकिन पिछले तीन चुनावों में भा. ज.पा., बसपा और सपा आदि पार्टियों ने सत्ता प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया और इन पार्टियों के प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं। वर्तमान में यहां समाजवादी पार्टी से श्री राम रतन अहिरवार विधायक हैं। पूर्व में बरूआसागर टाउन एरिया और नगरपालिका के चुनाव किसी दल विशेष से नहीं लड़े जाते थे। लगभग 25-30 वर्षो तक श्री दयाराम माते यहां की नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर लगातार चुने जाते रहे हैं। नगर में इस समय भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का विशेष रूप से प्रभावशील हैं। वैसे आबादी का कुछ प्रतिशत भाग अभी भी कांग्रेस समर्थक है।

बरूआसागर नगरपालिका परिषद् -

बरूआसागर नगर में ब्रिटिश काल से ही नगर के स्थानीय शासन के अन्तर्गत टाउन एरिया स्थापित की गयी थी, जो बाद में जनसंख्या का बढ़ता घनत्व तथा बढ़ती हुयी जन समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से इस नगर में 1973 में नगरपालिका परिषद स्थापित की गई।

वर्तमान समय में बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 25 निर्वाचित सदस्य, 5 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य तथा 2 पदेन सदस्य हैं कुल मिलाकर 32 सदस्य हैं। नगरपालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों में 9 महिला एवं 16 पुरूष पार्षद हैं तथा मनोनीत सदस्यों में एक महिला एवं 4 पुरूष पार्षद हैं।

बरूआसागर नगरपालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सम्पूर्ण नगर को सदस्यों के चुनाव के लिये 25 वार्डो में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य की प्रत्येक नगरपालिका परिषदों में यह व्यवस्था कर दी गई है कि वार्डो और सदस्यों की भी

संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। 74 वें संशोधन से पूर्व भी सदस्यों एवं वार्डो की संख्या राज्य सरकार ही निर्धारित करती थी। सरकार चाहे तो इनकी संख्या में वृद्धि या कमी कर सकती है। इस संशोधन से पूर्व महिलाओं की सामाजिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी जिस कारण महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता की कमी थी। तात्कालिक स्थिति को देखते हुये उससमय राज्य सरकार द्वारा यह प्रावधान था कि यदि निर्वाचन द्वारा परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है तो दो महिला सदस्यों का सहवरण किया जा सकता था। किन्तु संविधान में हुए 74वें संशोधन के पश्चात् अब नगरीय निकायों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिये गये हैं जिससे नगरपालिका परिषदों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गयी है। नगरपालिका परिषद को नगर की जनप्रतिनिधि सभा कहा जाता है। परिषद के सदस्य "जनप्रतिनिधि" जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने का कारण कहलाते हैं। प्रत्येक सदस्यों का कार्य होता है कि अपने अपने वार्ड की साफ सफाई तथा सड़कों को बनवाना व मरम्मत करवाना आदि।

बरूआसागर नगरपालिका परिषद् में इस संशोधन से पूर्व अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुआ करता था। परन्तु संविधान संशोधन के पश्चात् वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव होने लगा है। उपाध्यक्ष का चुनाव पहले भी सदस्यों द्वारा होता था और आज भी परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 74वें संशोधन के द्वारा अध्यक्ष के लिये भी नगरीय निकायों में स्थान आरक्षित किया जाता है। वर्तमान समय में बरूआनगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष पद पिछड़ी जाति (पुरूष) के लिये आरक्षित है जिस आधार पर श्री मेहरसागर यादव पदस्थ हैं। संशोधन के पश्चात् भारतवर्ष के सभी राज्यों की नगरीय निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है इसी आधार पर बरूआसागर नगरपालिका परिषद का, सदस्यों तथा अध यक्ष आदि सभी का 5 वर्ष कार्यकाल है। बरूआसागर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा साथ ही कार्यकारी उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करता है। अध्यक्ष अपने प्रमुख कार्यो में नगरपालिका प्रशासन का अधीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त वह बजट, वक्तव्य, पत्रावलियां तथा स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित प्रलेख, प्रस्ताव, वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि का नगरपालिका परिषद् में तथा उसके उपरान्त राज्य सरकार को प्रस्तुतीकरण का कार्य भी करता है।

प्रत्येक राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश राज्य में भी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगरपालिका परिषदों में अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य परिषद द्वारा निर्धारित

नीतियों को कार्यान्वित करना तथा नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना है, वह उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। नगरपालिका परिषद् में भी कार्य सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार की समितियों का गठन बरूआसागर नगरपालिका परिषद भी करती है। समितियां अलग अलग उद्देश्य से गठित की जाती हैं तथा उन सभी समितियों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। ये समितियां अपने कार्य निष्पादन के लिए नगरपालिका परिषद के नियंत्रण में रहते हुए उसके प्रति उत्तरदायी रहती हैं। ये सभी समितियां ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, कार्यान्वयन और निर्वहन कर सकती हैं, जो उन्हें नगरपालिका परिषद द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं।

बरूआसागर नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों की सूची

क्रमांक			वार्ड संख्या
1.	श्री मेहर सागर यादव –	अध्यक्ष	
1	श्री नरेन्द्र वाल्मीक –	सदस्य	1
2	श्री घनश्याम खटीक	,,	2
3	श्रीमती हेमवती अहिरवार	,,	3
4	श्रीमती उषा रजक	,,	4
5	श्रीमती अनीता तिवारी	,,	5
6	श्रीमती राजकुमारी यादव	,,	6
7	श्रीमती बालाराम कुशवाहा	,,	7
8	श्री रामबाबू राय	,,	8
9	श्री कमलापत राय	,,	9
10	श्री हरिशंकर कुशवाहा	,,	10
11	श्री प्रमोद कुमार पुरोहित	,,	11
12	श्री विजयकुमार जैन	,,	12
13	श्री मनोज सुड़ेले	,,	13
14	श्री गनेश कुशवाहा	,,	14
15	श्री कपिल कुशवाहा	,,	15

16	श्री झुण्डे लाल कुशवाहा	,,	16
17	श्रीमती गुड्डो	,,	17
18	श्री उर्मिलादेवी	,,	18
19	श्री आत्माराम कुशवाहा	,,	19
20	श्रीमती प्रेमादेवी	,,	20
21	श्री श्यामलाल कुशवाहा	,,	21
22	श्रीमती नाजमा राईन	,,	22
23	श्रीमती मायादेवी	,,	23
24	श्री कैलाश तिवारी	,,	24
25	श्री सीताराम कुशवाहा	,,	25

बरूआसागर नगरपालिका परिषद् पर 74 वें संविधान संशोधन का प्रभाव –

यहाँ पर बरूआसागर नगरपालिका परिषद पर 74वें संविधान संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन में नगरपालिका पार्षदों की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव उनकी कार्यशैली पर और पार्षदों की कार्यशैली का प्रभाव किस प्रकार परिषद् के संगठन एवं कार्यप्रणाली पर पड़ता है, जानने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात बरूआसागर नगरपालिका परिषद के सम्बन्ध में पार्षदों के विचारों को भी दर्शाया गया है। अन्त में 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को दिये गये आरक्षण का महिला पार्षदों के ऊपर हुये प्रभाव और परिषद् में उनकी भूमिका तथा स्थिति का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

सामाजिक पृष्ठभूमि –

सामाजिक पृष्ठभूमि में बरूआसागर नगरपालिका परिषद के पार्षदों की आयु, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा का स्तर तथा परिवार का आकर आदि सम्मिलित किया गया है।

लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व –

74वें संविधान संशोधन से पूर्व स्थानीय स्तर की संस्थाओं में लिंग के आधार पर अनुपात में काफी अन्तर था। स्थानीय राजनीति में पुरूष तो सक्रियता दिखाते थे लेकिन स्त्रियों का प्रतिशत हमेशा कम रहा है। पर अब इस संशोधन के पश्चात् से स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी प्रारम्भ हो गयी है।

तालिका नं0 1

लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व

लिंग	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
स्त्री	9	36
पुरूष	16	64
कुल योग	25	100

इस प्रकार उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वे संविधान संशोधनों द्वारा देश भर की पंचायतों व नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया जो भारतीय स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है। इसी आधार पर बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 36 प्रतिशत महिला पार्षद तथा 64 प्रतिशत पुरूष पार्षद हैं। यह नगर एक पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहां की जनता पुराने विचारों एवं रूढ़ीवादी थी जिस कारण महिलाओं का चहारदिवारी में रहना ही पसन्द किया जाता था। जिस कारण स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी शून्य थी।

तालिका नं0 2

आयु के आधार पर प्रतिनिधित्व

आयु समूह	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
25 से 35	7	28
36 से 45	9	36
46 से 55	9	36
56 से 65	0	0
66 से ऊपर	0	0
कुल योग	25	100

उपर्युक्त तालिका के अनुसार युवा वर्ग में (25 से 35 वर्ष) की आयु वर्ग का 28 प्रतिशत प्रतिनिधित्व, मध्यम वर्ग में (36 से 45) वर्ष का 36 प्रतिशत प्रतिनिधित्व तथा (46 से 55) आयु वर्ग के लोगों का 36 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। 74 वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं में अधिकतर बड़ी आयु के लोगों का ही प्रतिनिधित्व मिलता था। परन्तु इस संशोधन के पश्चात् नगरीय निकायों में सभी आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व मिल रहा है।

तालिका नं0 3

धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व

धर्म	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हिन्दू	24	96
मुस्लिम	1	4
सिक्ख	0	0
ईसाई	0	0
कुल योग	25	100

इस तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि बरूआसागर नगरपालिका परिषद में सिक्ख तथा ईसाई धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व शून्य है तथा मुस्लिम धर्म में 4 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व है। इस नगर में हिन्दू धर्म के लोगों की बहुलता के कारण 100 में 96 प्रतिशत हिन्दू धर्म के पार्षदों का प्रतिनिधित्व अधिक है। बरूआसागर नगर में सिक्ख एवं ईसाई धर्म की स्थिति नगण्य है जबकि इन दोनों धर्म की अपेक्षा मुस्लिम धर्म के लोग 10 प्रतिशत रहते हैं। इस नगर की 90 प्रतिशत जनता हिन्दू धर्म की ही निवास करती है।

तालिका नं0 4

जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व

भारतीय राजनीति जाति पर आधारित हो गई है क्योंकि अब किसी भी संगठन का निर्माण जाति के आधार पर होता है। वर्तमान समय में किसी भी स्तर के चुनावों में जाति विशेष की प्रमुख भूमिका होती है। किसी भी शहर या ग्राम में जब एक ही जाति की बहुलता होती है तो उस शहर आदि की राजनीति में भी उसी जाति के लोगों का प्रभुत्व स्थापित रहता है। उपर्युक्त तालिका के अनुसार बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व, 56 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा 24 प्रतिशत सामान्य जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व है। अल्पसंख्यक में 4 प्रतिशत लोगों का ही प्रतिनिधित्व है। पिछड़ी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक होने का कारण यहां कुशवाहा समाज के लोगों की अधिकता है। नगर की कुल जनसंख्या में 60 प्रतिशत आबादी कुशवाहा समाज की है जो पिछड़ी जाति से सम्बन्ध रखते हैं। इसी कारण श्री दयाराम माते 30 वर्षों तक यहाँ की नगरपालिका के अध्यक्ष रहे।

तालिका नं0 5

शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
प्राइमरी	8	32
मिडिल	6	24
हाईस्कूल	4	16
इण्टरमीडियट	2	8
स्नातक	2	8
परास्नतक	3	12
अशिक्षित	0	0
कुलयोग	25	100

शिक्षा मानव के विकास में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिये एक अनिवार्य तत्व है। शिक्षा के अभाव में सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग उचित ढंग से नहीं कर सकते हैं। स्वतत्रंता के पश्चात् से वर्तमान समय तक शिक्षा का स्तर बढ़ा है जहां महिलाओं को शिक्षा न के बराबर दी जाती थी, वहीं आज महिलायें भी पुरूषों की बराबरी से शिक्षा प्राप्त कर रही है। इस तालिका के आंकड़ो के अनुसार बरूआसागर नगरपालिका परिषद के पार्षद किसी न किसी स्तर से सभी शिक्षित हैं।

32 प्रतिशत पार्षद प्राइमरी स्तर पर, 24 प्रतिशत मिडिल स्तर पर, 16 प्रतिशत हाईस्कूल स्तर पर, 8 प्रतिशत इण्टरमीडियट स्तर पर, 8 प्रतिशत स्नातक स्तर पर तथा 12 प्रतिशत परास्नातक स्तर पर सभी पार्षद शिक्षित हैं।

तालिका नं0 6

परिवार के आधार पर प्रतिनिधित्व

परिवार का आकार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एकल परिवार	7	28
संयुक्त परिवार	18	72
कुल योग	25	100

स्थानीय स्तर की संस्थाओं के चुनावों में परिवार का आकार महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि स्थानीय स्तर की राजनीति को परिवारिक आकार प्रभावित करता है। यदि संयुक्त परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है तो परिवार के आकार के आधार पर उसके पास साधन और बाहुबल अधिक होता है। इस प्रकार वह चुनाव में प्रभावपूर्ण भूमिका निभाता है। इन आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि बरूआसागर नगरपालिका परिषद में संयुक्त परिवार के लोगों का वर्चस्व एकल परिवार की अपेक्षा अधिक है। बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 28 प्रतिशत एकल परिवार के पार्षदों का तथा 72 प्रतिशत संयुक्त परिवार के पार्षदों का प्रतिनिधित्व है।

आर्थिक पृष्ठभूमि –

आर्थिक पृष्ठभूमि में बरूआसागर नगर पालिका परिषद् के सदस्यों के व्यवसाय, वार्षिक आय

तथा भूमि के स्वामित्व आदि को शामिल किया गया है।

तालिका नं0 7

व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व

व्यवसाय	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
व्यापार	18	72
कृषि	6	24
नौकरी	1	4
मजदूरी	0	0
कुल योग	25	100

उपर्युक्त तालिका के अनुसार बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 72 प्रतिशत पार्षद व्यापार से जुड़े हैं, 24 प्रतिशत पार्षद कृषक तथा 4 प्रतिशत पार्षद नौकरीपेशा हैं। इस नगर की अधिकांश जनता व्यापारी तथा कृषक है, जिसकारण इस क्षेत्र की राजनीति में इन्हीं दो वर्गो का ही शुरू से वर्तमान समय तक प्रभुत्व स्थापित है।

तालिका नं0 8

पारिवारिक वार्षिक आय के आधार पर प्रतिनिधित्व

पारिवारिक आय	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
10000 से 20000 तक	0	0
20000 से 30000 तक	3	12
30000 से 40000 तक	5	20
40000 से 50000 तक	8	32
50000 से 100000 तक	3	12
100000 से ऊपर	6	24
कुल योग	25	100

व्यक्ति की आय की राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि व्यक्ति की जितनी अधिक आय होगी वह राजनीति में उतनी ही सक्रियता के साथ भाग लेता है। मगर 74वें संशोधन द्वारा स्थानों को आरक्षित किये जाने के कारण निम्न व मध्यम आय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इन आंकड़ो से स्पष्ट है कि बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 20000/– से 30000/– रूपये तक की आय के 12 प्रतिशत पार्षद, 30000/– से 40000/– रूपये तक की आय के 20 प्रतिशत पार्षद, 40000/– से 50000/– रूपये तक की आय के 32 प्रतिशत पार्षद, 50000/– से 1000000/– रूपये तक की आय के 12 प्रतिशत पार्षद तथा 100000/– रूपये से ऊपर की आय के 24 प्रतिशत पार्षदों का प्रतिनिधित्व है।

तालिका नं0 9

भूस्वामी व भूमिहीन वर्गो का प्रतिनिधित्व

भूमि स्वामित्व	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भूस्वामी	14	56
भूमिहीन	11	44
कुल योग	25	100

इस तालिका के आंकड़े के अनुसार बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 56 प्रतिशत भूस्वामी पार्षद तथा 44 प्रतिशत भूमिहीन पार्षद का प्रतिनिधित्व है। भूमिहीन पार्षदों की अपेक्षा भूस्वामी का प्रतिनिधित्व अधिक है। इसका कारण है कि इस नगर की भूमि अधिक उपजाऊ होने के कारण अधिकांश जनता कृषि का कार्य ही करती है।

राजनैतिक पृष्ठभूमि –

राजनैतिक पृष्ठभूमि में बरूआसागर नगरपालिका परिषद के सदस्यों का राजनीतिक अनुभव, राजनीति में पारिवारिक सदस्यता, राजनैतिक दलों से सम्बन्ध, चुनाव में भाग लेने का निर्णय तथा दलीय विचारधारा आदि को शामिल किया गया है। इन्हीं आधारों पर नगरपालिका परिषद् के पार्षदों की राजनीतिक जागरूकता का परिचय मिलता है।

तालिका नं0 10

पिछला राजनैतिक अनुभव

राजनैतिक अनुभव	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	15	60
नहीं	10	40
कुल योग	25	100

उपर्युक्त आंकड़ों से प्रतीत हो रहा है कि बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 60 प्रतिशत पार्षद पिछला राजनीतिक अनुभव रखते हैं तथा 40 प्रतिशत पार्षदों को कोई पिछला राजनैतिक अनुभव नहीं है। पिछला राजनैतिक अनुभव का अर्थ है कि जो भी पार्षद परिषद् में निर्वाचित होकर आया है वह किसी न किसी राजनैतिक दल से प्रभावित है या राजनीतिक परिवार का सदस्य है।

तालिका नं0 11

पारिवारिक सदस्यों की राजनीतिक भागीदारिता

राजनीतिक सदस्यता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	9	36
नहीं	16	64
कुल योग	25	100

अधिकांशतः परिवार या पारिवारिक सदस्य किसी न किसी प्रकार से राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं या पारिवारिक सदस्य ही राजनैतिक क्षेत्र में सक्रियता से भाग लेते रहे हों। इन सभी से प्रभावित होकर ही उस परिवार का अगला सदस्य भी राजनीति में रूचि लेने लगता है और चुनावों में भाग लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में न होने पर भी उस परिवार का व्यक्ति का व्यक्ति राजनीतिक चुनावों में सक्रियता से भाग लेता है। बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 36 प्रतिशत पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी है तथा 64 प्रतिशत पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों की नहीं है।

तालिका नं0 12

चुनाव के निर्णय का आधार

निर्णय का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
स्वविवेक से	5	20
परिवार वालो के कहने पर	8	32
दल वालों के कहने पर	12	48
कुल योग	25	100

74 वें संशोधन से पूर्व नगरीय संस्थाओं के चुनावों में राजनैतिक पार्टियां हस्तक्षेप नहीं करती थी। पर अब बिना राजनैतिक दलों के किसी भी स्तर का चुनाव ही नहीं होता है। बरूआसागर नगरपालिका परिषद के 48 प्रतिशत पार्षद दलवालों के कहने पर ही चुनाव में भाग लेते हैं,32 प्रतिशत पार्षद परिवारवालों के कहने पर चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें अधिकांशतः महिलायें ही आती हैं क्योंकि इस संशोधन के पश्चात् से महिला सीट आरक्षित हो जाने के कारण जब किसी परिवार का पुरुष चुनाव में भाग नहीं ले पाता तब वह अपने परिवार की महिला सदस्य को चुनाव में भाग लेने के लिये विवश करता है। 20 प्रतिशत पार्षद ही स्वविवेक से नगरीय निकायों के चुनावों में भाग लेते हैं।

तालिका नं0 13

पार्षदों के राजनैतिक दल से सम्बन्ध

राजनीतिक दल	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी	9	36
बहुजन समाज पार्टी	2	8
समाजवादी पार्टी	7	28
कांग्रेस	3	12
निर्दलीय	4	16
कुलयोग	25	100

उपर्युक्त तालिका के अनुसार बरूआसागर नगरपालिका परिषद् के पार्षद 36 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित हैं, 8 प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी से, 28 प्रतिशत समाजवादी पार्टी से, 12 प्रतिशत कांग्रेस पार्टी से तथा 16 प्रतिशत निर्दलीय हैं। आज भारतीय राजनीति दल पर आधारित राजनीति हो गई है। स्थानीय स्तर की प्रत्येक नगरीय संस्थाओं के चुनाव भी बिना राजनैतिक दलों के सम्पन्न नहीं होते हैं। इस नगर के अधिकांश पार्षद किसी न किसी दल से अवश्य जुड़े हैं। अब बड़े बड़े राजनैतिक दल के नेतागण भी नगरीय निकायों के चुनावों में भाग लेने से नहीं चूकते।

तालिका नं0 14

सामाजिक विचारधारा

दलीय विचार धारा	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
गांधीवादी	7	12
समाजवादी	7	28
हिन्दुवादी	8	32
कोई उत्तर नहीं	7	28
कुल योग	25	100

जब व्यक्ति किसी राजनैतिक दल से जुड़ा होता है तब वह स्वभावतः किसी न किसी दलीय विचारधारा सेभी प्रभावित होता है। बरूआसागर नगरपालिका परिषद् में 12 प्रतिशत पार्षद गांधीवादी विचारधारा से, 28 प्रतिशत पार्षद समाजवादी विचारधारा से, 32 प्रतिशत पार्षद हिन्दूवादी विचारधारा से प्रभावित है। 28 प्रतिशत पार्षद किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं है।

तालिका नं0 15

दलीय प्रणाली के विषय में विचार

दलीय प्रणाली	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एक दलीय प्रणाली	4	16
द्विदलीय प्रणाली	6	24
बहुदलीय प्रणाली	8	32
कोई उत्तर नहीं	7	28
कुल योग	25	100

उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार बरूआसागर नगरपालिका परिषद् के 16 प्रतिशत पार्षद एक दलीय प्रणाली से सहमत हैं, 24 प्रतिशत पार्षद द्विदलीय प्रणाली से सहमत हैं तथा 32 प्रतिशत पार्षद बहुदलीय प्रणाली से सहमत हैं। 28 प्रतिशत पार्षदों को दलीय प्रणाली के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। आज कोई भी देश हो, उसकी राजव्यवस्था किसी न किसी दलीय प्रणाली पर आधारित होती है। जैसे चीन में एकदलीय प्रणाली है, ब्रिटेन की द्विदलीय प्रणाली है एवं भारत में बहुदलीय प्रणाली है। इस तालिका के अनुसार यह जानने का प्रयास किया गया कि इस नगर की जनता अधिकांशतः किस दलीय प्रणाली को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल मानती है।

विचार –

बरूआसागर नगरपालिका परिषद के विषय में, पार्षदों को अधिकार क्षेत्र की जानकारी, नगरीय निकायों के सम्बन्ध में हुये 74 वें संशोधन का ज्ञान, नगरपालिका परिषद के कार्यो की जानकारी, वार्ड के निरीक्षण के सम्बन्ध में, नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति तथा 74वें संशोधन से जनता द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने के बाद उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि आदि को विचारों में शामिल किया गया है।

तालिका नं0 16

अधिकार क्षेत्र की जानकारी

अधिकार क्षेत्र की जानकारी	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
जानकारी है	11	44
कुछ जानकारी है	5	20
जानकारी नहीं है	9	36
कुल योग	25	100

नगरीय संस्थाओं में ऐसे–ऐसे लोग निर्वाचित होकर आ रहे हैं जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी बिल्कुल नहीं है और कुछ लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है। सम्भवतः ऐसा तब होता है जब निम्न जाति या निम्न वर्ग से लोग दल या परिवार के द्वारा विवश करने पर चुनाव में भाग लेते

हैं। बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 44 प्रतिशत पार्षदों को सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी है, 20 प्रतिशत पार्षदों को कुछ जानकारी है तथा 36 प्रतिशत पार्षदों को इन अधिकारों के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

तालिका नं0 17

74 वें संविधान संशोधन का ज्ञान

74वें संशोधन का ज्ञान	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	4	16
नहीं	21	84
कुल योग	25	100

इन आंकड़ों के अनुसार 16 प्रतिशत पार्षदों को 74 वें संविधान संशोधन का ज्ञान है तथा 84 प्रतिशत पार्षदों को इस संशोधन के विषय में कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय स्तर की संस्थाओं में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कर भारतवर्ष में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। अगर इस संशोधन के विषय में पार्षदों को जानकारी नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा समय समय पर प्रदत्त किये जा रहे इन अधिकारों की उन्हें कोई जानकारी ही नही रहती है।

तालिका नं0 18

नगरपालिका परिषद के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी

नगरपालिका परिषद के कार्य	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
मार्गो का निर्माण एवं सुधार	2	8
प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था	3	12
उद्यानोंका निर्माण एवं संरक्षण	0	0
उपर्युक्त सभी	10	40
नहीं जानते	10	40
कुल योग	25	100

जनता के ये प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं को कितना पूरा कर सकते हैं, जब उन्हें परिषद के कार्यों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान न हो। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 8 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि परिषद का कार्य मार्गो का निर्माण एवं सुधार करना तथा 12 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था है। 40 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि परिषद के उपर्युक्त सभी कार्य होते हैं। 40 प्रतिशत पार्षद ऐसे हैं जिन्हें परिषद के कार्यों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं हैं।

तालिका नं0 19

वार्ड की जनता की सहायता का आधार

सहायता का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अपनी जाति के लोगों की	4	16
अपनी पार्टी के लोगों की	3	12
सभी लोगों की	18	72
कुल योग	25	100

इन आंकड़ो के अनुसार नगरपालिका परिषद में 16 प्रतिशत पार्षद किसी भी समस्या को लेकर अपनी जाति के लोगों की सहायता पहले करते हैं, 12 प्रतिशत पार्षद जिस दल से परिषद् में निर्वाचित होकर जाते हैं उसी दल के लोगों की सहायता करते हैं। परन्तु 72 प्रतिशत पार्षद किसी भी दल से सम्बन्धित हो या किसी जाति का हो सभी लोगों की समस्याओं यथावत सुनकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं।

तालिका नं0 20

वार्डो में किये गये कार्यो का निरीक्षण

कार्यो का निरीक्षण	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
निरीक्षण करते हैं	15	60
कभी कभी करते हैं	3	12
नहीं करतें हैं	7	28
कुल योग	25	100

बरूआसागर नगरपालिका परिषद में 60 प्रतिशत पार्षद अपने अपने वार्डो का निरीक्षण करते हैं तथा जनता की समस्याओं को सुनते हैं। 12 प्रतिशत पार्षद कभी कभी वार्ड का निरीक्षण करते हैं। तथा 28 प्रतिशत पार्षद जिसमें अधिकांशतः महिलायें हैं जो वार्ड का निरीक्षण कभी नहीं करती हैं। वार्ड की जनता का कहना है कि हमलोगों ने अपने वार्ड सदस्य को सिर्फ चुनाव के समय देखा था, उसके बाद कभी नहीं देखा।

तालिका नं0 21

बरूआसागर नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति

वित्तीय स्थिति	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अच्छी हैं	8	32
मध्यम हैं	6	24
खराब हैं	5	20
पता नहीं	6	24
कुल योग	25	100

74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् पहले की अपेक्षा वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसके बाद अगर कहीं कमी रहती है तो नगरपालिका परिषद के प्रशासन तंत्र में ही गड़बड़ी है। कभी कभी राज्य सरकार द्वारा वित्त अनुदान आने पर अध्यक्ष व सदस्यगण उसका दुरूपयोग भी करते हैं। बरूआसागर नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में 32 प्रतिशत पार्षद अच्छी बताते हैं, 24 प्रतिशत पार्षद मध्यम 20 प्रतिशत खराब तथा 24 प्रतिशत पार्षदों को परिषद की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं।

तालिका नं0 22

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष की कार्यकुशलता

अध्यक्ष की कार्यकुशलता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
कार्य कुशलता बढ़ी है	9	36
कार्य कुशलता नहीं बढ़ी है	6	24
पता नहीं	10	40
कुल योग	25	100

इन आंकड़ों के अनुसार 36 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि इस संशोधन के पश्चात् प्रत्येक 5 वर्ष बाद अनिवार्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होने से अध्यक्ष की कार्य कुशलता पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है। 24 प्रतिशत पार्षद मानते है अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि न होकर कमी आयी है तथा 40 प्रतिशत पार्षदों को अध्यक्ष की कार्यकुशलता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है।

बरूआसागर नगरपालिका परिषद में महिला तथा दलित पार्षदों की भूमि का तथा स्थिति–

आज भारत में स्त्रियों को पुरूषों के समान सभी क्षेत्रों में कार्य करने व स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। विश्व भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक आन्दोलन चलाये जा रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय महिलायें अपने जीवन क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही हैं। कहीं न कहीं ऐसी कमी अवश्य है, जो महिलाओं को दुर्बल बनाती हैं। अधिकांश महिलाओं का अशिक्षित होना आज की बहुत बड़ी समस्या है अतः जिससे महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह समस्या प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों की है, जहां आज भी पुराने रीतिरिवाजों एवं परम्पराओं पर विश्वास तथा महिलाओं का चहारदीवारी में रहना पसन्द किया जाता है। बुन्देलखण्ड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह समस्या आज भी बनी हुई है। उन्हीं क्षेत्रों में एक बरूआसागर नगर भी है।

बरूआसागर नगरपालिका परिषद की अधिकांश महिला पार्षदों का कहना है कि राजनीति में आने का निर्णय उनका स्वयं का नहीं था बल्कि परिवारवालों या पति द्वारा विवश किया गया है। इसका कारण है कि वार्ड की महिला आरक्षित सीट होने पर वह अपनी पत्नी या पारिवारिक सदस्या को चुनाव लड़ाकर उनकी जगह स्वयं राजनीति करते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिये स्थानों को आरक्षित किया गया जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी कदम था। इस नगरपालिका परिषद् की निर्वाचित अधिकांश महिला पार्षदों को इस संशोधन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहां की जनता आज भी पारम्परिक विचारों को मानती है। इसलिये इस नगर की महिलायें आज भी पर्दा प्रथा को मानती हैं। महिला पार्षदों से पूछा गया कि आप अपने मत का प्रयोग स्वविवेक से करती हैं, इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि परिवार वाले जिसे वोट देने को कहते हैं, हम उसी को दे देते हैं।

नगरपालिका परिषद् के चुनाव दौरान ये महिला पार्षद प्रचार प्रसार करती नजर आती हैं।

मगर चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद ये कभी नहीं दिखाई देती हैं। परिषद की बैठकों में भी सिर्फ हस्ताक्षर के लिये ही आती हैं, बाकी कार्य इनके पति या परिवार वाले देखते हैं। इस नगर की महिलाओं को सरकार द्वारा बनाये कानून जो इन्हीं के हक में हैं उनकी भी जानकारी इनको नहीं हैं। नगरीय निकायों में महिलाओं का चुनाव में भाग लेकर निर्वाचित होना सिर्फ परिषद में स्थानापूर्ति करना होता है।

इसी प्रकार की स्थिति दलित पार्षदों की है। ये पार्षद किसी राजनैतिक दल के द्वारा कहे जाने पर चुनाव में भाग लेकर सिर्फ स्थानापूर्ति करते हैं क्योंकि नगरपालिका परिषद के अन्दर की कार्यवाही इन राजनैतिक दलों के कहे अनुसार ही होती हैं। इन दलित पार्षदों में अधिकांश के परिषद के सम्बन्ध स्वयं का कोई निर्णय नहीं होता है। कभी कभी नगर पालिका परिषद में यह स्थिति देखने में आती है कि परिषद में जिस पार्टी का वर्चस्व होता है वह पार्टी अधिकांश पार्षदों को अपने खेमें में करने के लिए इन्हें खरीद लेती है क्योंकि इनकी सोच का स्तर आज भी नहीं बदला है।

दलित पार्षदों में अधिकांश मजदूर, कारीगर, मिस्त्री या अन्य कार्यो में लगे होने के कारण इनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ पार्षदों को नगरपालिका परिषद में क्या हो रहा है या किस प्रकार हो रहा है इन सब से कोई मतलब नहीं बल्कि जिसने जैसा कह दिया उसी के कहे अनुसार कार्य करते हैं।

गुरसरांय नगर का परिचय

गुरसरांय नगर झाँसी मुख्यालय से बाया मऊरानीपुर होकर 107 किमी0 की दूरी पर, 25037 उत्तर अक्षांश एवं 72°12 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह गरौठा तहसील से 12 किमी0 की दूरी पर है। ब्रिटिश काल में इस रियासत के राजा नरसिंह पण्डित थे जो दक्षिणी ब्राम्हण थे। इसके बाद 1952 तक यह नगर राव परिवार के अधीन रहा। जमीदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के पश्चात् यह नगर गरौठा तहसील का एक भाग हो गया। इस नगर (गुरसरांय) के नाम के विषय में कहा जाता है कि पहले यहां मिर्जापुर और हमीरपुर से गुड़ आया करता था जो यहाँ की मण्डी में बिका करता था। इसलिये इस नगर का नाम गुरसरांय पड़ा।

स्वतंत्रता के समय इस नगर का स्वरूप बहुत छोटा था। उस वक्त इस नगर की कुल जनसंख्या 6504 थी। वर्तमान समय में 2001 की जनगणना के अनुसार 22940 है जिसमें 12049 पुरूष तथा 10891 महिलाओं की संख्या है। इस नगर में 3801 परिवार रहते हैं। नगर की सामाजिक संरचना के अन्तर्गत गुरसरांय नगर में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। सामान्य जातियों में जैन, ब्राम्हण, कायस्थ, अग्रवाल और क्षत्रिय हैं। पिछड़ी जातियों में यादव, कुर्मी, कुशवाहा और ढीमर हैं। अनुसूचित जातियों में अहिरवार, मेहतर, बसोर, कोरी, खटीक और गदेरे आदि रहते हैं। यहां का वैश्य समाज अधिकतर व्यवसाय ही करता है। इस नगर रेलवे लाइन न होने के कारण यहाँ के लोगों का आंवागमन बसों द्वारा ही होता है। यह नगर में ग्रामीण क्षेत्र से लगा होने के कारण यहां कि अधिकांश आबादी कृषि कार्य ही करती है। नगर की शिक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यहां पर एक त्यागमूर्ति आत्माराम गोविन्दराम खेर इण्टर कॉलेज है। उच्च शिक्षा की दृष्टि से अगले सत्र यहाँ एक डिग्री कालेज भी प्रारम्भ हो रहा है। इसके अतिरिक्त कई प्राथमिक तथा जूनियर हाईस्कूल भी हैं। यह क्षेत्र अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा ही कहा जाता है।

यह नगर राजनीतिक क्षेत्र में गरौठा–समथर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। आजादी के बाद से ही इस विधान सभा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती आई है। प्रारम्भ में श्री ए0जी0खेर और श्री काशीप्रसाद दुबे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विधानसभा में इस क्षेत्र का नेतृत्व करते आये हैं। इधर कुछ वर्षो से इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कम होता प्रतीत हो रहा है। फलस्वरूप वर्तमान समय में सभी पार्टियां इस क्षेत्र में रूचि ले रही हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से कुंवर मानवेन्द्रसिंह विधायक रह चुके हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी से श्री चन्द्रपालसिंह यादव भी विधायक रह चुके हैं। अतः वर्तमान में श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास बहुजन समाजपार्टी से इस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सत्तर और अस्सी के दशक में श्री रणजीत सिंह जूदेव कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे हैं।

गुरसरांय नगरपालिका परिषद – स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम इस नगर को स्थानीय

शासन के लिए टाउन एरिया की श्रेणी दी गई। गुरसरांय नगर में बढ़ती हुयी आबादी तथा जनता की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1986 में टाउन एरिया की जगह नगरपालिका परिषद स्थापित की गई।

गुरसरांय नगरपालिका परिषद् का वर्तमान संगठन तथा कार्य –

गुरसरांय नगरपालिका परिषद् 25 निर्वाचित सदस्यों का निकाय है। नगरपालिका परिषद् में 25 निर्वाचित सदस्य, 5 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य तथा 2 पदेन सदस्य हैं। राज्य में सरकार परिवर्तन के साथ नगरपालिका परिषद के 5 मनोनीत सदस्यों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। 25 निर्वाचित सदस्यों में एक महिला सदस्य एवं 4 सदस्य हैं। मनोनीत सदस्यों में एक महिला सदस्य एवं 4 पुरूष पार्षद हैं।

गुरसरांय नगरपालिका परिषद् को 25 वार्डो में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य का चुनाव होता है। 74वें संवधिान संशोधन के पश्चात् से प्रत्येक पांच वर्ष बाद वार्ड में आरक्षित स्थानों में परिवर्तन होता रहता है। इस संशोधन के बाद से प्रत्येक वार्ड या सदस्य की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इस नगर की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की कमी होने के कारण नगरीय निकाय के चुनाव में महिलायें भाग नहीं लेती थीं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा प्रावधान था कि प्रत्येक नगरपालिका परिषद् में दो महिला सदस्यों का सहवरण किया जायेगा। 74वें संशोधन के द्वारा इस नियम में परिवर्तन कर प्रत्येक नगरीय निकायों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गयें हैं। इस आरक्षण के द्वारा महिलाओं का नगरीय निकायों के चुनावों में भाग लेना अनिवार्य हो गया है। नगर में यह स्थित उत्पन्न हो गई है कि जिन परिवारों के पुरूष महिलाओं का राजनीति में भाग लेना पसन्द नहीं करते थे, उन्हीं परिवारों से नगरपालिका परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिये महिलाओं को विवश किया जा रहा है।

74 संविधान से पूर्व गुरसरांय नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था। परन्तु इस संशोधन के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होने लगा है। अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् की प्रतिमाह होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा समस्त करों प्राप्त आय का नगरपालिका परिषद् के कार्यो में लगाना। सदस्यों का कर्तव्य होता है कि प्रत्येक सदस्य अपने अपने वार्ड का निरीक्षण कर जन समस्याओं का समाधान करना। नगर की साफ सफाई का ध्यान रखना, प्रकाश व जल की व्यवस्था करना, मार्गो का निर्माण एवं उनका रखरखाव तथा उद्यानों का निर्माण और नगर के सुन्दरीकरण आदि कार्यो को करवाना नगरपालिका परिषद के सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। संशोधन से पूर्व नगरपालिका परिषदों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं था। जब चाहे इसे भंग करके चुनाव करवां दिया जाता था

नगर संशोधन के पश्चात् से नगरीय निकायों का कार्यकाल निश्चित कर 5 वर्ष कर दिया गया है। अध्यक्ष के कार्यो में वित्तीय प्रशासन की देखरेख तथा स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित प्रलेख, प्रस्ताव, वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि आते हैं।

प्रत्येक नगरपालिका परिषदों की तरह गुरसरांय नगरपालिका परिषद् में भी अधिशाषी अधिकारी नियुक्त है। अधिशासी अधिकारी के साथ ही मिलकर अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् की कार्यवाहियों को पूरा करता है। नगरपालिका के प्रशासनिक कार्यो पर अधिशाषी अधिकारी का ही नियंत्रण रहता है। गुरसरांय नगरपालिका परिषद् भी कार्यो की सुविधा के अनुसार समितियों का गठन करती हैं। इन समितियों में नगरपालिका परिषद् के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये समितियां अलग अलग नगरपालिकाओं के अनुसार गठित की जाती हैं। समितियां कई प्रकार की होती हैं जैसे शिक्षा समिति, पुस्तकालय समिति, स्वास्थ्य समिति तथा निर्माण कार्यकारी समिति आदि हैं। सभी समितियां नगरपालिका परिषद के नियंत्रण में रहती हैं तथा समितियों का कार्यकाल भी अलग अलग होता है।

गुरसरांय नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष एवं पार्षदों की सूची

क्रमांक			वार्ड संख्या
1.	श्री भानूप्रकाश सिरबइया –	अध्यक्ष	
1.	श्री हर प्रसाद	पार्षद	1
2.	श्री ऊदल प्रसाद	,,	2
3.	श्री प्रभुदयाल	,,	3
4.	श्रीमती रामसखी	,,	4
5.	श्रीमती रूक्मणी	,,	5
6.	श्री रामप्रकाश यादव	,,	6
7.	श्री ज्ञानसिंह गुर्जर	,,	7
8.	श्री नगेन्द्र कुमार मौर्य	,,	8
9.	श्री प्रतापसिंह यादव	,,	9
10.	श्री जयसिंह कुशवाहा	,,	10
11.	श्री शफीउद्दीन सिद्दीकी	,,	11
12.	श्री सुरेन्द्र कुमार खरे	,,	12
13.	श्री वेदकुमार अरजरिया	,,	13
14.	श्रीमती कुसुम राजा	,,	14
15.	श्री मानसिंह यादव	,,	15
16.	श्री शैलेन्द्र कुमार मौर्य	,,	16

17.	श्रीमती धनवन्ती पटेल	,,	17
18.	श्रीमती रामकुमारी सेन	,,	18
19.	श्री सुशील कुमार जैन	,,	19
20.	श्री सन्तोष कुमार यादव	,,	20
21.	श्री मनोज कुमार तपा	,,	21
22.	श्री रविन्द्र कुमार स्वामी	,,	22
23.	श्रीमती श्यामादेवी गोस्वामी	,,	23
24.	श्रीमती गायत्री पस्तोर	,,	24
25.	श्रीमती गनेशी देवी कुशवाहा	,,	25

गुरसरांय नगरपालिका परिषद् पर 74 वें संविधान संशोधन का प्रभाव –

अध्ययन के प्रारम्भ में गुरसरांय नगरपालिका परिषद पर 74 वें संविधान संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। सर्वप्रथम निर्वाचित पार्षदों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है। गुरसरांय नगरपालिका परिषद् पर हुए 74वें संविधान संधोधन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए परिषद् के पार्षदों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव उनकी कार्यशैली पर तथा उनकी कार्यशैली का प्रभाव किस प्रकार नगरपालिका परिषद के संगठन एवं कार्यप्रणाली पड़ा, जानने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात् गुरसरांय नगरपालिका परिषद के सम्बन्ध में पार्षदों के विचारों का तथा नगरपालिका परिषद में आरक्षण प्राप्त महिला पार्षदों एवं आरक्षण प्राप्त दलित पार्षदों की भूमिका और स्थिति का मूल्यांकन किया गया है।

सामाजिक पृष्ठभूमि –

सामाजिक पृष्ठभूमि में गुरसरांय नगरपालिका परिषद् के निर्वाचित पार्षदों की आयु, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा का स्तर तथा परिवार का आकार आदि का अध्ययन निम्नवत है।

तालिका नं0 1

लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व

लिंग	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
स्त्री	9	36
पुरूष	16	64
कुल योग	25	100

लिंग के आधार पर गुरसरांय नगरपालिका परिषद् में 36 प्रतिशत महिला पार्षद तथा 64 प्रतिशत पुरूष पार्षद हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण की व्यवस्था हो जाने के कारण नगरपालिका परिषदों के चुनावों में महिलाओं का भाग लेना अनिवार्य हो गया है। इस संशोधन से पूर्व इस नगर की नगरीय निकायों के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी शून्य थी।

तालिका नं० 2

आयु के आधार पर प्रतिनिधित्व

आयु	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
25 से 35	5	20
36 से 45	7	28
46 से 55	9	36
56 से 65	4	16
66 से ऊपर	0	0
कुल योग	25	100

गुरसरांय नगरपालिका परिषद में (25 से 35) वर्ष की आयु के 20 प्रतिशत पार्षद, (36 से 45) वर्ष की आयु के 28 प्रतिशत पार्षद, (46 से 55) वर्ष की आयु के 36 प्रतिशत पार्षद तथा (56 से 65) वर्ष की आयु के 16 प्रतिशत पार्षद हैं। नगरपालिका परिषदों में पहले की अपेक्षा युवावर्ग में राजनीतिक जागरूकता बढ़ जाने के कारण इनका प्रतिनिधित्व अधिक हुआ है। पहले केवल अधिक आयु के, जो उम्र और स्वभाव से परिपक्व होते थे, वही लोग राजनीति में भाग अधिक लेते थे।

तालिका नं० 3

धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व

धर्म	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हिन्दू धर्म	24	96
मुस्लिम धर्म	1	4
सिक्ख धर्म	0	0
ईसाई धर्म	0	0
कुल योग	25	100

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि गुरसरांय नगरपालिका परिषद में हिन्दू धर्म के 96 प्रतिशत पार्षदों का प्रतिनिधित्व है, अन्य धर्म में सिर्फ मुस्लिम में 4 प्रतिशत पार्षदों का प्रतिनिधित्व है। धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व गुरसरांय नगरपालिका परिषद तथा बरूआसागर नगरपालिका परिषद की स्थिति बराबर है। इस नगर में भी सिक्ख एवं ईसाई धर्म के लोगों का अभाव है।

तालिका नं0 4

जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व

इस संशोधन से पूर्व नगरीय निकायों में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता था बल्कि कुछ सामान्य जातियों का ही प्रतिनिधित्व हुआ करता था। परन्तु 74वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण हो जाने के कारण अब नगरपालिका परिषदों में निम्न एवं उच्च जातियों का समान प्रतिनिधित्व होने लगा है। गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के पार्षद, 48 प्रतिशत पिछड़ी जाति के पार्षद, 28 प्रतिशत सामान्य जाति के पार्षद तथा 4 प्रतिशत अल्पसंख्यक के पार्षद हैं।

तालिका नं0 5

शैक्षणिक सतर

शैक्षणिक स्तर	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
शिक्षित	2	84
अशिक्षित	4	16
कुलयोग	25	100

यह नगर आज की तुलना में पहले सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था। यहां का शैक्षिक स्तर काफी गिरा हुआ था। मगर इन आंकड़ों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि पहले

की अपेक्षा यह नगर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसलिए गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 84 प्रतिशत पार्षद शिक्षित हैं तथा 16 प्रतिशत पार्षद आज भी अशिक्षित हैं। इस अशिक्षित वर्ग में अधिकांश निम्न जाति के लोग आते हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति दोनो से कमजोर हैं।

तालिका नं0 6

परिवार के आकार के आधार पर प्रतिनिधित्व

परिवार का आकार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एकल परिवार	5	20
संयुक्त परिवार	20	80
कुल योग	25	100

नगरीय निकायों के चुनाव स्थानीय स्तर पर होने के कारण प्रत्याशी के परिवारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संयुक्त परिवारों के प्रत्याशी सभी प्रकार से चुनावों में भाग लेने के लिए सक्षम होते हैं। कई बार नगरीय निकायों के चुनावों में भाग लेने के लिए सक्षम होते हैं। कई बार नगरीय निकायों के चुनावों में देखा गया कि एकल परिवारों के प्रत्याशी की अपेक्षा संयुक्त परिवारों के प्रत्याशी अधिकांशतः विजयी रहे हैं। यही स्थिति इस नगर की रही है। गुरसरांय नगरपालिका परिषद में परिवार के आधार पर 20 प्रतिशत पार्षद एकल परिवारों से तथा 80 प्रतिशत पार्षद संयुक्त परिवारों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि –

आर्थिक पृष्ठभूमि में पार्षदों का व्यवसाय, पारिवारिक वार्षिक आय तथा भूस्वामित्व आदि को सम्मिलित किया गया है। चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशी की आर्थिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी भूमिका होती है।

तालिका नं0 7

व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व

व्यवसाय के आधार पर गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 24 प्रतिशत पार्षद व्यापारी, 60 प्रतिशत पार्षद कृषक वर्ग से तथा 16 प्रतिशत पार्षद मजदूर वर्ग से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह नगर ग्रामीण क्षेत्र से लगा होने के कारण यहां की अधिकांश जनता कृषि कार्य ही करती हैं।

तालिका नं0 8

पारिवारिक वार्षिक आय के आधार पर प्रतिनिधित्व

वार्षिक आय	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
10000 से 20000	2	8
20000 से 30000	3	12
30000 से 40000	2	8
40000 से 50000	8	32
50000 से 100000	6	24
100000 से ऊपर	4	16
कुलयोग	25	100

इन आंकड़ों के अनुसार गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 10000/– से 20000/– रूपये तक की आय के 8 प्रतिशत पार्षद 20000/– से 30000/– रूपये तक की आय के 12 प्रतिशत पार्षद 30000/– से 40000/– रूपये तक की आय के 8 प्रतिशत पार्षद, 40000/– से 50000/– रूपये तक की आय के 32 प्रतिशत पार्षद, 50000/– से 100000/– रूपये तक की आय के 24 प्रतिशत पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निम्न आय के वर्ग में अधिकांश मजदूर लोग आते हैं और मध्यम आय में कृषक एवं सामान्य व्यापारी पार्षद आते हैं। 74वें संशोधन द्वारा स्थानों को आरक्षित किये जाने पर नगरपालिका परिषद में अब सभी प्रकार की आय के व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं।

तालिका नं0 9

भूस्वामी व भूमिहीन वर्गो का प्रतिनिधित्व

भूमि स्वामित्व	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
भूस्वामी	18	72
भूमिहीन	7	28
कुलयोग	27	100

उपर्युक्त तालिका के अनुसार गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 72 प्रतिशत पार्षद भूस्वामी हैं तथा 28 प्रतिशत पार्षद भूमिहीन हैं इस नगर में अधिकांशतः भूस्वामी निवास करते हैं और इस नगरपालिका परिषद के पार्षद अधिकांश कृषि कार्यो में संलग्न है।

राजनैतिक पृष्ठभूमि –

राजनैतिक पृष्ठभूमि में पार्षदों से पिछला राजनैतिक अनुभव, उनके चुनाव में भाग लेने का आधार क्या रहा, पारिवारिक सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी थी या नहीं, तथा राजनैतिक दलों से सम्बन्ध आदि की जानकारी प्राप्त की गयी है? इस आधार पर पार्षदों की राजनीतिक जागरूकता का मूल्यांकन किया गाय है।

तालिका नं0 10

पिछला राजनैतिक अनुभव

राजनैतिक अनुभव	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	10	40
नहीं	15	60
कुलयोग	25	100

पार्षदों का पिछला राजनैतिक अनुभव देखा जाये तो 40 प्रतिशत पार्षद ही पिछले राजनैतिक अनुभव के आधार पर नगरपालिका परिषद के चुनाव में भाग लिया है तथा 60 प्रतिशत पार्षद ऐसे हैं जिन्हें कोई पिछला राजनैतिक अनुभव नहीं है। जिन पार्षदों को पिछला राजनैतिक अनुभव नहीं होता उसमें अधिकांश महिलायें आती है। ये महिलायें गृहणी होने के कारण इन्हें कोई राजनैतिक अनुभव नहीं होता है।

तालिका नं0 11

चुनाव के निर्णय का आधार

निर्णय का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
परिवार वालें के कहने पर	9	36
दलवालों के कहने पर	10	40
स्वविवेक से	6	24
कुल योग	25	100

गुरसरांय नगरपालिका परिषद के 40 प्रतिशत पार्षद दल से जुड़े होने के कारण दलवालों के कहने पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया तथा 36 प्रतिशत पार्षद जिसमें अधिकांश महिलायें हैं परिवार वालों के कहने पर या विवश किये जाने पर चुनाव में भाग लेती हैं। 24 प्रतिशत पार्षद

स्वविवेक से चुनाव में भाग लेने का निर्णय करते हैं। इसमें ज्यादातर वे पार्षद आते हैं जो न किसी दल से सम्बन्धित होते हैं और न किसी के कहे अनुसार निर्णय करते हैं।

तालिका नं0 12

पारिवारिक सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी

राजनीतिक सदस्यता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	12	48
नहीं	13	52
कुलयोग	25	100

किन्हीं किन्हीं परिवारों की राजनीतिक सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। गुरसरांय नगरपालिका परिषद् में 48 प्रतिशत पार्षद ऐसे हैं जिनके परिवारों में कोई न कोई व्यक्ति राजनीति में रहा था या किसी पद विशेष पर रहा है। 52 प्रतिशत पार्षद ऐसे भी है जिनके परिवार में कोई राजनीतिक सदस्यता नहीं रही है। 74 वे संशोधन से पूर्व नगर के कुछ संभ्रात परिवार होते थे जिनका ही राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन समय में परिवर्तन आया और स्थिति बदली इस संशोधन के पश्चात् से प्रत्येक स्तर का व्यक्ति नगरीय निकायों के चुनाव में भाग ले रहा है। फिर भारत एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है जहां अन्तिम सत्ता जनता के हाथों में होती है।

तालिका नं0 13

पार्षदों के राजनैतिक दल से सम्बन्ध

गुरसरांय नगरपालिका परिषद के 20 प्रतिशत पार्षद भारतीय जनता पार्टी से, 32 प्रतिशत

पार्षद समाजवादी पार्टी से तथा 48 प्रतिशत पार्षद निर्दलीय हैं जिनके किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं हैं। इस नगर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी का ही प्रमुत्व है। इस नगर की विधानसभा सीट से पिछली बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। जिससे प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में यहां समाजवादी पार्टी की ही महत्वपूर्ण भूमिका चल रही है।

तालिका नं0 14

दलीय विचारधारा

विचारधारा	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
गांधीवादी विचारधारा	0	0
समाजवादी विचारधारा	7	28
हिन्दूवादी विचारधारा	5	20
पता नहीं	13	52
कुल योग	25	100

इस नगर में समाजवादी विचारो के लोग अधिक निवास करते हैं। एक समय था कि जब इस नगर की राजनीति में कांग्रेस का एकाधिपत्य था और लोगों की गांधीवादी विचारधारा थी मगर अब धीरे धीरे यहां से कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो गई और न ही कोई गांधीवादी विचारधारा का है। इन आंकड़ों के अनुसार गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 28 प्रतिशत पार्षद समाजवादी विचारधारा के तथा 20 प्रतिशत पार्षदों का विचारधारा के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं था।

तालिका नं0 15

दलीय प्रणाली के विषय में विचार

दलीय प्रणाली	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
एक दलीय	4	16
द्वि दलीय	5	20
बहु दलीय	5	24
पता नहीं	10	40
कुल योग	25	100

गुरसरांय नगरपालिका परिषद में दलीय प्रणाली के सम्बन्ध में 16 प्रतिशत पार्षद एक दलीय प्रणाली को सही मानते हैं उनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये राष्ट्र में एक दलीय प्रणाली सर्वोत्तम होती है। 20 प्रतिशत पार्षद द्विदलीय प्रणाली को तथा 24 प्रतिशत पार्षद बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था को अच्छी मानते हैं। 40 प्रतिशत पार्षद ऐसे हैं जिन्हें दलीय प्रणाली के विषय में न तो जानकारी और न ही देश के लिये किस प्रकार की व्यवस्था उपयुक्त होनी चाहिए, का कोई ज्ञान है।

गुरसरांय नगरपालिका परिषद् के सम्बन्ध में पार्षदों के विचार –

गुरसरांय नगरपालिका परिषद के विषय में पार्षदों को अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी, नगरीय निकायों में हुये 74 वें संविधान संशोधन का ज्ञान, नगरपालिकापरिषद् के कार्यो की जानकारी, वार्ड के निरीक्षण के सम्बन्ध में तथा नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अन्त में 74 वें संविधान संशोधन से जनता द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने के बाद उसकी कार्यकुशलता में हुयी वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका नं0 16

अधिकार क्षेत्र की जानकारी

जानकारी	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
जानकारी है	12	48
कुछ जानकारी है	7	28
कोई जानकारी नहीं है	7	24
कुल योग	25	100

जब व्यक्ति किसी राजनैतिक या प्रशासनिक पद पर होता है तब उसे सत्ता के साथ कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस तालिका के अनुसार यह जानने का प्रयास किया गया कि गुरसरांय नगरपालिका परिषद् में पार्षदों को अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी है या नहीं। उपर्युक्त आकड़ो से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत पार्षदों को अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी है तथा 28 प्रतिशत पार्षदों को अधिकारों के विषय में कुछ जानकारी है। 24 प्रतिशत पार्षदों को अपने अधिकारो के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही है। जिन पार्षदों को अपने अधिकारों का ही ज्ञान नहीं है वे नगरीय संस्थाओं में अपने कार्यो के उत्तरदायित्व कैसे निभा पायेंगे?

तालिका नं0 17

74 वें संविधान संशोधन का ज्ञान

राजनीतिक सदस्यता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	2	8
नहीं	23	92
कुलयोग	25	100

स्थानीय शासन की संस्थाओं में 73वां एव 74वां संविधान संशोधन करके एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। गुरसरांय नगरपालिका परिषद के पार्षदों से साक्षात्कार दौरान पूछा गया कि नगरीय निकायों के सम्बन्ध में संविधान में 74वां संशोधन किया गया है इसके सम्बन्ध में आपको जानकारी है। आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि सिर्फ 8 प्रतिशत पार्षदों को 74वें संशोधन की जानकारी है या इस संशोधन द्वारा हुए नगरीय निकायों में परिवर्तन के विषय में जानकारी है। जिसमें 84 प्रतिशत पार्षदों को संशोधन के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

तालिका नं0 18

नगरपालिका परिषद के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी

नगरपालिका परिषद के कार्य	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
मार्गो का निर्माण एवं सुधार	0	0
प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था	4	16
उद्यानों का निर्माण एवं रखरखाव	0	0
उपर्युक्त सभी	12	48
नहीं जानते	9	36
कुलयोग	25	100

गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 16 प्रतिशत पार्षदों की राय में परिषद का प्रमुख कार्य नगर की प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था बनाये रखना है। 48 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका परिषद के सभी कार्य मार्गो का निर्माण व मरम्मत करवाना, प्रकाश व सफाई व्यवस्था करवाना तथा उद्यानों का निर्माण करवाना है। 36 प्रतिशत पार्षदों को नगरपालिका परिषद के कार्यो के विषय में

कोई जानकारी नही है। जिसमें अधिकांश महिलायें हैं। उनका कहना है कि हम कभी नगरपालिका जाते ही नहीं, उनके पुत्र या पति जाते हैं इसलिए इसकी जानकारी उन्हीं को रहती है।

तालिका नं0 19

वार्ड की जनता की सहायता का आधार

सहायता का आधार	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अपनी जाति के लोगों की	5	20
अपनी पार्टी के लोगों की	6	24
सभी लोगों की	14	56
कुल योग	25	100

इन आंकड़ों के अनुसार गुरसरांय नगरपालिका परिषद में 20 प्रतिशत पार्षद अपने जाति के लोगों की समस्याओं जल्द सुनते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं। इसका कारण जानने पर उनका कहना था कि चुनाव के दौरान उनकी ही जाति के लोग ज्यादा सहायता करते हैं। 24 प्रतिशत पार्षद जिस दल से नगर पालिका परिषद के चुनाव खड़े होते हैं उसी पार्टी के लोगों की सहायता करना उनको जरूरी होता है। फिर भी 56 प्रतिशत् पार्षद ऐसे हैं जो सभी की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी करते हैं।

तालिका नं0 20

वार्ड में किये गये कार्यो का निरीक्षण

कार्यो का निरीक्षण	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
निरीक्षण करते हैं	12	48
कभी कभी निरीक्षण करते हैं	6	24
नहीं करते हैं	7	28
कुल योग	25	100

गुरसरांय नगरपालिका परिषद् के पार्षदों के भी बरूआसागर नगरपालिका परिषद के पार्षदों

के समान विचार 48 प्रतिशत पार्षद वार्ड में किये कार्यो का या वार्ड का निरीक्षण करते हैं। 24 प्रतिशत पार्षद अपने अपने वार्ड का कभी कभी निरीक्षण करते हैं। 28 प्रतिशत पार्षदों की स्थिति यह है कि वें अपने वार्ड का कभी भी निरीक्षण नहीं करते हैं। इसमें अधिकांश वो महिलायें हैं जो उम्र से वृद्ध हैं उनके स्थान पर उनका पुत्र या पति कार्य करते हैं।

तालिका नं0 21

गुरसरांय नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति

वित्तीय स्थिति	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
अच्छी है	6	24
मध्यम है	5	20
खराब है	6	24
पता नही	8	32
कुल योग	25	100

यह क्षेत्र वैसे भी बहुत पिछड़ा है और न ही यहां की नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति अच्छी है। 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार किया गया है यद्यपि गुरसरांय नगरपालिका परिषद की आय के स्रोत बहुत कम है और सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों से केवल कर्मचारियों के वेतन का भुगतान ही पाता है। जो थोड़ा बहुत वित्त बचता, है उससे नगर में निर्माण कार्य आदि कराये जाते हैं। इन आंकड़ो के अनुसार नगरपालिका परिषद के 24 प्रतिशत पार्षदों का कहना है कि वित्तीय स्थिति अच्छी है, 20 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि वित्तीय स्थिति मध्यम है तथा 24 प्रतिशत पार्षदों के अनुसार नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हैं। 32 प्रतिशत पार्षदों को वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है।

तालिका नं0 22

74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष की कार्यकुशलता

अध्यक्ष की कार्यकुशलता	पार्षदों की संख्या	प्रतिशत
कार्यकुशलता बढ़ी है	8	32
कार्यकुशलता नही बढ़ी है	6	24
पता नही	11	44
कुल योग	25	100

प्रत्येक नगरपालिका परिषदों की तरह गुरसरांय नगरपालिका परिषद् में भी 74 वें संविधान संशोधन से पूर्व अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा ही होता था। इस संशोधन के पश्चात् से इस नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होने लगा है। पहले की अपेक्षा क्या अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है? इस सम्बन्ध में गुरसरांय नगरपालिका परिषद के 36 प्रतिशत पार्षद मानते हैं कि अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है तथा 24 प्रतिशत पार्षदों के अनुसार अध्यक्ष की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिषद के 40 प्रतिशत पार्षदों ने अध्यक्ष की स्थिति के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया।

गुरसरांय नगरपालिका परिषद में महिला पार्षदों तथा दलित व पिछड़ी जाति के पार्षदों की भूमिका एवं स्थिति –

महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक है कि उनका चहुमुखी विकास किया जाय। कानूनों के बारे में उनका ज्ञात बढ़ाया जाये। यद्यपि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गयी है। परन्तु अब उनकी अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए खुद को तैयार रखना होगा।

इस नगर की महिलाओं की स्थिति आज भी गिरी हुयी है। नगरपालिका परिषद् में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् यहां की महिलाओं का किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। इस नगर की स्थानीय जनता भी इन महिलाओं का सहयोग नहीं करती है। स्थान आरक्षित हो जाने के कारण महिलाओं का नगरपालिका परिषद् में स्थानापूर्ति के लिये प्रयोग किया जाता है। यदि वास्तविकता देखी जाये तो इस नगर के लोग आज भी महिलाओं का राजनीति में भाग लेना पसन्द नहीं कर रहे हैं।

गुरसरांय नगर की अधिकांश महिलायें शिक्षित नहीं हैं। जबकि शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने के योग्य बन सकती है। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही इस नगर की महिलायें कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। आज भी यह महिलायें नगरपालिका परिषदों की बैठकों में स्वविवेक से निर्णय नहीं कर पाती हैं क्योंकि इन महिलाओं में आत्म विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्रो में आज भी समाज में पुरूष प्रधान मानसिकता बनी हुयी है। इसीलिए महिलायें निर्णय लेने में स्वावलम्बी नहीं है। नगरपालिका परिषद की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये यहां के पुरूष महिलाओं को रबड़ की मुहर की तरह उपयोग करते हैं।

यदि दलित व पिछड़ी जातियों पर दृष्टि डाली जाये तो महिलाओं की यही स्थिति है प्राप्त होती है। इस

संशोधन के पश्चात् इन जातियों में परिवर्तन अवश्य हुआ है। संशोधन से पूर्व जहां नगरपालिका परिषदों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व न के बराबर था वहां संशोधन के पश्चात् से नगरीय निकायों में सभी जातियों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और ये जातियां अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हो रही हैं। दलित पुरुष पार्षद बराबर नगरपालिका परिषद की बैठकों में भाग लेते हैं। फिर भी इन जातियों में एक कमी बनी हुयी है, कि इन जातियों की सोच का स्तर, आज भी परिवर्तित नहीं हुआ।

दलित व पिछड़ी जाति के पार्षद निष्पक्ष भाव से निर्णय करने में कमजोर हैं। इस नगर की दलित व पिछड़ी जाति की महिलाओं की स्थिति आज भी ठीक नहीं है। ये महिलायें सामाजिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में काफी पीछे हैं। इस क्षेत्र में इन महिलाओं को समाज में आज भी निम्न जाति का समझकर उनके साथ पूर्व की भांति ही व्यवहार किया जाता है तथा इसी कारण ये महिला पार्षद नगरपालिका परिषद् की बैठकों में की कार्यवाही में भाग लेने में संकोच करती हैं।

नगरपालिका परिषदों की कठिनाइयाँ

नगरीय निकाय या अन्य कोई संस्था की सफलता एवं विश्वसनीयता उसमें कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता, योग्यता एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुशलता एवं क्षमता की समीक्षा करें तो बहुत ही निशाजनक तथ्य सामने आते हैं। शहरी निकायों की वर्तमान दुर्दशा की पीछे यह तथ्य भी मुख्य कारकों में से एक है। सर्वाधिक उपेक्षित होने के कारण शहरी निकायों के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संवर्ग समुचित रूप से विकसित नहीं हो पाया है। पूर्व वर्षो में नगरीय निकायों में मनमाने तरीके से अंधाधुध नियुक्तियां की गई है। बड़ी संख्या में अकुशल तथा सिफारिशी कर्मचारियों की भर्ती हो गयी है।

जब तक शहरी निकायों का प्रबन्धन कुशल एवं योग्य हाथों में नहीं होगा तब तक निकायों के संसाधनों में वृद्धि सम्भव नहीं है और बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की कोई सार्थकता नहीं होगी। अतः यदि नगरीय निकायों को वास्तव में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकाय की संरचना में व्यापक संशोधन करना होगा।

चुंगी समाप्त होने के पश्चात सम्पत्ति कर ही नगरीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत रह गया है। गृहकर/सम्पत्ति कर के निर्धारण में मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता तथा अनियमिततओं के कारण इस मद से होने वाली आय बहुत कम है। यदि वास्तविक वार्षिक किराय मूल्य के आधार पर भवनों का कर निर्धारण हो जाए तो निकायों की आय में कम से कम दस गुनी वृद्धि हो जायेगी परन्तु ऐसा होना निकट भविष्य में सम्भव प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अभी तक सम्पत्ति कर के निर्धारण की ऐसी किसी पद्धिति का विकास नहीं किया जा सका है जिससे कि कर निर्धारण में होने वाली अनियमितता व असमानता को रोका जा सके। नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर निर्धारण की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार इस कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा सर्वे करके भवन का वार्षिक किराया मूल्य असमान रूप से या तो बहुत कम प्रस्तावित मूल्यांकन को बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से कम कर दिया जाता है, जिससे नगरीय निकायों को बहुत अधिक वित्तीय क्षति उठानी पड़ रही है।

शहरी निकायों में संसाधन वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत निकायों की भूमि है, जिनके लाभप्रद निस्तारण से निकाय को अच्छी आय हो सकती है। परन्तु इसमें सबसे बड़ी बाधा है निकाय की भूमि पर बड़ी संख्या में अवैध अतिक्रमण जिसे हटाने में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का समुचित सहयोग प्राप्त नहीं होता हैं। जिला प्रशासन की रुचि केवल नगर के मुख्य मार्गो से ही अतिक्रमण हटाने तक सीमित रहती है।

इसी प्रकार वसूली के मामले में भी नगरीय निकायें असहाय सी होती हैं। वसूली हेतु पुलिस बल उपलब्ध न हो पाने के कारण निकायें वसूली हेतु अपने स्तर से कोई कठोर अथवा उत्पीड़क

कार्यवाही नहीं कर पाती तथा भू राजस्व की भांति वसूली के बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि अतिक्रमण हटाने एवं निकाय के देयों की वसूली आदि के मामलों में 'क' तथा 'ख' समूह के अधिशासी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये। चूंकि नगरीय निकायों के समस्त कार्यो के निष्पादन का दायित्व निकाय के अधिशासी अधिकारी पर होता है अतः निकायों में अधिशासी अधिकारी की स्थिति को जब तक सुदृढ़ नहीं किया जायेगा और अधिनियम में संशोधन करके जब तक इन्हें कुछ अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक नगरीय निकायों में किसी बड़े सुधार की अपेक्षा रखना यथार्थ परक नहीं होगा।

नगरीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि तथा आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनने की राह में अनेक बाधायें तथा व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, जिनका निराकरण तभी सम्भव है जब राज्य सरकार अन्य शासकीय विभागों के समान नगरीय निकायों को भी अपना ही अंग मानकर उसमें सुधार हेतु ठोस पहल करें।

नगरीय निकायों को मुख्यतः अपने करों से जो राशि प्राप्त होती है उसके अतिरिक्त अनुदान राशि पर भी रहना पड़ता है। आय के इन दोनों ही स्रोतों की अपनी अपनी सीमायें हैं। जहां तक करों से आय का सम्बन्ध है यह पूर्व में भी व्यक्त किया जा चुका है। किन्तु पुनः दोहराना आवश्यक है कि प्रथम तो समस्त नगरीय संस्थायें करारोपण के अपने अधिकार का अत्यन्त संकोचपूर्वक प्रयोग करती हैं अर्थात् नगरीय संस्थायें अपने नागरिकों पर कर लगाने में हिचकिचाती हैं,वे कर लगाने का निर्णय खुले मन से नहीं कर पाती हैं। यदि कुछ संस्थाऐं अपने दायित्वों को प्रभावी तरीके से निष्पादित करने की दृष्टि से कर लगाने का निर्णय भी करती हैं तो कोई भी नया कर सम्बन्धित विधान के अन्तर्गत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अरोपित नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में नया कर लगाने का निश्चय करने वाली नगरीय इकाई को अपने इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास भिजवाना होता है। राज्य सरकारों की स्थिति यह है कि नगरीय संस्थाओं के द्वारा करों के प्रस्ताव को वे अत्यन्त उदासीनता से लेती हैं और महीनों तक उन पर अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है।

करों के आरोपण के सम्बन्ध में दूसरी विचित्र स्थिति नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संदर्भ में यह आती है कि जो कुछ कर उपयुक्त स्थिति में आरोपित कर दिये जाते है तो उन पर करों की राशि का पूरा एकत्रण नहीं हो पाता है। इस स्थिति के लिए पूरी तरह नगरीय निकायों के प्रशासन तंत्र को उत्तरदायी माना जाता सकता है। यहां एक और अत्यन्त रोचक स्थिति यह है कि राज्य सरकार का स्वायत्त शासन विभाग और स्थानीय संस्थाओं का निदेशालय, जो कि इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिऐ उत्तरदायी है भी नगरीय निकायों की इस असफलता के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाता है।

जनता की अपेक्षाएं –

यह स्वाभाविक ही है कि जहां पर जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों का शासन होता हैं, वहां पर जनता की शासन सत्ता के प्रति अपेक्षायें भी बढ़ जाती हैं। नगरीय संस्थाओं में 74वां संविधान संशोधन होने के पश्चात् अध्यक्ष का चुनाव वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होने से नगरों की जनता को विश्वास था कि पूर्व की अपेक्षा अब अध्यक्ष की कार्यकुशलता में अवश्य बदलाव होगा। पर ऐसा सम्भवतः प्रतीत नहीं हो रहा है। नगर की जनता का कहना है कि नगरपालिका परिषद के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आना शुरू होते हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों की तरफ से नगर में सुधार कार्यो को या नगर की साफ सफाई आदि के प्रति वादों की बौछार होने लगती हैं लेकिन चुनाव सम्पन्न होते ही यही प्रत्याशी ईद का चांद हो जाते हैं।

अतः किन्हीं किन्हीं वार्डो की स्थिति इतनी खराब है, जब उस वार्ड की जनता से इसका कारण पूंछा गया, तब उनका मत था कि इस वार्ड के सीट आरक्षण नीति के कारण महिला के लिए आरक्षित थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वार्ड की सीट महिला के लिए आरक्षित होने के कारण महिला को चुनाव में भाग लेने के लिए विवश किया गया और जिस वजह से महिला को न कोई राजनीति का ज्ञान है और न ही नगरीय निकाय में कोई रूचि है। किसी किसी वार्ड की जनता इतनी त्रस्त है कि बार बार शिकायत करने पर भी नगरपालिका परिषद के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है।

आज इसी समस्या का समाधान करने के लिए झांसी नगरपालिका परिषद में कम्पयूटर पर बेवसाइट की व्यवस्था की गयी है जिस पर स्थानीय जनता अपनी समस्या स्वयं दर्ज कर सकती है और तत्काल उसका समाधान 10 भी किया जायेगा। नगरीय संस्थाओं के लिये राज्य सरकार ने अनुदान राशि भी बढ़ा दी है। पहले की अपेक्षा अब नगरपालिका परिषदों की आय के श्रोत भी बढ़ गये हैं।

अतः जनता यह अपेक्षा करती है कि नगर शासन के पास पहले से अधिक वित्तीय साधन होने के कारण वह नगर के विकास में अधिक सक्षम हो गयी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इधर लगभग एक दशक से नगरों की सड़कों की सफाई और प्रकाश आदि की समस्याओं का समाधान हुआ है।

नगरों की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार एवं जनता की बढ़ती हुयी अपेक्षाओं के अनुरूप नगरीय संस्थायें साधन जुटा पाने में असमर्थ सिद्ध हो रही हैं। नगरीय संस्थाओं द्वारा जनमानस की समस्याओं का समाधान न कर पाने का सबसे बड़ा कारण है, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र। ऊपर से नीचे तक सभी वर्ग के कर्मचारी भ्रष्टाचार के रोग से ग्रस्त हैं। अधिकांश नगरपालिका पालिका परिषदों का यही हाल है और कार्यालयों का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि अधिकारी कार्यालयों में बैठने से कतराते हैं। इसका दुष्परिणाम यह निकला है कि अधिकांश नगरों में ये संस्थायें मूलभूत सुविधाओं को जुटा पाने में असमर्थ हैं। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सड़के अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं तथा मार्ग

प्रकाश की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

झाँसी जनपद की नगरपालिका परिषदों की आलोचनात्म विवेचना –

नगरीय संस्थाओं में 74वां संविधान संशोधन के पश्चात् झांसी जनपद की प्रत्येक नगरपालिका परिषदों को लाभ अवश्य मिला है। जहां इस संशोधन से पूर्व नगरपालिका परिषदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के समान होता था, वहीं अब आरक्षण नीति के कारण इनका समान रूप से प्रतिनिधित्व हो रहा है। अभी भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्रों में से एक है। आज भी झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिका परिषदों के क्षेत्र की आधी से ज्यादा आबादी रूढ़िवादी, पारम्परिक एवं पुराने रीतिरिवाजों को मानने वाली है। झांसी जनपद की प्रत्येक नगरपालिका परिषदों में आरक्षण नीति के कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य हुआ है, परन्तु इस क्षेत्र की महिलायें निर्णय लेने में स्वाबलम्बी नहीं है क्योंकि यहां आज भी पुरूष प्रधान मानसिकता बनी हुयी है। इसके कई कारण हैं पहला अधिकांश परिवार वाले महिलाओं का चहारदिवारी में रहना ही पसन्द करते हैं परन्तु आरक्षण नीति के कारण इन परिवारों की मजबूरी हो गई है जिससे इन्हें महिलाओं को बाहर निकालकर राजनीति में प्रवेश कराना पड़ रहा है।

नगरपालिका परिषद् में जो महिलायें चुनकर आती हैं उनमें नेतृत्व का अभाव होता है। महिला पार्षद परिषद् के निर्णय लेने में स्वतन्त्र नहीं है, इनके अधिकतर निर्णय परिवार से प्रभावित होते हैं। वस्तुतः आज की सामाजिक संरचना पुरुष प्रधान होने के कारण महिलाओं का व्यक्तित्व उभर नहीं पा रहा है। महिला आरक्षण की व्यवस्था हो जाने के बाद महिलायें नगरपालिका परिषदों में चुनी अवश्य जाती हैं लेकिन जहां तक उनके वार्ड में उनकी सक्रियता का प्रश्न है तो वह बिल्कुल शून्य अवस्थ में रहती हैं। कई वार्डो में यह स्थिति है कि महिला पार्षद अपने वार्ड में चुनाव जीतने के बाद एक बार भी दिखाई नहीं देती हैं। यह विडम्बना ही है कि नगरपालिका परिषदों में अधिकांश महिला पार्षदों की सदस्यता उनके पति या पुत्र के नाम से जानी जाती है।

झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों के वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियां तथा अध्यक्ष तथा महिला/पुरूष पार्षद गणों से नगरपालिका परिषद की मौलिक सेवाओं तथा उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में चर्चा करने पर यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधिकांश जनप्रतिनिधि अल्पशिक्षित हैं, तथा उन्हें नगरपालिका परिषद की उपविधियों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में चालाक व भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी उन्हें भ्रमित करते रहते हैं तथा जन सामान्य के कार्यो के निस्तारण में बाधायें खड़ी करते हैं।यह पाया गया है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधि ा प्रशासनिक अनुभव व नियमों के अभाव में अपने सम्पूर्ण पांच वर्ष के कार्यकाल में सफलता पूर्वक प्रशासन नहीं चला सकें, तथा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। परिणामस्वरूप

अगले निर्वाचन में मतदाताओं द्वारा उन्हें नकारा व भ्रष्ट समझकर पराजित कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त स्थिति अपने अनुकूल प्रतीत होती है। अतः वह उक्त दुष्चक्र को बनाये रखने का ही प्रयत्न करते हैं।

शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कारक है। झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों के पार्षदों का पहले की अपेक्षा वर्तमान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। अतः 80 प्रतिशत पार्षद शिक्षित हैं और 20 प्रतिशत पार्षद अशिक्षित हैं। लेकिन शिक्षित पार्षदों में अधिकांश पार्षदों की अशिक्षित पार्षदों के समान ही स्थिति है। इसका मुख्य कारण है कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र आज भी पीछे है। अतः इस पिछड़ेपन की झलक अधिकांश पार्षदों पर दिखाई देती है। अशिक्षित पार्षदों की स्थिति तो निम्न है ही, साथ ही में जो पार्षद शिक्षित हैं उनमें भी राजनीतिक जागरूकत की कमी पाई जाती है।

74वें संविधान संशोधन से पहले अध्यक्ष का निर्वाचन परिषद के सदस्यों द्वारा हुआ करता था लेकिन इस संशोधन के बाद से अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर जनता द्वारा होने लगा है। सम्भवतः जिस प्रकार की अपेक्षा की गई थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा जनता के प्रति उसकी जबावदेही बढ़ जायेगी। परन्तु अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं हुयी, बल्कि आज का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने के बाद स्वतन्त्र हो जाता है और जनता उसके साथ बाद में कुछ भी नहीं कर सकती। यद्यपि पूर्व में अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा होना सही था, अध्यक्ष पर सदस्यों का अंकुश तो बना रहता था।

अध्याय

पंचम

झाँसी जनपद की नगरपालिका परिषदों का राजनीतिक स्वरूप

झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों के राजनीति स्वरूप में नगरपालिकाओं का निर्वाचन, नगरीय निकायों में राजनीतिक दल किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं व दलीय स्वरूप नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, 74 वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त महिलाओं की भूमिका तथा स्थिति क्या है इसी प्रकार आरक्षण प्राप्त दलित प्रतिनिधियों की भूमिका तथा स्थिति क्या हैं साथ ही झांसी जनपद की नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से राजनीतिक सम्बन्ध, प्रशासकीय सम्बन्ध एवं वित्तीय सम्बन्ध आदि विषयों का वर्णन किया गया है।

नगरपालिकाओं का निर्वाचन –

लार्ड रिपन के काल में सन् 1882 में अनेक स्थानीय स्वराज्य स्थापित किये गये थे। जिसमें ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगरपालिका, कारपोरेशन, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा पोर्टट्रस्ट आदि हैं। इसमें अपनी आवश्यकतानुसार प्रत्येक संस्था अपना प्रबन्ध करती थीं। स्थानीय शासन से अभिप्राय है कि जिसमें किसी देश के नगर, जिलों, कस्बों तथा गांवों में वहां की जनता द्वारा चुने हुये सदस्यों द्वारा शासन प्रबन्ध किया जाता है। स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत नगरपालिकायें भी आती हैं। जो जनता की राजनैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय राज्यों का कार्य कम करने के लिये जनता को शान्ति तथा संतोष पहुंचाने के लिये इन नगरीय संस्थाओं आदि की आवश्यकता हुई है।[1]

नगर प्रशासन के प्रारम्भ से ही नगरपालिकाओं में प्रायः जनता के चुने हुये सदस्य होते थे तथा नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी जनता द्वारा निर्वाचित होता था। कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव भी निर्वाचित सदस्यों द्वारा होने लगा। वर्ष 1953 में समय बदला, और चुनाव की प्रणांली बदली। कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा द्वारा मान्य प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होने लगा। यह प्रणाली कुछ समय बाद असफल सिद्ध हुई और कांग्रेस सरकार ने इस प्रणाली को फिर बदल दिया तथा नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होना तय हुआ। नगरपालिकाओं के निर्वाचन में बार बार फेरबदल तथा नगरपालिकाओं का असमय भंग कर दिया जाना, इन सबके पीछे कई कारण थे। पहला कारण नगरीय निकायों को संविधान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त न होना, इसलिये ये नगरपालिकायें राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित थी। दूसरा कारण नगरपालिकाओं के निर्वाचन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी और न ही इनका कार्यकाल निश्चित था, न राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त शक्तियां व अधिकार प्राप्त थे, इसीलिए ये नगरपालिकायें अपना कार्य करने में सक्षम नहीं थी। ऐसी प्रमुख स्थितियां थी जिनके निराकरण की मांग विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न मंचों से निरन्तर उठती रही थी।

नगरीय संस्थाओं के कार्यकरण में उपुर्यक्त इंगित इन्हीं न्यूनताओं के परिष्कार के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान में नगरीय संस्थाओं के लिए 74वां संशोधन 1 जून, 1993 को पारित किया गया।[2] इस संविधान संशोधन के पश्चात् नगरपालिकाओं के चुनावों के आयोजन के लिए एक निश्चित संरचना की व्यवस्था की गई, जिसमें नगरीय निकायों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में होना तय हुआ। नगरीय निकायों को संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने से इन संस्थाओं के चुनावों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अतः अब नगरपालिकाओं के निर्वाचन नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका –

हम देखते हैं कि जहां लोकतंत्र है वहां राजनीतिक दलबंदी भी है और जहां जनता को अपने विचार व्यक्त करने और दल बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वहां शासन प्रणाली अनिवार्यतः लोकतंत्र का रूप ले लेती है। यही कारण है कि लोकतंत्र और राजनीतिक दलबंदी के बीच अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध बन गया है। कुछ विचारकों के मतानुसार अधिनायकशाही और लोकतंत्र में मूल अंतर ही यह है कि अधिनायकशाही एक दलीय होती है ओर लोकतंत्र बहुदलीय। बहुदलीय व्यवस्था द्वारा राज्यसत्ता विकेन्द्रीकृत होकर जनता के अधीन हो जाती है और एकदलीय व्यवस्था द्वारा केन्द्रीकृत होकर किसी एक व्यक्ति या गुट के हाथों में पहुंच जाती है। जहां अनेक दल होते हैं वहां कोई भी दल केवल जनता का पक्ष लेकर और उसका समर्थन प्राप्त करके ही सत्तारूढ़ हो सकता है। किंतु जहां एक दल है वहां तो क़ेवल दल का नेतृत्व ही प्राप्त करने की समस्या रहती हैं जो दल का नेता होता है वही राष्ट्र का नेता होता है। यही कारण है कि बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र का एक अनिवार्य उपकरण बन गगी है।[3]

भारतीय लोकतंत्र की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में भी राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् से लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव में राष्ट्रीय दल कांग्रेस व भाजपा विशेष रूप से प्रभावी रही हैं। समय परिवर्तन के साथ देश में अनेक क्षेत्रीय दल प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में स्थानीय शासन स्तर के चुनाव भी बिना राजनीतिक दलों के भागीदारी से सम्पन्न नहीं होता हैं। यदि राजनीतिक दलबंदी का प्रभाव संसद और विधान सभाओं तक सीमित रहे तो शायद बहुत बड़ी हानि न हो, क्योंकि यहां इनका कुछ उपयोग भी अवश्य रहता है। किन्तु अब जिलापरिषदों और नगरपालिकाओं के चुनाव भी दलबंदी के आधार पर होते हैं। इन संस्थाओं के काम का राष्ट्रीय दलों की नीति और कार्यक्रमों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता। केवल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ही विभिन्न दल इन छोटे छोटे चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि यहां भी दल संघर्ष शुरू हो जाता है और वास्तविक कार्य में अड़चन पड़ती है।[4]

राजनीतिक दलों के गुण दोषों पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह मानी जाती है कि ये अपने प्रचार द्वारा चुनाव के उम्मीदवारों का वोटरों से परिचय कराते हैं और विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखकर लोगों को समझबूझकर मतदान करने में सहायक होते हैं। इस बात में कुछ सचाई होते हुये भी हम देखते हैं कि नगरीय संस्थाओं के छोटे क्षेत्र होने के कारण सभी नागरिक एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं और उम्मीदवारों के पक्ष विपक्ष में प्रचार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है।

नगरपालिकाओं के दलीय स्वरूप का कार्यप्रणाली पर प्रभाव –

नगरपालिकायें पूरी तरह से राजनीतिक दलों का अखाड़ा बनती जा रहीं हैं। आज ये राजनीतिक दल नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं चुनाव के समय राजनीतिक दल स्थानीय जनता को धोखे में रखकर झूठा प्रचार प्रसार करते हैं ताकि इस चुनाव में उनका ही उम्मीदवार विजयी हो। जहां तक नीतियों और कार्यक्रमों का प्रश्न है, नगरीय संस्थाओं के सामने ऐसे बहुत ही कम कार्य होते हैं जिनमें विभिन्न नीतियों अथवा कार्यक्रमों की गुंजायश हो। रोशनी सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, सड़कों और इमारतों की देखमाल, बिजली, पानी का प्रबन्ध आदि ये सब ऐसे कार्य हैं जिनको सभी चाहते हैं कि यह सुचारू रूप से हों। इनमें मतभेद का अधिक स्थान नहीं होता।[5]

वास्तव में नीति निर्धारण तो राज्य सरकार का काम है। इन संस्थाओं का काम तो उनको कार्यान्वित करना है। ऐसी दशा में राजनीतिक दलों की कोई विशेष उपयोगिता शेष नहीं रहती, वरन उनके बीच में पड़ने से हानि ही होती है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है कि स्थानीय स्वशासन में दलों की खींच तान से जो दुष्परिणाम अमेरिका में निकला है वह अन्यत्र भी निकल सकता है। वोटरों का ध्यान उम्मीदवारों के व्यक्तिगत गुणों और स्थानीय समस्याओं से हटकर राष्ट्रीय दलगत प्रश्नों में उलझ जाता है जिनका इनके लिए कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। दलों के उम्मीदवार निर्वाचित होने पर एक पक्षीय मनोवृत्ति से काम करते हैं और केवल अपने दलवालों को ही लाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं।[6] जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है मनुष्य का मूल्य दल सेवा के आधार पर आंका जाता है, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर नही। यह प्रवृत्ति हमारे देश में, जहां गांवो मे जातिभेद, गुटबंदी और फूट पहले से मौजूद है, कितनी घातक सिद्ध हो सकती है यह बताने की आवश्यकता नही। साथ ही सामुदायिक विकास की सफलता के लिए जिस सर्वसम्मत सहयोग की आवश्यकता है वह दलों के हस्तक्षेप से स्वप्न मात्र रह जायेगा।

एक राजनीतिक दल में विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के लोग एक साथ मिल कर काम करते हैं और इस प्रकार अपना जातिभेद भूलकर समान राजनीतिक विचार के आधार पर संगठित होना सीख लेते है। यह बात अपवाद रूप में कहीं कहीं हो सकती है, किन्तु सामान्यतः देखने में यह

आता है कि यदि एक जाति के लोग एक दल में हैं तो दूसरी जाति के लोग केवल इसी कारण दूसरे दल में चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जातिभेद पर राजनीति की मुहर लग जाती है और इस प्रकार वह और अधिक दृढ़ और तीव्र हो उठता है। परम्परागत फूट और गुटबंदी को दूर करने का केवल यही उपाय है कि सहयोग की भावना को प्रोत्साहन दिया जाये और जहां तक हो तो चुनाव सर्वसम्मति से कियें जायें। प्रायः कहा जाता है कि दलगत राजनीति सारे देश पर छायी हुई है और चूंकि सरपंचो, प्रधानों एवं नगरपालिका अध्यक्षों को भी जबरदस्ती घसीटा जाता है, इसलिये स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को इससे बचाया नहीं जा सकता। यह एक निराशावादी दृष्टिकोण है। हमारे देश में कांग्रेस ने तो यह निर्णय किया है कि वह ग्राम पंचायतों के चुनावो में भाग नहीं लेगा। यदि दूसरे दल भी ऐसा ही निर्णय कर लें तो कम से कम ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को दलगत राजनीति के दूषित प्रभाव से सहज ही बचाया जा सकता है।[7]

महिलाओं का आरक्षण व उनकी भूमिका तथा स्थिति –

महिला अधिकारों के प्रति समझ के अभाव को इस तथ्य से भली भांति समझा जा सकता है कि केवल कुछ ही सरकारें हैं जो महिलाओं के लिए समानता को आधारभूत मानवाधिकारों के रूप में देखती हैं। महिला अधिकारों को मानवाधिकारों से काटकर देखने की प्रवृत्ति ने महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति को बढ़ावा दिया है और महिलाओं के लिए विशिष्ट मानवाधिकारों के महत्व को रेखांकित किया है। महिला उत्पीड़न अधिकांशतः व्यापक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना का हिस्सा है जो महिलाओं को ऐसे उत्पीड़न का शिकार बना देता है जिसके लिए सिर्फ राजनीतिक कारकों या राज्य को ही दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके बावजूद, एक एजेंसी के रूप में राज्य भी, जो कि पुरूषों के वर्चस्व में है, महिलाओं को लोकतांत्रिक स्थान और मानवाधिकारों की गारंटी देने में विफल रहता है। महिलाओं की समस्याओं के बारे में चिंताओं को अकसर पीछे धकेल दिया जाता है क्योंकि प्रतिनिधी संस्थाओं में अल्पमत में होने के कारण ये महिलाएें निर्णय प्रक्रिया में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाती हैं। इसलिए उनके हस्तक्षेप को प्रभावी बनाने के लिए उनका राजनीतिक सबलीकरण बेहद आवश्यक है।

अगस्त 1947 में आजादी के बाद, भारतीय लोगों ने एक सम्प्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संघीय संविधान को अंगीकार अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। इस संविधान ने स्त्रियों को पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और साथ ही साथ जाति, लिंग, वर्ग, धर्म, जन्मस्थान और शैक्षणिक या सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भारतीय संविधान में महिलाओं की स्वतंत्र तथा सक्रिय और समान राजनीतिक हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के लिए उनके राजनीतिक सबलीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

स्वतंत्रता के बाद चुनाव या विधायिका जैसे मंचों से जुड़ी औपचारिक राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत सीमित रही हैं। स्वशासन और लोकतंत्र में चुनाव एक मंच भी हैं और इन संस्थाओं का माध्यम भी। इसलिए, वंचित और अभावग्रस्त तबकों की समस्याओं की तरफ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में चुनावों का काफी महत्व है। राष्ट्रीय संसद और राज्य विधान सभाओं को अस्तित्व में लाने का उपकरण होने के चलते चुनावों के क्या नतीजे होते हैं इसका काफी असर पड़ता है। यानी कि चुनाव में कौन से उम्मीदवार और पार्टियां जीतती या हारती हैं उससे संभावित नीतियों और महिलाओं के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में काफी कुछ साफ हो जाता है।

लेकिन अनेक अध्ययनों ने इस तथ्य की तरफ इशारा किया है कि चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी न केवल उम्मीदवार के तौर पर बल्कि मतदाता के रूप में भी बहुत सीमित है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि :

(1) महिलाऐं स्वतंत्र मतदाता नहीं हैं,

(2) उनमें से ज्यादातर निरक्षर हैं ,

(3) उनमें से ज्यादातर का निर्णय अपने परिवार के पुरूष सदस्यों पिता, पति, पुत्र आदि की राय पर निर्भर करता है,

(4) महिलाओं में सूचना और राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है और

(5) महिलाऐं राजनीतिक रूप से संचेत नहीं हैं।

निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए सकारात्मक कदमों को समुदायों के भीतर और बीच, दोनों सन्दर्भों में जेंडर समता के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाओं के सबलीकरण के उपकरण के रूप में आरक्षण के प्रावधान की चर्चा पहली बार 1974 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर कमेटी के अन्तर्गत चर्चा में उठी थी। स्थानीय स्तर पर कमेटी ने सिफारिश की थी कि गांवो के स्तर पर वैधानिक महिला परिषदों का गठन किया जाए। इन इकाइयों के गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि महिलाऐं अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी करें। 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में सिफारिश की गई थी कि सरकार की सभी कमेटियों और आयोगों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाऐं। उसने आगे सिफारिश की कि पंचायत तथा जिला परिषदों और स्थानीय नगरपालिका निकायों में भी महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाऐं। उसमें यह सिफारिश भी की गई थी कि जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी पुरूषों के बराबर न पहुंच जाए तब तक राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों में 30 प्रतिशत सीटें महिलओं के लिए आरक्षित करें।

इस पूरी जद्दोजहद के बाद अंततः एक विधेयक तैयार किया गया जो पंचायत और नगर

पालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक में इस प्रावधान के साथ साथ यह प्रावधान भी किया गया था कि स्थानीय शासन में इन इकाइयों के प्रमुखों में कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं को दिए जाएं। यह कानून महिलाओं के सबलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ और महिला आंदोलन के लिए एक अविस्मरणीय उपलब्धि है।

महिला आरक्षण विधेयक (1996), जो कि संसद के निचले सदन के विचाराधीन है, में विधायिका में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक महिलाओं के हितों को एक समूह के स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के साथ-साथ, महिलाओं को उल्लेखनीय संख्या में विधायिका में लाना चाहता है जिससे वह विधायिका के कामकाज और फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

सामान्यतः, केन्द्रीय प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण और बहस न केवल भारतीय राजनीति के इतिहास में बल्कि भारतीय महिला आंदोलन में भी एक विशिष्ट अवसर पर सामने आई है। नए सामाजिक आंदोलनों, विशेषकर महिला आंदोलन के उभार ने ऐतिहासिक रूप से प्रभुत्वशाली राजनीतिक संरचना के अंतर्गत उच्च जातियों और वर्गों के प्रभाव को चुनौती दी है। इसके साथ ही यह आंदोलन मुख्यधारा की राजनीति में गहरी पैठ नहीं बना सके हैं और वर्तमान राजनीति इन आंदोलनों द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति अभी भी असंवेदनशील बनी हुई है।

भारतीय समाज के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए किसी अंतरिम प्रावधान के न होने के कारण आरक्षण व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन, महिला आंदोलन जिसप्रकार जैसे सामाजिक परिवर्तन की कल्पना करता है, उसकी दिशा में बढ़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना सहायक होगा इसके बारे में कुछ शकाएं भी हैं। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के परिणाम निश्चित सकारात्मक रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

74वां संविधान संशोधन नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए सकारात्मक कदम अवश्य रहा है। क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर स्त्रियों का घर के बाहर निकलना तथा राजनीति में प्रवेश करना पसन्द नहीं किया जाता था। अतः अब इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर राजनीति में प्रवेश अनिवार्य कर दिया गया है। वस्तुतः आज इन्हीं क्षेत्रों की महिलायें नगरीय संस्थाओं में पुरूषों के समान प्रतिनिधित्व कर रही हैं। किन्तु अभी भी महिलाओं का राजनीति में प्रवेश तथा उनमें राजनीति सक्रियता की कमी जैसी शंकायें सभी के मन में उठ रही हैं।

उत्साही महिला अभ्युदय (यू.एम.ए.) द्वारा की गई कुछ खोजे आंखे खोलने वाली हैं। एक अध्ययन में ली गई कुल 19 महिला उम्मीदवारों में से केवल दो ने स्वीकारा कि वह अपनी इच्छा से राजनीति में आई हैं, बाकी को अपनी पार्टियों या परिवारों की इच्छा से मातहत चुनाव में उतरना पड़ा था। यु.एम.ए. अध्ययनों ने यह भी उजागर किया है कि आरक्षण से प्रभुत्वशाली जातियों की ताकत

में ही इजाफा हुआ है। क्योंकि इस प्रक्रिया में भूस्वामियों को अपनी सत्ता को विस्तार देने का ही अवसर मिला है। इसके अलावा, महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी है, घरेलू कामों की भी और राजनीतिक दायित्वों की भी यानी निजी और सार्वजनिक दायित्व। महिला पंचायती राज सदस्यों के परिवारों में घरेलू कामों का कोई नया बंटवारा नहीं हुआ है जिससे उनके राजनीतिक दायित्वों पर बुरा असर पड़ा है।

राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाने में महिलाओं के सामने एक और भी दिक्कत आती है। वह राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित नहीं होती हैं। सार्वजनिक व्यक्तिगत जीवन के इस दायरे के बारे में कोई कानून बनाना तो संभव नहीं है लेकिन एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना बहुत जरूरी है जो भेदभाव, बाहुबल और पितृसत्तात्मक सोच से मुक्त हो। स्वयं आरक्षण के मुद्दे पर भी विषम धुवीकरण है। मधु किश्वर और गैल ओम वेदूत ने विधेयक को विरोध किया है। मधु किश्वर महिलाओं के लिए आरक्षण के पूरी तरह विरोध में हैं। उनकी दलील है कि इस प्रकार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पास वैधता का अभाव होगा और इससे महिलाओं के सबलीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं होगी क्योंकि महिलाओं के साथ आरक्षण का पुछल्ला जुड़ रहेगा।

लेकिन सभी स्त्रियों के लिए एकमुश्त एक तिहाई आरक्षण की वकालत करने वालों का तर्क है कि महिलाऐं अपने आप में एक विशिष्ट सामाजिक श्रेणी हैं और जब तक उनका व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो जाता है तब तक महिलाओं के सबलीकरण में उन भेदभावों का विशेष महत्व नहीं है जो उनके एक समूह को दूसरे से अलग करते हैं। समय बीतने के साथ वंचित सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ महसूस करने लगेंगी और परिणाम स्वरूप सत्ता और शक्ति के पदों पर पहुंचने के लिए प्रयासरत होंगी।

दलित आरक्षण व दलितों की भूमि तथा स्थिति –

भारत में सदियों से दलित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोषित, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक रूप से दासतापूर्ण, हाशिए पर जीवन बिताते आए है। अब उन्होंने केवल अपने लिए समानता की मांग करते हुए बल्कि सामाजिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के प्रयास करते हुये उसे समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित करने हेतु भरपूर प्रयास करते हुए, अपने अस्तित्व व पहचान को सिद्ध करने की कोशिश प्रारम्भ कर दी है। इसप्रकार दलित पहचान दलितों की एक नयी सामाजिक व्यवस्था के प्रति उत्कण्ठा एवं अभिलाषा को व्यक्त करती है। घनश्याम शाह ने कहा है कि "यह अनिवार्यतः एक राजनैतिक एजेण्डा है क्योंकि वे विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष छेड़ते हैं तथा चुनावी राजनीति में भाग लेते हैं। उनका रास्ता कठिन एवं परिश्रम साध्य है।"

दलित शब्द का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। संस्कृत के एक शब्द से व्युत्पन्न इस शब्द का तात्पर्य है शोषित अथवा दबाया हुआ। यद्यपि सामान्य अर्थो में इस शब्द से आशय भारतीय समाज

के सभी शोषित एवं सुविधाविहीन वर्गो से है जैसे – अनुसूचित जातियां, जनजातीय समुदाय एवं पिछड़ी जातियां। आजकल इस शब्द का प्रयोग पूर्व में अस्पृश्य कहलाई जाने वाली अनुसूचित जातियों को सम्बोधित करने के लिये किया जाता है। वर्तमान समय में दलित शब्द के प्रयोग का श्रेय दो मराठी नेताओं महात्मा ज्योतिराव फूले एवं बी0आर अम्बेडकर को जाता है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पूर्व अस्पृश्य कहलाई जाने वाली जातियों के हिन्दू उच्च जातियों के प्रभुत्व वाले समाज में दरिद्रतापूर्ण एवं शोषित स्थिति को इंगित करने के लिये किया है। दलित एस0एम0 माइकल ने कहा है कि दलित शब्द जिसका प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1931 के आस पास पत्रकारिता सम्बन्धी लेखों के अस्पृश्य जातियों के लिये किया गया, को सन् 1970 जबकि महाराष्ट्र में दलित पैंथर आन्दोलन छिड़ा, मानकीकृत नहीं हुआ था। आज इस शब्द का प्रयोग सुविधाओं एवं मूल अधिकारों से वंचित स्थिति एवं निम्न कुल में जन्म लेने के कारण शोषण के शिकार लोगों को सम्बोधित करने के लिये किया जाता है।

महाराष्ट्र में सन् 1970 एवं सन् 1980 के दशकों के बीच साहित्य में उच्च जातियों द्वारा दलितों के शोषण का चित्रण लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, किन्तु बाद में कुछ उग्र स्वभाव के लोगों ने यह आवाज उठाई कि दलितों की शोषित एवं दयनीय स्थिति का वास्तविक वर्णन केवल दलित लेखक ही कर सकते हैं तथा फलस्वरूप दलित साहित्य दो वर्गो में बंट गया जिसमें से एक वर्ग ने उन गैर दलित लेखकों को अपने से अलग कर दिया जिन्होंने दलितों के कष्टों एवं समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पर नहीं झेला था।

आजकल दलित वर्ग के लोग अपनी लोक कलाओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं तथा संस्कृतवादी सांस्कृतिक पैमानों को महत्व नहीं दे रहे हैं। शोषित वर्गो की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें सही अर्थो में दलित नाम से सम्बोधित किया गया उन्हें भी यह नाम अच्छा लगा। सैमुअल जयकुमार ने कहा है कि दलित शब्द कोई अपमानजनक शब्द नहीं बल्कि शोषित वर्गो की पहचान का एक सकारात्मक प्रतीक है तथा यह शब्द उनके उद्भव जड़ो व इतिहास की समस्याओं का समाधान करता है। गरीबों एवं निर्बलों की सचेतनता की ही तरह दलित सचेतनता एक वैचारिक भाव हैं। दलित सचेतनता वास्तव में दलित पहचान एवं दलित इतिहास के प्रश्नों को अपने में समेटे हैं। दलित सचेतनता मुख्यतः आर्यवाद एवं ब्राम्हण विरोधी है।

किन्तु पश्चिमी एवं भारत के ठीक विपरीत, जहां जाति व्यवस्था की संरचनाओं में व्याप्त शोषण की, भक्ति आन्दोलन द्वारा कटु आलोचना की गयी। संयुक्त प्रान्तों में जाति विरोधी सांस्कृतिक एवं समाजिक सुधार सम्बन्धी ऐसे कोई आन्दोलन नहीं छिड़े जो हिन्दू समाज में व्याप्त असमानता को चुनौती देते हों। इस अभाव ने दलितों में उनकी अस्मिता की चेतना के प्रति जागरूकता पैदा करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा दिया। इसके अंतिरिक्त दक्षिण भारत में जातीय लाभबन्दी ने नृजातीयकरण का रूप भी धारण कर लिया जिसका आशय एक बैकल्पिक द्रविड़ पहचान से था।

अनेक दलित विद्वानों की दृष्टि में दलित विश्व दृष्टि मुख्यतः भौतिकवादी दर्शन पर आधारित
है जो अनिवार्यतः ब्राहमवादी दर्शन पर से भिन्न है। कांचा इलइया ने अपने ग्रन्थ Dalitism Versus
Brahminism: The Epistomological Conflict in History (2002) में लिखा है कि "जाति
विरोधी विचारधारा का विकास करते हुये आधुनिक दलित–बहुजन आन्दोलन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद
की विचारधारा पर आश्रित हो गए जो सिन्धु आधारित लोकायत अथवा चार्वाक सहित आद्य
भौतिकवादी (Proto-Materialist) रूप में प्रारम्भ हुआ तथा पूरे इतिहास कार्यशील रहा।" ब्राम्हणों
की तरह दलितों में ज़ाति पदानुक्रम मानने के लिए कोई भौतिक रूचि नहीं होती है। यदि उनमें जाति
पदानुक्रम प्रचलित है तो केवल सांस्कृतिक अधिरोपण के रूप में वे स्वयं इसे प्राथमिकता नहीं देते।

समान सचेतना के सन्दर्भ में दलित भले ही एक समूह या वर्ग में गिने जाते हों किन्तु संयुक्त
दलित 'समुदाय' भाषाओं व्यवसायों, संस्कारों एवं परम्पराओं में विविधता के कारण सजातीय नहीं
माना जा सकता फिर भी दलित एकता का मुद्दा दलित एजेण्डे का मुख्य मुद्दा हैं। ज्योतिराव फुले,
पेरियार रामास्वामी नायकर एवं नारायण गुरू से लेकर भीमराव अम्बेडकर तक न जाने कितने लोग
लगातार दलितों में उनके अधिकारो, स्वाभिमान एवं वैयक्तिकता के प्रति सामाजिक चेतना जाग्रत
करने का प्रयास करते रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में कई संगठनों ने दलितों को उनके जातीय विभेदों
पर ध्यान न देते हुये संगति करने की कोशिश की है। ऐसे कुछ संगठन हैं – अखिल भारतीय
अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ, दलित छात्र संगठन, संयुक्त दलित छात्र संघ आदि। संक्षिप्त
अथवा विस्तृत अर्थो में बहुजन समाज पार्टी को भी इस प्रकार की लामबंदी के एक उदाहरण के रूप
में देखा जा सकता है। अविनाश खण्डारे ने लिखा है कि ब्राम्हणों (एवं अन्य उच्च जातियों) के ठीक
विपरीत, जिन्होंने पूरे भारत उपजातियों एवं भाषायी विभेदों को ध्यान में न रखते हुये आर.एस. के
छत्र तले स्वयं को संगठित किया, दलित संगठन एवं उनकी पहचान का सूर्य अब क्षितिज की ओर
अग्रसर हो रहा है। गैर ब्राम्हण जातियों द्वारा अपनी सामाजिक व आर्थिक प्रस्थिति बेहतर बनाने के
प्रयास के परिणाम स्वरूप ब्राम्हण एवं अन्य उच्च जातियों के समक्ष अपनी सर्वोपरि सामाजिक
प्रस्थिति की रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ तथा इसी भय के कारण उन्होंने आपस में संगठित होना
शुरू किया है जबकि दलित मात्र अपने कष्टों एवं शोचनीय स्थिति से मुक्त होने के लिए आपस में
संगठित हो रहे हैं। धीरे धीरे दलित अपने स्वयं के आन्तरिक विरोधाभासों से बाहर निकल रहे हैं
किन्तु आज भी दलित पहचान अपनी नवजात/प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

वस्तुतः दलितों ने राजनीति में प्रवेश का प्रयास संविधान निर्मित होने से पूर्व ही प्रारम्भ कर
दिया था। अनेक संगठन एवं राजनीतिक दल इनके द्वारा गठित किये गये हैं। दलितों को राजनीतिक
भागीदारी के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया था। जाति के विचार से बुरी तरह ग्रस्त
भारतीय समाज में यह एक नवीन क्रान्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पारम्परिक रूप से

सुविधाविहिन वर्ग अब विकास करते हुए अपने अधिकारों की जनतांत्रिक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं।

दलित राजनीति पर नजर डालने पर हम पाते हैं कि सन् 1942 से पहले दलितों का अपना कोई राजनैतिक दल नहीं था। इसका एक कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी यह नही चाहती थी कि दलितों का अपना स्वतंत्र राजनैतिक दल व स्वतंत्र पहचान हो। जब जब दलितों ने राजनीतिक रूप से उठने का प्रयास कि तब तब इनको किसी कारण वश दबाने का प्रयास किया गया। सन् 1942 ई0 में बी0आर0 अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना को इस दिशा में प्रथम प्रयास माना जाता है। सर्वप्रथम दलितों को लोकसभा एवं विधान सभाओं में आरक्षण देकर राजनीति में प्रवेश सुनिश्चित कर दिया गया था।

आज दलितो की यही स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में हैं चाहे वह बुन्देलखण्ड का झांसी क्षेत्र हो। दलितों को समाज में दर्जा व राजनीति में स्थान सभी जगह एक समान रहा है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि झांसी क्षेत्र में आज भी कहीं कहीं इन्हें निम्न जाति का समझकर वैसा ही व्यवहार इनके साथ किया जाता है। गांवों और कस्बों में इनकी स्थिति अभी भी निम्न है। इसी कारण दलितों में राजनीतिक सक्रियता का अभाव है। आज भी ये समाज में अपने को दबा हुआ महसूस करते हैं। तभी राजनीति में इनका नेतृत्व उभर नहीं पा रहा है।

गाँवों और कस्बों में दलितों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पहली बार पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया। शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर आरक्षण देने का उद्देश्य था कि जब पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं को छोटे स्तर पर इनका नेतृत्व प्राप्त होगा, तभी लोकसभा और विधानसभाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। अतः इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और इन्होंने स्थानीय शासन की संस्थाओं में प्रवेश प्रारम्भ कर दिया।

74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त आरक्षण के आधार पर दलित झांसी जनपद की प्रत्येक नगरपालिकाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस संशोधन से पूर्व नगरपालिकाओं में इनका प्रतिनिधित्व न के बराबर था। क्योंकि तब सत्ता, समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के पास ही हुआ करती थी, जिस वजह से ये इन संस्थाओं में प्रवेश करने में संकोच करते थे। आज आरक्षण व्यवस्था हो जाने के कारण इनका नगरपालिकाओं में प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य हो गया, जिससे अब सभी उच्च एवं निम्न जातियों के व्यक्ति समान रूप से इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस जाति समूह में कुछ कमियां अवश्य देखी जा रही हैं। आज भी अधिकांश पार्षदों में शिक्षा का अभाव तथा राजनीतिक अनुभव की कमी है इसी वजह से ये अपने अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं।

नगरपालिकाओं के अधिकांश अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के पार्षदों में शिक्षा की कमी होने के कारण नगरपालिका की कार्यवाही के सम्बन्ध में इनके निर्णय अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। सर्वप्रथम इनका शिक्षित होना आवश्यक है और नगरपालिकाओं में निर्वाचित होने के बाद इन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है तभी ये इन संस्थाओं में उचित नेतृत्व कर सकेंगे।

झाँसी जनपद की नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से सम्बन्ध –

नगरीय संस्थायें राज्य सरकार द्वारा गठित संस्थायें हैं। इनका जन्म एवं मरण राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें इन संस्थाओं को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ प्रशासकीय शक्तियां प्रदान करती हैं। यद्यपि इन संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान की गई है, पर इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। अतः इसे गठित करने वाली एवं शक्ति प्रत्यायोजित करने वाली सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह यह देखे कि नगरपालिकायें सौंपे गये कार्यों को सही ढंग से कर रही है या नहीं एवं जो शक्ति उसे प्रत्योयाजित की गई है, उसका दुरूपयोग तो नहीं कर रही है।[8] राज्य सरकारें अधिनियम पारित करती हैं, समय समय पर अधिनियमों में संशोधन कर नगरीय संस्थांओं को नवीन शक्तियां प्रदान करती हैं, अधिनियमों एवं संशोधित अधिनियमों द्वारा राज्य सरकारें नगरीय संस्थाओं पर नियंत्रण रखती हैं, परामर्श देती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। सामान्यतः राज्य संरकार को निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने तथा आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

1. नगरपालिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी नियम,
2. नगरपालिकाओं के सभापति/उपसभापति के निर्वाचन सम्बन्धी नियम
3. नगरपालिकाओं की बैठकों की कार्यविधि सम्बन्धी नियम
4. राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नगरपालिकाओं को परामर्श देने सम्बन्धी नियम
5. नगरपालिकाओं द्वारा आय व्यय का ब्यौरा रखने सम्बन्धी नियम
6. नगरपालिकाओं द्वारा अनुमान प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी नियम
7. नगरपालिकाओं द्वारा सम्पत्ति के क्रय एवं विक्रय सम्बन्धी नियम
8. करारोपण वित्त तथा सहायतानुदान सम्बन्धी नियम
9. भविष्य निधि, पेन्शन आदि सम्बन्धी नियम
10. संस्थाओं की उपनियम निर्मित करने की शक्ति पर नियंत्रण सम्बन्धी नियम
11. नगरपालिकाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने सम्बन्धी नियम
12. नगरपालिकाओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित नियम, और
13. नगरपालिकाओं एवं राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार आदि सम्बन्ध में नियम।[9]

ये संस्थायें राज्य सरकार द्वारा गठित होने के कारण नगरपालिकाओं का प्रत्येक कार्य राज्य सरकार से सम्बन्धित होता है। इसीलिये नगरपालिकाओं के सभी कार्यो पर राज्य सरकार का ही नियंत्रण रहता हैं उनकी सीमाओं का सीमाकंन करती हैं तथा उन्हें भंग करती हैं। नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति करती हैं। राज्य द्वारा नियम बना देने से नये अनुभवहीन नगरपालिका सदस्यों को कार्य करने और लेखा परीक्षणकर्ता को भी लेखा परीक्षण करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार राज्य सरकार से नगरपालिकाओं के कई प्रकार के सम्बन्ध होते हैं।

1. राजनीतिक सम्बन्ध
2. प्रशासकीय सम्बन्ध
3. वित्तीय सम्बन्ध

1. राजनीतिक सम्बन्ध –

जब राज्य में कोई दल सत्तारूढ़ होता है तो उसका नेता स्वयं मुख्यमंत्री बनता है और उसका पहला काम यह होता है कि दल के प्रमुख सदस्यों की नियुक्तियां मंत्रिपदों पर नियुक्त करें। मंत्रिमंडल से बाहर जितनी भी नियुक्तियां उसके अधीन रहती हैं वह सब दल के सदस्यों को दी जाती हैं यदि कोई व्यक्ति दल में नहीं है तो वह मंत्रिपद या अन्य किसी पद के लिए कितना ही योग्य और उपयुक्त क्यों न हो उसकी नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता।[10]

इसी प्रकार की स्थिति झांसी जनपद की नगरीय संस्थाओं में पाई जाती है। राज्य में जिस दल की सरकार होती है अगर उसी दल का अध्यक्ष नगरपालिका परिषद में हुआ तो नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से सम्बन्ध हर स्तर से अच्छे होते हैं। यदि नगरपालिकाओं का कोई भी कार्य राज्य सरकार द्वारा होना है तो राज्य सरकार अपने दल का कार्य समझकर उस पर तुरन्त प्रतिक्रिया करती है। यथा झाँसी जनपद के अन्तर्गत आने वाली मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से है। इसी कारण वर्तमान समय में यहां की नगरपालिका परिषद का प्रत्येक कार्य बड़ी तेजी से रहा है साथ ही साथ राज्य सरकार वित्त में भी सभी प्रकार से सहयोग करती हैं।

कुछ समय पूर्व जब प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब यही नगरपालिका परिषद राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित थी। झांसी जनपद की प्रत्येक नगरपालिका परिषद के राजनीतिक सम्बन्ध राज्य सरकार से एक समान है। जिस प्रकार राज्य स्तर पर दल के प्रमुख व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लिया जाता है और अन्य ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाता, उसी प्रकार नगरीय संस्थाओं में स्थानीय कार्यकर्ता अपने दल के उम्मीदवार को सफल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और बाद में यही कार्यकर्ता भी अपनी सेवाओं के पुरस्कार की आशा रखते हैं। यदि दल का काम चलाना है तो इन लोगों को संतुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक है। सरकारी पद तो इतने होते नहीं कि उन पर सब की नियुक्ति हो सके। अतः किसी को सरकारी काम का ठेका दिया जाता है, किसी

को बस चलाने का परमिट मिलता है आदि कार्य को सौंपे दिये जाते हैं।

2. प्रशासकीय सम्बन्ध –

राज्य सरकार की प्रशासकीय शक्तियों के अन्तर्गत निरीक्षण का अधिकार, जांच एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने का अधिकार, स्वीकृति देने का अधिकार, अवैधानिक काम करने पर उचित कार्यवाही करने का अधिकार, अपील सुनने का अधिकार और भंग करने एवं अधिक्रमण का अधिकार आदि आते हैं।

राज्य सरकार अपने कई अधिकारियों को नगर पालिकाओं के निरीक्षण का अधिकार प्रदान करती हैं सामान्यतः निरीक्षण का अधिकार जिलाधीश तथा मण्डल आयुक्त को प्रदान किया जाता है। कहीं कहीं तो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी को निरीक्षण का अधिकार प्रदान कर सकती है। ये निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी नगरपालिकाओं द्वारा संचालित निर्माण कार्य, सम्पत्ति एवं अभिलेख आदि का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षणकर्ता त्रुटियों को दूर करने के उपाय भी बताते है। निरीक्षण के लिए निरीक्षणकर्ता नगरपालिकाओं से उसकी समिति की कार्यवाही, कोई प्रतिवेदन, विवरण, लेखा लेखापत्र तथा रजिस्टर आदि की मांग कर सकते हैं, साथ ही नगरपालिका को किसी काम को करने अथवा न करने का ओदश देने में सक्षम हैं। यदि जिलाधीश या आयुक्त की राय में नगरपालिका का कोई प्रस्ताव या आदेश उसकी अधिकार सीमा से परे हो या जनहित के विरूद्ध हो या फिर उसमें नगरपालिका के धन का अपव्यय होने की आंशका हो, तो उन प्रस्तावों या आदेशों को क्रियान्वित होने से रोका जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त तकनीकी विभागों द्वारा तकनीकी सीमा के अन्तर्गत नगरपालिकाओं का निरीक्षण किया जाता है। नगरपालिकाओं के सफाई कार्य का निरीक्षण स्वास्थ्य अधिकारी करते हैं। निर्माण कार्यो का निरीक्षण करने के लिये अधीक्षण अभियंता होते हैं। नगरपालिकाओं द्वारा संचालित औषधालयों एवं चिकित्सालयों का निरीक्षण कार्य सिविल सर्जन करते हैं।

आज झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों की प्रशासन व्यवस्था बड़ी दयनीय हालत में हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिशासी अधिकारी किसी न किसी नगरपालिका परिषद् में हफ्तों हफ्तों तक गायब रहते हैं। न उनको नगरपालिका की प्रशासन व्यवस्था से मतलब होता है और न ही नगर की सफाई का, निर्माण कार्य आदि का निरीक्षण करते हैं। अब तो नगरपालिकाओं का पूरा प्रशासन तंत्र ही भ्रष्टाचार के रोग से ग्रस्त हे। नगरपालिका परिषद में प्रदेश सरकार की पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण अध्यक्ष भी परिषद् में अपनी मनमानी करता है। और राज्य सरकार भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। किसी किसी नगरपालिका में अगर आयुक्त ठीक है और वह प्रशासन का कार्य ठीक ढंग से चलाता है तो वहां का अध्यक्ष उसके कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करता है।

क्योंकि अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी से अपने अनुसार कार्य करवाना चाहता है। एक जगह की यह स्थिति है कि नगरपालिका अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण, एक अनुसार कार्य करते हैं। प्रशासकीय तौर पर ये नगरपालिकायें राज्य सरकार से उपेक्षित हैं। तभी झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों का प्रशासन तंत्र भ्रष्टाचार की चपेट में आता जा रहा है।

3. वित्तीय सम्बन्ध –

राज्य सरकार को स्थानीय शासन निकायों पर वित्तीय नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हैं। सभी नगरपालिकाओं को अपना वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा राज्य सरकार को देना होता है। राज्य सरकार नगरपालिका की धनराशि को लागू और नियमित करती है। वे नियमों के आधार पर यह निश्चित करती हैं कि कितनी लागत के अनुमान एवं योजना किसके द्वारा तैयार की जायेगी। नगरपालिका के व्यय एवं भुगतान पर किसके हस्ताक्षर होंगे तथा भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी आदि? नगरपालिका राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकती।

नगरीय संस्थाओं में 74वां संविधान संशोधन होने के बाद से नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से वित्तीय सम्बन्ध अच्छे हो गये। पहले ये संस्थायें राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षित होने के कारण इनकी वित्तीय स्थिति बड़ी खराब थी। इन संस्थाओं को करों पर और निजी स्रोतों से प्राप्त आय पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद से नगरपालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता दी जा रही है। जिससे इन संस्थाओं के कार्य सुचारू रूप से चल रहें हैं। नगरपालिकाओं के साथ व्यय पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण रहता हैं जिससे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति पर ही नगरपालिकाऐं अपनी सीमा के बाहर खर्च कर सकती हैं। राज्य व्यवस्थापिकायें नगरपालिकाओं के कर निर्धारित करती हैं। राज्य सरकार कर लगाने तथा अधिक से अधिक मात्रा निश्चित करने के बारे में नियम बना सकती है। वसूली सम्बन्धी नियम भी राज्य सरकारें ही बनाती हैं। सभी राज्यों में नगरपालिकाओं के ऋण लेने की शक्ति पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है। ऋण द्वारा चलाये गये कार्यों से सम्बन्धित लेखा निरीक्षण का राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। राज्य सरकार यह भी देखती हैं कि नगरपालिकायें ऋण के मूल तथा ब्याज की किस्तें समय पर अदा कर रहीं हैं अथवा नहीं।

झांसी जनपद की प्रत्येक नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति व राज्य सरकार से वित्तीय सम्बन्ध उपर्युक्त स्थिति के समान ही हैं। तभी इस स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि झांसी जनपद की नगरपालिकाओं को राज्य सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त है। आज राज्य सरकार के द्वारा नगरपालिका परिषदों को समय समय पर अनुदान राशि व विकास निधि प्राप्त होती है। जिससे ये नगरपालिकायें नगर में विकास कार्यों को अच्छी तरह से करा रही हैं। पहले की अपेक्षा अब नगर की सड़कों का निर्माण, सफाई व्यवस्था आदि कार्य अच्छी तरह से किये जा रहे हैं। हां यह

अवश्य है कि नगरपालिका परिषदों में अभी भी कुशल प्रशासन की कमी है। कुशल प्रशासन न होने के कारण नगरपालिकाओं में राज्य सरकार से प्राप्त वित्त आदि का प्रयोग सही प्रयोजन में न लगाकर उसका दुरूपयोग किया जाता है। जिससे किसी किसी नगरपालिका परिषद के विकास कार्य का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इस जगह पर राज्य सरकार द्वारा कड़ो नियंत्रण की आवश्यकता है।

निष्कर्ष –

झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों का राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन करने पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि झांसी जनपद की सभी नगरपालिकाओं की निर्वाचन पद्धति एक जैसी हैं क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम, राज्य की प्रत्येक नगरपालिकाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। जब नगरपालिकाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका की बात आती है तो, आज देश की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में कोई भी चुनाव बिना राजनीतिक दलों की भागीदारी के बिना सम्पन्न नहीं हो रहें हैं तो स्थानीय स्तर पर नगरपालिकाओं के चुनाव बिना राजनीतिक दलों की भागीदारी के कैसे सम्पन्न हो सकते हैं। इन राजनीतिक दलों की भागीदारी नगरपालिका चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली पर भी इनका पूरा प्रभाव पड़ता है। इन राजनीतिक दलों के उम्मीदवार निर्वाचित होकर नगरपालिकाओं में पहुंचते हैं और यही पार्षद बाद में नगरपालिका की कार्यवाहियों के निर्णय अपने राजनीतिक दल के अनुसार करते हैं।

74वें संविधान संशोधन के द्वारा दलितों व महिलाओं को प्राप्त आरक्षण के कारण नगरपालिका परिषदों में इनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो गया है। पहले की अपेक्षा इनकी सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आया है। पहले इन संस्थाओं में महिलाओं और दलितों का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। वहीं अब नगरपालिका परिषदों को इनका समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। पहले से इनमें राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ी हुई प्रतीत होती है।

इस संशोधन से पूर्व ये संस्थायें राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षित थी। इन संस्थाओं की तरफ राज्य सरकार का केई ध्यान नहीं था। परन्तु 74वें संशोधन के पश्चात् से नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे इन निकायों के निर्वाचन नियमित रूप से पांच वर्ष में होने लगे और नगरपालिकाओं की खराब वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर दिया गया है। नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से प्रशासकीय सम्बन्ध अच्छे हो गये हैं। लेकिन निष्कर्षतः यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस संशोधन का उद्देश्य पूर्ण होता नहीं नजर आ रहा है।

सन्दर्भ सूची

1. मोतीलाल 'अशान्त' झांसी दर्शन, लक्ष्मी प्रकाशन, झाँसी, 1973, पृष्ठ 111 ।

2. अशोक शर्मा, भारत में स्थानीय प्रशासन, दीपक परनामी, जयपुर, 2002, पृष्ठ–27 ।

3. रघुकुल तिलक, लोकतंत्र : स्वरूप एवं समस्याऐं, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, प्रथम संस्करण, 1972, पृष्ठ 214 ।

4. उपर्युक्त, पृष्ठ 232 – 233 ।

5. उपर्युक्त, पृष्ठ 249 ।

6. ब्राइस जेम्स, माडर्न डिमोक्रेसिज, खंड द्वितीय, पृष्ठ 485 ।

7. रघुकुल तिलक, लोकतंत्र : स्वरूप एवं समस्याऐं, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, प्रथम संस्करण, 1972, पृष्ठ – 214 ।

8. डॉ0 सरोज चौपड़ा, स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संस्करण, 2000, पृष्ठ 278 ।

9. उपर्युक्त, पृष्ठ 279 – 280 ।

10. रघुकुल तिलक, लोकतंत्र, स्वरूप एवं समस्याऐं पृष्ठ – 30 ।

अध्याय

षष्ठम्

झाँसी जनपद की नगरपालिका परिषदों की समीक्षा

झाँसी जनपद की नगरपालिका परिषदों की समीक्षा कई आधारों से की जा सकती हैं। पहले तो संघवाद एवं विकेन्द्रीकरण की संस्था के रूप में नगरपालिका परिषदों का वर्णन किया गया है। आखिरकार देश को विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, विकेन्द्रीकरण में स्थानीय शासन की संस्थायें लोकतन्त्र को चलाने के लिये किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही हैं। विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत स्थानीय शासन स्तर पर नगरीय संस्थाओं का अध्ययन किया गया है। स्थानीय स्तर पर कार्यरत पंचायतें एवं नगरपालिकायें जैसी संस्थायें स्वशासन की पाठशालाएें हैं। क्योंकि पंचायतों को एवं नगरीय संस्थाओं को राजनीति की प्रथम पाठशाला कहा गया है। स्वशासन की पाठशाला में ही व्यक्ति सर्वप्रथम राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करता है।

देशभर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये अनेक संस्थायें चल रहीं हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को स्वयं की शक्ति के बारे में जागृत किया जाये। जिससे वे सामाजिक, राजनीतिक वे आर्थिक विकास की प्रवर्तक बन सकें। महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिये आज पहली बार नगरीय संस्थाओं एवं पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया हैं। आज तक के इतिहास में पहलीबार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये स्थानीय स्तर की संस्थाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। अतः इसीलिये ये संस्थायें महिला सशक्तीकरण की संस्था के रूप में उभर रही हैं। जब दलितों का भारतीय राजनीति को उचित नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ, तब केन्द्र सरकार ने संविधान में 73वां एवं 74वां संशोधन करके पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया ताकि छोटे स्तर पर राजनीति में इनका नेतृत्व प्राप्त हो सके तभी देश को उच्च स्तर पर इनका नेतृत्व प्राप्त होगा। इसीलिये ये संस्थायें दलितों के उत्थान की प्रयोगशाला के रूप में सिद्ध हो रही है।

आज ये संस्थायें जिले में नियोजन सम्बन्धी कार्य कर रही हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नगरीय संस्थायें शहरों के विकास की संवाहक के रूप में हैं। जिस प्रकार से शहरों का विकास तेजी से हो रहा है, उसमें नगरीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। झांसी जनपद की प्रत्येक नगरपालिकाओं में विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा नियोजित ढंग से किये जा रहे हैं। अब देखना यह है कि नगर में जनकल्याण की दृष्टि से स्थापित जनप्रतिनिधियों की संस्था नगरपालिका परिषद जन आंकाक्षाओं की कसौटी पर कितनी खरी उतर रही है। और नगर की जनता को सुविधायें पहुचाने में कितनी सफल सिद्ध हुई हैं।

संघवाद एवं विकेन्द्रीकरण –

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने लोकतंत्र की जड़ो को मजबूत बनाने एवं सामान्यजन को अपने नागरिक और राजनीतिक कार्यो में वास्तविक भागीदार

की दृष्टि से लोकतांत्रिक संरचना का अधिकतम विकेन्द्रीकरण करने का प्रयोग आरम्भ किया।

इसे धरातल पर लोकतंत्र के नाम से भी अभिव्यक्त किया जाता है। धरातल पर लोकतंत्र से अभिप्राय यह है कि ऐसी राजनीतिक संरचना जिसमें लोकतंत्र केवल राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तरों तक ही सीमित नहीं हो अपितु उसका विस्तार वास्तविक अर्थ में स्थानीय स्तरों तक भी होता हो। इस प्रकार यह पद्धति लोकतंत्र की सहभागिता को सही अर्थों में सुनिश्चित करने का माध्यम है। लोकतन्त्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता लोक अर्थात् उस भू-भाग के निवासियों में निहित होती है। जिस व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक शासन के कार्यों में किसी न किसी स्तर पर भाग लेते हों और उनकी आवाज अनिवार्यतः कुछ महत्व रखती हो, उसे सच्चा प्रजातंत्र कहा जा सकता है। जब राज्य की सत्ता केन्द्र में निहित होती है उसे केन्द्रीय शासन कहते हैं और जब यही सत्ता जनता में विभिन्न स्तरों पर बांट दी जाती है तो इसे विकेन्द्रीकृत सत्ता कहते हैं।

केन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण –

वर्तमान काल में सरकारों को एक विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि वे केन्द्रीकरण करें अथवा विकेन्द्रीकरण। आर्थिक नियोजन, प्रतिरक्षा एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए केन्द्रीकरण अपरिहार्य है, जबकि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति का यह तकाजा है कि स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाये, निर्णय प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाया जाये, यानी कि लोकतन्त्र की जड़ों तक पहुंचने के लिए विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का सार निर्णय की शक्ति के वितरण में निहित है। किसी भी संगठन में निर्णय के केन्द्र जितने कम होते हैं, वह संगठन उतना ही अधिक केन्द्रित माना जाता है। इसके विपरीत, निर्णय के जितने अधिक केन्द्र किसी संगठन में होते हैं वह उतना ही अधिक विकेन्द्रित माना जाता है। जिस प्रशासकीय पद्धति में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के हाथों में अत्यधिक शक्ति निहित हो, जिसके परिणामस्वरूप निम्नतर शासकीय स्तरों के कर्मचारियों की शक्ति और विवेक में कमी होती हो, उसे केन्द्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। इसके प्रतिकूल जिस प्रशासकीय प्रणाली में कानून या विधान के द्वारा स्थानीय प्रबन्धकारी निकायों में काफी अधिक शक्ति रखी गयी हो, उसे विकेन्द्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। अत्यधिक केन्द्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय इकाइयां केवल कार्यवाहक अभिकरणों के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें अपनी पहल से कार्य करने की कोई शक्ति नहीं होती.........प्रत्येक कार्य केन्द्रीय कार्यालय से किया जाता है। सरकार के निम्नतल से उच्चतल की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानान्तरण की प्रक्रिया को केन्द्रीकरण कहा जाता है, इसके विपरीत प्रक्रिया को विकेन्द्रीकरण।

विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता –

वास्तविक विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्र के अन्तर्गत ही सम्भव है। क्योंकि लोकतंत्र विकेन्द्रीकरण

को जन्म देता हैं और फिर विकेन्द्रीकरण स्वयं लोकतन्त्र की रक्षा और पुष्टि का मुख्य साधक बन जता है। वटवृक्ष जब उगना शुरू होता है तो प्रारम्भ में उसका एक ही तना होता है, किंतु फिर उसकी विभिन्न शाखाऐं पृथ्वी की ओर जड़े डालना शुरू करती हैं, जो धीरे धीरे स्वयं तनों का रूप ले लेती हैं और फिर इन्हीं के द्वारा पूरे वृक्ष का रक्षण और पोषण होता रहता है।

लोकतन्त्र के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण का सब से बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा लोकतंत्र नागरिक के द्वार पर पहुंच जाता है। आज सभी देशों में प्रतिनिधिक लोकतंत्र की परम्परा है। इसका यदि यह अर्थ हो कि प्रत्येक वयस्क नागरिक 3 वर्ष या 5 वर्ष में केवल एक बार केन्द्रीय विधान मंडल के लिए अपने प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करे, तो स्पष्ट है कि उसके लिए लोकतंत्र एक धूमिल और दूर की चीज बनी रहेगी। उसे ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि लोकतंत्र से उसके जीवन का कोई सीधा और प्रत्यक्ष संबंध है। पर यदि उसके नगर या ग्राम के प्रबंध के लिए किसी निर्वाचित समिति की व्यवस्था है और वह उसके चुनाव में भाग लेता है और उसकी सदस्यता के लिए स्वयं भी खड़ा हो सकता है तो लोकतंत्र उसके लिए एक जीती जागती और बहुत निकट की वस्तु बन जायेगी और वह अपने वोट द्वारा चुने हुये सदस्यों के काम और आचरण को अपनी आंखों से देखेगा। यद्यपि इसका अच्छा या बुरा प्रभाव स्वयं उसके जीवन पर भी पड़ेगा, इसलिए वह अपना वोट समझबूझकर देना सीखेगा। साथ ही वह अपने छोटे क्षेत्र के लोगों के साथ स्थानीय समस्याओं के विषय में बातचीत करेगा और उनको हल करने में उनका सहयोग चाहेगा। इस प्रकार सब लोगों के बीच सहयोग और आत्मीयता की भावना पैदा होगी।

वर्तमान में राज्य का कार्यभार इतना अधिक बढ़ गया है और समस्याऐं इतनी जटिल होती जाती हैं कि यदि शासन का सभी छोटा बड़ा कार्य केन्द्रीय सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाये तो किसी प्रकार काम नहीं चल सकता। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको तो केन्द्रीय सरकार के हाथों में छोड़ना ही होगा किन्तु अनेक विषय ऐसे हैं जो क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के हैं और जिनके प्रबंध में एकरूपता न आवश्यक है और न ही वांछनीय है। ऐसे विषयों का बोझ राष्ट्रीय सरकार के ऊपर डालना किसी प्रकार उचित नहीं है। इनकी उचित व्यवस्था स्थानीय शासन द्वारा ही हो सकती है। इससे यह भी लाभ होगा कि जहां स्थानीय कारणों से असंतोष उत्पन्न होता है उसका वहीं शमन हो सकता हैं इससे केन्द्र के काम में कोई बाधा न ही पड़ेगी।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण –

सभी लोकतांत्रिक देशों में शासन के निर्णय यद्यपि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं किन्तु उनका निष्पादन लोकसेवा द्वारा किया जाता है। शासन के कार्य संचालन का यह सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य है किन्तु आधुनिक लोकतंत्रीय देशों में नौकरशाही की शक्तियों का इतना अनियन्त्रित और असीमित विस्तार हो गया है कि लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों की

भूमिका कभी कभी गौण होती प्रतीत होती है। लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है और राजनीति में इसके प्रयोग की अवधारणा में इसके विकेन्द्रीकरण का विचार भी अन्तर्निहित है। राजनीति में लोकतंत्र के प्रयोग का अभिप्राय न केवल राज्य सत्ता में लोगों की भागीदारी का प्रयास है अपितु सरकार के दैनिक कामकाज में लोगों को सहभागी बनाना भी है। जिस व्यवस्था में अपनी सरकार के संचालन में लोगों की सहभागिता जितनी अधिक, निरन्तर, सक्रिय, रचनात्मक और निकट की होगी वह व्यवस्था लोकतंत्र के राजनीतिक आदर्श के उतने ही समीप समझी जाएगी। ''लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लोगों की यह सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त उपाय है। इसका ध्येय शासन कार्यो में लोगों की अधिकतम और जीवंत सहभागिता को सुनिश्चित करना होता है।

यहाँ यह जिज्ञासा व्यक्त की जा सकती है कि लोकतंत्र की अवधारणा में जब विकेन्द्रीकरण का विचार अन्तर्निहित है तो 'विकेन्द्रीकरण' के आरम्भ में लोकतान्त्रिक शब्द क्यों लगाया जाता है। विद्वानों ने मत व्यक्त किया है कि विकेन्द्रीकरण के पूर्व लोकतांत्रिक शब्द का उपयोग निरर्थक नहीं है वस्तुतः लोकतांत्रिक शब्द विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण में लोगों के व्यापक, अधिकतम और निकटतम सहयोग की आकांक्षा को अधिक स्पष्टता देता है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन –

यहां यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन की अवधारणा एक दूसरे की पर्यायवाची है, या पूरक है या परस्पर इनमें कोई भिन्नता है। वस्तुतः दोनो अवधारणाऐं एक दूसरे की इस अर्थ में पर्यायवाची मानी जा सकती हैं कि दोनों का मूल उद्देश्य शासन कार्यों में लोगों की अधिकतम सहभागिता और स्वायत्तता प्राप्त करना होता है। यह दोनों ही प्रकार की अवधारणाऐं स्थानीय कार्यो के प्रबन्ध में उच्च स्तरीय नियंत्रण को सीमित करती हैं, दोनों में अन्तर इतना सा है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण जहां राजनीतिक अवधारणा मात्र है, वहीं स्थानीय शासन उसका एक संस्थागत रूप माना जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा शासन कार्यो में स्वायत्तता पर अधिक बल देती है। यह अवधारणा, स्थानीय शासन की इकाइयों के अधिक प्रजातंत्रीकरण, अधिक सत्ता, अधिक दायित्व, पहल और गतिविधियों के प्रबन्ध में और अधिक स्वायत्तता के उपयोग का आग्रह करती है।

आधुनिक युग को नागरिकों की उभरती हुई आकांक्षाओं का युग माना जाता है। प्रजातन्त्रीय और लोककल्याणकारी राज्यों में शासन संबंधी कार्यो का इतना अधिक महत्व और विस्तार हो गया है कि केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इन कार्यो का निष्पादन नहीं कर सकती। इसी कारण समस्त लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें अपने कार्यभार को हल्का करने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को व्यापक उत्तरदायित्व देती है। प्रो0 डब्ल्यू0 ए0 रोब्सन ने भी

कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे व स्वस्थ प्रजातंत्र को तब तक बनाया जाना असंभव है जब तक कि इसे कस्बा और देहात में प्रजातांत्रिक स्थानीय संस्थाओं द्वारा सहयोग व प्रोत्साहन न दिया जावे। इस प्रकार स्थानीय संस्थाऐं लोकतंत्र के लिए नींवं के रूप में कार्य करती हैं। यह नागरिकों को देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का सुअवसर प्रदान करती हैं।

लोकतंत्र की नींवं और उसका आधार स्थानीय निकायों द्वारा मजबूत बनाया जाता है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को उत्तरदायी तथा शासन की नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में भागीदार अनुभव नहीं करता है, तब तक उस राष्ट्र में प्रजातन्त्र सैद्धांतिक रूप में ही रहता है, उसमें व्यावहारिकता तथा वास्तविकता नहीं आती और व्यवहारिकता के लिये गांव, कस्बा तथा नगर स्तर पर प्रत्येक की अपनी स्थानीय स्वायत्तता सरकार होना अति आवश्यक है।

विकेन्द्रीकरण में स्थानीय शासन की आवश्यकता –

लोगों का संगठित समूह जब एक स्थान पर, एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने लगता है तो उनमें एक सामुदायिकता और एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इन लोगों के इस सामूहिक आवास के फलस्वरूप कुछ समस्याऐं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं का सम्बन्ध नागरिक जीवन की सुविधाओं से होता है, जैसे जैसे नगर की जनसंख्या बढ़ती है उस शहर का आकार प्रकार भी बढ़ता चला जाता है और समस्याऐं भी उसी अनुपात में विकराल रूपधारण कर लेती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ नागरिकों के जीवन यापन की दैनिक आवश्यकताओं में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। इस कारण स्थानीय स्वशासन से उनकी अपेक्षाऐं निरन्तर बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों की बढ़ती हुई स्थानीय आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं और उनसे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त स्थानीय या स्वशासन की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है।

विकेन्द्रीकरण एवं नगरीय निकाय/नगरपालिका परिषद् –

आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के युग में रह रहे है। नगरपालिकाऐं, नगरनिगम और नगरपंचायत आदि संस्थाऐं जब तक नागरिकों को स्थानीय सेवाऐं प्रदान नहीं करती तब तक नागरिक सुखी और समर्थ जीवन का विकास नहीं कर सकते। एक लोकल्याणकारी राज्य का यह उद्देश्य होता है कि सभी लोगों का नागरिक जीवन सुखी, स्वस्थ और समर्थ बन सके। स्थानीय शासन की ये नगरीय संस्थायें लोककल्याणकारी राज्य के इस आदर्श को मूर्तरूप देने का प्रयत्न करती हैं। नगर नगर में नगरीय निकाय इस संकल्प के अनुरूप समाज निर्माण में सरकार का सक्रिय सहयोग करती हैं। लार्ड ब्राइस ने कहा है कि स्थानीय शासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला का काम करता हैं इसके अभाव में प्रजातंत्र की सफलता की आशा नहीं की जा सकती। अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में रूचिरखने वाले लोगों के लिए स्थानीय शासन की नगरीय संस्थाऐं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसी प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य का प्रजातांत्रिक नेतृत्व

उभरता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने राजनैतिक जीवन का आरम्भ कोलकाता नगर निगम से किया था। इसी प्रकार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनैतिक जीवन का आरम्भ इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में किया था। भविष्य का राजनैतिक नेतृत्व स्थानीय शासन की इन नगरीय संस्थाओं में जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे आगे चलकर सम्पूर्ण राष्ट्र और समाज को लाभान्वित करता है। स्थानीय शासन की ये नगरीय संस्थाऐं नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करती हैं। नगरीय निकायों के चुनावों में उस क्षेत्र के सभी नागरिक सक्रिय होकर भाग लेते हैं। नागरिक जानते हैं कि ये निकाय उनकी स्थानीय आवश्यकताओं जैसे सफाई, सड़क, पानी और प्रकाश आदि का प्रबंध करतीं, अतः यदि इन निकायों में क्रियाशील नागरिकों को नहीं चुना गया तो ये निकायें अकुशलता का प्रतीक बनकर रह जाऐंगी। इस कारण स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं के चुनाव से राजनैतिक जीवन में स्फूर्ति और जागरूकता उत्पन्न हो जाती है और स्थानीय नागरिक सक्रिय होकर पूर्ण सहयोग और समर्थन के साथ इनके कार्यो और चुनावों में भाग लेते हैं। विकेन्द्रीकरण में इन संस्थाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि विकेन्द्रीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही ये संस्थाऐं कितनी समर्थ व कुशल हैं। एक अच्छे विकेन्द्रीकरण को साकार करना होता हैं इस प्रकार शासनसत्ता का विकेन्द्रीकरण कर स्थानीय शासन की संस्थाऐं न केवल आधुनिक नागरिक जीवन के लिए अपरिहार्य बन गई हैं अपितु ये प्रजातंत्र की निर्वाहक भी हो गई हैं।

स्वशासन की पाठशालाऐं –

स्थानीय शासन को लोकतंत्र की पाठशाला या प्रशिक्षणशाला कहा जाता है। वास्तव में स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षणस्थली या पाठशाला का काम करता है। इसके अभाव में प्रजातंत्र की सफलता की आशा नहीं की जा सकती। अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में रूचि रखने वाले लोगों के लिये स्थानीय स्वशासन की संस्थाऐं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं इसी प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य का प्रजातांत्रिक नेतृत्व उभरता है। इसलिये ये संस्थायें नागरिकों को देश की उच्चस्तर की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का सुअवसर प्रदान करती हैं। भविष्य का राजनैतिक नेतृत्व स्थानीय शासन की इन संस्थाओं में जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे आगे चलकर, सम्पूर्ण राष्ट्र और समाज को लाभान्वित करता है। वस्तुतः स्थानीय स्वाशासन की संस्थाओं को लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिये सनातन रूप से स्मरण किया जाता है।

अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए अनिवार्य –

आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के युग में रह रहे हैं। नगरपालिकायें और पंचायतें, जब तक नागरिकों को स्थानीय सेवाऐं प्रदान नहीं करतीं तब तक नागरिक सुखी और समर्थ जीवन का

विकास नहीं कर सकते। एक लोककल्याणकारी राज्य का यह उद्देश्य होता है कि सभी लोगों का नागरिक जीवन सुखी, स्वस्थ और समर्थ बन सके। स्थानीय स्वशासन की संस्थाऐं लोक कल्याणकारी राज्य के इस आदर्श को मूर्तरूप देने का प्रयत्न करती हैं। ये संस्थाऐं इस संकल्प के अनुरूप समाज निर्माण में सरकार का सक्रिय सहयोग करती हैं।

नागरिकों को राजनैतिक शिक्षा प्रदान करना –

स्थानीय स्वशासन की संस्थाऐं नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करती हैं। स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में उस क्षेत्र के सभी नागरिक सक्रिय होकर भाग लेते हैं। नागरिक यह जानते हैं कि ये संस्थाऐं उनकी स्थानीय आवश्यकताओं जैसे सफाई, सड़क, पानी, शिक्षा और प्रकाश आदि का प्रबन्ध करती हैं, अतः यदि इन संस्थाओं में क्रियाशील नागरिकों को नहीं चुना गया तो ये संस्थाऐं अकुशलता का प्रतीक बनकर रह जाएंगी। इस कारण स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं के चुनाव से राजनैतिक जीवन में स्फूर्ति और जागरूकता उत्पन्न हो जाती है और स्थानीय नागरिक सक्रिय होकर पूर्ण सहयोग और समर्थन के साथ इनके कार्यो और चुनावों में भाग लेते हैं। चूंकि स्थानीय शासन जनता के सर्वाधिक निकट होता है इसलिए लोग यह भी समझते हैं कि वे इन संस्थाओं पर अच्छे काम काज के लिए अधिक सरलता से प्रभाव डाल सकते हैं। नागरिकों की यह चेतना और क्रियाशीलता सारे जन जनसमुदाय में राजनैतिक शिक्षा और जागरूकता का संचार करती है।

हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थान पर कहा था कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है और होनी भी चाहिए। हमें प्रायः उच्च स्तर पर लोकतंत्र के विषय में सोचने की आदत पड़ गई है और हम नीचे के स्तर पर लोकतंत्र के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। उच्च स्तर पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे नीचे से मजबूत न बनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे व स्वस्थ प्रजातंत्र को तब तक बनाया जाना असम्भव है जब तक कि इसे कस्बा और देहात में प्रजातांत्रिक स्थानीय संस्थाओं द्वारा सहयोग व प्रोत्साहन न दिया जावे। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की संस्थायें प्रजातंत्र के लिए नींव के रूप में कार्य करती हैं। प्रजातंत्र की नींव और उसका आधार स्थानीय निकायों द्वारा मजबूत बनाया जाता है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को उत्तरदायी तथा शासन की नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में भागीदार अनुभव नहीं करता है तब तक उस राष्ट्र में प्रजातंत्र सैद्धान्तिक रूप में ही रहता है, उसमें व्यावहारिकता तथा वास्तविकता नहीं आयेगी, और व्यावहारिकता के लिए गांव, कस्बा तथा नगर स्तर पर प्रत्येक की अपनी स्थानीय स्वायत्त सरकार को होना अति आवश्यक है। प्रजातंत्र केन्द्र व राज्यों की राजधानियों तक सीमित न रहकर वास्तव में नगरों व गांवों में निहित रहता है।

स्वशासन की संस्थाओं को देश की संस्कृतियों का रक्षक माना जाता है क्योंकि ये संस्थाऐं

सदियों से ही प्रेम भाव उत्पन्न करती रही हैं तथा पृथक–पृथक स्थानों की विशेषताओं को बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान रहा है। संस्कृति की धरोहरों को प्राचीन काल से इन संस्थाओं ने बनाए रखने का कार्य किया हैं और व्यक्तियों में एक दूसरे से सदव्यवहार करने की भावना का विस्तार किया है। इन संस्थाओं के द्वारा नागरिकों में कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के पालन की भावना उत्पन्न होती है। जो भी स्वशासन की पाठशालाओं में ईमानदारी, सक्रियता और सार्वजनिक भावना सीख लेता है, उसने अपने महान देश के नागरिक के कर्तव्य का पाठ सीख लिया है। ये पाठशालायें व्यक्तियों को न केवल सार्वजनिक हितों की दिशा देती हैं, अपितु दूसरों के साथ प्रभावशाली ढंग से काम करने का प्रशिक्षण भी देती है। इन संस्थाओं के द्वारा नागरिकों में बुद्धि, औचित्य, न्याय और सामाजिक भावना उत्पन्न होती है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। झांसी जनपद के कई व्यक्ति स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से राजनीति का प्रारम्भ करके अब उच्च स्तर के राजनीतिज्ञ के रूप में पदासीन हैं। हमारे देश के कई ऐसे नेता है जिन्होंने स्थानीय निकायों से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है। यथा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने राजनैतिक जीवन का आरम्भ कोलकाता नगर निगम से किया था। इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनैतिक जीवन का आरम्भ इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में किया था।

राजनीति, नागरिक शिक्षा एंव प्रशासकीय प्रशिक्षण –

स्थानीय स्वायत्त संस्थायें शासन सत्ता का निम्नतर स्तर है। यहां भी शासन जनता के ही चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ये संस्थाये जनता को राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं, स्थानीय स्वशासन संस्थाऐं जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जनता में जागृति लाती है, जनता में आत्मविश्वास एवं सहयोग की भावना पैदा करती हैं जो कि जनतंत्र की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को 'जनतंत्र की नर्सरी' 'प्राथमिक पाठशाला' एवं 'प्रयोगशाला' भी कहा जाता है। एक विद्वान ने कहा है कि नागरिकों की स्थानीय सभायें राष्ट्र की शक्ति हैं।

स्थानीय संस्थाओं में विधायकों एवं प्रशासकों को अपने क्षेत्र में कार्य करते हुये प्रथम अनुभव प्राप्त होता हैं। इन स्थानीय संस्थाओं की सीमाओं में जब स्थानीय विषयों पर विचार विमर्श होता है, विवादों का निपटारा होता है, बजट पारित होता है, उस समय नागरिकों की रूचि के साथ साथ विधायकों को राजनीति एवं प्रशासकीय अनुभव भी प्राप्त होता है। वे शासन की समस्याओं से अवगत होते हैं और शासन संचालन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे चलकर ये विधायक ही देश के शासन में भाग लेते हैं, अपने पहले अनुभव एवं ज्ञान को कार्यरूप देते हैं, इसीलिये लास्की ने कहा है कि स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है।

नागरकि निर्वाचनों में मतों के सही प्रयोग की कला इन संस्थाओं में सीखते हैं। ये नागरिकों

को अपने राज्य के नैतिक अधिकारों के उपयोग की शिक्षा देती हैं, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में सहयोग देती, नागरिकों के दृष्टिकोण को उदार बनाती हैं, उन्हें सहयोग, जन उत्साह और जनसेवा का पाठ पढ़ाती, उनकी पारस्परिक समझ के दायरे को विस्तृत करती हैं तथा उनकी उदासीनता को दिलचस्पी में बदलने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

स्थानीय स्वायत्त संस्थायें लोगों के दृष्टिकोण को उदार बनाती हैं। ये संस्थायें किसी जाति, लिंग, वर्ग विशेष के लिये कार्य नहीं करती। ये संस्थायें उस क्षेत्र के सम्पूर्ण समाज के हित के लिये कार्य करती हैं, अतः इन संस्थाओं के सदस्य मैं और मेरा की भावना से निकलकर सम्पूर्ण क्षेत्रीय समाज के लिये कार्य करते हैं, इस प्रकार एक उदार दृष्टिकोण तैयार होता है, सार्वजनिक चेतना की अनुभूति होती है और विकास भी। साथ ही साथ स्थानीय संस्थायें सामान्य कार्यो में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये लोगों को दूसरों के हितार्थ कार्य करने का प्रशिक्षण ही नहीं देती वरन् उन्हें प्रभाव शाली ढंग से दूसरों के साथ कार्य करना भी सिखाती हैं। ये सहज ज्ञान, तर्क संगतता, न्यायप्रियता एवं सामाजिकता का विकास करती हैं।

महिला सशक्तीकरण की संस्थायें –

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को स्वयं की ताकत के बारे में जागृत किया जाए। जिससे वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक बन सकें। महिलाऐं जब तक अपनी शक्ति क्षमता व आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं बना सकते हैं। परिवार की अधूरी नारी को जागरूक बनाकर समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश मजबूत होता है। ऐसे अनेक उदाहरण है कि जहां जहां स्त्रियों के श्रम संघर्ष और सहकारी प्रयत्न से उनका सबलीकरण हुआ है। वहां समाज में अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य है सामाजिक सेवाओं के समान अवसर, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी समान कार्य के लिये समान वेतन, काननू के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन का अधि ाकार आदि। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिये पंचायतों व नगरीय निकायों में एक तिहाई पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरूप पूरे देश में 11 लाख महिलाऐं पंचायतों के काम काज में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन गई हैं। इसका राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलाऐं अपने आप को एक प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तिकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता वह तो स्वयं के भीतर से उत्पन्न होना चाहिए।

सार्थक शिक्षा का प्रबन्ध –

शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति प्राप्त होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलायें कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। जब हम चाहते हैं कि महिलायें

राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनें तब उनका शिक्षित होना एवं जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का शिक्षा में पिछड़ापन सर्वविदित है। यदि लड़कियां किसी प्रकार विद्यालय में प्रवेश लेती भी हैं तब भी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है।

वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में हर सौ बालिकाऐं जिनका कि पहली कक्षा में दाखिला होता है उनमें से चालीस पांचवी कक्षा तक, अठारह आठवीं कक्षा तक नौ दसवीं कक्षा तक पहुंच पाती है, तथा सिर्फ एक बाहरवीं कक्षा तक पहुंच पाती है। आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च प्राथमिक पाठशाला है तब क्या कारण है कि गांव की लड़कियां आठवीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। प्रत्येक परिवार के लिये आवश्यक हो कि सभी लड़कियां आठवीं तक की शिक्षा तो अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। लड़कियों के लिये बारहवीं तक की शिक्षा निःशुल्क है। ऐसी हालत में भी लड़कियों को छोटे छोटे घरेलु काम काज में लगाए रखना जीवनभर के लिए उन्हें अशिक्षित छोड़ देना है। उन परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जो बालिकाओं को शिक्षित करने में सहयोग नहीं देते हैं। माता पिता अभिभावकों को समझा बुझा कर एवं दण्ड देकर करके बाध्य किया जाए जिससे बालिका शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। दलित और पिछड़े वर्गो की बालिकाओं में शिक्षा के लिये विशेष उपाय करने की आवश्यकता है।

निर्णय लेने की क्षमता का विकास –

महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिये आवश्यक है कि उनका चहुंमुखी विकास किया जाय। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाया जाये। इसके लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई है। अब जब महिला जनप्रतिनिधियों को पुरूष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा कर दिया गया है तब उनको अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये खुद को तैयार करना होगा साथ ही स्थानीय लोग सरकारी व गैर सरकारी संस्थाऐं सभी मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करें। महिलाओं को भी छोटे छोटे समूह बनाकर विभिन्न विषयों, मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श करना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होना व घर के कामकाज के साथ ही वे बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने, क्रियान्वित करने निर्णय लेने एवं उन्हें लागू कराने में सक्षम बनेंगी।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता –

हमारे संविधान से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों में भी महिला एवं बालिकाओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारियां नहीं होने से महिलाऐं अनेक लाभों से वंचिदत रह जाती है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की जानकारी कार्यवाही जानी है। उन्हें समाज में पुरूषों के साथ मिलकर ही कार्य करना होता है। समाज में पुरूष और महिलायें दोनो ही मिलकर परिवार रूपी गाड़ी को चलाते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था को विकसित करें जिससे कानूनी, सामाजिक,

धार्मिक, आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की ठीक से जानकारी हो सके। विचार विमर्श सभा, सम्मेलनों व साहित्य के माध्यम से इन जानकारियों को निरन्तर बढ़ाने के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। सभी स्तरों पर इस प्रकर की जानकारियां बढ़ाने के लिये उपाय करते रहें। अतः भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का विकास तभी सम्भव है, जब सम्पूर्ण देश की महिलाऐं देश के समग्र विकास की प्रक्रिया में भाग लें।

राजनीतिक भागीदारी –

नब्बे के दशक में भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था जब महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिये संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासित संस्थायें पंचायतों एवं नगरीय निकायों में एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए। भारती स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है। इन संविधान संशोधनों से पंचायत और नगरीय निकाय की सत्ता संरचना में और निणर्य की प्रक्रिया में महिलाएं भागीदार हुई। इतना ही नहीं इस से महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी और वह अपनी शक्ति का सामाजिक विकास में तथा राजनीतिक कार्यकलापों में लगा सकेंगी और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगी। इससे कई रचनात्मक परिणाम सामने आयेंगे। राजनीति में भागीदारी से महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई और स्वायत्तता निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी से उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान, समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार का अहसास हुआ और वह नीति निर्धारण व क्रियान्वयन में अपनी प्रभावी व रचनात्मक भूमिका निर्वहन करेगी। समाज विकास के नये माडल पर पुनः विचार किया जा रहा है। ये सब महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमि अदा करेंगे।

इतने प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में कुछ न कुछ कमी अवश्य है क्योंकि जिस तरह की इन महिलाओं से राजनीतिक सक्रियता अपेक्षित थी, उस तरह से ये महिलायें नेतृत्व करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं।

नगरीय संस्थाओं से सहभागी ज्यादातर महिलाऐं निरक्षर थीं कई और महिलाओं की इन संस्थाओं में पहली सदस्यता थी या उनके पति व कुटुम्ब के अन्य लोग सदस्य थे। अधिकांश महिलायें पहली बार इस व्यवस्था में सहयोगी हुई और वह अपने पति या परिवार के आग्रह से आई। कुछ महिलाओं को इन संस्थाओं में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी थी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, नई सड़कों का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था आदि कार्यो में सहयोग दिया।

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इन संस्थाओं में कार्य करने में निम्न परिवार, निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थान की वजह से लधुताग्रंथि का अहसास है। इससे कई महिलायें अपने कार्य में संकोच, भय और कम आत्मविश्वास रखती हैं। कुछ महिलाओं के परंपरागत

सामाजिक स्थान में बदलाव आया है। महिलाओं के साथ चर्चा करने से पता चला कि अब उनके विचारों की परिवार में स्वीकृति होती है और उन्हें महिला संगठन एवं स्थानिक समुदाय मान और प्रतिष्ठा देते हैं। राजनीतिक दल के सहकार से सहभागी महिलाओं को इस प्रकार की संस्थाओं में कार्य करने में बड़ी कठिनाई होती है। चुनाव के समय उनको दल का प्रचार और विकास का कार्य करना पड़ता है। जिससे वह अपना कार्य सक्रिय रूप से नहीं कर पाती।

एकल परिवार में से आई महिलाओं को कार्य करने में सरलता मालूम हुई। युवा और अविवाहित महिलाओं को कार्य करने में चरित्र का प्रश्न बाधक है। 21 प्रतिशत महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में कोई रूचि नहीं है, इसलिए उनकी भूमिका प्रभावकारी नहीं है, उनका पूरा कार्य अैर आम सभाओं को सम्बोधन उनके पति या परिवार के अन्य प्रशिक्षित सदस्य करते हैं।

अध्ययन में पता चला कि इन संस्थाओं में ज्यादातर संख्या पुरूष सदस्यों की है। 29 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि इसमें से कई पुरूषों का सहकार सामान्य है वे महिला नेतृत्व को मानसिक स्तर पर स्वीकृत नहीं करते और महिलाओं के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं और पंचायत में अपने हित के विरूद्ध निर्णय लेने में बाधक बनते हैं। इसलिये इन संस्थाओं में कार्य में महिलाओं को कई पुरूष सदस्यों का व्यवहार सहकारपूर्ण नहीं दिखाई दिया। कुछ महिलाओं का कहना था कि नगरीय संस्थाओं में संलग्न अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, पदाधिकारियो का उनके प्रति बर्ताव अच्छा नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कई बार सरल प्रश्न की प्रस्तुति को अधिकारी हंसी मजाक में लेते हैं और संतोषप्रद उत्तर नहीं देते । इससे अनपढ़ महिलाओं में संकोच और भय बढ़ाता है और कार्य करने का उत्साह कम हो जाता है।

दलितोत्थान की प्रयोगशालाऐं –

आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दलितों का शोषण हो रहा है तथा वे अत्याधिक निर्धन एवं दीन हीन दशा में हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यदि दृष्टिपात किया जाये तो यह तथ्य स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अनुसूचित जातियां सदैव से ही बड़ी सोचनीय स्थिति में रही हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जो भी विकास कार्य किये गये वस्तुतः वे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में अक्षम ही रहे। 1980 के दशक के कुछ वर्षो में यह कहा जा सकता है कि कुछ विकास कार्यो ने अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों की स्थिति को सुधारने में महती भूमिका निभायी। हरित क्रान्ति ने कृषि के क्षेत्र में नियोजन को बढ़ाया तथा दूसरी तरफ शहरीकरण की प्रक्रिया ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की। शिक्षा के प्रसार ने एक नवीन अभिजन वर्ग को जन्म दिया जो उद्यमिता एवं व्यवसायीकरण पर आधारित था, जिसने कृषि के पृथक रोजगार के क्षेत्र में कोटा पद्धति के प्रयोग से अपने आपको लाभान्वित किया। तथापि परिवर्तन की गति अत्यन्त धीमी रही एवं निर्धनता आज भी विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में आज भी अनुसूचित जातियों का साक्षरता प्रतिशत एवं शैक्षणिक उपलब्धियां अत्यन्त निम्न हैं। यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में अनेक परिवर्तन

दृष्टिगोचर हो रहे हैं यद्यपि इसका भी लाभ दलितों के एक छोटे से भाग को ही मिला हैं

राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन विचारणीय हैं। 1980 के दशक से तेज हुई प्रजातंत्रीकरण एवं राजनीतिकरण की प्रक्रिया ने अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों को समान सामाजिक व्यवस्था तथा उच्च जातियों के वर्चस्व की भावना के विरूद्ध प्रश्न चिन्ह लगाने के प्रति जागृत किया एवं अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इस जागरण ने उन्हें क्रांतिकारी दल के गठन की ओर उन्मुख किया जो उन्हें उनके अधिकार सौंपने में सफल हो सके तथा राज्य में शक्ति हस्तगत करने के योग्य हो। बहुजन समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में जो आन्दोलन प्रसारित किया गया उसने एक नवीन दलित पहचान, राजनीतिक क्रियाशीलता तथा अपने दल के लिए अनुसूचित जातियों के शक्तिशाली मत कोष की स्थापना की। मायावती सरकार ने प्रथम बार सत्ता ग्रहण करने पर दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कार्य किये। अपनी समस्त योजनाओं में दलित जनता के अधिकारों एवं सुविधाओं को प्रमुखता प्रदान करते हुये विकास कार्यो को गति प्रदान की। इस प्रकार इस राज्य में आज राजनीति सामाजिक सुधार एवं दलित उत्थान की कुंजी के रूप में सक्रिय है।

दलितों को कई जगहों पर आरक्षण दिया गया है। लेकिन गांवों एवं कस्बों में रहने वाले दलितों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिये संविधान में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन करके पंचायतों और नगरीय संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले दलित आज भी अपने आपको उच्च वर्ग आदि से दबा हुआ और निचले स्तर का समझते हैं। इसलिये इन संस्थाओं में आरक्षण देकर इनकी राजनीतिक भागीदारिता को अनिवार्य कर दिया गया है, अतः स्थानीय स्तर की ये संस्थायें दलितों के लिये प्रयोगशाला के रूप में सिद्ध हो रही हैं और स्थानीय स्तर की संस्थायें दलितों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहीं हैं काफी हद तक दलितोत्थान की प्रयोगशाला के रूप में ये संस्थायें सफल सिद्ध हो रही हैं। अतः पहले की अपेक्षा यह लोग इन संस्थाओं में बढ़चढ़ कर भाग लेने लगे हैं।

जिला नियोजन व शहरी विकास के सवांहक –

किसी भी देश का यदि उत्थान करना हो तो वहां की योजनाएं बड़ी बड़ी जगहों के अलावा स्थानीय स्तर तथा स्थानीय विकास के अनुकूल बनाई जानी चाहिए। सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय वृद्धि दर, स्थानीय प्रगति, श्रम इत्यादि योजनाओं को सफल बनाने के लिये जनता का सहयोग परमावश्यक है, और जन सहयोग तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वहां स्वायत्त संस्थाऐं उपस्थित न हों तथा विशुद्ध रूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिये सक्षम भी हों। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकार के सहयोग तथा जनता से उनका समन्वय होना वांछनयी रहता हैं योजना आयोग ने बार – बार इस सन्दर्भ में केन्द्रीय व राज्य सरकारों का ध्यान

आकर्षित किया है कि बिना स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के प्रयत्न के कोई भी योजना वास्तविकता गृहण नहीं कर सकती। अब जिला नियोजन की अवधारणा तथा जिला नियोजन समितियों के माध्यम से यह लक्ष्य पूरा किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार स्थानीय स्तर की जनता को योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिये प्रत्येक योजनाओं को जिले में जिला नियोजन समितियों के माध्यम से पहुंचा रही है। जिसका पूरा–पूरा लाभ स्थानीय जनता उठा सके। पूर्व में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत या कई योजनायें जनता के लाभार्थ के लिये निर्मित की गयीं लेकिन स्थानीय जनता तक पहुंचने में इन योजनाओं के मार्ग में कई प्रकर की बाधायें होती थी। परन्तु अब ऐसा नहीं है, प्रत्येक जिले स्तर से योजनाओं को पहुंचाकर जनता को लाभ पहुंचाया जाता है।

नगरों के आकार में जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के साथ–साथ स्थानीय निकायों की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, क्योंकि नगरीय समस्याओं को दूर करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का होता है। आज ये संस्थायें शहरों के विकास के संवाहक के रूप में कार्य कर रही हैं। वास्तव में शहरों का विकास इन्हीं संस्थाओं पर आधारित है क्योंकि नगरों में विकास कार्य, सड़कों का निर्माण, सफाई व्यवस्था एवं प्रकाशव्यवस्था व उद्यानों का रखरखाव इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से होता है।

जनकल्याण व जनआकांक्षाओं की कसौटी –

स्थानीय स्वशासन की ये संस्थायें नगरों में जनकल्याण व जनआकांक्षाओं की दृष्टि से स्थापित की गई थीं। क्योंकि जब लोग किसी स्थान पर मिलकर रहने लगते हैं तो सामुदायिक जीवन के फलस्वरूप कुछ समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं का सम्बन्ध नागरिक जीवन की सुविधाओं से होता है, जैसे पानी की व्यवस्था, कूड़े करकट का हटाना, गन्दे पानी के निष्कासन के लिए नालियों का प्रबन्ध, प्रकाश की व्यवस्था, महामारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाऐं सड़के आदि।

जनसंख्या की वृद्धि के साथ–साथ आवासीय क्षेत्र का आकार बढ़ता है तथा परिणामतः अन्य समस्याऐं उठ खड़ी होतीं हैं और वे अधिक उग्र रूप धारण कर लेती हैं। विज्ञान तथा औद्योगिकी की प्रगति के साथ मनुष्य के जीवन यापन के लिये आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं के सम्बन्ध में धारणा भी बदलने लगती है, अतः स्थानीय शासन को जो कार्य करने चाहिये उनमें निरन्तर वृद्धि होती रहती हैं। विद्यमान सुविधाओं का परिवर्तन करना पड़ता है, नई सुविधाऐं जुटाने का कार्य हाथ में लेना पड़ता है, और विभिन्न कार्यो के सम्पादन की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार करना पड़ता है। इसलिये जनकल्याण की दृष्टि से स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व उन सब सुविधाओं को जुटाना है जो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को अधिकाधिक अच्छा बनाने के लिऐ आवश्यक होती हैं।

वास्तव में नगरीय निकायें जलआकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही हैं क्योंकि इन निकायों के कार्यो की संख्या कम नहीं होती। वस्तुतः स्थानीय शासन के कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्थानीय शासन ने ऐसे अनेक नये कार्यों का दायित्व अपने ऊपर लिया है जिनके द्वारा या तो नागरिकों के आचरण का नियमन होता है अथवा जिनसे नागरिकों की सेवा होती है, जैसे सामूहिक परिवहन की व्यवस्था, दरिद्र लोगों के लिए भवनों का निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्रों, पार्को और क्रीड़ा क्षेत्रों की व्यवस्था। वस्तुतः आजकल लोगों के दैनिक जीवन में स्थानीय शासन का प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय शासन से भी अधिक महत्व है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि भविष्य में स्थानीय शासन के कार्यो में निरन्तर वृद्धि होते रहने की सम्भावना बढ़ रही है। आज स्थानीय प्राधिकरणों को काम करने का पहले से कहीं अधिक सुअवसर उपलब्ध है। यदि केन्द्रीय शासन की शक्तियों बढ़ रही हैं तो स्थानीय निकायों के कार्यों में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्याय में शोध द्वारा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या से प्राप्त निष्कर्षों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों पर 74वें संवैधानिक के प्रभावों को भी प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त परिणामों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 74वें संशोधन के पश्चात् नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस संशोधन से पूर्व झांसी जनपद की नगरपालिकाओं में स्त्री पुरूष के प्रतिनिधित्व के अनुपात में काफी अन्तर था। अतः इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी न के समान थीं, परन्तु संशोधन द्वारा महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य कर देने से इनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह से इनकी भागीदारी सक्रियता के साथ होनी चाहिये थी उस तरह से नहीं हो पा रही है। इसका प्रमुख कारण है कि अधिकांश महिलायें अशिक्षित है और जिनको संविधान द्वार प्रदत्त इन अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। ज्यादातर महिलाऐं पहली बार इन संस्थाओं में सहयोगी हुई और वह पति या परिवार के आग्रह से आई हैं।

74वें संशोधन से पहले नगरीय संस्थाओं में अधिकतर बड़ी आयु के व्यक्तियों का ही प्रतिनिधित्व रहता था। परन्तु इस संशोधन के बाद इन संस्थाओं के चुनाव में इस सन्दर्भ में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिला। अतः अब झांसी जनपद की नगरपालिकाओं में (25 से 35 एवं 36 से 45) आयु के पार्षदों का प्रतिनिधित्व अधिक हो रहा है। पहले जब बड़ी उम्र के व्यक्ति नगरीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करते थे, तब उनमें उम्र और स्वाभाव में परिपक्वता हुआ करती थी, जिसके कारण वे अपना कार्य मेहनत, लगन एवं ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में नगरपालिकाओं में कम आयु के जो पार्षद प्रतिनिधत्व कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश पार्षद न उम्र और और न स्वभाव से परिपक्व है इसलिये उन्हें अपने अधिकारों या कर्त्तव्यों के प्रति लगन एवं ईमानदारी नहीं रहती है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में राजनीति धर्म एवं जाति पर आधारित हो गयी है। देश के उच्च स्तर के राजनीतिज्ञ धर्म और जाति की आड़ लेकर शक्ति और सत्ता प्राप्त करने चाहते है। यही हाल अब स्थानीय निकायों में हैं। क्योंकि इन संस्थाओं के चुनाव में अधिकांश उम्मीदवार जाति एवं धर्म के आधार पर विजयी हो रहे हैं। फिर भी इन संस्थाओं में एक परिवर्तन अवश्य हुआ है कि अब नगरपालिकाओं में इस संशोधन के द्वारा आरक्षण प्राप्त होने के बाद अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के पार्षदों का प्रतिनिधत्व बढ़ा है।

शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कारक है। अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्ति अपने कार्यों एवं अधिकारों के प्रति अधिक सजग रहते हैं और उसका सही प्रयोग

करते हैं। आज नगरपालिका परिषदों में प्रतिनिधित्व कर रहे अधिकांश पार्षद अशिक्षित हैं जिसकी वजह से वे अपने अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अतः नगरीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। पहले की अपेक्षा अब इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। इस संशोधन से पहले नगरपालिकाओं के चुनाव में संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व था। लेकिन संशोधन के पश्चात् दोनों परिवारों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो रहा है।

झांसी जनपद की नगरपालिकाओं में व्यापारियों का प्रतिनिधत्व अन्य की अपेक्षा अधिक है। इस क्षेत्र की राजनीति में व्यापारी वर्ग ज्यादा प्रभावी रहता है। 74वें संशोधन के द्वारा निम्न वर्गो को मिले आरक्षण के कारण आज नगरपालिकाओं में सभी प्रकार की आय के पार्षदों का प्रतिनिधत्व हो रहा है। लेकिन फिर भी जिन उम्मीदवारों के आय के स्रोत जितने अधिक होते हैं वे उतने ही सक्रियता से इन संस्थाओं में भाग में भाग लेते हैं। इसलिये वर्तमान समय में राजनीति पैसे की दासी होती जा रही है। इस संशोधन से पूर्व नगरीय निकायों में भूमिधारक प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व भूमिहीन प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक था। क्योंकि भूमिधारक प्रतिनिधि साधन और धन से अधिक सम्पन्न होते थे।

पहले की तुलना में जनप्रतिनिधियों में राजनीतिक अनुभव का स्तर बढ़ा है लेकिन महिलाओं में पुरूषों की अपेक्षा राजनीतिक अनुभव का स्तर अभी भी न्यून है। झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों के पार्षदों का साक्षात्कार लेने पर यह महसूस हुआ कि अधिकांश पार्षदों में राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव की कमी रखते हैं। इसलिये इनको राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण देने की अति आवश्यकता है। जिन पार्षदों के परिवारों से कोई न कोई सदस्य राजनीतिक सदस्य होता या राजनीतिक दल से सम्बन्धित होता है, वे पार्षद अधिक सक्रियता से राजनीति में भाग लेते है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किन्हीं परिवारों में राजनीतिक सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। तथा उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी राजनीति में रूचि लेती है।

पार्षदों की राजनीतिक जागरूकता के विषय में जानने के लिये उनसे चुनाव में भाग लेने के निर्णय के आधार को को जानने का प्रयास किया गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्वविवेक से चुनाव में भाग लेने का निर्णय लेने वालों का प्रतिशत कम है। कुछ महिला/पुरूष पार्षद दलवालों के कहने पर चुनाव मे भाग लेते हैं। लेकिन ज्यादातर महिला पार्षद परिवारवालों के विवश करने य आग्रह करने पर चुनाव में भाग लेती हैं। अधिकांश पार्षद राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखने के कारण दलवालों के कहने पर ही चुनाव में लेते हैं। अब तो नगरीय निकायों के चुनाव भी बिना राजनीतिक दलों की इन्हीं दलों के भागीदारी के सम्पन्न नहीं होते हैं। उम्मीदवार जब निर्वाचित होकर नगरपालिकाओं में पहुंचते हैं, तब ये दल इन्हीं निर्वाचित पार्षदों के द्वारा नगरपालिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। झांसी जनपद की प्रत्येक नगरपालिका में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रभाव पूर्ण भूमिका बनाये हुये हैं।

प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था किसी न किसी दलीय प्रणाली पर आधारित होती है। नगरपालिका परिषदों के कुछ पार्षदों का कहना है कि वे देश की राजनीतिक व्यवस्था एकदलीय आधार पर उचित मानते हैं और कुछ पार्षद ऐसे हैं जो द्विदलीय प्रणाली को सही मानते हैं। लेकिन अधिकांश पार्षद बहुदलीय प्रणाली को ही देश की राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल मानते हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था किये जाने से आज इन संस्थाओं में सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व होने लगा है जिनमें से कुछ जनप्रतिनिधि, अल्पशिक्षित या अशिक्षित हैं जिस कारण से इन्हें नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रहती हैं।

झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों में एक बात बड़ी आश्चर्य जनक सिद्ध हुई कि जिस संशोधन के द्वारा नगरपालिकाओं में इतने बड़े बड़े परिवर्तन किये गये, उसी संशोधन के विषय में पार्षदों को जानकारी न के समान हैं। कुछ पार्षदों को यह पता है कि केन्द्र सरकार द्वारा नगरीय संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह नहीं पता कि किस संविधान संशोधन के तहत की गई है। ज्यादातर महिला पार्षदों को नगरीय संस्थाओं में दिये गये 33 प्रतिशत आरक्षण की ही जानकारी नहीं हैं। बल्कि उनका कहना है कि उन्होंने परिवारवालों या पति के कहने पर चुनाव में भाग लिया, इसलिये उनको कुछ भी पता नहीं है।

अल्पशिक्षित या अशिक्षित महिला पार्षदों को नगरपालिका परिषद के कार्यों के विषय में कोई जानकारी नहीं हे। जब इन महिलाओं से नगरपालिका के कार्यों के विषय मे पूछा गया, तब उनसे नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुए। वर्तमान में यह सोचनीय है कि जो पार्षद निर्वाचित होकर नगरपालिका परिषदों मे आ रहे हैं, परन्तु उन्हें परिषद के कार्यो के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के हाथों में नगर की बागडोर सौपने से क्या जनता का कभी भला हो सकता है ? नगरपालिका परिषद् में निर्वाचित होने के बाद प्रत्येक पार्षद का कर्त्तव्य होता है कि वह अपने वार्ड के साफ सफाई का ध्यान रखे और वार्ड की जनता की शिकायतों का निवारण करे। लेकिन इस क्षेत्र में मगर कुछ लोगों की काम करने की मानसिकता जाति या दल पर आधारित होती है। इसलिये इस जनपद की नगरपालिकाओं में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनता की सहायता जाति या दल के आधार पर करते हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी पार्षद हैं जो सभी लोगों की सहायता करना पसन्द करते हैं।

नगरपालिका के सम्बन्ध में पार्षदों के कार्यों में प्रमुख कार्य अपने अपने वार्ड का निरीक्षण करना होता है। इस क्षेत्र में स्थिति यह है कि प्रत्याशी चुनाव के प्रचार प्रसार के समय तो वार्ड में प्रतिदिन दिखाइ देते हैं, परन्तु चुनाव सम्पन्न होते ही यही निर्वाचित पार्षद वार्ड में कभी कभी दिखाई देते हैं। अतः जब कार्यकाल पूरा होने का समय आता है तब ये पार्षद अपने अपने वार्ड के कार्यों में फिर से सक्रिय हो जाते हैं। वार्ड के कार्यों का निरीक्षण न करने वालों में अधिकांश महिलायें ही होती

हैं इनमें कुछ जो वृद्ध होती हैं या जिन महिला पार्षदों के परिवार वाले उनका बाहर ज्यादा निकलना पसन्द नहीं करते हैं अतः उन पार्षदों के परिवार के सदस्य ही कभी कभी वार्ड का निरीक्षण करते हैं। नगर की जनता का कहना है कि जो भी महिला वार्ड हैं उनकी हालत बड़ी ही दयनीय रहती है।

झाँसी जनपद की नगरपालिक परिषदों के पार्षदों से नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने पर यह तथ्य सामने आये कि इस संविधान संशोधन के बाद से राज्य सरकार के द्वारा इन संस्थाओं को निकाय निधि तो प्राप्त हो रही है, लेकिन इस निधि का सही उपयोग न करके दुरूपयोग किया जाता है। इसलिये नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। नगरपालिका परिषद से प्राप्त आय व्यय के आकड़ों से यह तथ्य प्रकट हुआ कि इन निकायों का व्यय भार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आय कम होती दिख रही है। यद्यपि 74वें संशोधन के बाद इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के भरसक प्रयास किये गये हैं। परन्तु जब तक नगरपालिकाओं का प्रशासन तंत्र ईमानदारी से काम नहीं करेगा तब तक इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इस संशोधन से पूर्व अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हुआ करता था। अतः संशोधन के पश्चात् अध्यक्ष का चुनाव वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। नगरपालिका के अधिकांश पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष की कार्यकुशलता में कोई बदलाव नहीं आया हैं परन्तु कुछ पार्षदों का मानना है कि पहले की अपेक्षा अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है क्योंकि अब अध्यक्ष की जनता के प्रति जबावदेही बढ़ गई है।

किसी भी संस्था या निकाय की सफलता एवं विश्वसनीयता उसमें कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता, योग्यता एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हमने झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों में कार्यरत अधिकारियों एंव कर्मचारियों की कुशलता एवं क्षमता की समीक्षा की, तो बहुत ही निराशाजनक तथ्य सामने आये। नगरपालिकाओं की वर्तमान दुर्दशा के पीछे यह तथ्य भी मुख्य कारकों में से एक है। सर्वाधिक उपेक्षित होने के कारण नगरीय निकायों के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संवर्ग समुचित रूप से विकसित नहीं हो पाया हैं, पूर्व के वर्षो में नगरीय निकायों में मनमाने तरीके से अंधाधुंध नियुक्तियां की गई हैं। बड़ी संख्या में अकुशल तथा सिफारिशी कर्मचारियों के सेवा में आ जाने से बिना किसी प्रतिफल के निकायों पर वेतन का व्ययभार बहुत अधिक बढ़ चुका है। आज नगरपालिकाओं में कार्य संस्कृति का सर्वथा अभाव है। नगरपालिका परिषदें पूरी तरह से राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। नगरपालिका परिषद कार्यालयों का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि अधिकारी कार्यलयों में बैठने से कतराते हैं।

झांसी जनपद का अधिकांश क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। अतः यहां पर अभी भी पुरूष प्रधान मानसिकता बनी हुयी है इस कारण आज भी इस क्षेत्र की महिलायें आर्थिक आधार पर पुरूषों

पर आश्रित हैं। विद्रूप यह है कि ये अभिशाप अभी भी उनको झेलना पड़ रहा है। उनको आज भी द्वितीय स्तर का लिंग समझा जाता है। तभी ये महिलायें न तो अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग कर पाती हैं और न राजनीति में सक्रियता से भाग ले पाती हैं। इस आरक्षण से महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में लाभ अवश्य मिल रहा है लेकिन गति अभी भी धीमी है। इस संशोधन द्वारा दलितों को मिले आरक्षण के कारण नगरीय संस्थाओं में पहले की अपेक्षा इनकी भागीदार बढ़ गयी है। और अधिकांश दलित अपने अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से कर रहे हैं। इनके लिये सरकार के द्वारा समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है जिससे इन लोगों का शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। नगरपालिका परिषदों में अल्पशिक्षित दलित पार्षद भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन वे ही पार्षद अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

नगरों के विस्तार एवं बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के चलते आज नगरीय निकायों के समक्ष जो चुनौतियां विद्यमान हैं, उनका निराकरण जनप्रतिनिधियों को अधिकार सौंप दिये जाने मात्र से नहीं हो सकता। जब तक इन जर्जर नगरीय निकायों में क्षमता का विकास नहीं होगा, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरूस्त नहीं होगी, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव नहीं है। और यह तभी सम्भव होगा जब राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए इन निकायों में क्षमता निर्माण को अपनी प्राथमिकताओं में सम्मिलित करें।

सुझाव–

स्थानीय निकाय राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की वह प्राथमिक ईकाई हैं, जो कि समाज व आम आदमी के साथ व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष व निरन्तर सम्पर्क में रहती है तथा आम नागरिकों की दिन प्रतिदिन की सामान्य व मौलिक सुविधाओं, सड़क, सफाई, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेय जलापूर्ति तथा गृह निर्माण को प्रभावित करती हैं। किसी भी समाज व्यवस्था में उक्त सुविधाओं की निरन्तरता व उच्च गुणवत्ता के आधार पर ही स्थानीय निकाय की प्रशासनिक सफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष, पार्षदगण, अधिशासी अधिकारी, कर्मचारीगण व नगर के वरिष्ठ नागरिकों से उक्त सन्दर्भ में गहन विचार विमर्श करने पर निम्न बिन्दु प्रकाश में आये हैं, जिनमें सुधार किये जाने पर इन संस्थाओं को और अधिक उपयोगी व जनहितकारी बनाया जा सकता है।

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की प्रशासनिक अनुभव शून्यता – झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों के वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष तथा महिला/पुरूष पार्षद गणों से नगरपालिका परिषद की मौलिक सेवाओं तथा उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में चर्चा करने पर यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधिकाशं पार्षद अल्पशिक्षित हैं तथा उन्हें नगरपालिका परिषद की

उपविधियों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में चतुर व भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी उन्हें भ्रमित करते रहते हैं तथा जन सामान्य के कार्यों के निस्तारण में बाधाये खड़ीं करते हैं। यह पाया गया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अनुभव व नियमों के अभाव में अपने सम्पूर्ण पांच वर्ष के कार्यकाल में सफलता पूर्वक प्रशासन नहीं चला सके तथा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। परिणामस्वरूप अगले निर्वाचन में मतदाताओं द्वारा उन्हें अकुशल व भ्रष्ट समझकर पराजित कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को उक्त स्थिति अपने अनुकूल प्रतीत होती है। अतः वह उक्त दुष्चक्र को बनाये रखने का ही प्रयत्न करते हैं। उपरोक्त स्थिति में तुरन्त व्यापक सुधार जनहित की दृष्टि से आवश्यक है, जिसके लिये राज्य प्रशासन द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

1. निर्वाचित जनप्रतिनिधयों को निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् गहन प्रशासनिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाये जाने की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये।

2. जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण अवश्य होना चाहिये।

3. जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में अपराधी तत्वों का प्रवेश रोकने के उपाय होना चाहिये।

4. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा निकाय निधि व सम्पत्ति का दुरूपयोग किये जाने की प्रवृत्ति पर रोक हेतु उनके कार्यों की निगरानी के लिये स्थायी व प्रभावी पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना होनी चाहिये।

5. नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले दलीय स्वरूप पर रोक लगानी चाहिये।

6. नगरपालिका परिषदों को वास्तव में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये राज्य सरकार को इन निकायों की संरचना में व्यापक संशोधन करके सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इन निकायों में आयोग्य, अकुशल एवं अक्षम लोग राजनीतिक पहुंच व सिफारिश के आधार पर नियुक्त न हो सकें।

7. महिलाओं में राजनीतिक चेतना का स्तर बढ़ाने के लिये प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक प्रशिक्षण के साथ ही साथ राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये। तब उनमें राजनीतिक जागरूकता लायी जा सकती है।

8. राजनैतिक माहौल में सहभागी महिलाओं के प्रति पुरूष प्रधान रूढ़िवादी सोच बदलनी चाहिये। महिलाओं को भी पुरूषों जैसा ही मानसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी चाहिये।

9. आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजकीय सहभागिता एवं सक्रियता का प्रमुख आधार है। इसलिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिये।

10. राजनैतिक माहौल में अपराधीकरण, कालाधन, चरित्रलांछन एवं घूसखोरी जैसे दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है। जिससे महिलायें राजनीति में अपना योगदान दे सकें और नगरपालिका परिषदों का कार्य ईमानदारी और कुशलता से हो सके।

मेरा मत है कि उपरोक्त दिये गये सुझावों के पालन से नगरपालिका परिषदों का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ्य होगा। तभी सम्बन्धित पार्षद निर्भयतापूर्वक अपना मत एवं विचार प्रकट कर सकेंगे। फलस्वरूप नागरिकों की अवश्यकताओं की पूर्ति होगी तथा जनसमस्याओं का समाधान होगा। और तभी भारत सरकार द्वारा किये गये 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य फलीभूत हो सकेगा।

अनुसूची

मैं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) की शोध छात्रा हूँ। इस शोध विषय ''नगर पालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन'' (उत्तर प्रदेश में झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990 से 2002 तक) है। इस विषय को पूर्ण करने के लिये एक अनुसूची की आवश्यकता है। जो निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में है। इसलिए मैं इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से अपने शैक्षणिक कार्य को करने का प्रयत्न कर रही हूँ। इस शोध कार्य का उद्देश्य पूर्ण शैक्षणिक है।

निदेशक	शोध छात्रा
डा0 एस0 के0 कपूर	प्रीति सिंह
प्राचार्य एवं अध्यक्ष	
राजनीतिविज्ञान विभाग	
श्री अग्रसेन पी.जी. कॉलेज	
मऊरानीपुर (झाँसी)	

उत्तरदाता का नाम..

1. लिंग

☐ (a) स्त्री   (b) पुरुष

2. आयु

☐ (a) 25 से 35 वर्ष   (b) 36 से 45 वर्ष

(c) 46 से 55 वर्ष   (d) 56 से 65 वर्ष

(e) 66 से ऊपर वर्ष

3. धर्म

☐ (a) हिन्दू   (b) मुस्लिम

(c) सिक्ख   (d) ईसाई

(e) जैन

4. जाति...

(a) सामान्य जाति   (b) पिछड़ी जाति

(c) अनुसूचित जाति   (d) अनुसूचित जनजाति

5. शिक्षा

☐ (a) प्राइमरी   (b) मिडिल

(c) मैट्रिक | (d) इण्टिरमीडियट

(e) स्नातक | (f) परास्नातक

(g) अशिक्षित

6. परिवार का आकार

☐ (a) एकल परिवार | (b) संयुक्त परिवार

आर्थिक पृष्ठभूमि –

7. आपका व्यवसाय

☐ (a) व्यापार | (b) कृषि

(c) नौकरी | (d) मजदूरी

8. आपके परिवार की समस्त साधनों से औसतन वार्षिक आय कितनी है ?

☐ (a) 10000/– से 20000/– तक | (b) 20000/–से 30000/– तक

(c) 30000/– से 40000/– तक | (d) 40000/– से 50000/– तक

(e) 50000/–से 100000/– तक | (f) 100000/– रू0 से ऊपर

9. आपके पास कृषि योग्य भूमि है ?

☐ (a) भूमिधारक | (b) भूमिहीन

राजनीतिक पृष्ठभूमि –

10. क्या आपको पिछला राजनीतिक अनुभव है ?

☐ (a) हाँ | (b) नहीं

11. वर्तमान पद पर चुने जाने से पूर्व आपके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में था ?

☐ (a) हाँ | (b) नहीं

12. आपने चुनाव में भाग लेने का निर्णय किस आधार पर लिया है ?

☐ (a) स्वविवेक से | (b) परिवार वालों के कहने पर

(c) दलवालों के कहने पर

13. आपके किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध हैं, (यदि हाँ तो) किस दल से हैं ?

☐ (a) भारती जानता पार्टी | (b) समाजवादी पार्टी

(c) बहुजन समाज पार्टी | (d) कांग्रेस

(e) किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं है।

14. आपकी दलीय विचार धारा क्या है ?

☐ (a) गांधीवादी | (b) समाजवादी

(c) हिन्दूवादी (d) कोई उत्तर नहीं

15. आपकी राय में कौन सी दलीय प्रणाली भारतीय लोकतन्त्र को मजबूत बना सकती है?

☐ (a) एक दलीय प्रणाली (b) द्विदलीय प्रणाली

(c) बहुदलीय प्रणाली (d) कोई उत्तर नहीं

नगरपालिका परिषद् के सम्बन्ध में पार्षदों के विचार

16. क्या आपको अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी है ?

☐ (a) जानकारी है (b) कुछ जानकारी है

(c) जानकारी नहीं है

17. क्या आपको संविधान में हुये 74वें संशोधन के विषय में ज्ञान है ?

☐ (a) हाँ (b) नहीं

18. क्या आपको नगरपालिका परिषद् के मुख्य कार्यो के विषय में जानकारी है ?

☐ (a) मार्गो का निर्माण एवं सुधार (b) प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था

(c) उद्यानों का निर्माण एवं रखरखाव (d) सभी

(e) पता नहीं

19. आप अपने वार्ड की जनता की सहायता किस आधार पर करते हैं या करतीं हैं ?

☐ (a) अपनी जाति के लोगो की (b) अपनी पार्टी के लोगों की

(c) सभी लोगों की

20. क्या आप नगरपालिका परिषद् द्वारा आपके वार्ड में किये गये कार्यो का निरीक्षण करते हैं या करतीं हैं ?

☐ (a) निरीक्षण करते हैं। (b) कभी–कभी निरीक्षण करते हैं।

(c) निरीक्षण नहीं करते हैं।

21. आपकी राय में नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति कैसी है ?

☐ (a) अच्छी है (b) मध्यम है

(d) खराब है (d) पता नहीं

22. 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् या जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुने जाने के बाद से क्या अध्यक्ष की कार्यकुशलता में वृद्धि हुयी है?

☐ (a) बढ़ी है (b) नहीं बढ़ी है

(d) पता नहीं

नगरपालिका परिषद् में महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति

23. महिला पार्षदों की शैक्षिक योग्यता

(a) परास्नातक से हाईस्कूल तक (b) मिडिल से प्राईमरी तक

(c) अशिक्षित

24. आप अपने मताधिकार का निर्णय किस आधार पर लेतीं है ?

(a) जिसमें कह देते हैं। (b) पार्टी के आधार पर

(c) जातीय आधार पर (d) प्रत्याशी के आधार पर

25. क्या आपने चुनाव में भाग लेने का निर्णय स्वविवेक से लिया या किसी और के कहने पर लिया ?

(a) परिवार वालों के कहने पर (b) दलवालों के कहने पर

(c) स्वविवेक से

26. आपको नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को दिये गये आरक्षण के विषय में जनकारी है या नहीं?

(a) हाँ (b) नहीं

27. क्या आप नगरपालिका परिषद् की बैठकों में भाग लेती हैं या नहीं ?

(a) भाग लेतीं हैं (b) कभी कभी भाग लेती हैं।

(c) भाग नहीं लेती हैं।

28. (यदि हाँ तो) आप परिषद् की बैठक की कार्यवाही में प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं ?

(a) कार्यसूची पर प्रश्न पूंछती हैं (b) आलोचना व्यक्त करतीं हैं

(c) सभी

29. क्या आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं ?

(a) आगे बढ़ना चाहतीं हैं (b) नहीं बढ़ना चाहती हैं

30. आपकी क्या राय है कि केन्द्रीय विधायिका में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिये या नहीं?

(a) पक्ष में (b) विपक्ष में

31. क्या आपको महिलाओं के उत्थान हेतु बनाये गये कानूनों के विषय में जानकारी है?

(a) हाँ (b) नहीं

32. क्या आप सामाजिक परम्पराओं पर विश्वास करती हैं या नहीं

(a) विश्वास करती हैं। (b) विश्वास नहीं करती हैं

33. आपकी राय में समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं ?

(a) सुधार हुआ है (b) सुधार नहीं हुआ है।

सन्दर्भ - ग्रन्थ सूची

1. अरगल, आर. – म्यूनिसिपल गवर्नमेन्ट इन इण्डिया।
2. एडवर्ड, जेंक्स – एन आउट लाइन आफ इंग्लिश लोकल गवर्नमेन्ट।
3. बसु, दुर्गावास – भारत का संविधान एक परिचय।
4. बोस, आशीष – स्टडीज इन इण्डियाज अरबनाइजेशन।
5. ब्राइस, जेम्स – माडर्न डेमोक्रेसीज।
6. भार्गव, पी0एल0 – रिकार्म इन म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग एण्ड आडिटिंग प्रोसिजर्स।
7. भट्टाचार्य, मोहित – अरबनाइजेशन एण्ड अरबन प्राब्लम्स इन इण्डिया।
8. भारद्वाज आर.के. – म्यूनिसिपल एडमिनस्ट्रेशन इन इण्डिया।
9. दत्ता, आर.बी. – डेलेबरेटिव एण्ड एक्जीक्यूटिव विंग्स इन लोकल गवर्नमेन्ट
10. दास.आर.बी. – डेलेबरेटिव एण्ड एक्जीक्यूटिव विंग्स इन लोकल गवर्नमेन्ट
11. देय, एस.के. – पियुपल्स पार्टीसिपेशन इन कम्यूनिटि प्रोग्रामस
12. ज्ञानचन्द – लोकल फाइनेन्स इन इण्डिया।
13. हिक्स, के. उर्सुला – डवलपमेन्ट फ्रॉम बिलो लोकल गवर्नमेन्ट एण्ड फायनेन्स इन डवलपिंग कन्ट्रीज ऑफ द कामनवेल्थ आक्सफोर्ड।
14. जैक्सन, आर.एम. – द मशीनरी आफ लोकल गवर्नमेन्ट।
15. कश्यप, सुभाष – हमारा संविधान।
16. खन्ना, आर.के. – म्यूनिसिपल गवर्नमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया।
17. कौशिक, एस.एल. – लीडरशिप इन अरबन गवर्नमेन्ट इन इण्डिया।
18. लॉस्की – ग्रामर ऑफ पालिटिक्स।
19. माहेश्वरी, एस.आर. – भारत में स्थानीय शासन।
20. मिल, जे.एस. – रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेन्ट।
21. मिश्रा. एस.एन. – पालिटिक्स एण्ड लीटरशिप इन म्यूनिसिपल गवर्नमेन्ट।
23. मुताबिक, एम.एम.एवं खान – थ्योरी ऑफ लोकल गवर्नमेन्ट।
24. नारायण, इकबाल – डेमोक्रटिक डिसेंट्रेलाइजेशन।
25. नेहरू, जवाहरलाल – एन ऑटोबायोग्राफी।

26. प्रकाश, ज्ञान – डेवलपमेन्ट इन लोकल गवर्नमेन्ट इन द इण्डियन जरनल आफ पब्लिक एडमिन्स्ट्रेशन।

27. राय, के.के. – उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट।

28. शर्मा, अरूणकुमार – भारत में स्थानीय शासन।

29. शर्मा, अशोक – भारत में स्थानीय प्रशासन।

30. सचदेवा, परदीप – अरबन लोकल गवर्नमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया।

31. सिंह, यू.बी. – उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916

32. सिंह, होशियार – पावर्स एण्ड फक्संन्स ऑफ म्यूनिसिपल चेयरमैन इन राजस्थान।

33. सिन्हा, बी.एम. – भारत में नगरीय सरकारें।

34. शर्मा, एम.पी. – पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ।

35. सचदेवा, परदीप – डायनामिक ऑफ म्यूनिसपल गवर्नमेन्ट एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया।

36. टॉक्यूविले, ए.डी. – दि अमेरिकन डेमोक्रेसी।

37. वेंकटराव, बी. – ए हन्ड्रेड इयर्स ऑफ लोकल गवर्नमेन्ट इन आसाम।

38. एन साइक्लोपीडिया आफ ब्रिटेनिका

39. अमर उजाला

40. आज

41. दैनिक जागरण

42. दैनिक भास्कर

43. हिन्दुस्तान टाइम्स

44. नव भारत

45. राष्ट्रीय सहारा

46. राष्ट्रबोध

47. स्वदेश

48. कुरूक्षेत्र

49. योजना

नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन

(उत्तर प्रदेश में झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990–2002 तक)

राजनीति विज्ञान विषय के अन्तर्गत

पीएच.डी. उपाधि हेतु

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

के लिए प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध का सार संक्षेप

2005

शोध निदेशक :-

डॉ० एस० के० कपूर

अध्यक्ष – राजनीतिविज्ञान विभाग एवं

प्राचार्य– श्री अग्रसेन पी०जी० कॉलेज

मऊरानीपुर (झाँसी)

शोध छात्रा :-

प्रीति सिंह

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

संक्षेपिका

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय ''नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन'' (उत्तरप्रदेश में झांसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में 1990–2002 तक) है। इस विषय के अन्तर्गत 74वें संविधान संशोधन के द्वारा उत्तरप्रदेश की नगरीय संस्थाओं में हुये परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस संशोधन से पहले नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा न प्राप्त होने के कारण इन संस्थाओं में अनियमित चुनाव, दीर्घकाल तक इन संस्थाओं के अधिक्रमित अर्थात् राज्य सरकारों द्वारा अकारण इन्हें भंग रखे जाने, इनकी दयनीय आर्थिक दशा, इन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों का अभाव, इन संस्थाओं के चुनावों आयोजन के लिए प्रभावी संरचना के अभाव तथा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधत्व आदि ऐसी प्रमुख स्थितियां थीं।

इन संस्थाओं की इस स्थिति को दूर करने के लिये भारतीय संसद के द्वारा संविधान में '74वां संशोधन अधिनियम 1992', 1 जून, 1993 को पारित हुआ, तत्पश्चात् इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के बाद नगरपालिकाओं के संगठन एवं कार्यप्रणाली में हुये प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता को अनुभव किया गया। जब शोधार्थी को महसूस हुआ कि इस प्रकार का अध्ययन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, तब उसने इस कार्य को सीमित रूप में पूर्ण करने के लिये यह अध्ययन झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण नगरपालिका परिषदों सीमित रखा क्योंकि राज्य का गहन अध्ययन एक व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं था और न ही शोधार्थी के पास इतना समय एवं साधन थे, कि वह इस प्रकार का अध्ययन कर सके।

इस विषय के अध्ययन में झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों का संगठनात्मक एवं कार्यात्मक चित्र तो प्रस्तुत करना ही है, साथ ही यह भी देखना है कि संविधान में हुये 74वें संविधान संशोधन के परिवर्तनों का प्रभाव सभी नगरपालिका परिषदों के संगठन एंव कार्यप्रणाली पर किस प्रकार पड़ा है। अतः उक्त संशोधन के कारण आज महिलाओं के लिये पहली बार नगरीय संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों से महिलायें अवगत हैं, यदि अवगत हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा तथा वर्ममान समय में नगरपालिका परिषदों में निर्वाचित महिला पार्षदों की भूमिका तथा स्थिति क्या है ? इसके साथ ही आरक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के पार्षदों की भी परिषदों में क्या भूमिका है? इस संशोधन द्वारा नगरीय निकायों में हुये परिवर्तनों के सकारात्मक एवं नाकरात्मक प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विषय के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है। 2. नगरपालिका परिषदों

पर 74वें संविधान संशोधन के बाद हुये परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है। 3. झांसी जनपद की महत्वपूर्ण नगरपालिका परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना हैं। 4. इन संवैधानिक परिवर्तनों के बाद नगरों में जनआकांक्षाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में तथा परिषदों में जनता की पूर्ण भागीदारिता का अध्ययन करना है। 5. 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नगरपालिका परिषदों की परिवर्तित वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना हैं। 6. नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली में शासकीय, प्रशासकीय एवं राजनीतिक हस्तक्षेप का मूल्यांकन करना है। 7. नगरपालिका परिषदों में आरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अनुसूचित जाति/पिछड़ीजाति एवं महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। 8. इसके साथ ही परिषदों के प्रशासन तंत्र को एवं दलितों व महिलाओं को और अधिक सक्रिय बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किया है।

इस शोध विषय के अध्ययन के लिये ऐतिहासिक, तुलनात्मक, वैज्ञानिक, अनुभवात्मक एवं परीक्षणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है तथा यह अनुसंधान कार्य प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोतो पर आधारित है। अध्ययन में सूचनाओं के संग्रह एवं विश्लेषण के लिये डायरी, कम्प्यूटर तथा साक्षात्कार के लिए अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों के संगठन तथा कार्यप्रणाली के परिवर्तित स्वरूप का अध ययन करने के लिए सभी नगरपालिका परिषदों के प्रत्येक पार्षद को साक्षात्कार के लिये चुना गया है तथा उनसे प्रश्नों को पूछने के लिये 33 प्रश्नों की एक साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई है।

शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में विषय की प्रासंगिकता एवं स्थानीय शासन के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। स्थानीय शासन का अर्थ स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा उसका क्षेत्राधिकार विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है और इस विशिष्ट क्षेत्र में बसने वाली जनता को नागरिक सुविधाऐं प्रदान करना इनका प्राथमिक दायित्व समझा जाता है। स्थानीय शासन की इकाइयां सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करती हैं लेकिन यह सम्प्रभु नहीं होती। लोकतन्त्र में स्थानीय शासन की संस्थाओं का अत्याधिक महत्व है क्योंकि केन्द्र सरकार के पास सम्पूर्ण देश एवं बड़ी बड़ी समस्याओं का इतना अधिक भार होता है कि केन्द्र स्थान विशेष की समस्याओं के बारे में सोच भी नहीं सकता। केन्द्र के पास न तो इनता समय है और न ही इतने साधन हैं कि वह स्थान विशेष की समस्याओं का कुशलतापूर्व हल कर सकें, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उसका भार प्रशासन की अन्य संस्थाओं में बांट दिया जाये। लोकतंत्र में ये कार्य स्थानीय संस्थाओं अधिक कुशलता पूर्वक कर सकती हैं।

भारत में स्थानीय शासन का प्रारम्भ स्वतंत्रापूर्व ब्रिटिश शासन काल से ही प्रारम्भ हो गया था। स्थानीय शासन को स्थापित करने में लार्ड रिपन का विशेष योगदान रहा है इसलिये इन्हें

स्थानीय शासन का निर्माता एवं मैग्नाकार्टा कह कर इनकी प्रशंसा भी की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की सरकार ने स्थानीय शासन की व्यवस्था को अत्यधिक महत्व देना आरम्भ कर दिया। स्वतंत्र सरकार ने यह अनुभव कर लिया था कि स्थानीय स्वशासन की ये इकाइयां वास्तव में लोकतंत्र की आधारशिला होती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारतवर्ष में स्थानीय स्वशासन का नवीन युग आरम्भ हो गया था। स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाने के लिये विभिन्न आयोगों को गठित किया गया ताकि इन आयोगों की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय शासन को प्रगतिशील बनाया जा सके। फलस्वरूप स्थानीय शासन के क्षेत्र में प्रगति का नया युग प्रारम्भ हुआ। स्व0 राजीवगांधी जी ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली एवं कुशल बनाने के लिये इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिये मई, 1989 में (64 वां एवं 65 वा) संवैधानिक संशोधन बिल तैयार कराये लेकिन लोकसभा में कांग्रेस (आई) दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण इन्हें पारित नहीं किया गया।

जन् 1991 में पी0वी0 नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) की सरकार बनी और उनकी सरकार ने (64वां एवं 65 वां) बिलों में सुधार करके 73वां एवं 74वां बिल तैयार कराया। इन दोनों बिलों को 1992 में संसद ने पारित कर दिया। तत्पश्चात् इन्हें भारतीय संविधान में 73वां एवं 74वां अधिनियम 1992 के रूप में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन का स्वरूप भी दो क्षेत्रों में विभक्त है, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामपंचायतें एवं नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका परिषदें। शहरी स्थानीय शासन शहरों के विकास के लिये वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है। नगरपालिकायें राज्यसरकार द्वारा गठित होने कारण इनका शासकीय प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्य आदि राज्य सरकार की बिना अनुमति के नहीं हो सकता है। आज नगरों के विकास में नगरपालिका परिषदों का विशेष योगदान है। क्योंकि नगरों की सफाई, सड़कों का निर्माण, प्रकाशव्यवस्था जैसे कार्य नगरपालिकाओं द्वारा ही होते हैं। इस शोध विषय का अध्ययन क्षेत्र झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों को चुना गया है। इसलिये अध्याय के अन्त में झांसी जनपद का क्षेत्र, इतिहास व संस्कृति का अध्ययन किया गया है इसके साथ ही झांसी जनपद की महत्वपूर्ण नगरपालिका परिषदों के विषय की संक्षेप में जानकारी दी गई है।

दूसरे अध्याय में उत्तर प्रदेश में नगरपालिका परिषदों के संगठन के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि स्वतन्त्रता से पूर्व नगरपालिका परिषदों के संगठन का क्या आकार था तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् नगरपालिकाओं के संगठन का क्या आकार हुआ? 74वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरपालिकायें छः स्वरूपों में गठित की जाती थीं– नगरनिगम, नगरपरिषद/नगरपालिका, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति छावनी मंडल एवं एकल उद्देश्यीय अभिकरण। इस संशोधन के पश्चात् नगरपालिकाओं का संगठनात्मक स्वरूप बदलकर नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं

नगरपंचायत के रूप में कर दिया गया है। पहले नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुआ करता था पर अब अध्यक्ष का चुनाव वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होना अनिवार्य हो गया है। इस संशोधन से पहले नगरपालिकाओं में निर्वाचन असमय हुआ करते थे तथा राज्य सरकार द्वारा असामयिक रूप से इन्हें भंग कर दिया जाता था। लेकिन संशोधन के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ, अब सभी नगरपालिकाओं के चुनाव 5 वर्ष में कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा नगरपालिकाओं को पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार सौंपे गये हैं। संगठन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति एवं महिलाओं को आरक्षण देकर किया गया हैं। द्वितीय अध्याय के अन्त में नगरपालिका परिषदों के संगठन का आलोचनाात्मक परीक्षण एवं संगठनात्मक सुधार हेतु सुझाव दिये गये हैं। अतः निर्वाचित जन प्रतिनिधि एवं महिला प्रतिनिधियों में राजनीति चेतना का स्तर बढ़ाने के लिये गहन प्रशासनिक प्रशिक्षण के साथ ही साथ राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये।

इस शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है। अध्याय की शुरूआत में नगरपालिका परिषदों का कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र में विस्तार व परिवर्तन जैसे विषयों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली में हुये परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। नगरपालिका परिषदों द्वारा निष्पादित कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति व सत्ता के सन्दर्भ में इस संशोधन में यह कहा गया है कि राज्य विधान मंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक शक्तियां और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून के माध्यम से इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं के निर्माण व संविधान की 12वीं अनुसूची में निर्धारित मामलों व कार्यों को निष्पादित करने के लिये दायित्व का आरोपण कर सकेंगे। नगरपालिका परिषदों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत इन्हें दो प्रकार से शक्तियां प्रदान करने की प्रणालियां प्रचलित हैं। पहली सामान्य शक्ति प्रदायिनी प्रणाली के द्वारा नगरपालिकाओं को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जिसे वे अपने निवासियों के लिये आवश्यक और हितकारी समझे। दूसरी विशिष्ट अधिकार दान प्रणाली के अन्तर्गत नगरपालिकाऐं केवल निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिये ही सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त चार प्रकार की शक्तियां और सौंपी गई हैं जैसे विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां वित्तीय शक्तियां एवं निर्वाचकीय शक्तियां आदि। नगरपालिका परिषदों के दो प्रकार के कार्य होते हैं – प्राथमिक या अनिवार्य कार्य एवं ऐच्छिक कार्य। भारतीय संविधान में किए गए 74वें संशोधन के माध्यम से बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में 18 विषय सौंपे गये हैं।

नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली में तीन प्रकार से हस्तक्षेप होता है। पहला शासकीय

हस्तक्षेप, दूसरा प्रशासकीय हस्तक्षेप, तीसरा राजनीतिक हस्तक्षेप। राज्य सरकार नगरपालिका परिषदों में तीनों प्रकार से हस्तक्षेप एवं नियंत्रण बनाये रखती है। 74वें संविधान संशोधन से पहले नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति बड़ी दयनीय थी जिस कारण इन्हें अपने कार्यों का वहन बड़ी मुश्किल से करना पड़ता था, परन्तु इस संशोधन के पश्चात् नगरपालिका परिषदों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और राज्य सरकार से इन्हें अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्राप्त होने लगी है जिससे इनकी वित्तीय स्थिति पहले से अब सुदृढ़ हो गयी है। अन्त में नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण एवं कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दिये गये हैं।

इस शोध प्रबन्ध के चतुर्थ अध्याय में झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाली महत्वपूर्ण नगरपालिका परिषदों के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया गया है। इन नगरों में झाँसी नगर, मऊरानीपुर नगर, बरूआसागर नगर एवं गुरसरांय नगर का परिचय दिया गया है जिसमें नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिदृश्य, जनसंख्यात्मक स्वरूप, शैक्षणिक स्वरूप, सामाजिक स्तर, आर्थिक पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक स्थिति आदि का वर्णन किया गया हैं। इसके बाद सभी नगरपालिका परिषदों के वर्तमान संगठन को वर्णित किया गया है। इस समय झांसी नगरपालिका परिषद में 35 निर्वाचित सदस्य, 5 मनोनीत सदस्य एवं चार पदेन सदस्य हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिशासी अधिकारी है। मऊरानीपुर नगरपालिका परिषद, बरूआसागर नगरपालिका परिषद् एवं गुरसरांय, नगरपालिका परिषद 25 वार्डो में विभक्त है तथा 25 निर्वाचित सदस्य, एक अध्यक्ष, 5 मनोनीत सदस्य एवं चार पदेन सदस्य व एक अधिशासी अधिकारी है। 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् प्रत्येक नगरपालिका परिषदों के संगठनात्मक स्वरूप का मूल्यांकन किया गया है। नगरपालिका परिषदों पर 74 वें संविधान संशोधन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये नगरपालिका पार्षदों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पार्षदों की कार्यशैली पर और पार्षदों की कार्यशैली का प्रभाव किस प्रकार परिषद् के संगठन एवं कार्यप्रणाली पर पड़ता है। इसके पश्चात् नगरपालिका परिषद के सम्बन्ध में पार्षदों के विचारों का दर्शाया गया हैं संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति व पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को दिये गये आरक्षण का इन पार्षदों के ऊपर हुये प्रभाव और परिषद में उनकी स्थिति एवं भूमिका का भी अध्ययन किया गया है।

सभी नगरपालिका परिषदों की कार्यप्रणाली का भी अध्ययन किया गया है। जिसके अन्तर्गत नगरपालिका की बैठकें और उसकी कार्यवाहियां, अधिवेशनों का समय, नगरपालिका परिषदों द्वारा शक्ति का प्रयोग तथा प्रत्येक नगरपालिका परिषदों की वित्तीय स्थिति तथा आय व्यय के विवरण आदि का अध्ययन किया गया है। अध्याय के अन्त में नगरपालिका परिषदों को कार्य संचालन में होन वाली कठिनाइयों का तथा नगरपालिका परिषदों के प्रति जनता की बढ़ती हुयी अपेक्षाओं का

वर्णन किया गया है। साथ ही सभी नगरपालिका परिषदों की आलोचनात्मक विवेचना की गयी है।

पांचवे अध्याय में झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों के राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन किया गया हैं नगरपालिका परिषदों के राजनीतिक स्वरूप के अन्तर्गत नगरपालिकाओं का निर्वाचन का वर्णन किया गया है। नगर प्रशासन के प्रारम्भ से ही नगरपालिकाओं में प्रायः जनता के चुने हुये सदस्य होते थे तथा नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव इन्हीं निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था। लेकिन सभी राज्यों की नगरपालिकाओं में निर्वाचन की पद्धतियां भिन्न–भिन्न हुआ करती थीं। अतः इस संशोधन के बाद से सभी राज्यों की नगरपालिका परिषदों के निर्वाचन की प्रणाली समान कर दी गयी है। आज नगरपालिका के चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ती जा रही हैं,। जब त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में लोकसभा व विधान सभाओं के चुनाव बिना राजनीतिक दलों की भागीदारी से नहीं होते हैं तब स्थानीय निकाय के चुनाव बिना राजनीतिक दलों के कैसे हो सकते हैं? ये राजनीतिक दल नगरपालिकाओं के चुनाव तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली को भी अपनी भागीदारी से प्रभावित करते हैं। इसलिये नगरपालिकायें पूरी तरह से राजनीतिक दलों का अखाड़ा बनती जा रही हैं।

74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को दिए गये 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण आज नगरपालिकाओं में पहले की अपेक्षा इनकी भागीदारी बढ़ी है। यदि राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं की भागीदारी को देखा जाये तो अनेक अध्ययनों ने इस तथ्य की तरफ इशारा किया है चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी न केवल उम्मीदवार के तौर पर बल्कि मतदाता के रूप में भी बहुत सीमित होती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। महिलाऐं स्वतंत्र मतदाता नहीं हैं, उनमें से ज्यादातर निरक्षर हैं उनमें अधिकांश का निर्णय अपने परिवार के पुरूष सदस्यों जैसे पिता, पति, पुत्र आदि की राय पर निर्भर करता है। महिलाओं में सूचना और राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है और महिलाऐं राजनीतिक रूप से सचेत नहीं हैं। नगरीय निकायों में पहले दलितों का प्रतिनिधित्व न के बराबर था लेकिन इस संशोधन के द्वारा प्राप्त आरक्षण के कारण इनकी भागीदारी में बढ़ोत्तरी हुई है। नगरपालिका परिषदों के राज्य सरकार से सम्बन्ध कई दृष्टियो सें महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि नगरीय संस्थायें राज्य सरकार द्वारा गठित संस्थाये हैं तथा इनका जन्म एवं मरण राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें ही इन संस्थाओं को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ प्रशासकीय शक्तियां प्रदान करती है। नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं राजनीतिक सम्बन्ध, प्रशासकीय सम्बन्ध एवं वित्तीय सम्बन्ध आदि। नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से राजनीतिक सम्बन्धों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि राज्य में जिस राजनीतिक दल की सरकार है और यदि उसी दल का नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष है तो राज्य सरकार एवं नगरपालिकाओं के सभी स्तर से सम्बन्ध अच्छे होते हैं। अध्याय के अन्त में झांसी जनपद

की नगरपालिका परिषदों के राजनीतिक स्वरूप के अध्ययन का वर्णन किया गया हैं।

छठवे अध्याय में झांसी जनपद की नगरपालिका परिषदों की समीक्षा की गयी है। जिसमें पहले संघवाद एवं विकेन्द्रीकरण को परिभाषित किया गया है कि स्थानीय शासन की संस्थायें किस हद तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सपने को साकार कर पायीं हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्यरत पंचायत एवं नगरीय निकाय जैसी संस्थायें स्वशासन की पाठशाला के रूप में किस प्रकार सहायक हैं। आज स्थानीय स्वशासन को राजनीति की प्रशिक्षणशाला, प्रयोगशाला एवं पाठशाला कहा जाता हैं। क्योंकि यही संस्थायें व्यक्ति की उच्च स्तर की राजनीति करने के लिये छोटे स्तर परप्रशिक्षण प्रदान करती हैं। तभी इन संस्थाओं को लोकतंत्र की सच्ची आधारशिला कहा गया है। आज स्थानीय शासन की ये संस्थायें महिला सशक्तीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहीं हैं क्योंकि 74वें संविधान संशोधन से पूर्व इन संस्थाओं में इनकी भागीदारी अनिवार्य नहीं थी, लेकिन इस संशोधन के बाद इन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देकर राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। पहली बार भारतीय इतिहास में महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये इन संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। जिससे ये संस्थायें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये फलीभूत हो रहीं हैं। इसलिये स्थानीय स्तर की ये संस्थायें दलितों के उत्थान में प्रयोगशाला के रूप में भी सिद्ध हुई हैं। इस शोध में इन निकायों का जिला नियोजन व शहरी विकास के संवाहक के रूप में वर्णन किया गया है कि ये निकायें जिले में योजनाओं को निर्माण करने तथा शहरों के विकास के लिये किस प्रकार कार्य कर रही हैं। आज नगरों में जनकल्याण की दृष्टि से इन नगरीय संस्थाओं को स्थापित किया गया हैं तथा यह भी देखना है कि क्या यह जनआंकाक्षाओं की कसौटी पर खरी उतर रही है ? आज इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि बिना इन निकायों के जनतंत्र को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः जनतंत्र में जनता की स्थानीय समस्याओं का समाधान सिर्फ स्थानीय स्तर की ये संस्थायें ही कर सकती हैं। इस अध्याय के अन्त में निष्कर्ष एवं सुझाव दिया गया है।

निष्कर्ष में शोध द्वारा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या से प्राप्त निष्कर्षो का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त परिणामों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 74वें संविधान के पश्चात् नगरीय संस्थाओं के संगठन एवं कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हैं इस संशोधन के द्वारा सबसे बड़ा परिवर्तन अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति एवं महिलाओं एवं प्रतिनिधित्व में हुआ है। क्योंकि पहले नगरीय संस्थाओं में इन सभी का प्रतिनिधत्व न के बराबर था, और अब इनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। लेकिन अभी भी दलित एवं महिला पार्षदों में राजनीतिक अनुभव व सक्रियता की कमी पायी जा रही है।

जहां पहले नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति बड़ी दयनीय थी। इस संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया गया है जिससे ये संस्थाये अपने कार्यों का वहन सही

ढंग से कर सकें। वास्तव में आज इन संस्थाओं को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि एवं अतिरिक्त राशि से इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है। लेकिन इन संस्थाओं का प्रशासन तंत्र भ्रष्टाचार के रोग से ग्रस्त होने के कारण राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले वित्त का दुरूपयोग करता है। इस कारण राज्य सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है।

इस संशोधन से पूर्व ये संस्थायें राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षित थी। इन संस्थाओं की तरफ राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं था। लेकिन इस संशोधन के पश्चात् इन संस्थाओं को संवैध ाानिक दर्जा प्राप्त हुआ जिससे इन निकायों के निर्वाचन नियमित रूप से पांच वर्ष में होने लगें हैं। पहले की अपेक्षा नगरपालिकाओं के राज्य सरकार से प्रशासकीय, शासकीय एवं वित्तीय क्षेत्र में सम्बन्ध अच्छे हो गये हैं। निष्कर्षतः यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस संशोधन का उद्देश्य इन संस्थाओं द्वारा अंशतः पूर्ण होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण एवं निष्कर्षीकरण के पश्चात् इस स्थिति के लिये निम्न बिन्दु प्रकाश में आये हैं जिनमें तुरन्त सुधार किया जाना जनहित की दृष्टि से आवश्यक है, जिससे इन संस्थाओं को और अधिक उपयोगी व जनहितकारी बनाया जा सकता है।

सुझाव :-

1. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् गहन प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाये जाने की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये।
2. जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण अवश्य होना चाहिये।
3. इस क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलम्बी एवं जागरूक बनाने के लिये सामाजिक कुरीतियों आदि के विरूद्ध सरकार और महिलाओं के संगठनों द्वारा एक सशक्त आन्दोलन चलाया जाना चाहिये।
4. नगरीय संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के लिये प्रशासनिक प्रशिक्षण के साथ राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये।

उक्त शोध कार्य मैंने अपने सीमित साधनों से किया हैं। इसमें कमी भी हो सकती है फिर भी प्रस्तुत तथ्यों पर गहन विचार की आवश्यकता है।